लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1991/8 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (I)	17	बाद	बाढ़
विषय सूची (II)	नीचे से 12	बेराजगारी	बेरोजगारी
111	नीचे से 2	श्री बल्लभ पाणिग्रही	श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही
5	नीचे से 12	बुलठाना	बुलढाना
11	नीचे से 6	अलीपुरदार	अलीपुर[illegible]ारस
17	16	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल
17	अन्तिम	श्री धर्मण्हरा मोंडय्या सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल
18	11	112	121
53	4	(क)	(ख)
72	13	साकीपल्ली	सानीपल्ली
81	3	(ख)	(ग)
84	13	खण्डेवाल	खण्डेलवाल
90	नीचे से 8	मदम	मदन
97	13	शर्मा	वर्मा
103	7	(ग)	(ख)
113	6	गुडिकार	गूडिवार
139	8	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (घ)" अतः स्थापित कीजिए ।	

सादु

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
140	नीचे से 6	श्री धर्मन्ना मोंड्य्या सार्दुल	श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल
142	17	1553	1453
157	14	(घ)	(ग)
163	17	1477	1476
178	13	श्री के॰पी॰उन्नीकृष्णम	श्री के॰पी॰उन्नीकृष्णा
198	नीचे से 6	1350	1530
211	14	(ख)	(क)

विषय-सूची

दशम् माला, खंड 6 दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 7, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1991/8 अग्रहायण 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	16-17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 122	16-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18-240
तारांकित प्रश्न संख्या : 121, 123 से 141 और 142	18-53
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1347 से 1372, 1374 से 1501 और 1503 से 1581	18-240
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	240-243
सभा पटल पर रखे गए पत्र	243-248
प्राक्कलन समिति	
की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण—सभा पटल पर रखे गए	248-249
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	249-251-264-265
(एक) बंगाल की खाड़ी में हाल में आए तूफान के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति तथा सरकार द्वारा किए गए राहत उपाय	
श्री बलराम जाखड	249-251
(दो) काफी के लिए न्यूनतम जारी मूल्य	
श्री पी० चिदम्बरम	264-265
सभा का कार्य	251-255
कार्य मंत्रणा समिति	
आठवां प्रतिवेदन	255-256

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक .	256-277
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पाला के० एम० मैथ्यु	255-257
श्री गिरधारी लाल भार्गव	257-259
श्री के० तुलसिएया वान्डयार	259
श्री पी०सी० चाक्को	259-262
श्री पी०सी० थामस	262-264
प्रो० रासा सिंह रावत	266-268
श्री बालिन कुली	268-269
श्री सलमान खुर्शीद	269-277
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	277
श्री सलमान खुर्शीद	269-277
बेराजगारी के बारे में संकल्प	277-290
श्री ए० चार्ल्स . .	278-281
श्री चित्त बसु . . .	282-288
श्री पी०ए० संगमा	289-290
जाति संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प .	290-311
डा० के०वी०ग्रार० चौधरी	291-294
श्री मुकुलबालकृष्ण वासनिक . . .	294-297
प्रो० रासा सिंह रावत	297-301
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	301-305
श्री पी०सी० चाक्को	305-308
श्री पीयूष तीरकी	308-310
श्री पाला के०एम० मैथ्यू . . .	310-311

विषय	पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा	311-322
मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन	
श्री शरद दिघे	311-314
श्री सुधीर गिरि	314
श्री बल्लभ पाणिग्रही	314-315
श्री रामेश्वर ठाकुर	315-322

लोक सभा

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1991/8 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० हुए समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री टी०एस० अविनाशीलिंगम चेट्टियार के दुःखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री टी०एस० अविनाशीलिंगम चेट्टियार 1935 तथा 1945 के बीच 'सैंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली' के सदस्य रहे और तत्पश्चात् उन्होंने भूतपूर्व मद्रास राज्य के तिरूप्पूर निर्वाचन क्षेत्र का 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया । वे 1958-64 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे। उससे पहले 1946-51 के दौरान वे तत्कालीन मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राज्य की मन्त्रिपरिषद् में शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया ।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री चेट्टियार वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षाविद्, लेखक तथा सुधारक थे । उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई वर्ष तक जेल में रहे । शिक्षा के विस्तार में उन्होंने विशेष रुचि ली तथा अनेक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की । श्री चेट्टियार ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं ।

श्री चेट्टियार का निधन 88 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 1991 को कोयम्बटूर में हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने क्वश्चन आवर सस्पेंड करने के लिए आपको नोटिस दिया हुआ है । आज पूरे देश के मजदूर हड़ताल पर हैं । इसी बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आज भारत के कामगार हड़ताल पर हैं। हम प्रश्न काल नहीं होने देंगे। हमने प्रश्न काल को निलम्बित करने के लिए आपको एक नोटिस दिया हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम उस नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जो श्रमिक वर्ग के हितों को हानि पहुंचाती है। यह एक नुकसानदेह नीति है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस सरकार की आर्थिक नीति क्या है ? (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने प्रश्न काल निलम्बित करने के लिए एक नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार ने इस देश के मजदूरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने अपने दोस्त चुने हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ही उनका समर्थन कर रही है और अन्य कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोंडा) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के मजदूर आज हड़ताल पर हैं। इस बात पर सदन में अभी चर्चा होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज श्रमिक वर्ग और केन्द्रीय मजदूर संगठन हड़ताल पर हैं। (**व्यवधान**) आज हमारे देश पर प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री का शासन नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शासन है। वह हमारी नीति का निर्णय कर रहे हैं। (**व्यवधान**) लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को बर्बाद किया जा रहा है। उनका निजीकरण किया जा रहा है। इस देश में क्या हो रहा है ? वित्त मंत्री कहते हैं तीन वर्षों के बाद हमें कुछ हासिल हो जायेगा। महोदय, जब वह यह कहते हैं तो सूचकांक क्या है ? लोगों का क्या होगा ? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रधान मन्त्री ने कहा है—चर्चा हो सकती है। परन्तु महोदय, सरकारी क्षेत्र की इकाईयों की छंटनी करने के नोटिस पहले ही दिये जा चुके हैं।

महोदय, उन्होंने पहले ही औद्योगिक नीति अपनाने का फैसला कर लिया है जिसका मतलब है कि मजदूर वर्ग को बहुत परेशानियां आएगी। उन्होंने निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के एककों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाय। इस देश में क्या हो रहा है ? महोदय हम चाहते हैं कि यह नीति तुरन्त बदली जाय। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। श्री सोमनाथ चटर्जी नियमों के परे जा रहे हैं। यह सहनीय नहीं है। आप पहले ही कार्य मंत्रणा समिति में रुग्ण एककों पर चर्चा की बात स्वीकार कर चुके हैं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय आज प्रश्नकाल निलम्बित होना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह आज हड़ताल पर हैं। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : *अब इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न काल होना* चाहिए। वह हमारे प्रश्न पूछने के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सईद, कृपया आपस में बात नहीं कीजिए।

हम आपकी चिंता के बारे में जानते हैं कि आप इस विषय पर चर्चा करने चाहते हैं क्योंकि हमारे कामगार जो कि भिन्न-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं, ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी प्रभुसत्ता का हनन नहीं करने देगें। लोगों ने निर्णय लिया है कि वे अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देश नहीं लेने चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। पहले मेरी बात सुनिए फिर अपनी बात कहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चाहते हैं कि आप हमारा पक्ष लें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा कहते हैं तो हर कोई चाहता है मैं उनका पक्ष लूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चाहते हैं कि आप भारतीयों के लिए बोलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की नीति क्या है ? क्या आप उनकी नीति का पालन कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब ऐसा लगता है कि सभा में ही आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इससे पहले सरकार को अपनी जन-विरोधी नीति न कि चर्चा वापिस लेनी होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे आपको क्या लाभ होगा ? श्री बसुदेव आचार्य इसमें आपको क्या लाभ होगा ? जब मैं बोल रहा हूं तब आप खड़े हो जाते हैं, कृपया आप मुझे बताइए कि यह आपको कैसे सहायता करता है। यदि ऐसा करने से आपको कुछ लाभ होता है तब मैं बैठ जाता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारी सहायता कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप बात नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : *आप सरकार को जन-विरोधी नीति वापिस लेने का निर्देश देकर हमारी सहायता कर सकते हैं।*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप चुप हो जाइए और यही बेहतर होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमान, कल मैंने सुझाव दिया था कि आप जीरो ऑवर को टेलीवाइज कर दीजिए लेकिन अब वह अपने आप टेलीवाइज हो गया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब आप चर्चा का रूख बदल रहे हैं कृपया इसका रूख न बदलें।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : ··· वे स्थिति से समझौता नहीं करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपगा बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना था कि ऐसा लगता है कि सदस्य-सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। यह निर्णय लिया जाना है कि यह कैसे किया जा सकता है। प्रश्न काल रद्द करने के लिए मुझे सूचनाएं दी गई हैं, यह एक बात है और स्थगन प्रस्ताव की भी सूचनाएं दी गई हैं। यह नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जल्द ही इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इन विकल्पों के बारे आपके विचार जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, नियम 388 के तहत आप क्वेश्चन आवर सस्पैंड करके इसको टेकअप कीजिए····**(व्यवधान)** ··

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में मजदूर हड़ताल पर हैं, इसलिए उस पर पहले डिसकशन कीजिए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : अध्यक्ष महोदय, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को छोड़कर शेष सभी संयंत्र ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं। कि ये संयंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। समस्या यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमने यूं ही प्रश्न काल समाप्त करने की सूचना नहीं दी है क्योंकि इस देश की आम जनता का यहां प्रतिनिधित्व है, हम इस देश की फैक्टरियों, खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों, जो देश की संपदा अर्जित करते हैं और हमारी परिवहन व्यवस्था चलाते हैं, उनके विचार व्यक्त करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : *सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर हड़ताल पर हैं। मुझे आशा है कि आप उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ करेंगें।*

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय सरकारी तंत्र के दुरुपयोग तथा भारत सरकार के मंत्रियों, कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनीतिक कार्यवाहियां करने के बावजूद भी कार्यकारी वर्ग के विशाल वर्ग ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है।

महोदय, मुझे इस बात पर भारी आपत्ति है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया का दुरुपयोग किया गया है और केवल एक ही पक्ष दिखाने के लिए दूरदर्शन और रेडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है। कल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सभा में जो कहा था उसे बहुत महत्व दिया गया लेकिन अन्य सदस्यों ने जो कहा था उसका एक शब्द भी नहीं दिखाया गया तथा जानबूझकर यह प्रचार किया गया जा रहा है कि हड़ताल सफल नहीं हुई है। यदि सरकार सरकारी मीडिया का इस प्रकार उपयोग करना चाहती है तब मैं भी आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष भी दूरदर्शन पर दिखाई जा रही सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा क्योंकि सत्ता पक्ष को दिखाने के लिए जानबूझकर इसका उपयोग किया जा रहा है।

महोदय, हम इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं और कार्यकारी वर्ग ने हड़ताल क्यों की है?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, आपने केवल विकल्प के विषय में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम प्रश्नकाल को निलम्बित कर दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए आप यह देखिये कि क्या यह जरूरी है। हमें इस बात का पता लगाना है कि प्रश्नकाल को क्यों निलम्बित किया जाये। जब राष्ट्र उद्वेलित हो तो अधिकारिक कार्यों को चलाना इसका उत्तर नहीं है। औद्योगिक नीति को संसद के परामर्श बिना स्वीकार किया गया है। व्यापार नीति को संसद के परामर्श के बिना स्वीकार किया गया। संसद की अनुमति लिए बगैर उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता ली। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलठाना) : आपने विशेष तौर से उनसे अध्यक्ष पीठ के पास उपलब्ध विकल्पों के बारे में उनकी राय मांगी है। वे व्यापार नीति पर और औद्योगिक नीति पर भाषण दे रहे हैं। वे सभी विषयों पर भाषण दे रहे हैं। आपने उनसे उनकी राय मांगी है। यह नहीं हो सकता। अन्यथा सभी प्रकार से प्रश्नकाल निलम्बित हो गया है। पहले ही प्रश्न काल का एक चौथाई भाग पूरा हो चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय मैं राष्ट्र विरोधी नीतियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की आर्थिक स्वतन्त्रता को विदेशों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे पूर्णतया बेच दिया गया है। हम अपने ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का शासन चलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। दिल्ली के होटलों को वित्त मंत्रालय नहीं बनने दिया जा सकता। हम इसका विरोध कर रहे हैं और यह एक गंभीर मामला है। जब राष्ट्र सबसे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा हो तब हम चुप नहीं रह सकते। एक भी नये पद का सृजन नहीं किया गया है बल्कि लोगों को नौकरी से हटाया

जा रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं। देश में वेतन भोगी वर्ग के हितों को कौन देख रहा है? अतः हम चाहते हैं कि प्रश्न काल निलम्बित किया जाये तथा सरकार अविलम्ब पहल करके अभी तक द्वारा स्वीकार की गई अपनी राष्ट्र विरोधी नीतियों को वापस ले। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न नहीं कर सकते। मैं व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे कि सदन में हल्ला-गुल्ला होता रहे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी है, महोदय यह आपको भी है (**व्यवधान**)

मुझे मालूम है और हम सबको इस बात की जानकारी है कि नियमों के अन्तर्गत आप इन मसलों पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालेंगे। हमने सत्र के दौरान उचित समय पर चर्चा के लिए कहा है।

लेकिन आज हम अपने विरोध को व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। यदि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) और भारतीय मजदूर संघ इसमें भाग नहीं ले रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हड़ताल नहीं है। कई अन्य श्रमिक संघों के संगठन हैं। (**व्यवधान**) हम इस वास्तविकता के विरुद्ध विरोध व्यक्त करना चाहते हैं कि इस सरकार ने अभी तक राष्ट्र को यह नहीं बताया है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ क्या करार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ उनके पत्र व्यवहार को अभी तक हमें नहीं बताया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी तरह की निजीकरण और छटनी की नीति की घोषणाएं कर दी हैं। मुख्य बात जो आज श्रमिकों को उद्वेलित किए हुए है वह है छटनी नीति, जिसके बारे में बताया गया है कि इस पर बातचीत होगी। लेकिन श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह हड़ताल की कार्यवाही सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आपने शुरू में यह कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोग ही हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है क्योंकि यह उन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध विरोध है जिसके कारण देश में बेतहाशा मुद्रा स्फीति है, बढ़ती हुई कीमतें देश में हरेक पर असर डाल रही हैं यहाँ तक की कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हड़ताल होगी। दुकानें, बाजार हर चीज बन्द होगी। यह लोगों का पूर्ण विरोध है।

अतएव हम बाहर जनता के विरोध को सदन में बतलाने का प्रयास कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि प्रश्न काल निलम्बित कर दिया जाये और सरकार को यह बतायें कि तबाह करने वाली उन नीतियों को बदला जाये, वापिस लिया जाये जिससे देश की आत्मनिर्भरता को समाप्त होने से बचाया जा सके। सरकार को इसके विरुद्ध उठने वाली विरोध की आवाज को सुनना चाहिए इन नीतियों से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी और परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी के विरुद्ध हम आज विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इसी कारण हमने इस तरीके को अपनाया था। ऐसा आपके प्रति सम्मान की कमी के कारण नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले पर आप हमारे साथ सहयोग करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रारम्भ में यह वायदा किया गया था कि 100 दिन के अन्दर कीमतों में कमी कर दी जायेगी। बाद में वित्त मंत्री ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि जून माह में कीमतें कम हो जायेंगी। अब हम शीत ऋतु के मध्य में हैं। कीमतों के गिरने के कोई आसार नहीं हैं और उन्हें इस पर शर्म भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लोग इतने गुस्से में हैं कि वे देश की सड़कों और बाजारों में इसके विरुद्ध आ जायेंगे। इसी कारण हमने यह रास्ता चुना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आप इस पर किस तरह चर्चा करना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश के लोग इस विशिष्ट तरीके से अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं। वह सीधे यहां पहुंच जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने पार्लियामेंट के रूल्स एण्ड प्रोसेजर के नियम 388 के तहत क्वेश्चन-आवर सस्पेंड करने का निवेदन किया है। इस अति लोक-महत्व के विषय की ओर सरकार और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने नियम 388 के तहत नोटिस दिया है और हम इस बात को मानते हैं कि आज जिस इशू पर हम लोग खड़े हैं, आज की तारीख में इस देश में इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इशू नहीं हो सकता है और जैसा कि सोमनाथ चटर्जी साहब ने और इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि सरकारी मीडिया के प्रपोगंडा के बावजूद कल इस सदन में स्टारवेशन डैथ्स पर चर्चा हुई और मैं चेयर को और लीडर आफ दी हाउस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कल इस सम्बन्ध में अपनी कंसेंट जाहिर की और इसको बहुत गम्भीरता से लिया। लेकिन सरकार के पास जो मीडिया है, इलेक्ट्रानिक मीडिया है, टी०वी० है, उसके पास इस बात के लिए अपने न्यूज बुलेटिन में एक भी शब्द नहीं था।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : क्या प्रश्न काल को इस प्रकार से निलम्बित किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में विनिर्णय दिया जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि आपको कृपया बैठ जाना चाहिये।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री ए० चार्ल्स : यह हड़ताल राष्ट्र विरोधी है। इस माननीय सभा को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी और किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को बन्द नहीं किया जाएगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु मुझे समय दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : इसके लिए आपके मीडिया के पास जगह नहीं थी, लेकिन जो हड़ताल पब्लिक इंपारटेंस की है, जिसकी जड़ आपकी इकनामिक पालिसी और इंडस्ट्रियल पालिसी है, जिसको आपने अडाप्ट किया है और जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ आपने कहा कि एक करोड़ लोगों को काम देंगे और दूसरी तरफ लोग जाबलैस होने जा रहे हैं, यह इस हड़ताल की जड़ है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, जैसे आज सारी चीजें हो रही हैं इसके बावजूद और बावजूद मीडिया

प्रपोगंडा के आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद है, बाजार बंद है। मैं समझता हूं कि आज इससे ज्यादा लोक महत्व का कोई इशू नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने नियम 383 के तहत नोटिस दिया है और आपसे हमारा आग्रह है कि क्वश्चन आवर को सस्पेंड कीजिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इस इंडस्ट्रियल पालिसी को वापस ले और जो इकनामिक पालिसी है, उसको रिव्यू करने का काम करे, इसके लिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के रवैये से सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों में आशंका उत्पन्न होने का कारण बिल्कुल जायज है। बैंकॉक में एक वक्तव्य दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन एककों को बन्द कर दिया जाएगा जिससे लाभ नहीं हो रहा है और शीघ्र ही उसके बाद जब संसद की बैठक हुई तो इस मुद्दे पर एक प्रश्न था जिसका बिल्कुल ही प्रतिकूल उत्तर दिया गया। एक प्रकार से बैंकॉक में दिये गये वक्तव्य को छिपाने का प्रयास किया गया। शुरू से ही, विगत चार माह से, मैं और मेरा दल इस बात पर जोर डाल रहे थे कि औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। लेकिन आवश्यकता पूरी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करने की है। इसलिये कृपया इस सम्बन्ध में एक श्वेत-पत्र यह दर्शाते हुये जारी किया जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें क्या हैं और हम क्या-क्या स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया जा रहा है और निजीकरण लाभ नहीं पहुंचाने वाले सार्वजनिक एककों और निर्गम नीति के सम्बन्ध में विचित्र वक्तव्य दिये जा रहे हैं। अब ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि देश में वर्तमान आर्थिक जड़ता का कारण विगत चार दशकों से अपनाई जा रही गलत नीतियां हैं जिससे यहां उपस्थित अनेक व्यक्ति अभी भी सहमत हैं। इससे मैं और मेरा दल सहमत नहीं है। इस बार जब सरकार और नये वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि वे नये कदम उठाने और नये ढंग से कार्य करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं तब मैंने समझा था कि वे व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे, न कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे कि मैं कहूंगा कि यद्यपि बी०एम०एस० इससे सहमत नहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश ट्रेड यूनियन वर्तमान नीति का कड़ा विरोध करते हैं। यदि उचित रूप में इसकी व्याख्या की जाये तो शायद उन्हें भी समझाया जा सकता है।

महोदय, आज बी०एम०एस० हड़ताल में भाग नहीं ले रहा है। लेकिन बी०एम०एस० हड़ताल का विरोध भी नहीं कर रहा है क्योंकि जायज आशंका पर आधारित हड़ताल का विरोध करने में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है यद्यपि मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले में हड़ताल उचित है क्योंकि वास्तव में हड़ताल औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित होनी चाहिए और इस समय कोई औद्योगिक विवाद नही है लेकिन यह नीति का प्रश्न है नीति के सम्बन्ध में सरकार के अदक्षतापूर्ण रवैये के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिस व्यापक दिशा में सरकार ने जाने का प्रयास किया है, मेरा दल उसका समर्थन करता है क्योंकि यह विगत की नीतियों से हटने की बात है और वह विगत एक विरासत है मैं अन्य विपक्षी दलों से यह अनुरोध करूंगा कि इसे अलंघनीय नहीं समझें। यह एक अलंघनीय विचार था कि अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च स्थान देना एक अलध्य अवधारणा थी मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें पवित्र गाय के समान न समझा जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब तक कि यह तर्क संगत न हो।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, मैं किसी भी चीज को पवित्र गाय नहीं समझता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : गाय को भी नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हाँ, गाय को पवित्र समझा जाता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार से और अपने विपक्षी सहयोगियों से भी यह अनुरोध करूंगा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें बहस का मुद्दा बनाकर लाभ उठाने का प्रयास नहीं चाहिए। श्रमिकों की दशा के बारे में चिन्ता व्यक्त करना बिल्कुल उचित है। प्रश्न काल के सम्बन्ध में सभा मतदान द्वारा निर्णय कर सकती है जिसमें मेरे दल की स्थिति यह होगी कि हम न तो हड़ताल का समर्थन करते है और न ही हड़ताल का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे हर कदम पर नहीं बल्कि सिर्फ पहले कदम पर ही उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आपकी स्थिति क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) निश्चित रूप से में सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह आर्थिक स्थिति पर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर और इस सम्बन्ध में हमारे जवाब पर और विशेष रूप से भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के सम्बन्ध में श्वेत पत्र जारी करे। एक दिन जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि यह मामला स्पष्ट रूप से श्वेत पत्र जारी कर उस पर चर्चा करने का है। मुझे विश्वास है कि यदि उचित रूप में इसे प्रस्तुत किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी इस में किये जा रहे नीति गत परिवर्तनों के सम्बन्ध में यह संतोष हो जाता कि कम से कम यह परीवर्तन ठीक दिशा में किया जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। आप सत्तापक्ष में है। अन्तिम भाषण आपको करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ये बेचने वाले के पक्ष में हैं। वे हमारी प्रभुसत्ता को बेच रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। इसीलिए हमारे संसद सदस्यों ने जो क्वश्चन ऑवर को स्थगित करने के लिए जो नोटिस दिया है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इससे सहमत हो करके क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड करने के लिए सम्मति दीजिए, इसलिए कि एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गयी है। मैं हिन्दुस्तान के सारे श्रमिक वर्गो को धन्यवाद देता हूं कि वे कोई मंहगाई के लिए नहीं, डियरनैस एलाऊंस के लिए नहीं, अपने आदर्श सिद्धान्त के लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों हुआ है? आज दोनों आर्थिक मंत्रालय के मन्त्री श्री मनमोहन सिंह और चिदम्बरम् बैठे हुए हैं, श्री अर्जुन सिंह जी भी बैठे हुए हैं, आज ऐसी चीज देश के समक्ष रखना चाहता हूं कि आज राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। यह एक डॉकूमेंटेडप्रूफ है जिससे आप को लग जायेगा कि।

[अनुवाद]

इस सरकार ने जानबूझकर कर हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को बेच दिया है।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमति कारला हिल्स जो युनाईटेड स्टेटस की ट्रेड रिप्रजंटेटिव आयी हैं, उन्होंने आज बयान दिया है जो केवल एक अखबार में आया है, सब अखबारों में नहीं आया है। मैं संसद के समक्ष, आपके माध्यम से सारे राष्ट्र के समक्ष रखना चाहता हूं जिसे मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम् जी ध्यान से सुनें :

[अनुवाद]

स्पेशल 301 के सम्बन्ध में मिस कार्ला हिल्स ने कहा है, "मैंने भारत के लिए समय सीमा बढ़ा दी है क्योंकि मुझे विश्वास है कि श्री नरसिंह राव की सरकार के नेतृत्व में सुधार की प्रक्रिया चल रही है।"

[हिन्दी]

यह क्विड प्रो को हुआ है। श्री मनमोहन सिंह जी ने बैंकाक में बयान दिया है कि सिक पब्लिक सैक्टर को डिस्मेंटल करेंगे और बाद में, आप देख रहे हैं कि कारला हिल्स से अंडरटेकिंग मांगे हैं कि आप हमारे पेटेंट'लॉ के बारे में हम लोगों को संरक्षण कीजिये, वह आपको डेडलाईन बढ़ायेंगे। (व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने मुझे समय दिया है। मैं बहुत दु:खी हूं। क्या यह क्विड प्रो० को है कि नहीं ? इसलिए कि हम तीन महीना डैड लाईन बढ़ा रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारे साथ राजी हो जायेगी (व्यवधान) मैं पुन: इसे उदधृत करूंगा। इसके लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : बड़े आदर के साथ मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हम समाचार पत्रों से यहां उद्दरण नहीं देते आप इसका सार दे सकते हैं।

श्री रबि राय : जी, क्योटेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं राय के बारे में कह रहा हूं। कारला हिल्स ने अमेरिका में प्रैस पर्सन्स से एक भेंट वार्त्ता में कहा है कि हमने तीन महीने बढ़ाया है, इसलिए कि भारत सरकार हमारी राय को मानकर आर्थिक संस्कार कर रही है। मेरा कहना है कि जो आर्थिक सुधार कर रही है, यह अमेरिका के कहने पर, कारला हिल्स के कहने पर हो रहा है। यह आपके समक्ष लाना चाहता हूं, इसलिए कि इसका भी नैक्सज है। बैंकाक में जाकर, संसद के बाहर, राष्ट्र के बाहर जाकर बयान दें जो प्रोबिटी के चलते उनको नहीं कहना चाहिए। एक तरफ यह है और दूसरी तरफ कारला हिल्स बता रही हैं कि हम बढ़ा रहे हैं। क्या गांधी का स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस नहीं है ? क्या गांधी जी का स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस नहीं भुला दिया है ? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह स्थिति बहुत ही असाधारण है और हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंची है। मैं हिन्दुस्तान के श्रमिक वर्ग को नमस्कार करता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इस काम से जो अनएम्प्लायमेंट होने वाला है, करोड़ों लोग अनएम्प्लायड हो जायेंगे और आगे चलकर जो बैन लगा हुआ है कि कोई नौकरी में नहीं लिया जायेगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड कर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर से वरिष्ठ सदस्यों ने गहरी चिन्ता और प्रकट की है⋯**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप पहले उनको बुलाइये जिन्होंने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए नोटिस दिए हैं हमने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचनायें दी हैं। आप कृपया पहले इस बात का निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मुझे दूसरे दलों के नेताओं की बात भी सुनने दीजिये।

श्री पी०जी० नारायणन : महोदय, सरकार को तथा हम सभी को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है। उन्हें भय है कि बदली हुई औद्योगिक नीति से कर्मचारी वर्ग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब सरकार का यह कर्तव्य है कि उनकी शंकाओं को दूर करे। इसलिए सरकार से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस बारे में अपना वक्तव्य दे और यह सुनिश्चित करे कि बदली हुई औद्योगिक नीति से कर्मचारी वर्ग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : आज जो अति लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जहाँ से आते हैं वह मजदूर क्षेत्र है और वहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खनिज है। वहां अधिकतम संख्या में कल कारखाने और मजदूर हैं। बोकारो है, एच०ई०सी० है और सी०सी०एल० है। सरकार हमें बताये कि उसकी मजदूरों के प्रति क्या नीति होगी, राष्ट्रीयकरण की क्या नीति होगी, क्योंकि मजदूर शंका में हैं। जिस तरह से वित्त मंत्री विदेशों में जाकर बयान देते हैं उसमें छपा है कि एच०ई०सी० को बन्द करने के लिए दूसरे स्थान पर रखा है। हम लोग भी मजदूर यूनियन में काम करते हैं और उसको चलाते हैं, पूरे देश के स्तर पर नहीं, क्षेत्रीय आधार पर मजदूरों के बीच में काम करते हैं। आज सरकार जो कर रही है वह मजदूरों के हित में काम न होकर पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और उन्हीं के हित में देश जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कहते हैं कि खेत खा गया गधा और मार खाये जुलाहा। ऐसी ही बात केन्द्रीय सरकार कर रही है। बड़े-बड़े अफसर लोग ऐसा काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और घाटे में ले जा रहे हैं तथा दोष मजदूरों पर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने क्या कहना है उस पर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे दलों के नेताओं की राय जानने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरदार) : यह सरकार अल्पमत की सरकार है। इसने जो नई औद्योगिक नीति पेश की है उसके चलते रुपये का भी दाम घट गया और सारे देश में अकाल पड़ गया। इसीलिए आज वर्किंग क्लास और अन्य लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। देश में इतनी सारी समस्यायें हैं कभी सरकार कहती है कि हम रीप्राइवेटाइजेशन करेंगे पब्लिक सेक्टर का और इधर करेंगे, उधर करेंगे इसलिए ये लोग सरकार चलाने के लायक नहीं हैं। मंत्री जी जो पालिसी लाये हैं ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर रुग्न हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा

है इसलिए इसका निजीकरण करेंगे, चाहे विदेशी लोगों को दे दें रुपया लेकर। ये चाहते हैं कि विदेशी लोगों को यहां लगाकर अर्थ व्यवस्था ठीक कर लेंगे तो यह बात सही नहीं हो पायेगी। हमारे यहां भ्रष्टाचार है पंजाब में, कश्मीर में और असम में, जब सरकार वहां पर ला एण्ड आर्डर भी नहीं रख सकती है। तो क्या यह सरकार किसी विदेशी को बुलाकर सरकार में बैठाएगी ? जब यह अपनी इकनॉमी नहीं संभाल सकती है और उसके लिए भी विदेशों से सहायता बुलाती है तो क्या यहां करप्शन को रोकने के लिए और लॉ एंड आर्डर को ठीक करने के लिए विदेशी सरकार को यहां बुलाएगी ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल ही नालायक सरकार है और किसी का काम नहीं करती है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आपने कहा है कि सरकार की औद्योगिक तथा आर्थिक नीति पर विचार विमर्श का अवसर मिलना चाहिए। यह स्वागत योग्य बात है। इस नीति संबंधी निर्णय पर सभा में विचार-विमर्श पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु आज तथ्य यह है कि इस देश के एक विशाल वर्ग, कड़ी मेहनत करने वाले लोग, खेतीहर मजदूर, समाज का शोषित वर्ग, लाखों मेहनतकश सरकार की औद्योगिक तथा आर्थिक नीति से प्रभावित हुए हैं। इस आर्थिक नीति तथा औद्योगिक नीति से मजबूरन कीमतें बढ़ेंगी मुद्रा-स्फीती बढ़ेगी और अत्यधिक बेरोजगारी पनपेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नीति पर बात नहीं कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : इसलिए सभा के इधर के सदस्य आर्थिक तथा औद्योगिक नीति का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इसके विरोध का समय नहीं है।

श्री चित्त बसु : फिर इस नोटिस को देने का क्या लाभ है ? प्रश्न-काल को निलम्बित किए जाने का क्या उद्देश्य है ? हम यहां पर जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं, किसी की दया पर नहीं आये। लोगों ने हमें मत दिया है और लोग बाहर यह भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई औद्योगिक नीति तथा, आर्थिक नीति नहीं होनी चाहिए जो कि कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल हो। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि सरकार की राष्ट्रविरोधी तथा जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक जुट होकर आवाज उठाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, वरन् कारंवाई नियमित करना कठिन हो जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रश्न-काल के निलंबन के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया जाए तथा ज्वलन्त मुद्दों पर विचार विमर्श करें।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सही है। आपने बड़े सुन्दर ढंग से, एक ही वाक्य में इसे कह डाला है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कर्मचारी भले ही कृषि क्षेत्र के हों अथवा औद्योगिक

क्षेत्र के। इस नई औद्योगिक तथा आर्थिक नीति के कारण अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। 30 मीलियन लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक संदिग्ध हैं। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पाने की संभावना भी धूमिल है। सरकार को इस बात को खासतौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि इस नीति से रोजगार में लगे कर्मचारियों और कामगरों के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा और साथ-साथ बेरोजगार लोगों का भी कोई भविष्य होगा। इसलिए इस देश के लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को खासतौर पर यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय मैं समझता हूं कि प्रत्येक दल ने अपनी बात कह ली है। आपकी अनुमति से, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जहां तक मैं समझता हूं, इस समय जिस बात पर निर्णय लेना है वह यह है कि क्या माननीय सदस्य द्वारा रखा गया स्थगन प्रस्ताव……

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यह प्रश्न-काल के निलंबन का प्रस्ताव है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थान प्रस्ताव का निर्णय मैं करूंगा और प्रश्नकाल के निलम्बन का निर्णय सभा करेगी।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं वह समझता हूं परन्तु उस प्रक्रिया से ही इस मुद्दे पर पहुंचे है कि इस समय सभा में चल रही कार्यवाही अर्थात् प्रश्नकाल को स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए यह आप जानते हैं। उस प्रक्रिया की सहायता लेना पूरी तरह आप पर निर्भर है। मै उस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप स्वयं इस सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हर एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने के पीछे आपका उद्देश्य सदस्यों से उनके विचार ज्ञात करने का था। प्रश्न-काल निलम्बित करने के लिए तर्क दिये जा रहे थे। हमने सभी भाषणों को सुना है। संभवत: मैंने ठीक से नहीं सुना अथवा शायद किसी ने इस बात के लिए कोई अकाट्य तर्क नहीं दिया कि प्रश्न-काल निलम्बित किया जाए। (व्यवधान) सारे तर्क औद्योगिक नीति नामंजूर करने या उसे वापस लेने के लिए दिये गये थे। जितने भी भाषण दिये गये थे उन सभी का यही उद्देश्य था। किन्तु इन सारे मामलों पर निर्णय लेने के लिए इस सभा में एक प्रक्रिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु आपने सभा की राय नहीं ली।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे इस सम्बन्ध में कहने दीजिए। सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए ही मैं यह बताना चाहूंगा कि यह औद्योगिक नीति सभा की जानकारी के बिना नहीं बनाई गई थी। इसे बनाकर संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस पर सभी में चर्चा की गई थी और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहें हैं। यहां पर बजट प्रस्तुत किया गया था। अनुदान मांगों पर चर्चा की गई थी और उन अनुदान मांगों में सम्पूर्ण औद्योगिक नीति पर चर्चा की गई थी। तत्पश्चात् इस सभा ने अनुदान मांगों को पारित किया था। (व्यवधान) इस समय कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि यह औद्योगिक नीति इस संसद की सहमति के बिना बनाई गई थी। (व्यवधान) कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए (व्यवधान) मैंने आपके विचारों को शांतिपूर्वक सुना था। अत: आप मेरी बात भी ध्यान से सुनिये। (व्यवधान)

[श्री अर्जुन सिंह]

बजट और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों को सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसमें औद्योगिक नीति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई और प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था। उन्होंने सरकार की औद्योगिक नीति के सभी पक्षों का उल्लेख किया था। मैं केवल उन बातों को दोहरा रहा हूं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने संसद में यह कहा था, और उनका वक्तव्य कार्यवाही-वृतान्त में भी शामिल है, कि हर उस मुद्दे पर जिसमें किसी भी तरह से यदि मजदूर प्रभावित होंगे तो कोई भी निर्णय सर्वसम्मति द्वारा लिया जायेगा, जिसमें आप सभी सम्मिलिति होंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाईये, वह नहीं बैठ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैंने आपके विचारों को काफी देर तक सुना है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य का वक्तव्य कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाईये। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब बहुत हो चुका।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं सभा को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का स्मरण कराना चाहूंगा। मैं उन्हें दोहराना चाहूंगा। यह सरकार किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठायेगी जिससे देश की प्रभुसत्ता को क्षति पहुंचे। **(व्यवधान)** हम किसी चर्चा के खिलाफ नहीं हैं। **(व्यवधान)** किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुछ प्रक्रियाएं निश्चित हैं। उन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। उस पर चर्चा की जा सकती है। हम उस चर्चा का स्वागत करते हैं।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, मेरे विचार से आपको सभा में स्पष्ट करा लेना चाहिए कि क्या सभा प्रश्नकाल के दौरान इस प्रकार का अभियान चाहती है। **(व्यवधान)** मैं विपक्ष के माननीय नेता के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं उनकी असमंजस की स्थिति समझता हूं। उनके लिए तथा उनके दल के लिए कठिन स्थितियां में से एक का चयन करना काफी कठिन है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ चौधरी जी, कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति चटर्जी जी, आपको इस सभा में सब कुछ निर्मल रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभी सदस्यों तथा सभी दलों के सभी नेताओं की व्यग्रता और उत्सुकता समझते हैं। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम हड़ताल पर हो अथवा सारे, चाहे उन्होंने समर्थन किया है अथवा नहीं। चाहे कोई गलत धारण बनी हो या गलतफहमी, मैं समझता हूं कि इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यदि कुछ आशंकायें हैं तो सभा में उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अगर कुछ आशंकाये हैं तो उन्हें सभा में बताया जाना चाहिये। अगर सरकार कोई बात कहना चाहती है तो सरकार को उसे बताने और भ्रान्ति दूर करने का अवसर होना चाहिये। उस पर चर्चा होनी चाहिये।

मैंने आपको निर्णय करने के लिए काफी लम्बा समय दिया और आपने ऐसे मामले उठाये जो उसके अनुरूप बिलकुल नहीं है जो बात मैंने आपके सामने रखी थी। सभा के नेता ने उनका योग्यतापूर्वक जवाब भी दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक उस बात पर चर्चा करने का सम्बन्ध है मेरे विचार में पूरी हो चुकी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी, सभा में प्रत्येक चीज निर्मल रखिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अतः मैं स्थगन-प्रस्ताव लाने की अनुमति दे रहा हूँ। लेकिन उसे कुछ समय बाद लिया जायेगा क्योंकि आप सभी स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर चाहते हैं, मैं प्रश्न काल को निलंबित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुश्किल से 5 मिनट शेष रहते हैं और आप समय चाहते हैं। यह एक बुरी मिसाल होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने अपने विवेक से प्रश्न काल के निलंबन की अनुमति नहीं दी। सभा के नेता ने जो कहा, उसे हमने धैर्य के साथ सुना है। यह स्पष्ट है कि सरकार श्रमिक विरोधी एवं जन-विरोधी नीतियों पर डटे रहना चाहती है। हम आज सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते और विरोध के तौर पर हम सभा से बहिर्गमन करते है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आज हम सरकारी-कार्य में भाग नहीं लेंगे।

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : महोदय, हमें एक संदेश उन श्रमिकों को भेजना चाहिये जो आज कार्य में लगे हुए हैं, एक संदेश अवश्य ही इस सभा से भेजा जाना चाहिये।

मैं एक संकल्प पेश करता हूं कि यह सभा श्रमिक वर्ग के उन सभी वर्गों की सराहना और प्रशंसा करती है जो सारे देश में राष्ट्रीय हितों को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, देश की हड़ताल के साथ पूरा बिहार बंद है, बिहार में रिक्शा, तांगा, दुकानें सभी बन्द हैं।

(इस समय श्री योगेन्द्र झा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 121।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मेरे संकल्प के बारे में क्या हुआ ?

———

11.58 म०पू०

मौखिक प्रश्नों के उत्तर

गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्रणाली आरंभ करना

*122 **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों विशेष रूप से यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात को अवरुद्ध करने वाली गैर-व्यापारिक बाधाओं को हटाने के लिए सरकार का विचार नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन अभियान के अंग के रूप में गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्रणाली आरंभ करने है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) से (ग). एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहित विकसित देशों को निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियमों के अनुरूप उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। वर्ष 1992 में यूरोपीय एकल बाजार प्राप्त करने के संदर्भ में भारत ने पांच निर्धारित क्षेत्रों जैसे इलॉक्ट्रानिक संघटक, ऑटोमोटिव क्षेत्र, घरेलू

विद्युतीय उपकरण, संसाधित खाद्य तथा मशीनी औजारों में मानदंड से संबंधित सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है। तथापि, नई औद्योगिक नीति के तहत आवश्यक गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उद्योग को उन विनियमों, मानदंडों तथा गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं को समझने में सक्षम होना चाहिए जिसे उन्हें एकल यूरोपीय बाजार तक पहुंचने के लिए पूरा करना है। भारतीय परीक्षण और प्रमाणन निकायों को अद्यतन उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों के रूप में स्वयं को उन्नत करने की आवश्यकता है। परीक्षण और प्रमाणन निकायों को अपने यूरोपीय समुदाय के प्रतिपक्षों (काउंटर-पार्ट्स) के साथ परस्पर पहचान समझौता करारों को अंतिम रूप देना चाहिए ताकि उनके परीक्षण संबंधी परिणाम और प्रमाण-पत्र यूरोपीय समुदाय में स्वीकार्य हों। इस संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यूरोपीय समुदाय आयोग तथा नीदरलैंड और यू०के० की गुणवत्ता प्रणाली के स्वीकृत निकायों के साथ बातचीत पहले से ही शुरू की जा चुकी है जिसका अच्छा परिणाम रहा है। इसके अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बी० आई० एस० ने भी गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणीकरण योजना शुरू की है। इन सभी उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों की वस्तुओं का विनिर्माण सुनिश्चित होने की आशा है, जिससे निर्यात अधिक होने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल : भारत सरकार ने निर्यात के क्षेत्र में गुणवता प्रमाण-पत्र प्रणाली शुरू कर निर्यात को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा योगदान शुरू किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी के जवाब में सिर्फ पांच उद्योगों को इसमें समावेश किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अलावा वस्त्र उद्योग, जो बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है क्या उस उद्योग को इसमें समावेश करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : वर्ष 1992 में यूरोपियन एकल बाजार की स्थापना के सम्बन्ध में, भारत ने पांच सुप्रसिद्ध क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों, स्वचालित क्षेत्र, घरेलू विद्युत उपकरण, संसाधित भोजन और मशीन औजारों में मानदण्डों से संबधित सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है। विवरण में इसका उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अन्य उत्पादों के लिए उन मानदण्डों को नहीं अपनाएगा जिसकी विश्व हमसे अपेक्षा करता है। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत है। लेकिन हमने मानको और गुणवता को बहुत-अधिक महत्व दिया है।

वास्तव में, अगर भारत यूरोप को निर्यात करने की इच्छा रखता है तो हमें वर्ष 1992 में शुरू हो रहे आई० एस० ओ०-9000 को पूरा करना होगा। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि पांच भारतीय के आई०एस०ओ० 9000 पर पहले ही प्रमाणन ले चुकी है। मुझे जानकारी मिली है कि 75 कंपनियों ने आई० एस० ओ० पर प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है। इससे भारतीय उत्पाद अतंर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप सिद्ध होंगे इसके लिए सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता

हूं कि क्या एक वार प्रमाण-पत्र देने के बाद समय-समय पर क्वालिटी की जाँच करने की व्यवस्था है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : गुणवता की जांच की एक प्रणाली है। निर्यात किए जाने वाले माल की जाँच हेतु निरीक्षण एजेंसियां है कुछ प्राईवेट एजेंसियों को भी जाँच के प्राधिकृत किया है। फिर कुछ सरकारी निरीक्षण एजेंसियाँ भीं हैं। इन एजेंसियों को गुणवता और यह सुनिश्चित करना होता है कि उनमें अपेक्षित गुणवता है। अधिनियम के अंतर्गत हमने कुछ श्रेणियों को निर्यात प्रमाणन से मुक्त रखा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्यात प्रोसेसिंग जोन

*112. **श्री अनादि चरण दास :**

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उड़ीस में ऐसे एक जोन की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संसाधन जोनों का ब्यौरा निम्नदत है—

1. कांडला मुक्त व्यापार जोन, गांधीधाम, गुजरात
2. सान्ताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन (सीप्ज), बम्बई।
3. मद्रास निर्यात संसाधन जोन, मद्रास
4. फाल्टा निर्यात संसाधन जोन, फाल्टा (पश्चिम बंगाल)
5. नोएडा निर्यात संसाधन जोन, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
6. कोचीन निर्यात संसाधन जोन, कोचीन (केरल)
7. विशाखापट्टनम निर्यात संसाधन जोन, विशाखापट्टनम (इस समय विचाराधीन)

(ग) इस समय उड़ीसा में निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता

*123. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी हटाने के लिए चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को सहायता अथवा बैंक ऋण देने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये हिदायते दी गयी हैं कि वे समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभार्थियों को निरन्तर आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करें। स्वरोजगार से संबंधित धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने के मामले में, समाज के कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :

1. कमजोर बर्ग	कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋण निवल बैंक ऋण का 10% होंगे। अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां कमजोर वर्गों का ही एक भाग हैं।
2. बिभेदी ब्याज दर-4प्रतिशत ब्याज दर पर	पिछले वर्ष के अग्रिमों के निवल बैंक ऋण का 1 प्रतिशत, जिसमें से 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा होना चाहिए।
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	रकम का 50 प्रतिशत और खाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए होने चाहिए।
4. शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम	रकम का 30 प्रतिशत और खाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए होने चाहिए।
5. शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना	30 प्रतिशत लक्ष्मार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधित होने चाहिए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूहों के तहत आने वाले चुनिंदा परिवारों को स्वरोजगार संबंधी धंधे अपनाकर, गरीबी की रेखा को पार करने में मदद करने के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 1991-92 के लिए, सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर नियंत्रण रखता है, अलग-अलग राज्यों को 22,51,519 परिवारों का लक्ष्य आबंटित किया है तथा 703.61 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया है और यह रकम केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

अनुबंध

आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत आवंटन और वास्तविक लक्ष्य *1991-92*

(अन्तिम) (लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	आवंटन	वास्तविक लक्ष्य (संख्या)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2588.762	2588.762	5177.524	165680
अरूणाचल प्रदेश	234.720	234.720	469.440	15022
असम	707.028	707.028	1414.056	45249
बिहार	5180.900	5180.900	10361.800	331578
गोवा	48.900	48.900	97.800	3129
गुजरात	1066.054	1066.054	2132.108	68227
हरियाणा	255.097	255.097	510.194	16326
हिमाचल प्रदेश	91.331	91.331	182.662	5845
जम्मू व कश्मीर	127.540	127.548	255.096	8163
कर्नाटक	1620.339	1620.339	3240.678	103701
केरल	880.242	880.242	1760.484	56335
मध्य प्रदेश	3432.787	3432.787	6865.574	219698
महाराष्ट्र	2772.999	2772.999	5545.998	177472
मणिपुर	20.471	20.471	40.942	1310
मेघालय	61.412	61.412	122.824	3930
मिजोरम	97.800	97.800	195.600	6259
नागालैण्ड	102.690	102.690	205.380	6572
उड़ीसा	1695.923	1695.923	3391.846	108539
पंजाब	215.730	215.730	431.460	13806
राजस्थान	1653.407	1653.407	3306.814	105818
सिक्किम	19.560	19.560	39.120	1251
तमिलनाडु	2324.217	2324.217	4648.434	148742
त्रिपुरा	72.435	72.435	144.870	4635
उत्तर प्रदेश	6928.561	6928.561	13857.122	443427

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	2895.824	2895.824	5791.648	185335
अंडमान और निकोबार दीप समूह	48.900	—	48.900	1564
दादर और नागर हवेली	9.780	—	9.780	312
दमन और द्वीप	19.560	—	19.560	625
दिल्ली	48.900	—	48.900	1564
लक्षद्वीप	5.000	—	5.000	150
पाण्डिचेरी	39.120	—	39.120	1251
जोड़	35265.997	35094.737	70460.734	2251519

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में घाटा

*124. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकारण संबंधी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि घाटा किन कारणों से हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) घाटे में आ रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में कोई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की भूख से मृत्यु

*125. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषत: आंध्र प्रदेश में, अनेक हथकरघा बुनकरों की भूख से मृत्यु होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने बुनकर भूख से मरे;

(ग) आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के भूख से मरने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने मृत बुनकरों के परिवार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ङ) यदि हां तो कितनी; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ महीनों में 76 लोगों की मृत्यु हुई है और बताया है कि ये मृत्यु वृदावस्था और लंबी बीमारी के कारण हुई है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले भी यह जानकारी दी थी कि नवम्बर 1988 से फरवरी 1989 के बीच 33 लोगों की मृत्यु हुई थी लेकिन इसका कारण भी बीमारी, वृद्वावस्था, आत्महत्या और दुर्घटना ही बताया है। किसी और राज्य से किसी प्रकार की मृत्यु, विशेषकर बुनकरों की मृत्यु का समाचार नहीं मिला है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने भूख से मरने की प्रत्येक रिपोर्ट की जांच करवाई है और यह रिपोर्ट दी है कि ये मृत्यु (आत्महत्या सहित) वास्तव में भूख के कारण नहीं बल्कि विभिन्न अन्य कारणों से हुई है जैसे वृद्वावस्था, लम्बी बीमारी, शराब पीना, दुर्घटना, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव आदि।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्राकृतिक विपत्ति, दंगों आदि से प्रभावित लोगों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी और प्रकार की घटना से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है वर्तमान योजना के अनुसार राज्य सरकारें केवल दंगों, महामारी और इसी प्रकार की अन्य दुर्घटनाओं के दौरान हुई सीधी मृत्यु के मामलों में ही वित्तीय सहायता देती है। तथापि आंध्र प्रदेश के तीन प्रभावित जिला कृष्णा, प्रकासम और गुंटूर में प्रभावित बुनकरों को सहायता देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि प्रभावित बुनकरों को बैंको द्वारा 1000/- रुपये प्रति परिवार 11.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाए जो 4 महीने के विलम्बन काल के साथ 20 मासिक किस्तों में वापिस करना होगा। राज्य सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि स्थानीय संगठनों के माध्यम से मृत बुनकरों के परिवार के सदस्यों के लिए 5000/- रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाए। केन्द्र सरकार ने जनता कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित बुनकरों को निरंतर रोजगार देने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि जारी की है। यद्यपि पूरे देश में जनता कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम में जनता कपड़े के उत्पादन में कटौती की गई है। राज्य अभिकरणों और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा बजट से पूर्व मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

गरीबों के लिए कानूनी सहायता योजना

*126. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता योजना के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यकरण में क्या कमियां पाई गई हैं; और

(ग) कमियों के क्या कारण हैं; और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) विधिक सहायता कार्यक्रम, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड और जिला विधिक सहायता समितियां आयोजित करती है। उनका कार्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य में ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी, जो राज्य बोर्ड और समितियों से रचनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, देखते हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों में विशिष्टत: लोक अदालतों में विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति के मुख्य संरक्षक की हैसियत से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विधिक सहायता कार्यान्वियन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधिपति होते हैं, बहुधा उपस्थित रहते हैं। विधिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति के सदस्यों की बैठक में जब भी वह होती है, की जाती है। सरकार को विधिक सहायता कार्यक्रमों में किसी कमी की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

विदेशी मुद्रा उन्मुक्ति योजना

*127. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई विदेशी मुद्रा उन्मुक्ति योजना से बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देन और निर्यात के कम बीजक बनाने को बढ़ावा मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचित किया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई विदेशी मुद्रा उन्मुक्ति योजना से बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देन और निर्यात के कम बीजक बनाने को बढ़ावा मिला है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी

*128. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी०सी०आर०, वी०सी०पी० जैसी इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कौन-कौन से देशों से तस्करी की जा रही है; और

(ग) इन वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि वीडियो कैसेट रिकार्डरों और वीडियो कैसेट प्लेयरों आदि जैसी इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं भारत में तस्करी के लिए बराबर आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। तथापि गत चार वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के अभिग्रहणों के मूल्य की राशि में, जिसका उल्लेख नीचे सारणी में किया गया है, वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वर्ष 1991 में किये गये अभिग्रहणों के मूल्य की इस राशि के

एक बड़े भाग में कंप्यूटर-कलपुर्जों और सहायक उपस्करों और अंशतः वीडियो कैसेट प्लेयरों तथा वीडियो कैसेट रिकार्डरों का अंशदान रहा है।

इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का अभिग्रहण

(मूल्य लाख रुपयों में)

1988	1989	1990	1991 (नवम्बर मध्य तक)
2424	2792	2945	4980 (अनन्तिम)

(ख) दुबई, हांगकांग और सिंगापुर से सक्रिय तस्करी सिंडिकेटों द्वारा लाई गई जापानी मूल की इलैक्ट्रोनिक वस्तुयें भारत में तस्करी किये जाने के लिए बराबर पसन्द की वस्तुयें बनी हुई हैं।

(ग) तस्करी रोधी एजेंसियां इन वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम करने के लिए बराबर चौकसी रखे हुये हैं। उभरती,हुई प्रवृत्तियों और नई कार्यप्रणालियों का बराबर अध्ययन किया जा रहा है और इस सूचना को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है। गुप्तचरी और तस्करी की रोकथाम के कार्य में लगी हुई सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी रखा जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से पूंजी निवेश हटाना

*129. श्री चित्त बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने संसाधन जुटाने के एक उपाय के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से पूंजीं निवेश हटाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चूंकि बजट भाषण में यह घोषित किया गया था इसलिए सरकार ने चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से इक्विटी का कुछ भाग हटाने का निर्णय लिया है।

(ख) योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

*130. श्री राजवीर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इनके फलस्वरूप कितनी सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि हुई;

(ख) क्या अधिकांश दुर्घटनायें सड़कों पर मार्ग-विभाजकों के न होने के कारण हुईं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्ग-विभाजकों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की यथा सूचित संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1988	61950
1989	70627
1990	72807

सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के ब्यौरे एकत्र नहीं किये जा रहे हैं और इसलिए ये ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केवल उच्च यातायात सघनता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-रूटों पर, निधियों की उपलब्धता और अन्य पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार ही मार्ग विभाजन सुलभ कराये जा रहे हैं।

टिप्पणी :

1. हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की अनुमानित संख्या, 1987 के दौरान इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर आधारित हैं।
2. हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 1987 के दौरान इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर आधारित है।
3. बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या संबंधी आंकड़े 1989 के हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

*131. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राजमार्ग के रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई नीचे दी गई है।

क्र० सं०	रा० रा० सं०	रूट का नाम	राज्य जिससे होकर सड़क गुजरती है तथा कि०मी० में लम्बाई	
1	2	3	4	
1.	1	दिल्ली-अम्बाला-जालन्धर-अमृतसर-भारत/पाक सीमा	दिल्ली	22
			हरियाणा	180
			पंजाब	254
			योग	456
2.	1ए	जालंधर-मैघोपुर-जम्मू-बनिहाल-श्रीनगर-बारामूला-उरी	पंजाब	108
			हिमाचल प्रदेश	14
			जम्मू एवं कश्मीर	541
			योग	663
3.	1बी	बटोट-दोदा-किस्तवर	जम्मू एवं कश्मीर	107
			योग	107
4.	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया-बरही-पालसिक- वैद्यवती-बारा-कलकत्ता	दिल्ली	12
			हरियाणा	74
			उत्तर प्रदेश	777
			बिहार	392
			पं० बंगाल	235
			योग	1490

1	2	3	4	
5.	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इंदौर-धुले-नासिक-थाणे-बम्बई	उत्तर प्रदेश	26
			राजस्थान	32
			मध्य प्रदेश	712
			महाराष्ट्र	391
			योग	1161
6.	4	थाणे के समीप रा०रा० 3 के साथ जंक्शन-पुणे-बेलगांव-हुबली-बंगलौर-रानीपेट-मद्रास	महाराष्ट्र	371
			कर्नाटक	658
			आंध्र प्रदेश	83
			तमिलनाडु	123
			योग	1235
7.	4ए	बेलगांव-अनपोद-पोंडा-पणजी	कर्नाटक	82
			गोआ	71
			योग	153
8.	4बी	न्हावा-शेवा-कालमबोली-पाल्सपी	महाराष्ट्र	27
			योग	27
9.	5	बेहारगी के समीप रा०रा० 6 के साथ जंक्शन-कटक-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा-मद्रास	उड़ीसा	488
			आंध्र प्रदेश	1000
			तमिलनाडु	45
			योग	1533
10.	5ए	हरिदासपुर के समीप रा०रा० 5 के साथ जंक्शन-पारादीप पत्तन	उड़ीसा	77
			योग	77

1	2	3	4	
11.	6	धुले-नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर-बहरागोरा-कलकत्ता	महाराष्ट्र	128
			मध्य प्रदेश	314
			उड़ीसा	462
			बिहार	22
			पं० बंगाल	161
			योग	1645
12.	7	वाराणसी-मंगावन-रीवा-जबलपुर-लखनादन-नागपुर-हैदराबाद-कुरनूल-बंगलौर-कृष्णागिरि सलेम-डिंडीगुल-मदुरै-कन्याकुमारी	उत्तर प्रदेश	128
			मध्य प्रदेश	504
			महाराष्ट्र	232
			आंध्र प्रदेश	753
			कर्नाटक	125
			तमिलनाडु	627
			योग	2369
13.	7ए	पलायनकोट्टै-तूतीकोरिन पत्तन	तमिलनाडु	51
			योग	51
14.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-बदोदरा-बम्बई	दिल्ली	13
			हरियाणा	101
			राजस्थान	688
			गुजरात	498
			महाराष्ट्र	128
			योग	1428
15.	8ए	अहमदाबाद-कांडला	गुजरात	378
			योग	378
16.	8बी	बामनबोर-राजकोट-पोरबन्दर	गुजरात	206
			योग	206

1	2	3	4	
17.	8सी	चिलोडा-गांधीनगर-सरखेज	गुजरात	46
			योग	46
18.	9	पुणे-सोलरपुर-हैदराबाद-विजयवाड़ा	महाराष्ट्र	336
			कर्नाटक	75
			आंध्र प्रदेश	380
			योग	[illegible]
19.	10	दिल्ली-फजलका-भारत/पाक सीमा	दिल्ली	18
			हरियाणा	313
			पंजाब	72
			योग	403
20.	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	उत्तर प्रदेश	51
			राजस्थान	531
			योग	582
21.	11ए	रा०रा० 8 पर मनोहरपुर-रा०र० II पर अंधी दौसा	राजस्थान	64
			योग	64
22.	13	जबलपुर-भोपाल-बीओरा-राजगढ़-खिलचीपुर-अकलेरा-झालावाड़-कोटा-बूंदी देवली-टोंक-जयपुर	मध्य प्रदेश	490
			राजस्थान	400
			योग	890
23.	13	शोलापुर-चित्रदुर्गा	महाराष्ट्र	43
			कर्नाटक	448
			योग	491
24.	14	रा०रा० 8 पर [illegible]-पाली-[illegible]-पालनपुर-रा०रा० 15 पर राधनपुर	राजस्थान	310
			गुजरात	140
			योग	450

1	2	3	4	
25.	15	पठानकोट-अमृतसर-भटिंडा-गंगानगर-बीकानेर-जयसलमेर-बाड़मेर-सामाखियाली (कांडला की समीप)	पंजाब	350
			राजस्थान	906
			गुजरात	270
			योग	1526
26.	16	निजामाबाद-मंचेरल-सिरोनेहा-भोपालपट्टनम, बीजापुर- रा० रा० 43 पर जगदलपुर	आंध्र प्रदेश	220
			महाराष्ट्र	30
			मध्य प्रदेश	210
			योग	460
27.	17	पनवल-माहेद-पणजी-कारवार-मंगलौर-कन्नानूर-कालीकट (कोजीकोड) इडोक-कुट्टीपुरम-पुडु पुनानी-कावघाट-इडापल्ली के समीप रा०रा० 47 के साथ करनगनूर जंक्शन	महाराष्ट्र	482
			गोआ	139
			कर्नाटक	280
			केरल	368
			योग	1269
28.	17ए	ओटालिम-मुरमागो के समीप रा०रा० 17 के साथ जंक्शन	गोआ	19
			योग	19
29.	20	पठानकोट-चोली-पालमपुर-जोगिन्दरनगर-मण्डी	पंजाब	10
			हिमाचल प्रदेश	210
			योग	220
30.	21	चंडीगढ़ के समीप रा०रा० 22 के साथ जंक्शन-रोपड़-बिलासपुर-मंडी-कुल्लु-मनाली	चंडीगढ़	24
			पंजाब	67
			हिमाचल प्रदेश	232
			योग	323

1	2	3	4	
31.	22	अम्बाला-कालका-शिमला-नरकंडा-रामपुर-विनी-*शिपकिला के समीप भारत/*तिब्बत सीमा	हरियाणा	30
			पंजाब	31
			हिमाचल प्रदेश	*398*
			योग	459
32.	23	चास-रांची-राउरकेला-तलचैर-रा०रा० 42 के साथ जंक्शन	बिहार	250
			उड़ीसा	209
			योग	459
33.	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	दिल्ली	7
			उत्तर प्रदेश	431
			योग	438
34.	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	उत्तर प्रदेश	237
			मध्य प्रदेश	82
			योग	319
35.	26	झांसी-लखनादन	उत्तर प्रदेश	128
			मध्य प्रदेश	268
			योग	396
36.	27	इलाहाबाद-मंगावन	उत्तर प्रदेश	43
			मध्य प्रदेश	50
			योग	93
37.	28	बरौनी के समीप रा०रा० 31 के साथ जंक्शन-मुजफ्फरपुर-पिपरा-कोठी-गोरखपुर-लखनऊ	बिहार	259
			उत्तर प्रदेश	311
			योग	570

1	2	3	4	
38.	28ए	पिपरा के समीप रा०रा० 28 के साथ जंक्शन-कोठी सगौली-रक्सौल-भारत/निपाल सीमा	बिहार	68
			योग	68
39.	29	गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी	उत्तर प्रदेश	196
			योग	196
40.	30	मोहनिया के समीप रा०रा० 2 के साथ जंक्शन-पटना-बख्तियार पुर	बिहार	230
			योग	230
41.	31	बरही के समीप रा०रा० 2 के साथ जंक्शन-बख्तियारपुर-मोकामेह-पूर्णिया-डालकोला-सिलीगुड़ी-सिबोग-कूच बेहार-नार्थ सलपारा-मालबरी-पराली-अमीनगांव-रा०रा० 37 के साथ जंक्शन	बिहार पं० बंगाल असम	437 366 322
			योग	1125
42.	31ए	सिकौक-गंगटोक	प० बंगाल सिक्किम	30 62
			योग	92
43.	31बी	जोगीघोपा के समीप रा०रा० 37 के साथ नार्थ सलमारा जंक्शन	असम	19
			योग	19

1	2	3	4	
44.	31सी	नियर गलगलिया-बागधोगरा-चलसा नग्रकाटा-गोयरकाटा-बलगांव-नासीमारा-राजाभात-खावा-बिजनी के समीप रा० रा० 31 के साथ रोचूगांव सिबली जंक्शन	प० बंगाल	142
			असम	93
			योग	236
45.	32	गोविन्दपुर के समीप रा०रा० 2 के साथ जंक्शन-धनवाद जमशेदपुर	बिहार	107
			प० बंगाल	72
			योग	179
46.	33	बरही के समीप रा०रा० 2 के साथ जंक्शन बहारागोरा के समीप रा०रा० 6 के साथ रांची जंक्शन	बिहार	352
			योग	352
47.	34	डालकोला के समीप रा०रा० 31 के साथ जंक्शन-बरहामपोरा-बारासत-कलकत्ता	प० बंगाल	443
			योग	443
48.	35	बारासत-बनगांव-भारत/बंगलादेश सीमा	प० बंगाल	61
			योग	61
49.	36	नवगांव-दबोका-दीमापुर (मणिपुर रोड)	असम	167
			नागालैंड	3
			योग	170

1	2	3	4	
50.	37	पंचरत्न के समीप रा०रा० 31बी के साथ जंक्शन-गुवाहाटी-जोरहाट कामरगांव-मलगुम संखोआघाट	असम	680
			योग	680
51.	37ए	रा०रा० 37 पर कौरीताल तथा तेजपुर के समीप रा०रा० 52 के साथ जंक्शन	असम	23
			योग	23
52.	37	माकूम-लेडो-लीखापानी	असम	54
			योग	54
53.	39	नुमालीगढ़-इम्फाल-मुराह-भारत/ बर्मा सीमा	असम	115
			नागालैंड	110
			मणिपुर	211
			योग	436
54.	40	जोराबाट-शिलौंग-डौकी के समीप भारत बंगलादेश सीमा	मेघालय	161
			योग	161
55.	41	कोलाघाट के समीप रा०रा०6 के साथ जंक्शन-हल्दिया पत्तन	प० बंगाल	51
			योग	51
56.	42	सम्बलपुर के समीप रा०रा० 6 के साथ जंक्शन-अंगुल-कटक के समीप रा०रा० 6 के साथ जंक्शन	उड़ीसा	261
			योग	261

1	2	3	4	
57.	43	रायपुर-बिजिआनगरम-नाथबलासा में रा०रा० 5 के साथ जंक्शन	मध्य प्रदेश	316
			उड़ीसा	152
			आंध्र प्रदेश	83
			योग	551
58.	44	शिलाँग-पासी-बोदरपूर-अगरतला	मेघालय	184
			असम	111
			त्रिपुरा	200
			योग	495
59.	45	मद्रास-तिरूचिरापल्ली-डिंडीगुल	तमिलनाडु	387
			योग	387
60.	45ए	विल्लूपुरम-पांडिचेरी	तमिलनाडु	17
			पांडिचेरी	23
			योग	40
61.	46	कृष्णागिरि-रानीपेट	तमिलनाडु	132
			योग	132
62.	47	सालेम-कोयमबट्टूर-त्रिचूर-अरुणाकुलम-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी	तमिलनाडु	224
			केरल	416
			योग	640
63.	47ए	विलिंगडेन-आयरलैंड-रा०रा०-47 पर कोचीन बाईपास के साथ जंक्शन	केरल	6
			योग	6

1	2	3	4	
64.	48	बंगलौर-हसन-मंगलौर	कर्नाटक	328
			योग	328
65.	49	मदुरई-धनुषकोडी-मदुरई-टेनी-मुन्नार-मुअत्तु पुला-कोचीन	तमिलनाडु	290
			केरल	150
			योग	440
66.	50	पूणे के नजदीक रा०रा० 4 पर नासिक जंक्शन	महाराष्ट्र	192
			योग	192
67.	51	पैकन-सुरा-बालू	असम	22
			मेघालय	127
			योग	149
68.	52	बैह्याटा-चाराली-तेजपुर-बन्दरदेवा-उत्तरी लखीमपुर-पालीघाट-तेजु-सीतापनी-झेकोघाट के समीप रा०रा०-37 पर जंक्शन	असम	540
			अरुणाचल प्रदेश	310
			योग	850
69.	52ए	बन्दर-देवा-ईटानगर	आसाम	5
			अरुणाचल-प्रदेश	20
			योग	25
70.	53	बदरपुर-जीरीघाट-इम्फाल सिचलर के समीप रा०रा०-44 के साथ जंक्शन	असम	100
			मणीपुर	220
			योग	320

1	2	3	4	
71.	54ए	सिलचर-आईजोल-लुईपांग	आसाम	45
			मिजोरम	515
			योग	560
72.	54ए	थेरियट-लुंगलेई	मिजोरम	9
			योग	9
73.	54बी	बीनस साडल-सहिया	मिजोरम	27
			योग	27
74.	55	सिलीगुडी-दार्जिलिंग	प० बंगाल	77
			योग	77
75.	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-वाराणसी	उत्तर प्रदेश	285
			योग	285
76.	एन०ई०-1. एक्सप्रेस वे	अहमदाबाद-नाडियाड-आनंद-वडोदरा	गुजरात	93
			योग	93

कुल योग : 33,689 कि०मी०

(ख) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का रिकार्ड राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं रखा जाता है। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1006.71	1308.33	1350.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.15	38.09	36.27
3.	आसाम	818.02	683.70	986.64
4.	बिहार	973.96	974.75	1147.50
5.	चंडीगढ़	11.93	12.93	11.56
6.	दिल्ली	158.29	190.22	127.76
7.	गोवा	166.36	237.20	218.87
8.	गुजरात	944.39	1107.81	1335.37
9.	हरियाणा	322.48	289.69	254.72
10.	हिमाचल प्रदेश	499.07	733.36	606.96
11.	जम्मू और कश्मीर	189.00	225.04	86.44
12.	कर्नाटक	793.64	847.94	883.32
13.	केरल	466.26	436.90	493.42
14.	मध्य प्रदेश	891.39	1097.90	1174.41
15.	महाराष्ट्र	1300.31	1388.87	1858.56
16.	मणीपुर	66.94	94.04	78.28
17.	मेघालय	250.87	181.48	181.19
18.	मिजोरम*	—	—	—
19.	नागालैंड	4.66	3.26	2.00
20.	उड़ीसा	689.08	607.62	654.72
21.	पांडिचेरी	7.29	3.62	7.87
22.	पंजाब	564.04	652.90	515.38
23.	राजस्थान	742.44	906.01	1064.87
24.	सिक्किम*	—	—	—

*बी०आर०डी०बी० को सौंपे गये रा० राजमार्ग।

1	2	3	4	5
25.	तमिलनाडु	706.99	871.00	967.90
26.	त्रिपुरा*	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	1456.63	1265.66	1142.80
28.	पश्चिम बंगाल	1335.00	1082.50	1366.73
29.	बी०आर०डी०बी०	432.71	555.47	385.21
	योग :	14634.61	15796.29	16029.31

(ग) सामान्य तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को निधियों की सीमित उपलब्धता में यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित भारतीय संविधान की उपलब्धता

*132. **श्री शंकर सिंह बघेला :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान को किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है;

(ख) संविधान का नवीनतम संस्करण ऐसी प्रत्येक भाषा में किस-किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था है कि समय-समय पर किए गए सभी संशोधनों सहित ऐसी प्रत्येक भाषा में संविधान शीघ्र प्रकाशित हो जाए; और

(घ) जन साधारण के प्रयोग के लिए इस समय संविधान की प्रतियां किस-किस भाषा में बाजार में उपलब्ध हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) उन भाषाओं को जिनमें भारत का संविधान मुद्रित किया गया है और प्रत्येक भाषा में उस नवीनतम संस्करण के वर्ष को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जब कभी संविधान में संशोधन किया जाता है, उसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठ एक साथ ही उपलब्ध हो जाते हैं और इन्हें नए संस्करण में सम्मिलित कर लिया जाता है या अनुपूरक जारी किया जाता है। संशोधन का अनुवाद सिंधी को छोड़कर, आठवीं अनुसूची में सम्मिलित

* बी०आर०डी०बी० को सौंपे गये रा० राजमार्ग।

सभी अन्य भाषाओं में, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मंत्रालय के राजभाषा खंड द्वारा किया जाता है। तब प्रत्येक राज्य सरकार से, इसे अनुपूरक के रूप में प्रकाशित करने और विद्यमान संस्करण के साथ निःशुल्क प्रदाय करने या पश्चातवर्ती संस्करण में सम्मिलित करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

(घ) मराठी को छोड़कर, विवरण में उल्लिखित सभी संस्करण, बाजार में उपलब्ध हैं। मराठी का चौथा संस्करण मुद्रणाधीन है।

विवरण

भाषा	नवीनतम संस्करण का अर्थ
1. असमिया	1985
2. बंगला	1987
3. अंग्रेजी	1989 (68वें संशोधन तक अनुपूरक)
4. गुजराती	1984
5. कन्नड़	1985
6. मलयालम	1985
7. मराठी	1988
8. उड़िया	1981
9. पंजाबी	1976
10. संस्कृत	1985
11. तमिल	1988
12. तेलुगु	1980
13. उर्दू	1985
14. द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी)	1991

रूग्ण एककों का औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाना

133. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए इन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सरकार ने सरकारी क्षेत्र की रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया है।

निर्यात में वृद्धि

*134. **श्री एम॰आर॰ कादम्बूर जनार्थनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा के बाद निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या निर्यात में आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का क्या विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : (क) सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 1991 को व्यापार सुधार के बारे में एक प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है और उसके बाद दिनांक 13 अगस्त, 1991 को एक व्यापार नीति वक्तव्य जारी किया है, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, निर्यात वृद्धि-दर जो जून, 1991 में 11.2% थी, बढ़कर जुलाई, 1991 में 32.2%, अगस्त, 1991 में 41.7% और सितम्बर, 1991 में 42.4% हो गई।

(ख) और (ग) विश्व-अर्थ-व्यवस्था में हुए परिवर्तनों से सम्बन्धित अनिश्चितता, रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों द्वारा भारत को आवश्यक माल निर्यात करने में सामने आ रही कठिनाइयों की वजह से उन्हें निर्यात कम करने की सुविचारित नीति, विश्व उत्पादन एवं निर्यात में गिरावट, प्रमुख विकसित देशों में मन्दी, हमारे कुछ कृषि उत्पादों की विश्व में कम कीमत-प्राप्ति, हमारे घरेलू उत्पादन के दुष्प्रभावित करने वाली नाजुक भुगतान सन्तुलन-स्थिति के कारण लगाए गए आयात नियंत्रण, निर्यात ऋण की ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि और व्यापार नीति में किए गए व्यापक सुधारों पर प्रतिक्रिया के लिए निर्यातकों को दिए गए समय को देखते हुए निर्यात में हुई वृद्धि कमोवेश आशाओं के अनुकूल रही है।

(घ) सरकार ने व्यापार नीति सुधारों का एक ऐसा पैकेज आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, काफी हद तक आयात लाइसेन्सिग को समाप्त करना और आयात दबाव को अनुकूल बनाना है, आर॰ई॰पी॰ लाईसेन्सों के स्थान पर ऐक्सिमस्क्रिप नामक नया दस्तावेज आरम्भ किया गया है इनके जरिए कच्चे माल, संघटकों और अतिरिक्त पुरजों के कतिपय आयात किए जा सकेंगे। निर्यात संवर्धन के साधन अर्थात् अग्रिम लाईसेन्सिग प्रणाली को मजबूत किया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिष्ठित निर्यातकों को इस बात की अनुमति दे दी जाए कि वे अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा-खाते खोलें और निर्यातकों को यह अनुमति दी जाए कि वे विदेशी ऋण लें, इन खातों से निर्यात से जुड़े आयात का भुगतान करें और इन खातों में निर्यात आय को जमा करें। इसके अलावा, सरकार ने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं जिनमें ये शामिल हैं—लाईसेन्स प्रणाली के जरिए नियंत्रण कम करना, निर्यात सम्बन्धी क्रिया-विधियों का सरलीकरण, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं, व्यापार एवं उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों से पारस्परिक तालमेल, आदि।

हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्बद्ध करना

*135. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमानों को शामिल करने के प्रस्ताव से गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्बद्ध करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा प्रयासों से गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्बद्ध करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) हल्के युद्धक वायुयान का विकास किया जा रहा है और इसका उत्पादन हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में किए जाने का प्रस्ताव है। विंड टनल माडल पार्टस के निर्माण, औजारों के विकास एवं निर्माण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित सिमुलेशन के लिए कम्प्यूटर सुविधाओं के निर्माण, सामग्री के विकास एवं आपूर्ति, प्रिंटेड सर्किट बोर्डों के निर्माण आदि के लिए निजी उद्योग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गुणता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए वायुयान के हिस्से-पुर्जों, उप-प्रणालियों और परीक्षण सुविधाओं के निर्माण-कार्य में भी निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) देश में औद्योगिक आधार काफी विकसित हो चुका है। उच्च तकनालाजी वाली प्रणालियों के विकास की क्षमता का सृजन करने में इससे सहायता मिलेगी।

(2) तकनालाजी उपस्कर संघटकों आदि के निर्माण के लिए पारस्परिक सरकारी क्षेत्रों के अलावा विभिन्न अन्य स्रोत उपलब्ध होने से लागत में कमी आएगी।

(3) सरकारी क्षेत्र में सरकारी निधि निवेश करने की कम आवश्यकता पड़ेगी।

(4) अनुसंधान और विकास स्थापनाएं उत्पादन की अपेक्षा प्रणालियों के डिजाइन और इंजीनियरिंग पर अधिक ध्यान दे सकेंगी।

(5) कार्य विभाजन और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत कम आएगी। साथ ही इससे निजी क्षेत्र और अधिक परिवर्तनशील एवं सृजनशील बनेगा।

रुपए के अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव

136. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या रुपए के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की अधिक दर के कारण भारतीय निर्यात में प्रतियोगिता की क्षमता काफी कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्व की प्रमुख मुद्राओं के अनुसार रुपए की विनिमय दर में एक दौर तीन जुलाई, 1991 को दो चरणों में समायोजन किए गए थे जो भारतीय निर्यातों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से नीतियों के पैकेज का एक भाग था। यद्यपि कुछ सीमा तक आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र नीति और विनिमय दर समायोजन द्वारा निर्यातकों को प्राप्त होने वाले लाभकारी मूल्यों में घरेलू मुद्रास्फीति के कारण कमी आई है, फिर भी नीति का समग्र प्रभाव काफी अनुकूल रहा है और भारत के निर्यात आज काफी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, कठोर मौद्रिक और राजकोषीय अनुशासन के साथ उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्रों में अनेक संरचनात्मक सुधार होने से मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने, कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने और विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करके अत्यधिक निर्यातों तथा समग्र विकास को ठोस आधार प्रदान करने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ घाटा

*137. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुए औसत घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) घाटा कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 16 राज्यों में घाटे में चल रहे कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1986-87, 1987-88 और 1988-89 (अद्यतन उपलब्ध) के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा उठाया गया औसत घाटा इस प्रकार है :

	(लाख रुपये)
1986-87	52.03
1987-88	51.30
1988-89	68.10

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटा उठाने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का औसत घाटा इस प्रकार था :

	(लाख रुपये)
1988-89	41.45
1989-90	57.50
1990-91	61.45

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के घाटा उठाने के कई कारण थे, जैसे कि कम कारोबार, प्रबंध व्यवस्था की उच्च लागत, कम मार्जिन पर संचालन, ऋण पोर्टफोलियों में विविधता का न होना, निधि को विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित न करना और कम वसूली। केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियन्त्रण में होते हैं और इनका संचालन सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान द्वारा होता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और नाबार्ड भी सांविधिक निरीक्षण करता है तथा उपचारी उपाए सुझाता है। क्षेत्रीय ग्रामीय बैंकों के कार्य-निष्पादन की नाबार्ड और भारत सरकार नियमित अंतरालों में निगरानी करते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण पंचाट के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण स्थापना व्यय में जो वृद्धि हुई है उससे इन संस्थानों को अर्थक्षमता समस्याओं में वृद्धि हुई है। भारत सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को इस समस्या का अंदाजा है और इनके कार्यचालन और अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए उचित उपाय विचाराधीन हैं।

15 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन

*138. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सेना कर्मियों को पेंशन नहीं दी जाती है जो सेना में 15 वर्ष का सेवा काल पूरा नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सेना कर्मियों को पेंशन देने अथवा उन्हें पुनर्वास महानिदेशालय अथवा अन्य सिविल सेवाओं में रोजगार देने का है, जो 15 वर्ष के सेवा काल में युद्ध में या ड्यूटी पर घायल हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री श्री शरद पवार : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

15 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों को पेंशन देने के बारे में लोक सभा में 29 नवम्बर, 1991 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 138 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

1.1 सैन्य पेंशन विनियमावली भाग—1, 1961 में विहित प्रावधानों के अनुसार जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों के मामले में सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित सेवा लाभ दिए बिना न्यूनतम अर्हक सेवा 15 वर्ष तथा अयोधियों (नामांकित) के मामले में 20 वर्ष है। सेवानिवृत्ति पेंशन के मामले में सैन्य अफसरों के लिए निर्धारित सेवा लाभ दिए बिना न्यूनतम अर्हक

सेवा 20 वर्ष और देर से भर्ती होने वाले सैन्य अफसरों के लिए 15 वर्ष है। लेकिन ऐसे कार्मिक के मामले में (1) जिसे उसके अनुरोध पर सेवामुक्त किया हो, (2) जो विशेष पेंशन या उपदान लेने का पात्र हो, अथवा (3) जिसे डॉक्टरी आधार पर 15 वर्ष से कम सेवा अवधि में सेवामुक्त कर दिया गया हो, सेवा पेंशन की पात्रता के वास्ते निर्धारित सेवा-अवधि को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी छः महीने तक की छूट दे सकता है।

2.1 सैन्य सेवा के दौरान युद्ध अथवा ड्यूटी करते समय घायल होने वाले सैन्य कार्मिक निम्नलिखित पेंशन सम्बन्धी लाभ पाने के पात्र हैं :—

युद्ध आहत पेंशन

2.2 **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक (जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/अन्य रैंक)।**

युद्ध में हताहतों और इसी प्रकार के अन्य मामलों में, जिन्हें सरकार विशेष रूप से अधिसूचित करती है, डाक्टरी आधार पर सेवामुक्त किए जाने पर कार्मिक की सेवा अवधि पर विचार किए बिना युद्ध आहत पेंशन दी जाती है। शत-प्रतिशत निशक्तता के लिए यही पर निशक्तता की तारीख को अंतिम बार ली गई परिलब्धियों के बराबर राशि है। वेतन में उस व्यक्ति ने अंतिम बार यदि कोई वर्गीकरण, वेतन लिया हो तो परिलब्धियों में वह राशि भी शामिल होती है। जिन मामलों में निशक्तता की मात्रा शत प्रतिशत से कम होती है उनमें यह राशि उसी अनुपात में कमकर दी जाती है किन्तु इसमें शर्त यह है कि अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के मामले में डाक्टरी आधार पर सेवा मुक्त किए जाने के समय अथवा उसके बाद किसी समय निशक्तता का पुनर्निधारण किए जाने पर, निशक्तता की मात्रा पर विचार किए बिना पेंशन की न्यूनतम देय राशि अंतिम बार ली गई संगणनीय परिलब्धियों के 80% से कम नहीं हों।

2.3 **सैन्य अफसर :** सैन्य अफसरों के मामले में शत प्रतिशत निशक्तता के लिए युद्ध आहत पेंशन उनकी निशक्तता की तारीख को अंतिम बार ली गई परिलब्धियों (वेतन जमा प्रेक्टिस बन्दी भत्ता डाक्टरों के मामले में और रैंक वेतन, यदि कोई हो) के बराबर राशि होती है। जिन मामलों में निशक्तता की मात्रा शत प्रतिशत से कम होती है उनमें यह राशि उसी अनुपात में कम कर दी जाती है किन्तु शर्त यह है कि अफसर की निशक्तता के समय अथवा उसके बाद किसी समय निशक्तता का पुनर्निधारण किए जाते समय, निशक्तता की मात्रा पर विचार किए बिना, पेंशन की न्यूनतम देय राशि अंतिम बार ली गई संगणनीय परिलब्धियों के 60% से कम नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति उपदान

2.4 युद्ध आहत पेंशन के अतिरिक्त सेवा अफसरों/अफसर रैंक के नीचे के कार्मिकों को सेवा निवृत्ति उपदान दिया जाता है जो कि अर्हक सेवा की प्रत्येक पूरी छमाही की अवधि के लिए संगणनीय सेवा की एक चौथाई

परिलब्धियों के बराबर होता है। अर्हक सेवा अवधि की गणना उस रैंक में उस अफसर के सामान्य रूप से सेवा निवृत्त होने की तारीख तक की जाती है तथा उसमें अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित सेवा लाभ जोड़ दिया जाता है परन्तु निर्धारित सेवा लाभ अर्हक सेवा अवधि 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु यह राशि संगणनीय परिलब्धियों के 16½ गुणा से अधिक नहीं होती हैं और अर्हक सेवा की अवधि की गणना में एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा रखी जाती है। 3 महीने और उससे अधिक किन्तु 6 महीने से कम अवधि को 6 महीना माना जाएगा और अर्हक सेवा के रूप में उसकी संगणना की जाएगी।

निशक्तता पेंशन

2.5 जिन सैन्य कार्मिकों को शांति काल में हुई किसी निशक्तता की वजह से सेवा से निर्मुक्त किया गया हो अथवा सेवा निवृत्ति के समय उनमें किसी ऐसी निशक्तता का पता चला हो जो सैन्य सेवा की वजह से हुई हो अथवा सैन्य सेवा से उसमें वृद्धि हुई हो और सक्षम प्राधिकारी ने निशक्तता की मात्रा 20% अथवा उससे अधिक निर्धारित की हो तो सेवा अवधि पर विचार किए बिना उन्हें निशक्तता पेंशन, दी जाती है। इसमें दो अंश होते हैं अर्थात्—की गई सेवा का अंश और निशक्तता की मात्रा का अंश। अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए निशक्तता पेंशन में की गई सेवा का अंश निशक्त रहने की तारीख तक की गई अर्हक सेवा के लिए सेवा पेंशन के बराबर होता है। यह नियम 15 वर्ष अथवा उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों पर लागू होगा (अयोधी नामांकित कार्मिकों के लिए 20 वर्ष)। किन्तु किसी भी स्थिति में सेवा अंश उस रैंक/वेतन ग्रुप में देय न्यूनतम सेवा पेंशन के दो तिहाई हिस्से से कम नहीं होगा। जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए शत प्रतिशत निशक्तता के लिए निशक्तता अंश की दरें 550 रुपये प्रतिमाह और अन्य रैंकों/अयोधी (नामांकित) कार्मिकों के लिए 450 रुपये प्रतिमाह हैं। शत प्रतिशत से कम किन्तु 20% से अधिक निशक्तता के लिए निशक्तता की दरें उसी अनुपात में कम होती चली जातीं हैं।

2.6 अफसरों की शत प्रतिशत निशक्तता के मामले में निशक्तता अंश की दरें 750 रुपये प्रतिमाह हैं। सेवा अंश की राशि सेवा निवृत्ति पेंशन के बराबर होती है जिसका निर्धारण अफसर द्वारा की गई सेवा में निशक्तता के समय वह अफसर जिस रैंक पर कार्यरत होता है उसके अनुसार निर्धारित सेवा लाभ जोड़कर, इसमें सेवा अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाता, किया जाता है। अफसरों के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन की गणना पेंशनके लिए संगणनीय औसत परिलब्धियों (अफसर द्वारा पिछले 10 महीने के दौरान लिए गए वेतन, प्रैक्टिसबंदी भत्ते, रैंक वेतन, यदि कोई हो, का औसत) के 50% के हिसाब से की जाती है। इस प्रकार से निश्चित की गई राशि 33 वर्ष की संगणनीय

अर्हक सेवा के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन के बराबर होती है। इससे कम वर्षों की अर्हक सेवावधि के लिए इस राशि में उसी अनुपात में कमी कर दी जाती है।

यदि निशक्तता में सुधार होने की कोई संभावना न हो तो निशक्तता पेंशन मंजूर किए जाने की अवधि :—

2.7. यदि यह स्वीकार कर लिया गया हो कि वह निशक्तता सैन्य सेवा की वजह से हुई है अथवा सैन्य सेवा से उसमें वृद्धि हुई है और निशक्तता अथवा सर्वेक्षण निशक्तता बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि उस निशक्तता में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है तो निशक्तता पेंशन पहली बार में 10 वर्षों के लिए मंजूर की जाती है। इस अवधि के दौरान यदि पेंशनर की निशक्तता में कोई वृद्धि हो जाती है तो उसे निशक्तता का पुनर्निर्धारण करवाने का अधिकार होता है। यदि निशक्तता का पुनर्निर्धारण किए जाने से पेंशन राशि में संशोधन किया गया हो, तो संशोधित पेंशन की मंजूरी की तारीख से निशक्तता पेंशन पुन: 10 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की जाती है बशर्ते कि उस समय भी यही माना गया हो कि निशक्तता में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हर बार बढ़ाई या घटाई गई निशक्तता का निर्धारण 10 वर्ष के लिए किया जाता है। इस दौरान पेंशनर को एक बार इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह निशक्तता में और अधिक वृद्धि होने पर उसका पुनर्निधारण करवा ले।

2.8 यदि 10 वर्षों तक निशक्तता की प्रतिशतता में कोई अन्तर न आया हो तो पेंशनर को पुन: सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाता है और यदि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी उस समय भी यह माने कि निशक्तता में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है तो उसकी पेंशन आजीवन के लिए मंजूर कर दी जाती है। उसके बाद पेंशन में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होता है।

2.9 जिन मामलों में किसी व्यक्ति का अंग-भंग हुआ हो, वह दृष्टि-हीन हो गया हो, उसकी एक आंख जाती रही है, उसका कोई अंग आदि शरीर से निकाल दिया हो और उसकी शारीरिक दशा में सुधार आने/उसके और अधिक खराब होने का प्रश्न नहीं उठता हो तो निशक्तता पेंशन आजीवन के लिए मंजूर कर दी जाती है"।

यदि निशक्तता में सुधार होने की संभावना हो तो निशक्तता पेंशन मंजूर किए जाने की अवधि :—

2.10 जहां निशक्तता, चाहे वह सैन्य सेवा के कारण हुई हो या सैन्य सेवा के कारण उसमें वृद्धि हुई हो, में परिवर्तन होने की संभावना है, (अर्थात्

अनुसार हो सकता है या और कम भी हो सकती है) जहां चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की तारीख के संदर्भ में संभावित अवधि निशक्तता पेंशन एक से पांच *वर्ष तक के लिए दी जाती है।* लेकिन ऐसी पेंशन की मंजूरी की सही अवधि के बारे में चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है जिसमें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। रिसर्वे बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि भी एक से पांच वर्ष के बीच होती है और इसमें भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।

निशक्तता पेंशन

2.11 जहां कार्मिक की निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई या उससे उसमें वृद्धि हुई नहीं मानी जाती वहां भी निशक्तता पेंशन दी जा सकती है लेकिन ऐसे मामलों में की गई वास्तविक सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह पेंशन निशक्तता पेंशन के उस अंश के बराबर है जो सैनिक सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ी निशक्तता के लिए दिया जाता है। यदि की गई वास्तविक सेवा दस वर्ष से कम है तो सेवा के प्रत्येक छः" महीने की परिलब्धियों के बराबर (वर्गीकरण वेतन, यदि हो, जो अंतिम समय लिया गया हो) निशक्तता उपदान दिया जाता है।

रोजगार प्रावधान

3.1 निशक्त हुए सैन्य कार्मिकों को नौकरी देने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं :—

3.2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को, चाहे वे युद्ध के दौरान निशक्त हुई हों अथवा शांति काल में, यदि निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के छंटनी शुदा कर्मचारियों के साथ, प्राथमिकता-1 दी जाती है। निशक्त हुए कार्मिकों को आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में भी छूट दी जाती है। केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी उन्हें अपने संगठनों में नौकरी देने के उद्देश्य से छूट दी जाती है। निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कुछ राज्य सरकारों की अलग से अपनी योजनाएं हैं।

3.3 समूह "क" एवम् समूह "ख" पदों पर नियुक्ति के लिए :—

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से भिन्न रूप में, उनके मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव प्राप्त किए हों और उनकी आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 50 वर्ष) से अधिक न हों। ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए, प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से बशर्ते कि वे शैक्षिक रूप से अर्हता-प्राप्त किए हों, उन्हें आयु में 3 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के *उम्मीदवारों के मामले में 8 वर्ष) तक की छूट दी जाती है।*

3.4 जहां तक चिकित्सा मानदण्ड का सम्बन्ध है आदेशों में यह व्यवस्था है कि ऐसे कार्मिकों को समूह "क" से समूह "घ" तक के पदों पर नियोजित करने के लिए सैन्य-विघटन चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पर्याप्त मान लिया जाएगा।

3.5 भारतीय शांति सेना के हताहत हुए कार्मिकों के मामले में, विशेष छूट प्रदान करते हुए सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तयों पर भारतीय शांति सेना के निशक्त हुए कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार के विभागों आदि में रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र

*139. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रारम्भ करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ग) क्या मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास की गति धीमी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जोन के मूल के आंतरिक ढांचे को अगले वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है। मार्च 1991 में भूमि के एक खंड को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही विकास कार्य को प्रारंभ किया जा सका। इस वर्ष यदि अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सके तो विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। अभी तक की प्रगति इस प्रकार है :

1. जोन के लिए भूमि को अधिग्रहीत किया जा चुका है और जोन प्रशासन ने 360.5 *एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;*

2. आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (ए० पी० आई० आई० सी०) को जोन में संरचनात्मक विकास हेतु एक नोडल ऐजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैसर्स ए० पी० आई० आई० सी० ने भवन और सुविधाओं के विस्तृत डिजाईन तैयार किये हैं और पूर्व योग्यता निविदायें आमंत्रित की हैं और निविदायें को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3. मैसर्स ए० पी० आई० आई० सी० ने सुरक्षा दीवार बनाने के लिए आर्डर दे दिया है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

4. कुछ प्रारंभिक कार्य जैसे निम्नलिखित को प्रारंभ कर दिया गया है और उसे जोन में लागू किया जा रहा है।

(एक) अंदरूनी सड़कों और पुलियों का निर्माण आरंभ कर दिया गया है। पुलियों को जोड़ने वाली सड़कें और अन्य सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है।

(दो) बाड़ के नालों का कार्य 560 मीटर तक पूरा हो गया है और आगे का कार्य प्रगति पर है।

(तीन) पानी ट्यूब और कुओं की प्रारंभिक आवश्यकताओं को जोन में ही पूरा करने के लिए जगह में पानी भर दिया गया है और पंप हाऊस का निर्माण कर दिया गया है।

5. विशाखापतनम् नगर निगम ने राज्य सरकार की ओर से प्रारंभ में एम० जी० डी० पानी की पूर्ति के लिए एक योजना बनाई है और इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होने वाला है।

6. जोन को विद्युत की आवश्यक सप्लाई हेतु राज्य विद्युत बोर्ड ने 33/11 के सब स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्य आरंभ कर दिया है और यह शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।

अत्यधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

*140. **श्री जीवन शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्हें लागत लेखा-परीक्षा के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का तथा उन्हें इस बात के लिए बाध्य करने का है कि वे अपने उत्पादों की उत्पादन लागत को सार्वजनिक रूप से प्रकट करें;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितनी कम्पनियों की लागत-परीक्षा की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि उत्पादक तथा निर्माता उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ लेकर उनका शोषण न करें ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उस कम्पनी के लागत लेखाओं की लेखा परीक्षा लागत लेखा परीक्षक द्वारा करायी जायेगी जिस कम्पनी से कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत निर्धारित रीति से लागत अभिलेख रखे जाने की अपेक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा कराने के पश्चात लागत लेखा परीक्षक कम्पनी कार्य विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लागत लेखा परीक्षकों से प्राप्त प्रत्येक लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्रति कम्पनियों को प्राप्त हुये अतिरिक्त लाभों, यदि कोई हो, सहित रिपोर्ट में दिये गये विभिन्न आयामों के बारे में कारंवाई करने के लिये संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को भेजी जाती है। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों का पुनरीक्षण करते समय, कम्पनी कार्य विभाग भी प्रशासनिक मंत्रालयों को संबंधित सूचना भेजते हैं जिसमें उनके ध्यान में अतिरिक्त लाभ के विशिष्ट मामलों को स्पष्ट किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक 36 लागत लेखा अभिलेख नियम अधिसूचित किये हैं जिनके अन्तर्गत 54 औद्योगिक उत्पाद शामिल किये गये हैं। अधिक उद्योगों के लिये लागत लेखा अभिलेख नियम निर्धारित करने का कार्य सतत रूप से चल रहा है।

जिस कम्पनी के लागत लेखाओं की लेखा परीक्षा कर दी गई हो उस कम्पनी को केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि वह इस प्रकार की रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट के पूर्ण अथवा ऐसे भाग जैसा कि यह इस संबंध में विशिष्ट रूप से बताये, के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पहली बार आयोजित होने वाली वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस सहित उसे अपने शेयर धारियों में परिचालित कर दें। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जन-साधारण में परिचालित नहीं किया जाता है।

(ग) वर्ष 190-91 के दौरान 604 कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया। अभी तक प्राप्त लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में से 200 रिपोर्टों की पुनरीक्षा की गई है। अधिक लाभ, कच्चे माल के आयात में हुई अनियमितताओं, शुल्क की वापसी के भुगतान आदि के उदाहरण जहां भी पुनरीक्षण के भाग के रूप में नोटिस में आये हैं, उन्हें प्रशासनिक तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को उपयुक्त कारंवाई के लिये भेज दिया गया है।

(घ) लागत लेखा अभिलेख नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अतिरिक्त सरकार अवरोधक व्यापार प्रथाओं (आर० टी० पी०) के संबंध में एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 10 (क) (11) के अन्तर्गत एम० आर० टी० पी० आयोग को संदर्भ भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकती है कि उत्पादक और विनिर्माता अनुचित लाभ लेकर उपभोक्ताओं का शोषण तो नहीं करते हैं। अवरोधक व्यापार प्रथा को धारा 2 (ण) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है जिसमें वह व्यापार प्रथा शामिल है जिसका प्रभाव प्रतियोगिता को किसी भी रीति से निवारित, निबंन्धित या विकृत करने का है और विशेष रूप से कीमतों में इस प्रकार

से घट-बढ़ करके उन पर अनुचित खर्चे डालने या बंधन लगाने का है। सरकार धारा—31 (1) के अन्तर्गत एकाधिकारिक प्रथा के विरुद्ध संदर्भ भी भेज सकती है और ऐसे आवश्यक कदम उठा सकती है जो कि ऐसी हेराफेरी का उपचार करने या रोकने के लिए उपयुक्त समझे जाएं जो ऐसी एकाधिकारिक प्रथाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो।

केन्द्रीय सरकार अवरोधक या एकाधिकारिक प्रथाओं में संलिप्त किसी उपक्रम की जांच कराने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत निरीक्षकों को नियुक्त भी कर सकती है और निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उपक्रम द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए कार्यवाही कर सकती है।

पुस्तक आयात नीति की पुनरीक्षा

*141. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री 23 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4126 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पुस्तक आयात नीति की पुनरीक्षा की गई है और विशेष ज्ञान वाली विद्वानोचित पुस्तकों, वरेण्य कृतियों और शिक्षण-सहायता सामग्री के आयात को सुगम बनाने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए गये है;

(ख) क्या भावी आयातकों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि, में हाल ही में जो वृद्धि की गई है उससे छोटे-छोटे पुस्तक विक्रेताओं के आयातक बनने की संभावना कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन छोटे पुस्तक विक्रेताओं द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि में कटौती करने का विचार है जिन्हें विश्वविद्यालयों और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) से (ग) यथानिर्दिष्ट विषयों पर शैक्षिक/वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्रियों के आयात को अनुमति ओ०जी० एल० के अन्तर्गत पात्र आयातकों को दी जा रही है। किन्तु, देश की भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की स्थिति को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने साख पत्र खोलने के पूर्व संभावित आयातको द्वारा अपने बैंकरों में धन जमा करने की एक प्रणाली शुरू की है। इस समय, पुस्तकों के आयात के लिए आवश्यक नकद मार्जिन राशि को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उरुग्वे वार्ता में दिये गये "शुल्क दर और व्यापार पर सामान्य समझौते" के प्रस्ताव

*142. **डा० असीम बाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "शुल्क दर और व्यापार पर सामान्य समझौते" (जी०ए०टी०टी०) के उन प्रस्तावों को जो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के बारे में हैं और जो उरुग्वे में हुई वार्ता में दिये गये थे, मान लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के औषध उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उरुग्वे दौर की वार्तायें अब भी जारी हैं और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के बारे में विचाराधीन विभिन्न प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त विकास कार्यक्रम

1347. श्री धर्मभिक्षम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त राज्यवार कितने विकास कार्यक्रम चलाए गये है; और

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा राज्यवार कितनी सहायता दी गयी है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त केन्द्रीय विकास परियोजनाओं की सूची और उनमें से इस समय क्रियान्वित की जा रही राज्यवार उनके कार्यस्थलों सहित प्रत्येक योजना के लिए दी गई सहायता राशि विवरण में संलग्न है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की राज्यवार सूची

अनुबन्ध-1

परियोजना संख्या	परियोजना का नाम	शहर	आबंटन (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
इंडिया—90-005	फ्लू डस्ट के उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी का विकास	हैदराबाद	150,072
इंडिया—91-008	संकर जाति की चावल प्रौद्योगिकी (ओल्ड, 89-016) का विकास और उपयोग	हैदराबाद	3,010,650
बिहार			
इंडिया—80-092	कोयला खानों का संचालन	रांची	1,900,869

1	2	3	4
इंडिया—86-014	कोयला खानों में जल नियंत्रण व्यवस्था (परि० मुख्या० रांची)	रांची	606,834
इंडिया—87-001	खानों में कार्य करने की दशाओं में सुधार	धनबाद	822,500
इंडिया—88-011	एन०डी०टी० सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, पी०डी०आई०एल०	सिन्दरी	695,000
इंडिया—88-012	संशोधित करोजन प्रौद्योगिकियां, पी०डी०आई०एल०	सिंदरी	600,075
गोवा			
इंडिया—87-002	समुद्री आंकड़ा विश्लेषण	गोवा गोवा	712,225
इंडिया—91-026	धातु प्लास्टिक उद्योग व्यवस्था और प्रशिक्षण केन्द्र	पणजी	2,112,000
गुजरात			
इंडिया—90-006	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में प्रशिक्षण क्षमता का उन्नयन	अहमदाबाद	112,000
इंडिया—90-024	ई०ओ०आर० पाइलट्स का निष्पादन मूल्यांकन	अहमदाबाद	3,732,000
कर्नाटक			
इंडिया—85-015	यांत्रिक काष्ठ उद्योग	बंगलौर	3,502,761
इंडिया—85-059	कोस्टल अक्वेकल्चर का विकास	बंगलौर	965,975
इंडिया—88-010	मृत्तिका प्रौद्योगिकी संस्थान	बंगलौर	913,100
इंडिया—89-114	पवन ऊर्जा केन्द्र	बंगलौर	31,205
इंडिया—91-001	बी०ई०एम०एल० डेक्कन प्रारम्भिक अनुसंधान केन्द्र (के० जी० एफ०) प्रारंभिक सहायता	बंगलौर	16,600
इंडिया—91-025	कम्प्यूटर समेकित विनिर्माण (सी० आई० एम०)	बंगलौर	2,352,500
केरल			
इंडिया—91-005	फ्लूइड नियन्त्रण अनुसंधान संस्थान (कोड सं० 90/022) की क्षमता	पालघाट	330,000

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
इंडिया—85-065	पशु रोग की सर्वोच्च सुरक्षा से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना	भोपाल	1,058,071
इंडिया—88-003	विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी का विकास (परि० स्थल भोपाल)	भोपाल	1,247,000
महाराष्ट्र			
इंडिया—86-018	उत्पादन प्रौद्योगिकी	पनवल	1,284,605
इंडिया—86-019	कम्प्यूटरीकृत बुना अथवा प्रिंटेड वस्त्र डिजायन	बम्बई	438,463
इंडिया—86-040	खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला	नागपुर	2,411,187
इंडिया—87-007	नौवल शेप सलेक्टिव जिओलाइट कैटालिस्ट का विकास	पुणे	2,627,589
इंडिया—88-015	जवाहरलाल नेहरू अल्युमिनियम रिसर्च डिजाइन सेन्टर	नागपुर	4,560,200
इंडिया—88-017	राष्ट्रीय खनन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	नागपुर	1,951,794
इंडिया—90-008	सिंचाई नहर व्यवस्था का स्वचालन	पुणे	691,900
इंडिया—90-019	स्वर्ण टकसाल प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण	बम्बई	46,340
इंडिया—90-037	हस्त-निर्मित कागज उद्योग (परिस्थल सांगानेर, राजस्थान)	बम्बई	686,800
इंडिया—90-038	फ्लूईड एण्ड ओसन हाइड्रोमेकैनिक्स केन्द्र	पुणे	2,105,000
उड़ीसा			
इंडिया—88-063	टेक्नो इको० फिजिबिलिटी इलेक्ट्रो-स्मेल्टिंग आफ बस-सी-एलायंज	भुवनेश्वर	328,000
इंडिया—89-109	उड़ीसा प्रान्त के मणि पत्थर संसाधनों का विकास	भुवनेश्वर	673,500
पंजाब			
इंडिया—87-012	सिलाई-मशीन विकास केन्द्र	लुधियाना	824,076

1	2	3	4
राजस्थान			
इंडिया—90-016	हिन्दुस्तान जिंक लि० के भूविज्ञान और खनन में तकनीकी संगणना	उदयपुर	417,000
तमिलनाडु			
इंडिया—86-038	कपड़ा निर्माण हेतु गैर-परम्परागत कण्डे का उपयोग	कोयम्बटूर	321,170
इंडिया—91-076	पत्तन कामगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मद्रास	604,200
उत्तर प्रदेश			
इंडिया—83-031	ढलाई और गढ़ाई लघु उद्योग	आगरा	884,298
इंडिया—85-006	उर्वरक संयंत्र संचालन में दक्षता विकास	नोएडा (यू०पी०)	875,987
इंडिया—85-027	माडर्न कारटोग्राफिक सेंटर	देहरादून	4,521,430
इंडिया—85-048	लघु लुगदी मिलों (I) के लिए रासायनिक प्रतिलाभ संयंत्र	सहारनपुर	1,303,066
इंडिया—85-062	इलैक्ट्रोनिक सेवाएं और प्रशिक्षण केन्द्र	रामनगर	837,291
इंडिया—86-003	जैव उर्वरकों का विकास और प्रदर्शन	गाजियाबाद	772,000
इंडिया—86-008	आर०डी०एस०ओ० में आर० एण्ड डी० सुविधाओं को बढ़ाना	लखनऊ	4,004,919
इंडिया—88-008	भारतीय वन्य जीव सस्थान II चरण	देहरादून	444,576
इंडिया—88-047	नागरिक विमानन प्रशिक्षण केन्द्र का विकास	इलाहाबाद	2,402,360
इंडिया—89-101	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का विकास	राय बरेली	1,395,880
इंडिया—89-114	काष्ठ अभिन्न आधारित लुगदी और कागज उद्योग	सहारनपुर	1,912,000
इंडिया—89-133	इसेन्सिअल ऑयलस के लिए पी० पी०डी०सी० (परि० स्थल कन्नौज)	कानपुर	632,000

1	2	3	4
इंडिया—90-003	हाइड्रोलोजिकल स्टडीज की विकास क्षमताएं	रूड़की	3,000,000
इंडिया—90-004	लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाना	मंसूरी	660,400
पश्चिमी बंगाल			
इंडिया—86-037	पटसन अनुसंधान और विकास केन्द्र	कलकत्ता	2,626,081
इंडिया—87-003	अमोरफोस सिल्कन सोलर सेल्स का विकास	कलकत्ता	2,944,200
इंडिया—87-010	कुष्ठ रोग के इलाज और उसकी रोकथाम के बारे में दृष्टिकोण	कलकत्ता	398,565
इंडिया—87-017	आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा संयंत्र सुधार	कलकत्ता	1,123,950
इंडिया—87-018	मोलिकुलर बायोलॉजी पैरासाइट्स	कलकत्ता	1,047,000
इंडिया—83-020	*कृषि शिक्षा और अनुसंधान (परि० मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	4,438,000
इंडिया—84-020	सीमेंट उद्योग की उत्पादकता, विस्तार में एन०सी०बी० की क्षमता	नई दिल्ली	2,435,785
इंडिया—85-020	*स्नातकोत्तर कृषि, शिक्षा और अनुसंधान संबंधी उन्नत केन्द्र (परि० योजना मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	12,020,408
इंडिया—85-032	*दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र और जनशक्ति विकास को बढ़ाना (परियोजना मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	3,324,800
इंडिया—85-055	सेडिमेन्टेशन ऑफ रिजर्वॉयर संबंधी अध्ययन	नई दिल्ली	802,384
इंडिया—85-072	ज्ञान आधारित कम्प्यूटर व्यवस्था (परि० मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	5,250,800

*टिप्पणी : इस परियोजना के भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक संस्थान हैं।

1	2	3	4
इंडिया—85-074	*फाइबर ओपटिक्स (परि० मुख्या-लय, नई दिल्ली	नई दिल्ली	935,098
इंडिया—86-002	सौर ऊर्जा केन्द्र	नई दिल्ली	1,585,000
इंडिया—86-007	रेडियो मॉनिटरिंग एण्ड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में प्रशिक्षण सुविधाएं	नई दिल्ली	2,412,150
इंडिया—86-009	कम्प्यूटर नेटवर्क में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (परि० मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	6,010,000
इंडिया—86-012	*खाद्य, पोषण और बाल विकास में स्नातकोत्तर शिक्षा (परियोजना मुख्यालय नई दिल्ली)	नई दिल्ली	1,199,650
इंडिया—86-034	राष्ट्रीय दूर-संचार नेटवर्क में नयी प्रौद्योगिकियां	नई दिल्ली	1,030,000
इंडिया—86-036	जलाशय सुरक्षा निगरानी	नई दिल्ली	2,216,050
इंडिया—87-008	*वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षण देना	नई दिल्ली	1,781,000
इंडिया—87-011	अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध शिक्षा (परि० मुख्यालय, नई दिल्ली)	नई दिल्ली	942,000
इंडिया—88-002	राष्ट्रीय कला केन्द्र आई०जी०एन० सी०ए० (पी०ए०)	नई दिल्ली	28,000
इंडिया—88-006	*होटल केटरिंग संस्थान का आधुनिकीकरण	नई दिल्ली	2,030,355
इंडिया—88-007	माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स हेतु सहायता	चण्डीगढ़	2,302,000
इंडिया—88-023	आदिवासी स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन	नई दिल्ली	227,300
इंडिया—89-041	ए०टी०आई० बम्बई और कानपुर में एन० सी०/सी० एन०सी० प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना (परि० मुख्य०, दिल्ली)	नई दिल्ली	700,000
इंडिया—89-074	बी०आई०सी०पी० और डी०जी० टी०डी० की तकनीकी क्षमता में सुदृढ़ करना	नई दिल्ली	217,300

*टिप्पणी : इस परियोजना के भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक संस्थान हैं।

1	2	3	4
इंडिया—89-099	उच्च प्रौद्योगिकी उपस्कर की अधिप्राप्ति सेवाएं	नई दिल्ली	784
इंडिया—89-103	जैव रसायन इन्जी० और जैव-प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में उच्च अध्ययन	नई दिल्ली	1,383,600
इंडिया—89-107	चुनिंदा क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण	नई दिल्ली	1,247,500
इंडिया—89-117	प्रबन्ध परामर्श विकास (II चरण)	नई दिल्ली	400,000
इंडिया—89-128	कृषिनाशक विकास केन्द्र एच० आई०एल० (II चरण)	नई दिल्ली	2,187,000
इंडिया—89-130	इलैक्ट्रोनिक्स पैकेजिंग प्रौद्योगिकी केन्द्र	नई दिल्ली	2,791,400
इंडिया—89-134	टोकटेन-III चरण	नई दिल्ली	500,000
इंडिया—89-136	राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना	नई दिल्ली	696,000
इंडिया—90-007	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फाइटोट्रोन सुविधा	नई दिल्ली	2,098,500
इंडिया—90-009	जैव भौतिकीय अन्वेषण सुविधा	नई दिल्ली	3,030,000
इंडिया—90-010	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कांच उद्योग केन्द्र (परिस्थल फिरोजाबाद)	नई दिल्ली	2,036,200
इंडिया—90-013	निगमित क्षेत्र में प्रबन्ध विकास	नई दिल्ली	320,000
इंडिया—90-014	सी०ई०डी०टी०पी०सी० एण्ड आई० की स्थापना (परि० स्थल कोज्जिकोड, केरल)	नई दिल्ली	1,905,000
इंडिया—90-018	वी०एल०एस०आई० डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग केन्द्र	नई दिल्ली	2,500,000
इंडिया—90-028	सतही विश्लेषणात्मक सुविधाएं	नई दिल्ली	1,070,000
इंडिया—90-034	यांत्रिक डिजायन इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग (परिस्थल गुड़गांव)	नई दिल्ली	2,118,500
इंडिया—90-035	पैंशन प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान	नई दिल्ली	2,248,500
इंडिया—90-042	टोकटेन (चार चरण)	नई दिल्ली	1,200,000

1	2	3	4
इंडिया—90-048	क्रिस्टल ग्रोथ एण्ड पोसेस लेब	नई दिल्ली	23,582
इंडिया—91-002	विस्तृत सूचना व्यवस्था	नई दिल्ली	691,700
इंडिया—91-003	राष्ट्रीय निष्पादन हेतु संभारतंत्रीय समर्थन कार्यक्रम	नई दिल्ली	505,000
इंडिया—91-006	प्रसारण के क्षेत्र में नवीन और सामने आ रही तकनीक के लिए प्रशिक्षण संस्थान	नई दिल्ली	634,000
इंडिया—91-007	आकाशवाणी पुरातत्व सुविधाएं	नई दिल्ली	683,000
इंडिया—91-010	लघु एवं मध्यम उपद्रवों में कार्य दशाओं में सुधार	नई दिल्ली	607,000
इंडिया—91-012	औद्योगिक एवं व्यापारिक उपक्रमों में "यूनिस्टार" सहायता	नई दिल्ली	450,000
इंडिया—91-038	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई०आई०पी०ए०)	नई दिल्ली	685,000
इंडिया—91-089	विकासशील पटसन क्षेत्र (पी०ए०)	नई दिल्ली	26,500
इंडिया—91-090	भारत में पर्यावरण कार्य योजना की तैयारी (ई०ए०पी०)	नई दिल्ली	360,000

जापान से ऋण

1348. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत को रियायती दरों पर ऋण देने पर सहमत हो गया हैं;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण कितनी राशि का है और उस ऋण को किस प्रयोजन हेतु प्राप्त किया जा रहा; और

(ग) ऋण की अदायगी संबधी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991-92 में जापान सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 106,594 मिलियन जापानी येन की ऋण सहायता देने का वचन दिया है।

परियोजना	मिलियन येन में धनराशि
1. गंधार गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्रोजेक्ट II	42,599
2. राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 उन्नत परियोजना	4,855
3. शहरी क्षेत्र जल आपूर्ति परियोजना	6,788
4. अरावली पहाड़ी वृक्षारोपण परियोजना	8,095
5. अजन्ता-एलेरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना	3,745
6. आपातकालीन ऋण	40,512
योग	106,594

(ग) उक्त ओ०ई०सी०एफ० ऋण की अदायगी 30 वर्षों में की जाएगी जिसमें 10 वर्षों की छूट अवधि भी शामिल है और इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 2.6 प्रतिशत होगी।

राष्ट्रीय बचत योजना में जमा-राशि पर ब्याज

1349. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना में जमा की गई धन-राशि की वापसी की तिथि के पश्चात् इसे वापस न लिए जाने के बावजूद इस पर ब्याज लगता रहता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को भुगतान की तिथि के पश्चात् जमा राशि पर ब्याज उपार्जित करने की अनुमति देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 3 वर्ष की अवधि तक राशि निकाली नहीं जा सकती है। परन्तु उसके पश्चात् कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं है। जब तक वह शेष राशि, जिसमें खाते में जमा किया गया ब्याज शामिल है, पर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अर्जित करता रहेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल का निर्यात

1350. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों के गेहूं और चावल की कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया तथा यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) क्या राजस्थान के कोटा जिले में उत्पादित बासमती चावल का निर्यात बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस किस्म के धान उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल के निर्यात के संबंध में देशवार निर्यात इकाई मूल्य वसूली सहित-मात्रा एवं मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) राजस्थान के कोटा जिले में बासमती चावल के उपजकर्त्ताओं का प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

गेहूं का निर्यात

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रुपए में

देश	1988-89 मात्रा	1988-89 मूल्य	1988-89 इकाई मूल्य	1989-90 मात्रा	1989-90 मूल्य	1989-90 इकाई मूल्य	1990-91 मात्रा	1990-91 मूल्य	1990-91 इकाई मूल्य
कोरिया डी॰पी॰	—	—	—	—	—	—	/6409	1338	1.75
सूडान	—	—	—	—	—	—	35768	661	1.85
जार्डन	—	—	—	—	—	—	89000	1700	1.91
वियतनाम	—	—	—	11766	240	2.04	—	—	—
योग	—	—	—	11766	240	2.04	201257	3699	1.84

यू॰ वी॰=इकाई मूल्य

बासमती चावल का निर्यात

मात्रा : मी॰टन॰ में
मूल्य : लाख रु॰ में

देश	1988-89 मात्रा	1988-89 मूल्य	1988-89 इकाई मूल्य	1989-90 मात्रा	1989-90 मूल्य	1989-90 इकाई मूल्य	1990-91 मात्रा	1990-91 मूल्य	1990-91 इकाई मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बहरीन	101.00	5.00	4.95	476.00	26.00	5.56	371.00	23.00	6.20
संयुक्त अरब अमरात	1985.00	106.00	5.34	3111.00	189.00	6.08	756.00	47.00	6.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुवैत	911.00	61.00	6.70	2469.00	149.00	6.03	1710.00	103.00	6.02
ओमान	246.00	15.00	6.10	492.00	26.00	5.28	22.00	2.00	9.09
सऊदी अरेबिया	11485.00	625.00	5.45	19068.00	1168.00	6.13	14680.00	924.00	6.29
कतार	60.00	4.00	6.67	21.00	2.00	9.52	...	...	...
स्वीडन	...	...	...	...	....	...	21.00	1.00	4.76
फ्रांस	129.00	16.00	12.50	...	...	...	....	....	...
नार्वे	21.00	2.00	9.52		...	...	...	...	...
ब्रिटेन	145.00	15.00	10.4				...	...	...
संयुक्त राज्य अमरीका	4519.00	347.00	7.69	...	...	...	...	...	...
सोवियत संघ	...	...	...			...	323314.00	19167.00	5.93
चेको०	3045.00	156.00	5.12	...	...	...	...	...	...
जार्डन	...	...	....		...	...	2011.00	179.00	8.90
सूडान	...	...	....	...	...	...	612.00	36.00	5.88
शंघाई	13107.00	670.00	5.11	...	...	...	...	...	...
अन्य	...	...	...	1069.00	76.00	...	2498.00	147.00	5.91
योग	35753.00	2023.00	5.66	26705.00	1626.00	6.13	345233.00	20629.00	5.96

बासमती चावल का निर्यात 1989 से 1990-91 तक

मात्रा : मी० टन

मूल्य : लाख रु० में

देश	1988-89			1989-90			1990-91		
	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग	349687	33353	9.53	396895	41206	10.38	241933	29906	11.91
मध्य पूर्व	183954	19145	10.40	253451	28359	11.18	192361	22883	11.89
बहरीन	5835	637	10.93	9900	1487	15.03	8384	1166	13.89
कुवैत	3?890	3706	10.93	46852	5406	11.53	9739	1135	11.65
ओमान	17925	1165	9.28	12961	1347	10.39	2411	398	12.01
कतार	1081	118	10.91	625	79	12.64	1168	152	13.01
सऊदी अरब	100521	10665	9.91	159739	17337	10.84	156080	17907	11.62
संयुक्त अरब अमीरात	16712	2254	13.49	28874	2716	11.61	16684	2217	13.47
यमन अरब गणराज्य	....	...	...	...	...	...	51	8	15.68
यमन पी०डी०आर०	...	...	...	...	...	....	...	...	
पश्चिमी यूरोप	24328	2879	11.93	21095	7305	10.02	25578	3025	11.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बेल्जियम	21	3	14.28	442	59	13.34	63		914.28
फ्रांस	500	61	12.20	1070	122	11.43	1008	121	12.58
जर्मनी एफ०आर०	137	21	15.32	250	36	10.00	6695	830	12.39
नीदरलैंड	596	97	16.27	3392	408	12.02	142	22	15.49
नार्वे	56	8	14.28	145	20	13.79	16649	1912	11.48
ब्रिटेन	23019	2689	11.68	15796	1660	10.50	401	53	13.21
अन्य	—	—	—						
उत्तर अमरीका	10169	1240	12.19	6877	1095	15.93	5336	885	16.58
संयुक्त राज्य अमरीका	9395	1127	11.99	6464	1036	16.23	4323	723	16.72
कनाडा	774	113	14.59	413	59	14.28	1013	162	15.99

यू०वी० इकाई मूल्य

[अनुवाद]

मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव

1351. गुरूदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1991 को समाप्त हुए तीन महीनों में कितनी वस्तुओं के मूल्य सूचाकांक वृद्धि हुई, और कितनी वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में गिरावट आई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सितम्बर 1991 में समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान थोक मूल्य सूचाकांक (आधार : 1981-82=100) में शामिल 447 वस्तुओं में से 349 वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है, 55 वस्तुओं में गिरावट दर्ज की गई है तथा 43 वस्तुएं स्थिर बनी रही हैं।

रसायन औषधों का अवैध व्यापार

1352. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1991 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में "ट्रैफिकिंग आफ केमिकल ड्रग्ज आन दि राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) रसायन औषधों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) जी हां।

(ख) और (ग) पकड़ी गई मैथाक्वालॉन के नीचे दिए गए आँकड़ों से वर्ष 1991 में इसकी मात्रा तथा जब्ती की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्शाई गई है। यह पता लगाया जा सकता है कि इस रसायन औषध की बढती हुई तकस्री के विरूद्ध प्रवर्तन एजेंसियों के बहुआयामी आक्रमण प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इन नशीले पदार्थ को लाते हुए कई अफ्रीकी नागरिकों को रोका गया तथा गिरफ्तार किया गया और विशेष रूप से मैथाक्लॉन के संबंध में अन्वेषण प्रयासों को और तेज किया जा रहा है।

स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में ऐसे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए न्यूनतम 10 वर्षो के कठोर कारावास के दंड की जिसे बढ़ाकर 20 वर्ष तक किया जा सकता है तथा न्यूनतम एक लाख रूपए के अर्थदण्ड का उपबंध किया गया है। कुछ प्रकृति के अपराधों की पुनरावृत्ति करने पर मृत्युदण्ड अनिवार्य कर दिया गया है केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेन्सियों को इस विषय में सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

वर्ष	पकड़ी की मात्रा	मामलों की संख्या
1987	1500	59
1988	1649	40
1989	887	75
1990	2141	60
1991 (अक्तूबर तक)	3951	70

उर्वरकों की सप्लाई के लिए विदेशों से समझौता

1353. **श्री आर्थर फर्नांडीज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और आज तक उर्वरकों की सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) और (ख) रुपया भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा, 1989, 1990, 1991 में दौरान रासायनिक खाद और रासायनिक खाद के कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में कुछ देशों के साथ व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए, इन देशों के नाम है : सोवियत संघ, जी०डी०आर० चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और रोमानिया। इन देशों से, इन वर्षों के दौरान आयात किए गए रासायनिक खाद और रासायनिक खाद के कच्चे माल हैं। सल्फर, एम०ओ०पी०डी०ए०पी०, अमोरिया और यूरिया। एम०एम०टी० सी० द्वारा रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों से खरीद अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय से वार्ताओं के जरिए की जाती है।

इसके अतिरिक्त एम०एम०टो०सी०, जी०सी०ए० देशों के वाणिज्यिक संगठनों/एजेंसियों से भी रासायनिक खाद और इसके कच्चे माल का आयात करता है। ऐसी खरीदारियां टेण्डरों के जरिए और उसके उपरान्त वार्ताओं द्वारा या सिर्फ वार्ताओं द्वारा तब की जाती है, जब प्रस्ताव अन्तराष्ट्रीय बाजार के अनुसार नहीं होते।

बिहार के हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली विपणन की एवम् अन्य सुविधायें

1354. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के हथकरघा बुनकरों को वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी एवम् अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा लच्छी धागे (हैंक यार्न) की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) बिहार में वर्ष 1990-91 के दौरान धागा उत्पादक एककों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) राष्ट्रीय हथरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा बुनकरों को वर्ष 1990-91 के दौरान धागे के अतिरिक्त उनकी आवश्यकता के अनुपात में डाइयों, रसायनों तथा अन्य आदानों सम्बन्धी कितनी मांग पूरी की गई;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान बाजार विकास योजना के अंतर्गत बिहार में शीर्ष सहकारी समितियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ङ) बिहार सरकार ने हथकरघा उत्पादों के विपणन-क्षमता में वृद्धि करने, हथकरघा बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा उनके कामकाज और रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, योजना-वार कितनी राशि के केन्द्रीय ऋण अथवा अनुदान सहायता जारी की; और

(च) सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य से बाहर विपणन करने हेतु बिहार में उत्पादित कितने मूल्य के हथकरघा उत्पादों की खरीद की गई;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने बिहार में हथकरघा बुनकरों और उनके अभिकरणों को 379.61 लाख रुपये मूल्य का सूत सप्लाई किया।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने बिहार में कताई मिलों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ग) रंजक और रसायन की आपूर्ति विकेन्द्रित क्षेत्र में है और सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में रंजक व रसायन की कुल उपभोक्ता के आँकड़े नहीं रखे जाते। वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने बिहार को 2.56 लाख रुपये मूल्य के रंजक व रसायन सप्लाई किए।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत बिहार में किसी भी अभिकरण को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को दी गई राशि का योजनावार विवरण इस प्रकार है—

योजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
करघे से पूर्व/करघें के उपरांत प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए ऋण सहायता।	20,00
भागलपुर के दंगा पीड़ित हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए अनुदान।	110.0)
जनता कपड़े के उत्पादन के लिए अनुदान।	409.75

(च) राज्य के बाहर हथकरघा उत्पादों की बिक्री के आँकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत फलों तथा अन्य उत्पादों का निर्यात

1355. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से प्रसंस्कृत फलों तथा अन्य उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन चीजों की गुणवत्ता नियंत्रण पर निगरानी रखती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का निर्यात की जाने वाली चीजों के गुणवत्ता नियंत्रण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनिवार्य लदानपूर्ण निरीक्षण के लिए अधिसूचित वस्तुओं के सम्बन्ध में तथा विभिन्न ग्रेडिंग तथा विपणन नियमों के अंतर्गत कुछेक विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिसूचित एगमार्क विशिष्टियों के अनुसार, मॉनाटरिंग की जाती है। तथापि, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित मदों के सम्बन्ध में अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण पर जोर नहीं दिया जाता है बशर्ते कि निर्यातक के पास इस आशय का विदेशी क्रेता का फर्म पत्र हो कि वह किसी भी सरकारी भारतीय निरीक्षण अभिकरण से लदान-पूर्व निरीक्षण नहीं चाहता है। इसके अतिरिक्त, चोटा के व्यापार घराने, निर्यात घराने, निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थापित यूनिट, मुक्त व्यापार क्षेत्र और शत-प्रतिशत निर्यात उनमुख यूनिटों को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम के तहत अधिसूचित वस्तुओं के अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण के कार्यक्षेत्र से छूट दे दी गई है। इस सुविधा को निर्यात को सुविधाजनक बनाने और क्रियाविधि को सरल बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधकों पर सफेद चिन्ह अंकित करना

*1356. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक गति अवरोधक बिना सफेद चिन्हों के हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रात्रि के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एवं (ख) यद्यपि नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी गति-अवरोधक की अनुमति नहीं है फिर भी कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए अनधिकृत रूप में निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हटाने इनके स्थान पर इस मंत्रालय द्वारा अनुशंसित वैकल्पिक अभियांत्रिकी उपायों को अपनाने की सलाह देते हुए अनेक बार राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति

1357. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की सभी कर्मचारियों को, शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति करनें का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 608 बिन्दु के औसत सूचकांक की तुलना में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960-100) के 12 माह के औसत में वृद्धि की, 3500/- रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति, 3500-रुपए से अधिक और 6000/- रुपए तक मूल वेतन पाने वालों को 75 प्रतिशत तक और 6000/- रुपए से अधिक मूल वेतन पाने वालों को 65 प्रतिशत क्षतिपूर्ति अनुमेय होती है।

कोचीन पत्तन का विकास

1358. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन पत्तन के विकास हेतु कोचीन पत्तन न्यास से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में शामिल किए जाने के लिए कोचीन पत्तन के विकास के लिए स्कीमें प्राप्त हो चुकी हैं।

कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में बन्द कपड़ा मिलें को पुनः खोलना

1359. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर में अनेक कपड़ा मिलें काफी समय से बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का कोयम्बतूर में श्रमिकों की बेरोजगारी समस्या को कम करने के लिए रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है, रुग्ण मिल की अर्थक्षमता का पता लगाने के लिए नोडीय अभिकरण का सृजन, आधुनिकीकरण सहायता के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना, पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण (बी०आई०एफ०आर०) बोर्ड की स्थापना।

विवरण

मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
1. जयलक्ष्मी मिल्स (प्रा०) लि० कोयम्बतूर	17-10-87
2. मधु स्पि० एवं वी० मिल्स (प्रा०) लि०	7-3-88
3. के०सी०एस० स्पीनर्स	1-4-85
4. सूबैध टैक्सटाइल	22-4-91
5. सूर्या स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	15-11-90
6. कल्याणी यार्न प्रोसेसर्स प्रा० लि०	25-6-91
7. सलोचना काटन स्पि० मिल्स	5-7-91
8. राधा कृष्ण मिल्स	10-8-86
9. वसन्ता मिल्स लि०	13-11-84

उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में लंबित मामले एवं रिट-याचिकाएं

1360. **श्री गंगाधरा सानी पल्ली :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 31 अक्तूबर, 1991, को, न्यायालय-वार कितने मामले एवं रिट-याचिकाएं लंबित थीं ;

(ख) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों के एकत्र हो जाने की समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस कार्यवाही के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार और क्या उपाय करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी और कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है। मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रक्रियात्मक और अधिकारिता विषयक सुधार और उपातंर किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय, ऐसे मामलों को जिसमें विधि के समान प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, एक समूह में रखने, ऐसे मामलों को जिनका शीघ्र निपटारा करना अपेक्षित है, पूर्विकता देने, विशेषज्ञ न्यायपीठों के गठन आदि जैसे उपयुक्त उपाय कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठों का इस प्रकार गठन किया जा रहा है कि वे अधिक समय तब कार्य करते रहें और कार्य इस प्रकार आबंटित किया जा रहा है कि एक जैसे मामले उसी न्यायपीठ के समक्ष आ जाएं। बकाया समिति की, जिसने उच्च न्यायालयों में बकाया की समस्या का अध्ययन किया, सिफारिशों को सभी संबंधित प्राधिकारियों जैसे राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और सभी उच्च न्यायालयों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। अपनाए गए विभिन्न उपायों से प्राप्त परिणामों को

संक्षेप में बताना कठिन है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि इसमें स्पष्ट सुधार हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मामले में 1-1-90 की लंबित मामलों की संख्या 201383 थी जो 1-10-91 को घटकर 135374 रह गई। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, यद्यपि मामलों के अधिक संख्या में संस्थित किए जाने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में निपटारे की गति और निपटारे की मात्रा में वृद्धि हुई है। निपटाए गए मामलों की संख्या 1989 में 770946 थी जबकि इसकी तुलना में 1985 में 605698 थी। बकाया की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे बहुविध उपायों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है।

छावनी भू-भागों पर अनधिकृत अतिक्रमण

1361. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कमान, केन्द्रीय कमान के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों में आने वाले विभिन्न रक्षा भू-भागों पर अनधिकृत अतिक्रमणों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय कमान के अंतर्गत विभिन्न छावनी बोर्डों को रक्षा भू-भागों पर बने विभिन्न उद्यानों तथा सार्वजनिक उपयोग के स्थलों की रक्षा हेतु दिये गये आदेशों तथा अनुदेशों की कुछ अधीनस्थ छावनी बोर्डों द्वारा अधिकतर अवज्ञा की गयी है;

(ग) क्या रक्षा सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कमान द्वारा अतिक्रणों के विरुद्ध कड़े आदेशों के बावजूद, कुछ बोर्डों तथा अधिकारियों ने रक्षा भू-भागों तथा उद्यानों पर होटलों के स्थायी निर्माण की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) मध्य कमान में रक्षा सम्पदा अधिकारियों ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में आयुध कारखाने और सैनिक स्कूल की स्थापना

1362. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक आयुध कारखाना और एक सैनिक स्कूल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रबर के आयात का घरेलू कीमतों पर प्रभाव

1363. श्री टी॰ के॰ अंसलोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर के आयात से इसकी घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 की अवधि में आयतित रबर की कीमतों के मुकाबले घरेलू रबर की कीमतों का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जनवरी, 1991 से रबर का कोई आयात नहीं किया गया है। जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक प्राकृतिक रबर (आर॰एम॰ए॰4 तथा आर॰एम॰ए॰-5 दोनों) की घरेलू कीमते महीनेवार नीचे दी गई हैं :

	आर॰एम॰ए॰-4	आर॰एम॰ए॰-5
	रू॰/क्विंटल	
जनवरी, 1991	2047	1988
फरवरी, 1991	2096	2024
मार्च, 1991	2114	2027
अप्रैल, 1991	2113	2042
मई, 1991	2115	2075
जून, 1991	2115	2061
जुलाई, 1991	2166	2079
अगस्त, 1991	2285	2188
सितम्बर, 1991	2174	2107
अक्तूबर, 1991	2115	2015

गैर-बासमती चावल के निर्यात अनुबंधों के पंजीकरण की प्रक्रिया

1364. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के पंजीकरण और आबंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नई प्रक्रिया की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में अभी हाल ही में अपने दिनांक 15 अक्तूबर, 1991 की व्यापार सूचना सं॰ एपीडा/टी॰ एन/एन बी आर/01/91 के तहत प्रक्रिया की घोषणा की है। यह 14 अक्तूबर, 1991 के (निर्यात) (नियंत्रण) (12वां संशोधन) आदेश 1991

के अनुक्रम में थी जिसमें एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्रों पर मेरे बासमती चावल के निर्यात की अनुमती है।

इन दस्तावेजों की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

संसाधन जुटाना

1365. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहुराष्ट्रीय एवं विदेशी पूजी-निवेश को प्रवेश देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के भीतर भी संसाधनों के जुटाने के लिए कोई कदम उठाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) हाल ही में घोषित नवीन औद्योगिक नीति में 34 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश करने की अनुमति दी गयी है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि विदेशी इक्विटी प्रस्तावों को विदेशी प्राद्योगिक करार के साथ भेजने की आवश्यता नहीं है। 51 प्रतिशत इक्विटी तक की विदेशी धारिता के अधिकांश भाग को उन व्यापारिक कम्पनियों में लगाने की अनुमती दीं गयी है जो मुख्य रूप से निर्यात गतिविधियों में लगी हैं।

(ख) और (ग) देश के भीतर संसाधनों को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों का उल्लेख वित्त अधिनियम, 1991 में किया गया है।

रसायनों का निर्यात

1366. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों का निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए नीति सुधारों के पैकेज से निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहान मिलेगा। औषध और औषध मध्यवर्ती, जो देश से निर्यात किए जा रहे रसायनों का एक प्रमुख भाग है, को 10% प्वाइंट तक अतिरिक्त एक्सिमस्क्रिम हकदारों के लिए पात्र बना दिया गया है। इस क्षेत्र के निर्यातकों के सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अपर सचिव (वाणिज्य) की अध्यक्षता में एक अन्त: मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

निर्वाह-व्यय सूचकांक

1367. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 का बजट पेश करने से पूर्व तथा 31 अक्तूबर, 1991 को निर्वाह व्यय सूचकांक कितना था; और

(ख) मूल्यों में इस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100) के अनुसार मापित निर्वाह सूचकांक की लागत जून, 1991 (1991-92 के संघ के बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व) में 209 और सितम्बर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) में 221 थी।

(ख) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों में (1) सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत बिन्दुओं, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत से 1991-92 में 6.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में आयोजित कमी करना, (11) प्रभावी मांग को रोकने के लिए मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की मांग और पूर्ति के प्रबन्ध को अधिक कारगर बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल व कारगर बनाना, अधिक उत्पादन और बचतों के लिए प्रोत्साहन देना तथा जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्गठन

1368. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :**
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नए बैंकों की स्थापना करने के बजाए वर्तमान बैंकों की सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्य प्रणाली तथा पद्धतियों के बारे में सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने .0-11-1991 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट पर उनकी सिफारिशों की व्यापक जांच के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में लोक अदालतें

1369. **श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक विवादों को निपटाने हेतु दिल्ली में लोक अदालतें लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अगली लोक अदालत कब लगाई जाएगी;

(ग) क्या निकट भविष्य में देश के अन्य भागों में भी लोक अदालतें लगाई जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) अगली लोक अदालत, दिल्ली में तारीख 11 जनवरी, 1992 को आयोजित किए जाने की संभावना है।

(ग) से (ङ) लोक अदालतें औपचारिक रूप से गठित न्यायालय नहीं है। लोक अदालतें समझौता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का निपटारा करने के लिए होती हैं और ये राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा जिला विधिक सहायता समितियों, आदि द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्राय: आयोजित की जा रही है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहायता

1370. श्री डी०डी० खनोरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, भारतीय स्टेट बैंक, कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक आफ इन्डिया की कितनीं शाखाएं हैं;

(ख) उपर्युक्त बैंकों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने लघु उद्योगों के वित्त-पोषण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हिमाचल प्रदेश में कितने लघु उद्योगों के रुग्ण इकाइयों के जीर्णोद्धार के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है; और

(घ) ऐसे मामलों की बैंकवार संख्या कितनी है जिनमें बैंकों ने गत दो वर्षों के दौरान रुग्ण इकाइयों का जीर्णोद्धार करने हेतु सहायता प्रदान की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) हिमाचल प्रदेश में 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया की शाखाओं की संख्या निम्नलिखित है :

बैंकों का नाम	शाखाओं की संख्या
पंजाब नेशनल बैंक	186
स्टेट बैंक आफ पटियाला	67
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	138
बैंक आफ इन्डिया	6

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कांगड़ा सहकारी बैंक की कोई शाखा हिमाचल प्रदेश में नहीं है।

(ख) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्तमान सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, सितम्बर 1989 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 23,991 लघु उद्योग एककों का वित्त पोषण किया गया था जिसमें 74 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। उक्त तारीख तक हिमाचल प्रदेश के रुग्ण लघु उद्योग एककों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपए)

		एककों की संख्या	राशि
1.	कुल रुग्ण लघु उद्योग	952	8.39
2.	सम्भावित अर्थक्षम	34	3.33
3.	अर्थक्षम नहीं	947	4.91
4.	अभी अर्थक्षमता का निर्णय लिया जाना है	1	0.19
5.	पोषण कार्यक्रम के तहत रखे गये एकक	20	2.66

भारतीय नौवहन निगम को माल परिवहन सम्बन्धी मदद

1371. कुमारी दीपिका चिखलिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने केन्द्रीय सरकार से माल परिवहन सम्बन्धी मदद के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन के लिए समुचित कार्गो समर्थन प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पेप्सी फूड्स द्वारा आयात

1372. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री 29 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह सूचना कब तक एकत्रित कर ली जायेगी तथा सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस सूचना को एकत्र करने के लिए 5 फरवरी, 1992 तक का समय मांगा गया है। इस सूचना के प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर

1374. श्री केशरी लाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्मित एवम् मरम्मत किए जाने वाले विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस एकक द्वारा किन-किन संगठनों की मांग पूरी की जाती है;

(ग) वर्ष 1990-91 में और 1991-92 में अब तक इस एकक द्वारा कितना कारोबार किया गया है;

(घ) क्या इस एकक में कोई नया निर्माण-कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) एच०पी०टी०-32 (प्रशिक्षण वायुयान) तथा डोरनियर-228 वायुयान का इस समय कानपुर स्थित फैक्टरी, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण व मरम्मत हो रही है।

(ख) भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, तट रक्षक तथा वायुदूत की आवश्यकताएं इसी यूनिट द्वारा पूरी की जा रही हैं।

(ग) 1990-91 तथा 1991-92 (31 अक्तूबर तक) में कुल बिक्री क्रमशः 16.63 करोड़ रुपए तथा 21.32 करोड़ रुपए हो चुकी है।

(घ) नया काम लेने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की गोवा स्थित शाखाओं में जमा राशियां

1375. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वित्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की गोवा स्थित शाखाओं में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि जमा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : भारतीय यूनिट ट्रस्ट के गोवा शाखा कार्यालय ने अपने कार्यकलाप 20 जुलाई, 1989 में आरम्भ किये हैं। 1989-90 और 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन बिक्री से जुटाई गई कुल धनराशि क्रमशः 6.67 करोड़ और 12.75 करोड़ रुपये थी।

नारियल-गरी का आयात

1376. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष नारियल-गरी की कितनी मात्रा का आयात किया गया है;

(ख) क्या नारियल-गरी का आयात अभी भी जारी है;

(ग) क्या नारियल उत्पादकों द्वारा नारियल गरी का आयात न करने की मांग निरन्तर की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) आयात और निर्यात नीति, 1990-93 (भाग-1) के रूप में गरी (कोपरा) के आयात को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन/हिन्दुस्तान वेजिटेबुल आयल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली के द्वारा सरणीकृत किया जाता है। इन एजेंसियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान गरी का कोई आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, वसा अम्ल/फैटी एसीन्स के निर्यात के अधीन गरी के आयात का सीमित प्रावधान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान मद का कुछ आयात किया गया। इन आयातों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिए गए विवरणपत्र में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1986-87 से 1988-9 के दौरान गरी और नारियल तेल के आयात को दर्शाने वाला विवरण पत्र

मात्रा : किलोग्राम में
मूल्य : लाख रुपए में

क्रम सं०	मदों का विवरण	1986-87		1987-88		1988-89	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	ताजा नारियल	—	—	—	—	—	—
2.	सुखाया हुआ नारियल	—	—	—	—	—	—
3.	नारियल (गरी) तेल	165	14.35	—	—	—	—
4.	नारियल (गरी) कच्चा तेल और टुकड़ा	—	—	998	74.79	1679	91.12
5.	नारियल (गरी) शोधित तेल और टुकड़ा	—	—	364	25.50	318	36.52

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेशी व्यापार भाग-II (आयात) के मासिक आंकड़े।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मुक्त व्यापार जोन

1377. **श्री मोहन सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाथी दांत तथा इसके हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

1378. **श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाथी दांत तथा हाथी दांत से बने हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) 1. हाथी-दांत और उससे बने उत्पादों के निर्यात पर 30-3-1990 से प्रतिबंध है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात प्रतिबंध के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की सम्भावित हानि को दर्शाते हैं :

मात्रा : कि०ग्रा० में
मूल्य : लाख रुपए में

क्रम सं०	मदों का वर्णन	1987-88		1988-89		1989-90	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	अनगढ़े हाथी दांत या तैयार सामान	—	—	—	—	—	—
2.	हाथी दांत के पाउडर और पूरा हाथी दांत	9.3	0.18	—	—	—	—
3.	कलाकृति के रूप में हाथी दांत के उत्पाद	उपलब्ध नहीं	75.66	—	—	58.55	44.6
कुल :		9.3	75.84	—	—	58.55	44.6 अनन्तिम

स्रोत : 87-89 वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार, भाग I (निर्यात) के मासिक आंकड़े।

89-90 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वेस्ट ब्लाक-7, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-66

निर्यात के नए मानदण्ड

1379. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात-संवर्धन-जोनों के लिए नीतिगत ढांचे को उदार बनाने हेतु निर्यात के मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये मानदंड निर्यात में कहाँ तक सहायक होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) स्वीकृति बोर्ड/प्रशासनिक मंत्रालयों के कुछ विशेष अधिकारों को निर्यात संसाधन जोनों के विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात संसाधन जोनों के अन्तर्गत आवेदनों पर विचार करने की संशोधित प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रक्रिया संबंधी कुछ सरलीकरण कार्यान्वित किए गए हैं।

(ग) प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण और अधिकारों का प्रत्यायोजन करमे से दोनों योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाली इकाईयों से वेहतर निष्पादन की उम्मीद है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण के लिए एक एजेंसी की स्थापना

1380. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का कार्यभार और कार्यक्षेत्र कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए एक समानान्तर एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विस्कॉस स्टेपल धागों और एच० डब्ल्यू० एम० धागों के विक्रय मूल्य

1381. **श्री कड़िया मुन्डा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी कम्पनियां विस्कॉस स्टेपल धागों और एच० डब्ल्यू० एम० धागों का उत्पादन कर रही है और जनवरी 1990 में धागों को किस-किस मूल्य पर वेचा गया;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान विस्कॉस स्टेपल धागों के मूल्य कई बार बढ़ाये गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसके मूल्य बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने ही देश में ही बने विस्कॉस स्टेपल धागों के वितरण को अपने हाथ में लेने और उसके मूल्य निश्चित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) बी॰ एस॰ एफ॰ पर कोई कानूनी कीमत नियन्त्रण नहीं है। बी॰ एस॰ एफ॰ के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं, कच्चा माल/अंतर्निविष्टियों, सरकारी प्रभारों, वेतन आदि में समग्र वृद्धि को कीमत में वृद्धि होने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(घ) इस समय सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नियमित विस्कोस स्टैपल फाइबर और हाई विस्कोसिटी मेनोमर फाइबर का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम निम्नोक्त अनुसार है :

नियमित विस्कोस

(1) मैसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि॰

(2) मैसर्स साउथ इण्डिया विस्कास लि॰

हाई विस्कोसिटी मेनोमर

(1) मैसर्स सैंचुरी रेयन

(2) मैसर्स ग्रासीम इण्डस्ट्रीज

(3) मैसर्स तुंगभद्रा फाइवर लि॰

दिसम्बर, 1988 से एच॰ डब्ल्यू॰ एम॰ फाइवर का उत्पादन बंद कर दिया गया है। जनवरी 1990 के दौरान बी॰ एस॰ एफ॰ की कीमत 38.63 रु॰ प्रति किलोग्राम थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के अधिनिर्णय को लागू करना

1382. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा 30-4-90 को दिए गए अधिनिर्णय में विशेष सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिनिर्णय को स्वीकार करने के पश्चात सरकार ने उसकी सभी सिफारिशें लागू कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और इस अधिनिर्णय को पूर्णतया कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 30-4-90 को दिए गए अधिनिर्णय की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को 1-9-87 से पहले तक राज्य सरकार के कर्मचारि के बराबर वेतन भत्ते और लाभ दे दिये जाने चाहिए।

(II) दिनांक 1-9-87 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रायोजक बैंकों में उनके समकक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभ दिए जाने चाहिए।

(III) सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पदों के वास्तविक समीकरण और इसके परिणाम स्वरूप स्वीकार्य वेतन के नये वेतनमानों भत्तों और अन्य लाभों के निधारिण का निर्णय ले सकती है।

सरकार द्वारा नियुक्त समीकरण समिति की सिफारिशों पर आधारित बराबरी के पदों के लिए प्रायोजक बैंकों के वेतनमानों को जारी करते हुए 22 फरवरी, 1991 को सरकारी आदेश जारी कर किये गए हैं। नये वेतनमान में पुनर्निर्धारित वेतन के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वेतन और भत्तों के बकाये का भुगतान 1-1-1991 से करने की सलाह दी गई है। दिनांक 1-1-1991 से पूर्व की अवधि के लिए बकाये के भुगतान का अनुमानित कुल वित्तीय भार 200 करोड़ रुपए बैठता है। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास इस बकाये के भुगतान के लिए इतनी धनराशि नहीं है, इसीलिए नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा बकाया के भुगताण के लिए तंत्र तैयार किया जा रहा है। सेवा नियम तैयार करने, पदोन्नति नीति को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय से उत्पन्न होने वाले अन्य मामलों से निपटने के लिए नाबर्ड ने एक कार्यकारी ग्रुप का गठन किया है।

मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड द्वारा कम्पनी कानूनों का उल्लंघन

1383. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या विधि, न्याय और कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कानून बोर्ड को कुप्रबन्धन तथा कम्पनी कानूनों के उल्लंघन के लिऐ मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड के विरूद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) कम्पनी विधि बोर्ड ने सूचित किया है कि इसे मैसर्स मोहन मीकिन लिमिटेड के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार ने कम्पनी की पुस्तिकाओं के निरीक्षण के दौरान नोटिस किए गए कतिपय विषयों को देखते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (I) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड को एक संदर्भ भेजा है और मामला विधि बोर्ड के समक्ष न्यायाधीन है जो कि एक न्यायिक-कल्प प्राधिकरण है।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलना

1384. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) सातवीं योजना में कितनी शाखाएं खोलने का विचार था;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1991-92 से 1993-94 हेतु अप्रैल, 1991 में प्राथमिकता शहरी सहकारी बैंकों की नई शाखाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये थे;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बध में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्वार कितनी शाखाएं खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अक्तूबर 1991 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 1351 प्राथमिकता शहरी सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे।

(ख) सातवीं योजना (1985-90) के शाखा विस्तार कार्यक्रम के दौरान, 344 शहरी सहकारी बैंकों को 395 शाखाएं आवंटित की गई थीं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंकों ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों से 1991-92 से 1993-94 के दौरान शाखाएं खोलने के वास्ते 30 अप्रैल, 1991 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति आवश्यकता पर आधारित शाखाएं मंजूर करना है जो अर्थक्षम हों और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुशासन का पालन करती हों शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाएगी और निर्धारित पात्रता मानदण्डों तथा केन्द्र में नए बैंक कार्यालय की सुस्थापित आवश्यकता के आधार पर शाखाएं आवंटित की जाएंगी।

सिंथेटिक तथा मिश्रित कपड़े का मूल्य

1385. श्री छीतू भाई गामीत: : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कुछ मुख्य किस्मों के सिंथेटिक तथा मिश्रित कपड़े का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके मूल्य में तुलनात्मक रूप से वर्षवार वस्तुत: कितनी वृद्धि हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे माल के मूल्य में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या यह मूल्य वृद्धि उचित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) संलग्न विवरण 1,2 और 3 के अनुसार।

(घ) सामान्य कीमत स्तर पर समग्र वृद्धि हुई है जैसा कि सभी वस्तुओं के मूल्य सूचकांक से परिलक्षित होता है। यह वृद्धि मूल कच्चे माल की कीमतों में भी दृष्टिगत हुई है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण I

कुछ किस्मों के सिंथेटिक कपड़े का औसत फुटकर भारित कीमतें

(रु०/मीटर)

अवधि	सूटिंग	सूटिंग (पापलीन) ड्रस मैटीरियल	साड़ी/धोती	अग्रम औसत
सितम्बर, 90	87.78	34.14	39.77	48.88
दिसम्बर, 90	87.89	34.14	40.00	54.01
मार्च, 91	89.87	34.14	40.10	55.04
अप्रैल, 91	89.97	34.14	40.10	54.70
मई, 91	89 87	34.14	40.62	54.87
जून, 91	89.87	34.54	40.62	55.01
जुलाई, 91	89.87	34.54	40.91	55.11
अगस्त, 91	89.87	34.54	40.91	55.11
सितम्बर, 91	89.87	34.54	40.91	55.11

कीमत में वास्तविक वृद्धि रु० प्रति मीटर

अवधि	सूटिंग	सूटिंग (पापलीन) ड्रस मैटीरियल	साड़ी (धोती)	अग्रम औसत
सितम्बर, 88 की तुलना में सितम्बर, 91	10.23	3.00 रु०	6.35	6.54
सितम्बर, 89 की तुलना में सिमम्बर, 91	2.76	1.40	2.25	2.14
सितम्बर, 90 की तुलना में सितम्बर, 91	2.14	0.40	1.14	1.23

विवरण II

कुछ किस्मों के ब्लेंडिड कपड़ों की औसत फुटकर शोरूम कीमतें

(रू०/मीटर)

अवधि	सूटिंग	सटिंग/पापलीन	ड्रेस मेंटीरियल	साड़ी धोती	समग्र औसत
मार्च, 90	57.95	27.46	30.73	32.67	37.20
जून, 90	60.80	30.04	30.90	32.85	38.65
सितम्बर, 90	61.24	30.53	31.90	33.28	39.24
दिसम्बर, 90	64.13	30.38	32.02	32.35	39.72
मार्च, 91	65.25	30.91	33.20	33.61	40.74
अप्रैल, 91	65.25	31.17	33.20	33.61	40.81
मई, 91	65.25	31.44	33.37	33.61	40.92
जून, 91	65.43	31.44	33.37	34.21	41.44
जुलाई, 91	65.43	31.44	33.53	34.36	41.19
अगस्त, 91	65.43	31.44	33.53	34.56	41.19
सितम्बर, 91	66.77	31.41	33.53	34.36	41.27

कीमतों में वास्तविक वृद्धि रु० प्रति मीटर

अवधि	सूटिंग	शूटिंग/पापलीन	ड्रैस मटीरियल	साड़ी धोती	समग्र औसत
सितम्बर, 88 की तुलना में सितम्बर, 91	9.90	4.64	5.16	2.70	5.59
सितम्बर, 89 की तुलना में सितम्बर, 91	9.26	4.38	3.90	1.56	4.79
सितम्बर, 90 की तुलना में सितम्बर, 91	4.53	0.91	1.68	1.08	2.03

विवरण-III

सिंथैटिक और ब्लैंडिड फैब्रिकों का मूल कच्चा माल विभिन्न किस्म का यार्न है जिसमें ब्लैंडिड और फिलामेण्ट यार्न शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान कुछ प्रकार के मुख्य कच्चे माल की कीमत में वृद्धि निम्नोक्त अनुसार है

(रु० प्रति कि०ग्राम)

कच्चे माल की कीमत में वृद्धि

अवधि	कच्ची कपास भारित औसत	सुती यार्न भारित औसत	सुती हैंक्यार्न भारित औसत	पालिस्टर/ विस्कोस	पालिस्टर/ सुती	पी०एफ० वाई	एन०एफ० वाई	टैक्सचर यार्न	पी०एफ० वाई	पी०ओ० वाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सितम्बर, 1988 की तुलना में सितम्बर, 1991	15.52	18.78	17.89	30.35	29.70	35.02	28.51	45.50	43.55	51.45
सितम्बर 1989 की तुलना में सितम्बर, 1991	15.15	7.25	10.97	11.90	(—)8.80	3.51	(—)0.94	8.00	21.90	17.62
सितम्बर, 1990 की तुलना में सितम्बर, 1991	15.26	6.18	11.74	6.56	(—)4.24	27.15	14.38	20.97	12.59	13.04

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि

1386. **श्री राम बदन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और इन्हें चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) इस कार्यक्रम में कुल कितने लम्बे राजमार्गों को शामिल किया गया है; और

(ग) ऐसे राजमार्गों के नाम क्या हैं और यह कार्य किन एजेंसियों को सौंपा गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, जिसकी कुल लम्बाई 2613 कि०मी० है, से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1991-92 के दौरान 60,000 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन एजेंसी है । राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम और उनकी लम्बाई दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	रूट	उत्तर प्रदेश में लम्बाई
1	2	3	4
1	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाबाद-वाराणसी-मोहनिया-परही-पलसित-बैदयाबती-बारा-कलकत्ता	777
2	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इन्दौर-धूले-नासिक-थाने-बम्बई	26
3	7	वाराणसी-मांगावन-रीवा-जबलपुर-लकनान्दन-नागपुर-हैदराबाद-कुरनूल-बंगलौर-कृष्णागिरी-सलैम-डिंगुल-मदुरे-केप कोमोरिन (कन्या कुमारी)	128
4	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	51
5	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	431
6	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	237
7	26	झांसी-लखनाडोन	128
8	27	इलाहाबाद-मंगाबन	43

1	2	3	4
9	28	एन एच 31 के साथ जंकशन समीप बरोनी-मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी-गोरखपुर-लखनऊ	311
10	29	गोरखपुर-गांजीपुर-वाराणसी	196
11	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुलतान पुर-जौनपुर-वाराणसी	285
			2613

[अनुवाद]

505 आर्मी बेस वर्कशाप में नैमित्तक मजदूरों को नियमित करना

1387. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री 19 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 आर्मी बेस वर्कशाप में 105 नैमित्तक मजदूरों को नियमित करने का मालला निपट गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मजदूरों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जी, हां। 505 आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के 105 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियों को नियमित करने के लिए 20-9-91 को आदेश जारी किया गया था और उसे कार्यान्वित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बसें

1388. **श्री मृत्युंजय नायक** :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री प्यारे लाल जाटव :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम को दैनिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए कितनी बसें चाहिए;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में प्राइवेट सहित कितनी बसें शामिल की गई; और

(ग) पूरी मांग की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं योजना के लिए सड़क परिवहन से संबंधित कार्यदल ने वर्ष 1991-92 के लिए दिल्ली परिवहन निगम तथा निजी बसों के बेड़े संबंधी निम्नलिखित आवश्यकता की परिकल्पना की है।

दिल्ली परिवहन निगम	निजी प्रचालक	योग
6019	2408	8427

(ख) अगस्त से अक्टूबर, 1991 की अवधि में दि० प० नि० में रिप्लेसमेंट खाते में 172 बसें शामिल की गईं।

(ग) वित्तीय समस्याओं के कारण दि० प० नि० इस समय अपने बेड़े में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने दिल्ली प्रशासन से निजी प्रचालन को दिए जाने वाले स्पेशल स्टेज कैरिज परमिट शुरू करने हेतु एक स्कीम की सिफारिश की है जिनका किराया ढांचा दि० प० नि० के किराए ढांचे से अधिक होगा।

[अनुवाद]

ऋण और ब्याज की अदायगी

1389. श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने आन्तरिक ऋण की अदायगी की जानी है; और

(ख) ऋण पर ब्याज का, वर्ष-वार, कितना भुगतान किया गया अथवा किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) अगले तीन वर्षों के दौरान, निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बकाया आन्तरिक ऋण की वापसी-अदायगी के लिए सामान्य अवधि में देय होने वाली राशियां निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95
बाजार ऋण	919.86	1148.03	953.67
9 प्रतिशत राहत बॉंड 1987	94.30	135.15	161.82
7 प्रतिशत पूंजी निवेश बॉंड	76.38	32.83	33.96
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉंड (दूसरा निगम)	5.0C	1.50	0.75
जोड़	1095.54	1317.51	1150.20

आन्तरिक लोक ऋण की अन्य मदें, जैसे 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की वापसी-अदायगी इनके जारी करने की तारीख से 91 दिनों और 182 दिनों के पश्चात् की जाती है।

(ख) चालू वर्ष के बजट अनुमानों के अनुसार, आन्तरिक लोक ऋण पर अदा की जाने वाली राशि 11582.44 करोड़ रुपए है। बाद के वर्षों में अदा किया जाने वाला ब्याज न केवल पहले से लिए गए उधारों और बकाया उधारों पर निर्भर करता है अपितु चालू वर्ष और बाद के वर्षों में एकत्रित किए जाने वाले नए ऋणों पर भी निर्भर करता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निधि का आबंटन

1390. **श्री सुधीर सावंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बैंकों द्वारा निधि की मांग करने और उसे जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए विशेषकर दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए धन के आबंटन में विलम्ब करते हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों पर जोर दिया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के तहत ऋण अभ्यावेदनों के प्रायोजक प्राधिकारिकों से प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर निपटाया जाना चाहिए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जारी मार्गनिर्देशों की शर्तों के अनुसार, यह भी कहा गया है कि सहायता पैकेज के संवितरण के समय बैंकों को सब्सिडी की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते मे नामे डालनी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खाते में नामे डाल कर सब्सिडी का समायोजन संवितरण के समय ही किया जाएगा, जो हिताधिकारी को परिसम्पत्ति/नकदी को सौंपने के साथ-साथ होगा। कार्यक्रम के तहत ऋणों की स्वीकृति, संवितरण के बारे में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और सम्बन्धित बैंकों को जब कभी शिकायतें प्राप्त होती है, उनकी जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय भी किए जाते है।

दिल्ली में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार

1391. **श्री पीयूष तीरकी** :

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में विदेशी मुद्रा का अवैध विनिमय बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध अन्तरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यापार को रोकने के लिए कृतिक बल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो 1991 के दौरान अब तक इस संबंध में कितने छापे मारे गये और कितनी गिरफ्तारियां की गई; और

(ङ) ऐसे व्यापार की सूचना देने वालों को दिये जा रहे पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है, जिससे दिल्ली में विदेशी मुद्रा के अवैध संव्यवहार में वृद्धि का पता चलता हो।

फिर भी, प्रवर्त्तन निदेशालय स्थिति के प्रति सचेत है और तलाशियों, जब्ती, न्यायनिर्णयन एवं अभियोजन कार्यवाहियों के माध्यम से समुचित कार्रवाई की जाती है और सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तारी और नजरबन्दी के आदेश दिये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चालू वर्ष में दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में 189 तलाशियां लीं और 49,29,661 रु० तथा 80,68,855 रु० तक की विदेशी मुद्रा जब्त की। इस सम्बन्ध में 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ङ) सूचना देने वालों को उनके द्वारा दी गई सूचना के परिणाम के आधार पर पुरस्कार दिए गए हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधार हेतु उठाए गए कदम

1392. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल देते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधारों के लिए कुछ और कदम उठाये हैं या उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार ने व्यापार नीति सम्बन्धी अनेक सुधार आरम्भ किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात् प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात दबाव को इष्टतम बनाना है। आर०ई०पी० लाइसेंसों का स्थान एग्जिम स्क्रिप्स नामक एक नए दस्तावेज ने ले लिया है। इनके जरिए कुछ किस्मों के कच्चे माल, संघटक एवं फालतू पुर्जों का आयात किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है। सरकार ने विनिश्चय किया है कि निर्यातकों को स्वीकृत बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जाए और निर्यातकों को विदेशी ऋण सृजित करने की अनुमति दी जाए। ऐसे खातों से निर्यात से जुड़े आयातों के लिए भुगतान करने तथा निर्यात से होने वाली आय को ऐसे खातों में जमा करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सरकार ने अन्य उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—लाइसेंसिंग के जरिए नियंत्रणों को कम करना, निर्यात के लिए क्रियाविधि को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर क्रिया-कलाप आदि।

कुछ कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात नीति को कुछ उन मदों का अन्तरण करके जो पहले खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात के लिए अनुमत मदों की सूची की

सीमा के अध्यधीन थी तथा साथ ही चुनी हुई कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात को विनियन्त्रित करके उदारीकृत किया गया है। विनिमय दर के समायोजनों से कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात में भी लाभ होगा।

जूट पैकेजिंग मैटेरियल्स (कम्पलसरी यूज इन पैकेजिंग कामोडिटीज) एक्ट, 1987 को वापस लेना

1393. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट पैकेजिंग मैटेरियल्स (कम्पलसरी यूज इन पैकेजिंग कामोडिटीज) एक्ट, 1987 को वापस लेने के बारे में जूट लेमीनेटर्स एसोसिएशन, कलकत्ता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूट पैकेजिंग उद्योग के संरक्षण हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जूट पैकेजिंग मैटेरियल्स (कम्पलसरी यूज इन पैकेजिंग कामोडिटीज) एक्ट, 1987 को वापस लेने के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार का यह विचार है कि परम्परागत पटसन पैकेजिंग क्षेत्र तथा सिथेटिक प्लास्टिक एककों के हित सामंजस्यपूर्ण बने रहें तथा दोनों ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वैध भागीदार रहें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरक्षण आदेशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

दिल्ली में उपरिपुलों का निर्माण

1394. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 9 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो उपरिपुल निर्माणाधीन थे, वे पूरे हो गये हैं और जनता के लिए खोल दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें यातायात के लिए कब तक खोला जायेगा;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर कला आयोग के पास लम्बित पड़ी शेष परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : संवैधानिक दृष्टि से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिये जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर शेष सभी सड़कों/पुलों की जिम्मेदारी अनिवार्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। दिल्ली की विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों अर्थात् दिल्ली प्रशासन,

नई दिल्ली नगर पालिका (एन०डी०एम०सी०), दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डी०टी०डी०सी०) से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर निम्नलिखित है :—

(क) और (ख) दिनांक 9-8-90 को अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के अनुबन्ध-II (ख) में उल्लिखित फ्लाई ओवर पूरे नहीं हुए हैं। तथापि, उसी उत्तर के अनुबंध-III के क्रमांक 32 पर उल्लिखित लोनी-बजीराबाद चौराहे पर फ्लाई ओवर अब पूरा हो चुका है।

(ग) कार्य पूरा होने में विलम्ब के प्रमुख निम्नोक्त कारण है;

(II) सेवाओं को स्थानान्तरित करने/धार्मिक भवन हटाने में विलम्ब;

(III) अनाधिकृत कब्जों को हटाना। इस समय इन कार्यों के पूरा होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

(घ) से (च) दिनांक 9-8-90 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित पांच प्रस्तावों में से, जिनके लिए दिल्ली शहरी कला आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है, उन्होंने निम्नलिखित दो प्रस्तावों को नवम्बर 1990 में स्वीकृति दे दी है;

(1) चिराग दिल्ली में आउटर रिंग रोड—जे०बी० टीटो मार्ग पर फ्लाईओवर,

(2) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, आउटर रिंग रोड—अरविंद मार्ग, पर फ्लाई ओवर।

रिंग रोड पर सफदरजंग, धौला कुआं और राजा गार्डन क्रासिंग्स पर फ्लाईओवरों के शेष प्रस्तावों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। दिल्ली शहरी कला आयोग ने इन स्कीमों को अभी स्वीकृति नहीं दी है क्योंकि इन पर दिल्ली शहरी कला आयोग और संबंधित प्राधिकारियों के बीच अभी विचार विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

बिहार और गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना

1395. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री काशी राम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रांची जिले और गुजरात में सूरत और बड़ोदरा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नई शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कहां खोला जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 30-6-1991 की स्थिति के

अनुसार बिहार में रांची जिले और गुजरात में सूरत और बड़ोदरा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या नीचे दर्शायी है :

बैंक का नाम	रांची	सूरत	बड़ोदरा
भारतीय स्टेट बैंक	14	9	32
इलाहाबाद बैंक	1	—	—
बैंक आफ बड़ोदा	—	51	50
बैंक आफ इण्डिया	17	6	8
बैंक आफ महाराष्ट्र	—	2	2
केनरा बैंक	1	—	—
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1	6	12
देना बैंक	—	21	10
इण्डियन बैंक	1	1	1
इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	1	6
पंजाब नेशनल बैंक	1	—	—
सिंडिकेट बैंक	—	5	—
यूको बैंक	1	1	1
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	5	4	8
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7	—	—
विजया बैंक	—	—	1

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जानी होती है। लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

एड इण्डिया कंसोर्टियम से सहायता

1396. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा एड इण्डिया कंसोर्टियम से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) कंसोर्टियम की हाल की बैठक में कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) उन परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है जिनके लिए यह सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत सरकार की यह प्रथा नहीं रही है कि वह सहायता की सुनिश्चित राशि के बारे में कोई विशिष्ट अनुरोध करे क्योंकि भारत संघ एक ऐसा समूह है जिसकी स्थापना विश्व बैंक के तत्वाधान में की गई है, ताकि देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारत को सहायता की उपलब्धता पर विचार किया जा सके।

(ख) 19-20 सितम्बर, 1991 को भारत सहायता संघ की हुई बैठक में संघ के सदस्यों ने 6.7 अरब अमेरिकी डालर की सहायता सम्बन्धी वचनबद्धता की।

(ग) ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे जिनके लिए इस सहायता का उपयोग किए जाने की संभावना है, का निर्धारण प्रत्येक दाता एजेंसी के साथ सहायता सम्बन्धी वार्ताओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

व्यापार घाटा

1397. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री शिव शरण शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1991 को अमेरिकी डालर में भारत का व्यापार घाटा कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के संगत आंकड़े क्या हैं; और

(ग) व्यापार घाटे में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 1991 तथा वर्ष 1)90, 1988 की तदनुरूप अवधि के दौरान डालर के रूप में व्यापार घाटे का ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि	व्यापार घाटा
अप्रैल-सितम्बर, 1991	1021
अप्रैल-सितम्बर, 1990	2426
अप्रैल-सितम्बर, 1989	1916
अप्रैल-सितम्बर, 1988	3031

(ग) जैसा कि देखा जा सकता है, अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान 1021 मीलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा पिछले तीन वर्षों की तदनुरूप अवधि की तुलना में न्यूनतम था।

निषिद्ध स्वर्ण और चांदी के मुखबिरों को पुरस्कार

1398. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निषिद्ध सोना और चांदी के मुखबिरों को पुरस्कार देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या जनता को भी वही लाभ दिया जाता है जो सीमाशुल्क कर्मचारियों को दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) निषिद्ध सोने और चांदी को पकड़वाने के बारे में सूचना देने वाले आम जनता के सदस्य प्रति 10 ग्राम सोने पर 500 रुपये और प्रति किलोग्राम चांदी पर 1000 रुपये तक की अधिकतम धनराशि का पुरस्कार पाने के हकदार हैं। तथापि, ऐसे मौद्रिक पुरस्कार केवल अनुग्रही अदायगियां हैं और अधिकार रूप में इनके लिए दावा नहीं किया जा सकता है। पुरस्कारों की धनराशि मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को सूचना की विशिष्टता और यथार्थता, उठाए जाने वाले जोखिम और परेशानी, मुखबिर द्वारा दी गई सहायता की सीमा और स्वरूप और क्या दी गई सूचना से तस्करी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों तथा उनके सहयोगियों आदि के बारे में कोई सूत्र का पता चलता है या नहीं, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होता है।

इसी प्रकार, सीमाशुल्क अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारी भी केवल उपर्युक्त सीमा तक ही मौद्रिक पुरस्कार पाने के हकदार हैं। इनके लिए भी स्वीकृत की गई राशियां अनुग्रही अदायगियां होती हैं और अधिकार रूप में इनके लिए दावा नहीं किया जा सकता है। पुरस्कार की राशि मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारियों द्वारा मामले का हल निकालने में उठाये जाने वाले जोखिम, सूचना प्राप्त करने में उठाई जाने वाली परेशानी, अभिग्रहण के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किस सीमा तक सतर्कता बरती गई है, इस कार्य में दिखाई गई विशेष पहल, प्रयास और प्रवीणता, और क्या निषिद्ध माल के अभिग्रहण के अलावा, मालिक/आयोजक/वित्त पोषक/ठग तथा माल वाहक भी पकड़े गए हैं या नहीं, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होता है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 49 को जोड़ना

1399. **श्री पी०सी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने इस राज्य में अल्लेपी से मुवत्तु पूजा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं०49 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 से जोड़ कर एक राजमार्ग का निर्माण करने के लिए धनराशि के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मुवत्तुपुजा में अलैप्पी पत्तन से कोचीन-मदुरै सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग) जो शेरथलै-थन्नेरमुक्कम-वैकम-कडूथरुथी से होकर गुजरता है, तक लिंक रोड के विकास से संबंधित स्कीम से है। यह स्कीम 79700 लाख रु० की अनुमानित लागत पर आठवीं योजना अवधि के लिए उनके केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार द्वारा प्रायोजित की गई थी। तथापि,

केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जिसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अभी नहीं हुई है, इसलिए इस स्कीम के अनुमोदन के लिए कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता

1400. श्री काशी राम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिले-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उन प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विचारार्थ भेजा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विशेष कृषि परियोजना (एस०पी०ए०) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक कार्यक्रम है जिसत अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्र में पम्प सेटों को बिजली प्रदान करने के लिए प्रेषण लाइनें खींचने और अन्य आधारभूत ढांचे सम्बन्धी समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों में बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम का वित्तपोषण किया जाता है। जिलावार आबंटन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। सातवीं योजना में 1987-88 से 1989-90 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा गुजरात राज्य को आबंटित रकम और उसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपए)

वर्ष	आबंटन	उपलब्धि
1985-86	*	704
1986-87	*	1143
1987-88	500	918
1988-89	494	592
1989-90	578	381

* (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया था क्योंकि उसे छोटी सिंचाई के आबंटन के साथ ही जोड़ दिया गया था।)

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने अभी आठवीं योजना अवधि के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए आबंटन की रकम का निर्धारण नहीं किया है।

[अनुवाद]

कर सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें

1401. **श्री प्रभा जोशी :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की वसूली की गई;

(ख) इन करों से संबंधित विवादों में कितनी राशि रुकी पड़ी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस संबंध में कितने मामले अदालतों में लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार का करों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की वसूली की रकम निम्नानुसार थी :—

(रु० करोड़ों में)

	(प्रत्यक्ष कर)	अप्रत्यक्ष कर
1988-89	8825.14	34646.00
1989-90	9984.47	40442.00
1990-91	11012.59	44924.00

(ख) और (ग) 31-3-91 को प्रत्यक्ष करों की बाबत स्थगित की गई रकम 1680 करोड़ रुपये थी।

प्रत्यक्ष करों की बाबत न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
1987-88	33494	2818
1988-89	31939	2751
1989-90	35349	3482

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यालय खोलना

1402. **कुमारी उमा भारती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय किस प्रयोजनार्थ खोला गया है;

(ग) इस कार्यालय में कौन-कौन से अधिकारी कार्य करेंगे;

(घ) क्या वित्तीय कठिनाइयों से सम्बन्धित प्रमुख आर्थिक निर्णय लेने से पहले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में तैनात अधिकारियों से पूर्व विचार-विमर्श करना आवश्यक होगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसा होना देश के मुक्त आर्थिक कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। एक स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय, जिसमें दो अधिकारी कार्यरत हैं, ने 1 नवम्बर, 1991 से नई दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बृहत् आर्थिक स्थिरता तथा संरचनात्मक समायोजन के सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, इससे निधि को ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में बारीकी से जानकारी मिलेगी।

(ग) इस कार्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दो अधिकारी कार्य करेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

साफ्टवेयर का निर्यात

1403. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के साफ्टवेयर का निर्यात किया गया;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो साफ्टवेयर का निर्यात करती हैं और जिनका विदेशी मुद्रा में अपना योगदान समग्र साफ्टवेयर के निर्यात से होने वाली आमदनी के 2% से अधिक है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निर्यातकों को अन्य निर्यातकों के बराबर ही पर्याप्त प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान 250 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात किया गया।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियाँ समग्र साफ्टवेयर निर्यात में 2% से भी अधिक योगदान कर रही हैं :—

कम्पनी का नाम	वर्ष 1990-91 में किया गया निर्यात (रु० करोड़)
टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज	75.00
टाटा यूनीसिस लि०	28.50
सिटी काप० ओवरसीज साफ्टवेयर लि०	10.67
डिजीटल इक्विपमेंट (इण्डिया) लि०	9.13
पी०एल०आई० डाटा सिस्टम्स	8.59
पाटनी कंप्यूटर्स	6.00
सीमेन्स	5.25

(ग) और (घ) हाल ही के पिछले दिनों साफ्टवेयर निर्यातकों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं और ये प्रोत्साहन सभी निर्यातकों के लिए लागू हैं जिनमें समग्र साफ्टवेयर निर्यात में 2% से अधिक का योगदान करने वाले निर्यातक भी शामिल हैं।

राजस्व प्रवर्त्तन अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

1404. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजस्व प्रवर्त्तन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 के दौरान अनेक छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो समाहर्ता कार्यालय-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन गैर-कानूनी बेनामी बैंक खातों का पता लगा है उनका समाहर्ता कार्यालय-वार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन छापों में मिले तथा जब्त किए गए सोने, चांदी, नकदी, विदेशी मुद्रा तथा अन्य गैर-कानूनी वस्तुओं और सामग्री का, समाहर्ता कार्यालय-वार, ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) जी हां। दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों का ब्यौरा और जब्त की गई नकदी, आभूषणों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य का विवरण निम्न प्रकार है :—

जब्तियां (रुपये करोड़ों में)

आयकर निदेशालय (अन्वेषण)	तलाशियों की संख्या	नकदी	बुलियन गहने	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
दिल्ली	327	3.08	4.24	12.37	19.68
चण्डीगढ़	118	0.41	0.66	2.37	3.44

1	2	3	4	5	6
कानपुर	319	8.79	1.71	0.62	11.12
कलकत्ता	290	2.44	2.45	4.19	9.08
अहमदाबाद	215	2.18	4.41	1.03	7.63
पुणे	75	0,27	0.44	1.71	2.42
हैदराबाद	109	0.57	0.58	1.22	2.38
मद्रास	188	0.95	1.21	6.93	9.09
बंगलौर	45	1.37	0.39	0.63	2.39
बम्बई	338	3.37	8.57	11.29	23.22
योग :	2024	23.43	24.66	42.36	90.45

तलाशियों के दौरान पाए गए गैर-कानूनी बेनामी बैंक खातों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। जब कभी भी ऐसे खाते पाए जाते हैं, बकाया राशि को बकाया करों की वसूली के लिए जब्त कर लिया जाता है, विनियोजित कर दिया जाता है।

अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1405. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से होकर जाने वाले राजमार्गों की कुल संख्या तथा उनकी लम्बाइ कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उड़ीसा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 6 है और इनकी कुल लम्बाई 1649 कि०मी० है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	विकास कार्यों पर किया गया व्यय (लाख रु०)
1988-89	1202.02
1989-90	1293.51
1990-91	1050.03

चाय का निर्यात

1406. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय के निर्यात में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान चाय के निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य
1986-87	196.23	579.48	30.25
1987-88	201.83	627.77	29.53
1988-89	204.08	635.28	31.13
1989-90	210.62	904.72	42.86
1990-91*	199.48	1045.41	52.40

यह देखा जा सकता है कि मूल्य प्राप्ति तथा इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हुई है जबकि निर्यात की गई मात्रा लगभग 200 एम० कि०ग्रा० के स्तर पर स्थिर रही।

(ख) चाय के निर्यातों की मात्रा में स्थिरता का प्रमुख कारण घरेलू मांग में वृद्धि होना है।

(ग) सरकार द्वारा निर्यातों में वृद्धि के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :—

1. निर्यातों के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाना;
2. भारतीय रुपये का अवमूल्यन जिससे हमारी चाय और अधिक प्रतियोगी बन गई है।
3. चाय का निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातों के बदले एग्जिम स्क्रिप्स प्रदान करना; और
4. विदेशी कार्यालयों के माध्यम से तथा व्यापार मेलों में भाग लेकर भारतीय चाय का संवर्धन।

* अनुमानित

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 को चौड़ा करके चारमार्गी करना

1407. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोनीपत और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 को चौड़ा करके चारमार्गी बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) रा० रा०-1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली से मुरथल (सोनीपत के समीप) और लुधियाना से पंजाब में गोराया तक के खंड पहले से ही 4 लेन वाले हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में मुरथल से करनाल तक और पंजाब में सरहिंद से लुधियाना और गोराया से जालन्धर तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। करनाल से सरहिन्द तक सड़क चौड़ा करने के कार्य को दूसरे विश्व बैंक ऋण के तहत करने का प्रस्ताव है, जिस पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं। इस समय जालन्धर अमृतसर खंड को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सोनीपत से अमृतसर तक के पूरे खंड को चार लेनों का बनाने की समय सीमा के बारे में अभी कुछ कहना समयपूर्व है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित, सेवा संबंधी मामलों पर विशेष अनुमति याचिकायें

1408. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय में लम्बित ऐसे सेवा सम्बन्धी मामलों पर विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने के लिए उनकी पुनरीक्षा करने का है जहां न तो कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न और न लोक महत्व का प्रश्न ही जुड़ा हो;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार त्वरित न्याय उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) न्यायालय में आज तक लम्बित विशेष अनुमति याचिकाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) तारीख 27 नवम्बर, 1991 को उच्चतम न्यायालय में सेवा विषयक 9238 विशेष इजाजत अर्जियां लम्बित हैं।

[हिन्दी]

फ्रांस के साथ व्यापार

1409. **श्री साईमन मरांडी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अक्तूबर, 1991 में फ्रांस से अनुरोध किया था कि दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगुना किया जाये;

(ख) यदि हां, तो भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद के साथ इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) फ्रांस से किन-किन वस्तुओं का आयात एवं भारत के किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा तथा इनके मूल्यों एवं पारस्परिक रूप से सहमत दरों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्य क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) संयुक्त व्यापार परिषद की 23 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में यकायक वृद्धि की गुंजाइश का उल्लेख किया गया था।

(ख) भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद दोनों पक्षों के व्यापारियों के बीच और अधिक पारस्परिक क्रिया-कलाप बढ़ा रही है और संगत जानकारी वितरित कर रही है।

(ग) दुतरफा व्यापार की मदों और इनकी कीमतें दोनों पक्षों के आयातकों तथा निर्यातकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस

1410. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष अफीम की खेती के रोगों से प्रभावित होने के कारण अफीम की खेती करने वाले किसानों को भारी हानि हुई है;

(ख) क्या किसानों को अपनी फसल का एक निश्चित अनुपात सरकार को देना पड़ता है जिसके अभाव में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाते है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कारंवाई की गई है कि पिछले वर्ष अफीम की खेती के रोगों से प्रभावित होने के कारण निर्धारित अनुपात में फसल न दे पाने के कारण उनके लाइसेंस रद्द न किए जाएं ताकि वे अफीम की खेती करते रहें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) फसल वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में पोस्त की फसल नाशी-जन्तुओं, कीड़ों तथा ओलावृष्टि से बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी और उत्तर प्रदेश में असामयिक वर्षा होने और तेज हवाएं चलने के कारण अफीम में कमी आ गई थी।

अफीम उत्पादकों को अफीम की अपनी पूरी उपज को केन्द्रीय सरकार के पास जमा कराना अपेक्षित होता है। सरकार हर वर्ष न्यूनतम अर्हकारी उपज भी निर्धारित करती है जिसे किसान ने अफीम-पोस्त की खेती करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए विगत वर्ष में अवश्य ही जमा कराया हो। वर्ष 1991-92 के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए निर्धारित

न्यूनतम अर्हकारी उपज मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है और उत्तर प्रदेश के मामले में 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन किसानों के लाइसेंस रद्द न किए जाएं, जिनके गांव में उनकी फसलों को कुछ क्षति/बड़े पैमाने में क्षति पहुंची थी, लाइसेंस देने की नीति में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसानों के लाइसेंसों का नवीकरण कर दिया जाएगा चाहे उन्होंने अफीम की निर्धारित अर्हकारी उपज में कम अफीम जमा कराई हो।

दिल्ली परिवहन निगम की पुरानी बसों का बदला जाना

1411. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें सामान्य से अधिक पुरानी हो गई है;

(ख) इन बसों को संचालन बेड़े से न निकाले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन बसों के स्थान पर नई बसें कब तक लाई जाएंगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दि०प०नि० के पास 1520 बसें आठ वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

(ख) और (ग) पुरानी बसों को बदलना (रिप्लेसमेंट) एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 1991-92 के दौरान 'रिप्लेसमेंट' खाते में बसों की खरीद के लिए 43.25 करोड़ रु० का प्रावधान है। इसी दौरान सेवाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए तथा सेवाओं में रुकावट के कारण आने वाली जन-शिकायतों से बचने के लिए दि०प०नि० को मजबूरन इन बसों को चलाना पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश में बन्द और क्षमता से कम उपयोग करने वाली एन०टी०सी० मिलें

1412. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में एन०टी०सी० की उन कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है जो इस समय बंद पड़ी हैं अथवा अपनी क्षमता का कम उपयोग कर रही है;

(ख) इन मिलों के बन्द होने के कारण कितना घाटा हुआ है और कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन मिलों के प्रबन्ध को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) व्यापार श्रमिक असंतोष के परिणामस्वरूप लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर में पिछले 2 महीनों से भी अधिक अवधि से तालाबन्दी है। तथापि मजदूर संघों के साथ वार्ताएं प्रगति पर हैं ताकि मिल की तालाबन्द समाप्त की जा सके।

एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) में मिलों की अपूर्ण उपयोग के बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि औसत उपयोग 59.7 प्रतिशत तक है। एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) की 6 मिलों के मामले में क्षमता उपयोग औसत से कम है।

(ख) लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स में तालाबन्दी के कारण एन०टी०सी० को अतिरिक्त घाटा नहीं उठाना पड़ा। एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) की सभी 11 मिलों में पहले 7 महीनों अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान 24.65 करोड़ रु० मूल्य के घाटे हुए। लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स की तालाबन्दी के कारण किसी भी कामगर को बेरोजगार नहीं होना पड़ा।

(ग) और (घ) सरकार एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) को हो रहे भारी घाटों को कम करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

पंचायत मुख्यालयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

1413. **श्री राम नारायण बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार कितनी शाखाएं खोली गईं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में क्षेत्रीय बैंकों की शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विगत तीन कलेंडर वर्षों के दौरान, नवम्बर, 1991 तक खोली गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान खोली गई शाखाओं की सं०
1	2
आन्ध्र प्रदेश	31
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	41
बिहार	77
गुजरात	50
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू व कश्मीर	12
कर्नाटक	20

1	2
मध्य प्रदेश	32
महाराष्ट्र	41
मणिपुर	5
मेघालय	4
मिजोरम	6
उड़ीसा	20
पंजाब	47
राजस्थान	27
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	72
पश्चिम बंगाल	69
त्रिपुरा	6

(ख) और (ग) ऐसी कोई नीति नहीं है। तथापि, यदि ऐसे केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन पर भारतीय रिजर्व बैंक गुणदोषों तथा उनकी नई शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विचार करेगा।

[अनुवाद]

सहकारी समितियों पर आयकर

1414. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समितियों की ब्याज से आय पर उनसे आयकर वसूला जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका देश में सहकारी आन्दोलन और बाद में कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप कारोबार से हुए लाभों तथा अभिलाभों की सम्पूर्ण राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-त के अधीन आयकर नहीं लगाया जाता है। विनिर्दिष्ट कारोबार में लगी हुई सहकारी समितियों के सम्पूर्ण लाभों तथा अभिलाभों को कर से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सहकारी समितियों की और के मामले में 40,000/- रुपये की

राशि तक तथा अन्य सहकारी समितियों की आय के मामले में 20,000/- रुपये की राशि तक कर से छूट प्राप्त है।

(ग) चूंकि, सहकारी समितियों की आय पर कुल मिलाकर कर से छूट प्राप्त है, इसलिए आयकर से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को सहायता

1415. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 से 1990 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उन पर कितनी ब्याज दर वसूली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा स्कीमों के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त संवितरण इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आन्ध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
1988-89 (जुलाई-जून)	137.58	232.56
1989-90 (जुलाई-जून)	180.81	192.81
1990-91 (अप्रैल-मार्च)	190.53	239.50

(ख) 22 सितम्बर, 1990 तक नाबार्ड के पुनर्वित्त पर प्रयोजनवार ली गई ब्याज दर इस प्रकार थी :

क्रम सं०	प्रयोजन	पुनर्वित्त पर ब्याज दर
1	2	3
1.	लघु सिंचाई और भूमि विकास	6.5%
2.	विविधीकृत प्रयोजन	
	(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.5%
	(ख) छोटे किसान (नाबार्ड की परिभाषा अनुसार)	6.5%
	(ग) गोबर गैस	6.5%
	(घ) अन्य	8.0%

1	2	3
3.	परती भूमि विकास	
	(क) व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूहों जैसे कि सहकारी समितियां	6.5%
4.	कारपोरेट और अन्य ऋणकर्ता	8.0%

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22.9.1990 से उधार की दरों में संशोधन के परिणाम-स्वरूप, जो ऋणों के आकार पर निर्भर है, नाबार्ड ने भी पुनर्वित्त पर ब्याज दर को संशोधित कर दिया है जो इस प्रकार है :—

मंजूर ऋण का आकार	पुनर्वित्त पर ब्याज दर
1. 50,000 रु० तक और उसके सहित	6.5% वार्षिक
2. 50,000 रु० से अधिक	9.5% वार्षिक

भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को पुन: 9 अक्टूबर, 1991 से संशोधित कर दिया था। अलबत्ता, नाबार्ड को अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित संशोधित ब्याज दर संरचना के अनुसरण में अपने पुनर्वित्त की दर को पुनर्निर्धारित करना है।

यूको बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से उदार शर्तों पर ऋण

1416. **श्री रविराय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूको बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से उदार शर्तों पर ऋण लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका प्रयोजन क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : यूको बैंक ने सूचित किया है कि उसने किसी "सुलभ ऋण" सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध नहीं किया है। तथापि, उसने सांविधिक नकदी अनुपात (एस०एल०आर०) की अपेक्षाओं में 15 प्रतिशत की छूट के लिए जिसमें 383 करोड़ रुपए की धन राशि शामिल होगी तथा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के दावे की 103.25 करोड़ रुपए की बकाया रकम को प्राथमिकता के आधार पर रिलीज करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) यूको बैंक ने यह भी सूचित किया है कि यह अनुरोध इसलिए किया गया है, ताकि बैंक मांग मुद्रा बाजार से अत्यधिक ब्याज दरों पर उधार लेने से बच सके। उपर्युक्त सहायता से बैंक अपने ऋणकर्ताओं की वास्तविक तथा तत्काल ऋण-आवश्यकताओं को विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से सम्बन्धित उदारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण

1417. **श्री विजय कुमार हान्डिक :**

श्री पाला के०एम० मैथ्यू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिग्रहण अथवा उन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हवाला कारोबार के कारण राजकोष को हानि

1418. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों, आयातकों और तस्करों द्वारा 'हवाला' कारोबार किये जाने के कारण राजकोष को होने वाली वार्षिक हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने हवाला कारोबार को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं और इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क रहती है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एवं इसी प्रकार अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करती हैं। चालू वर्ष में, प्रवर्तन निदेशालय ने तलाशियों के दौरान 872.36 लाख रु० की भारतीय मुद्रा तथा 230.74 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की थी। इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारक अधिनियम के अन्तर्गत 270 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 100 व्यक्तियों को नजरबन्द किये जाने के आदेश दिए गए।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को लागू करना

1419. **श्री गुमानमल लोढा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस विषय को आस्थगित करने का विनिश्चय किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा महाराष्ट्र में दिया गया ऋण

1420. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला-वार और बैंक-वार कितनी शाखायें हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जिला-वार कितना धन जमा हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन शाखाओं ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कितना ऋण दिया;

(घ) क्या इन शाखाओं द्वारा दिया गया ऋण इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिला-वार और बैंक-वार संख्या संलगन विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) मार्च, 1990 और 1991 के अंतिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों और दिए गए संकल बैंक ऋणों का जिला-वार ब्यौरा संलगन विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अग्रिमों के वास्ते बैंक वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करते हैं। वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

(रुपये करोड़ में)

	1989-90		1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
कृषि एवं संबंधित कार्य	339.40	280.07	355.95	337.33
लघु उद्योग	94.08	82.55	104.78	104.58
सेवाएं	118.43	109.44	121.03	122.01
कुल	551.91	472.06	581·76	563.92
उपलब्धि का प्रतिशत		85.53%		96.93%

वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक है।

विवरण I

जिले का नाम	अहमदनगर	अकोला	अमरावती	औरंगाबाद	भंडारा	बीड (भीर)	बुलडाणा	चन्द्रपुर	धुले	गढ़चिरोली	ग्रेटर बम्बई	जलगांव	जालना	कोल्हापुर	लातूर	नागपुर	नांदेड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
भारतीय स्टेट बैंक	30	30	36	10	16	15	36	18	25	7	107	38	3	15	15	41	13
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	1	1	20	—	22	1	2	—	—	14	—	12	—	11	1	24
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	1	—	1	—
स्टेट बैंक आफ पटियाला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—
इलाहाबाद बैंक	3	2	6	2	3	—	—	3	—	—	24	1	—	1	1	9	1
आन्ध्रा बैंक	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	—	1	—	1	1	—
बैंक आफ बड़ौदा	14	4	2	4	1	1	1	2	10	—	81	21	2	8	1	12	1
बैंक आफ इण्डिया	3	1	3	1	22	—	—	31	3	6	80	4	1	38	1	45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बैंक आफ महाराष्ट्र	33	7	34	29	15	8	19	25	15	10	69	13	18	39	14	30	7
केनरा बैंक	3	1	1	1	1	1	—	—	2	—	70	1	—	4	—	7	1
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	60	30	35	11	6	2	19	1	43	—	74	43	1	4	3	11	2
कारपोरेशन बैंक	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	23	1	—	1	—	1	—
देना बैंक	4	2	3	5	9	—	—	1	8	—	81	9	1	9	4	6	8
इंडियन बैंक	1	2	3	1	—	—	—	2	—	—	32	—	—	2	—	2	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	34	1	—	1	—	2	—
न्यू बैंक आफ इण्डिया	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	11	—	—	—	—	1	—
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	14	—	—	1	—	2	—
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	1	1
पंजाब नेशनल बैंक	2	1	2	3	1	—	1	2	2	—	42	4	—	1	—	15	2
यूको बैंक	2	3	3	2	—	—	—	7	2	—	40	5	—	2	—	13	—
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	21	5	8	3	1	—	—	1	11	—	74	19	4	14	1	14	1
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16	—	—	1	—	2	—
विजया बैंक	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	19	1	—	1	—	1	—
सिंडिकेट बैंक	3	1	1	1	3	—	—	1	2	—	45	2	2.	2	—	7	1

जिले का नाम	नासिक	उस्मानाबाद	परभणी	पुणे	रायगढ़	रत्नागिरी	सांगली	सतारा	सिंधुदुर्ग	सोलापुर	ठाणे	वर्धा	यावतमाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय स्टेट बैंक	36	10	12	47	27	12	17	18	11	29	33	18	30
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—	11	21	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—
स्टेट बैंक आफ पटियाला	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इलाहाबाद बैंक	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	5	5
आन्ध्रा बैंक	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	1	1
बैंक आफ बड़ौदा	16	—	2	28	5	1	4	9	—	8	13	3	5
बैंक आफ इण्डिया	9	—	—	40	42	34	31	12	20	45	22	20	1
बैंक आफ महाराष्ट्र	65	12	8	125	23	16	19	52	14	31	60	10	13
केनरा बैंक	4	1	—	20	2	1	1	2	—	2	20	—	—
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	7	—	—	32	2	6	3	6	2	10	15	7	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कारपोरेशन बैंक	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3	—	—
देना बैंक	31	—	1	16	11	2	2	1	2	5	29	—	—
इण्डियन बैंक	5	—	—	6	—	—	1	1	—	1	3	—	1
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1	—	—	4	—	—	—	—	—	1	14	—	1
न्यू बैंक आफ इण्डिया	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	11	—	—
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—
पंजाब नेशनल बैंक	5	—	—	11	1	1	1	—	—	1	9	4	2
यूको बैंक	4	—	—	19	2	—	1	—	—	1	5	—	—
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7	—	1	22	8	9	16	2	7	13	18	1	8
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—
विजया बैंक	1	—	—	5	—	—	2	1	—	1	8	—	1
सिण्डिकेट बैंक	6	—	—	15	5	2	2	3	5	3	17	1	1

विवरण-II

(राशि करोड़ रुपये में)

जिले का नाम	मार्च, 1990		मार्च, 1991	
	जमा राशियां	ऋण	जमा राशियां	ऋण
1	2	3	4	5
अहमदनगर	255	234	292	242
अकोला	146	111	155	117
अमरावती	208	114	239	120
औरंगाबाद	213	213	242	238
भंडारा	113	79	127	89
बीड (भीर)	80	56	89	60
बुलढाणा	85	76	95	72
चंद्रपुर	187	84	220	98
धुले	131	126	144	144
गढ़चिरोली	26	12	26	13
ग्रेटर बम्बई	24324	20503	29596	23528
जलगांव	244	186	274	212
जालना	54	63	63	69
कोल्हापुर	311	270	352	304
लातूर	72	64	86	69
नागपुर	901	566	1000	611
नांदेड़	100	94	118	98
नासिक	416	303	471	324
उस्मानाबाद	51	40	61	43
परभाणी	79	77	88	79
पुणे	2015	1451	2243	1780
रायगड़	260	111	287	120
रत्नागिरि	190	61	211	69
सांगली	256	175	292	208
सतारा	253	179	289	192

1	2	3	4	5
सिंधुदूर्ग	117	39	129	43
सोलापुर	285	226	322	245
ठाणे	1212	480	1408	565
वर्धा	104	71	118	72
यवतमाल	116	82	131	86

हथकरघा एककों को बंद करना

1421. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंद बड़े हथकरघा एककों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्योग की दयनीय दशा के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अध्ययन कराने का है;

(ङ) क्या हथकरघा बुनकरों को उचित समय पर बैंक ऋण नहीं दिए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो उन्हें बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघों की गणना का कार्य किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के समाजार्थिक पहलुओं के विशेष आंकड़े भी एकत्र किए। कार्यरत/बंद पड़े करघों के राज्यवार आंकड़ें संलग्न हैं। बुनकरों की आर्थिक स्थिति की गणना से पता लगा है कि घरेलू बुनकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए गैर बुनाई के कार्यकलापों के माध्यय से अपनी मासिक आय में वृद्धि करते हैं। 54% घरेलू बुनकरों को बुनाई केवल 200/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त होते हैं लेकिन गैर-बुनाई कार्यकलाप करने वाले बुनकरों के बाद इस श्रेणी में केवल 7% बुनकर ही रह जाते हैं। सभी साधनों से 201 से 500 रुपये पाने वाले बुनकर 43% ही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) नाबार्ड प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों, रियायती दर पर ब्याज और उपलब्धता तथा शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों के सूत व्यापार के कार्यकलापों में वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारी बैंकों को पुनर्वित सुविधा देती है। नाबार्ड ने करघों के आधुनिकरण और कार्यशाला के निर्माण हेतु सहायता देने की योजनायें भी तैयार की हैं।

विवरण

देश में कार्य कर रहे व बंद हुए हथकरघों की राज्यवार संख्या

राज्यों/संघ/शासित क्षेत्र का नाम	करघों की संख्या		
	कार्यरत	बेकार	कुल
आन्ध्र प्रदेश	213404	6311	219715
अरुणाचल प्रदेश	45060	456	45516
आसाम	1298731	110477	1409168
बिहार	72965	9692	82657
गोवा	41	54	95
गुजरात	21165	1408	22573
हरियाणा	17378	2894	20272
हिमाचल प्रदेश	30991	373	34364
जम्मू व कश्मीर	25253	19	25272
कर्नाटक	76719	4866	81585
केरल	41904	9725	51629
मध्य प्रदेश	31380	16051	47431
महाराष्ट्र	66437	1205	67042
मणिपुर	266915	3346	270261
मेघालय	778	418	8201
मिजोरम	94388	9406	103794
नागालैंड	71636	5867	77503
उड़ीसा	92316	26689	119005
पंजाब	11292	936	12228
राजस्थान	31694	1562	33256
तमिलनाडू	402046	26499	428545
त्रिपुरा	116659	2413	119072
उत्तर प्रदेश	243675	17039	260714
पश्चिमी बंगाल	318514	19985	338499
दिल्ली	8236	1100	9336
पांडिचेरी	4841	402	5243
कुल	3611513	279063	3890576

[अनुवाद]

कर्नाटक में शिमशा पुल के लिए केन्द्रीय सहायता

1422. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मांड्या जिले में शिमशा पुल के निर्माण हेतु कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(च) इस पुल निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अंतर्गत मांड्या जिला में शिमशा नदी पर 85 लाख रु० की लागत से पुल के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, अतः प्रस्ताव पर संस्वीकृति के लिए कब विचार किया जाएगा और कब तक पुल का निर्माण होने की सम्भावना है यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

समुद्री खाद्य का निर्यात

1423. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कदम से छोटे मछुआरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत ने वर्ष 1990-91 में 890 करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य का निर्यात किया। वर्ष 1991-92 के लिए 1550/- करोड़ रुपये का लक्ष्य है। फ्रोजनफिश, लोबस्टरटेल्स लावस्टर, कटलफिश, फिलेट्स, स्क्विड्स, ताजी और प्रशीतित मछली, सूखी हुई मछली, शार्क और फिन्स एवं फिश मांज आदि हमारी समुद्री निर्यात की प्रमुख मदें हैं। जापान, यू० एस० ए०, और पश्चिम यूरोप आदि प्रमुख बाजार हैं।

(ग) और (घ) जी हां। समुद्री खाद्य के निर्यात के कारण मछुवारे अपनी मछलियों का बेहतर यूनिट मूल्य प्राप्त करते हैं।

रबड़ का मूल्य

1424. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री कोडोकुन्नील सुरेश :

श्री टी० जे० अंजलोज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा बेचे जाने वाले आयातित तथा अवर्गित (अनग्रेडिड) रबड़ की प्रतिकिलो दर क्या है;

(ख) सरकार द्वारा रबड़ उत्पादकों के लिए तय न्यूनतम मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अगस्त, 1991 में, एस० टी० सी० ने 27.90 रुपये प्रति किग्रा० की मद्रास गोदाम गत कीमत पर आयात किये गये प्राकृतिक रबड़ (आर० एस० एल० 3 ग्रेड तथा एल० एम० आर० 20 ग्रेड) की बिक्री की। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा किसी उन्नत किस्म के रबड़ की बिक्री नहीं की गई है।

(ख) सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ की आर० एम० ए-4 ग्रेड की विक्री की औसतन अच्छी किस्म के लिए बेंचमार्क कीमत सूची की न्यूनतम सीलिंग 20.95 रुपये प्रति किग्रा० है।

(ग) और (घ) आर० एम० ए-4 ग्रेड के लिए वर्तमान बाजार कीमत 21.15 रु० प्रति किग्रा० है। यह इस किस्म के लिए निर्धारित 20.95 रुपये की न्यूनतम सीलिंग कीमत की तुलना में अधिक है। कीमत में मामूली गिरावट व्यस्ततम उत्पादन मौसम की वजह से आयी है। एस० टी० सी० घरेलू बाजार से आर० एम० ए-5 किस्म की प्राकृतिक रबड़ की खरीद करके, पहले से ही कीमत समर्थन प्रचालन कार्य कर रहा है। एस० टी० सी० को अब घरेलू बाजार से आर० एम० ए-4 किस्म की वसूली करने का भी निर्देश दिया गया है।

(ङ) और (च) प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत में वृद्धि से संबंधित कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि प्राकृतिक रबड़ की खेती के लिए अन्तर्निविष्ट साधनों में वृद्धि हुई है, ऐसा 15 जनवरी, 1991 से संशोधित बेंच मार्क कीमत की घोषणा के पश्चात् से हुआ है। संबंधित एजेन्सियों द्वारा इन मामले में संशोधित लागत अध्ययन लिये जाने के बाद ही इस संबंध में कोई कार्यवाई संभव होगी।

[हिन्दी]

ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय बैंकों में हड़ताल

1425. **श्री राम सागर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय बैंकों के कर्मचारी सितम्बर, 1991 में आंशिक हड़ताल पर थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वेतन दावों की मध्यस्थता के विचारणीय विषयों से संबंधित विवाद के कारण वह स्थिति उत्पन्न हुई। कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रक्रिया करारों के प्रावधानों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करने के बाद उनके साथ वार्ता की गई।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों के लिए विश्राम स्थलों का निर्माण

1426. **श्री छेदी पासवान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लम्बे मार्गों पर ड्राइवरों के आराम के लिए मार्ग के किनारे सुविधाओं के रूप में किन-किन स्थानों पर ट्रकों के लिए विश्राम स्थालों का निर्माण किया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिहार में टोपचांची के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 373 कि० मि० पर एक विश्राम स्थल का निर्माण किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1-4-88 से 31-3-91 तक बिहार के वार्षिक कार्यक्रमों में और विश्राम स्थलों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं था।

आयुध फैक्ट्रियां

1427. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी आयुध फैक्ट्रियां हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) घाटे में चलने वाली आयुध फैक्ट्रियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनावश्यक मदों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों का ब्यौरा क्या है और क्या इन फैक्ट्रियों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) भारतीय सेना की रक्षा सामग्री की कुल मांग का कितना प्रतिशत उत्पादन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में, अलग-अलग हो रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) (क) विवरण संलग्न है।

(ख) आयुध निर्माणियां विभागीय उपक्रम हैं और ये मुख्यत: सेनाओं की आवश्यकताओं को "बिना लाभ-हानि" के आधार पर पूरा करती हैं।

(ग) ऐसी कोई निर्माणियां नहीं हैं।

(घ) यह सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

विवरण

	मजदूरों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	
1. आयुध निर्माणी, मेडक	1550
मध्य प्रदेश	
1. गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	7042
2. आयुध निर्माणी, खमरिया	9093
3. वाहन निर्माणी, जबलपुर	8499
4. आयुध निर्माणी, कटनी	1984
5. धूसर लोहा फाउन्ड्री, जबलपुर	1816
6. आयुध निर्माणी, इटारसी	1730
महाराष्ट्र	
1. गोलाबारूद निर्माणी, किरकी	7879
2. अति विस्फोटक निर्माणी, किरकी	1000
3. आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ	2896
4. आयुध निर्माणी, भुसावल	1437
5. मशीन औजार आदिरूप निर्माणी, अम्बरनाथ	1489
6. आयुध निर्माणी, अम्बाझरी	6378
7. आयुध निर्माणी, वरनगांव	2627
8. आयुध निर्माणी, भंडारा	2724
9. आयुध निर्माणी, चांदा	4468
10. आयुध निर्माणी, देहूरोड	969
उड़ीसा	
1. आयुध निर्माणी, बोलंगीर	229
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	
1. आयुध केबल निर्माणी, चण्डीगढ़	518
तमिलनाडु	
1. कार्डाइट निर्माणी, अरूवनकाडु	3019
2. आयुध निर्माणी, तिरूचिरापल्ली	1740
3. आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	3152
4. भारी वाहन निर्माणी, आवडी	4298

5.	कम्बाइंड इंजन संयंत्र, आवड़ी	(परियोजना अवस्था)
6.	एच० ए० पी० पी०, तिरूचिरापल्ली	342

उत्तर प्रदेश

1.	आयुध निर्माणी, हजरतपुर	468
2.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	5403
3.	आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	3063
4.	आयुध निर्माणी, कानपुर	5975
5.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	6718
6.	आयुध निर्माणी, देहरादून	1300
7.	आप्टो इलैक्ट्रानिक्स निर्माणी, देहरादून	1124
8.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	3044
9.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	3290
10.	फील्डगन फैक्टरी, कानपुर	1482

पश्चिम बंगाल

1.	तोप एवं गोला निर्माणी, काशीपुर	5615
2.	आयुध निर्माणी, दमदम	1648
3.	धातु इस्पात निर्माणी, इच्छापुर	5300
4.	राइफल निर्माणी, इच्छापुर	6134

[अनुवाद]

रबड़ की कीमतें

1428. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की कीमत लागत मूल्य से नीचे गिर गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लागत मूल्य बनाये रखने के लिए अतिरिक्त रबड़ का निर्यात करने और सभी आयात को रोकने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अधिकतम उत्पादन मौसम के शुरू होने से रबड़ की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है। अच्छे औसत क्वालिटी के आर०एम०ए०-4 ग्रेड की चालू बाजार कीमत 21.15 रु० कि०ग्रा० है जबकि बैंच मार्क कीमत 21.45 रु० प्रति कि०ग्रा० है और कीमत की न्यूनतम सीमा 20.95 रु० प्रति कि०ग्रा० है।

(ग) और (घ) भारत अब तक प्राकृतिक रबड़ का वास्तविक आयातक रहा है। केवल

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमें मांग-आपूर्ति अन्तराल को पूरा करने के लिए रबड़ का आयात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। घरेलू बाजार में एस०टी०सी० के खरीद कार्यों के जरिए रबड़ उपजकर्ताओं के लिए कीमत संरक्षण सुरक्षित किया जाता है। तथापि, निर्यात संबंधी निर्णय, यदि कोई हो, उचित समय पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

1429. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) इन वस्तुओं का किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) चमड़े की वस्तुओं का और अधिक देशों को निर्यात करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान चमड़े के सामान (फुटवीयर, फुटवीयर घटक, गारमेन्ट्स को शामिल करते हुए परन्तु अर्द्ध और परिष्कृत चमड़ों को छोड़कर) के निर्यात का मूल्य और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा 1808.20 करोड़ रुपये था।

(ख) जर्मनी, यू०एस०एस०आर०, यू०एस०ए०, यू०के०, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, जापान और कनाडा प्रमुख देश हैं जिनको चमड़े के सामान का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) भारतीय चमड़े के सामान को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए विदेशों में बाजार संवर्धन उपाय और उत्पाद विकास प्रयास निर्यात बढ़ाने में सहायक रहे हैं। इन उपायों को जारी रखने और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अधिक उपयोगी बनाने का प्रस्ताव है।

गंगानगर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

1430. **श्री मनफूल सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति वाहनों के चलने लायक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग के विकास और मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार ने कितनी धन-राशि मंजूर की;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ मंजूर की गई धन-राशि व्ययगत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। रा०रा०-15 को गंगानगर से बीकानेर तक सामान्यतया यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1-4-1988 से 31-3-1991 तक इस खंड के रख-रखाव के लिए 175.35 लाख रु० आबंटित किए गए थे, और राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार 175.22 लाख रु० वास्तव में व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त इस खंड में, 908 लाख रु० लागत के विकास कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ अनुसंधान संस्थान का कोट्टायम में विस्तार

1431. श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ अनुसंधान संस्थान का कोट्टायम में विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस संस्थान की क्या उपलब्धियां रही हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आठवीं योजना में शामिल करने के लिए बोर्ड के उन सामान्य प्रस्तावों को छोड़कर, जिनमें भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के क्रिया कलापों का विस्तार भी शामिल है, सरकार को कोट्टायम स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आर०आर०आई०आई०) का विस्तार करने सम्बन्धी कोई अलग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान आर०आर०आई०आई० के विस्तार के लिए मुख्य प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल है :—

(I) प्रयोगात्मक केन्द्रों का विस्तार :

—परम्परागत क्षेत्र में

—गैर परम्परागत क्षेत्र में

(II) विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ करना :

—उत्तरपूर्व अनुसंधान काम्पलेक्स।

—विद्यमान क्षेत्रीय केन्द्र।

(III) जर्मप्लाज़ केन्द्र को सुदृढ़ करना :

(IV) जीव प्रोद्योगिकी अनुसंधान एवं टिशू कल्चर को सुदृढ़ करना।

(V) अनुसंधान के लिए तकनीकी एवं प्रोत्साहन सेवाओं को सुदृढ़ करना।

(VI) कृषि अर्थव्यवस्था प्रभाग को सुदृढ़ करना।

(VII) मिट्टी एवं कृषिगत रसायन को सुदृढ़ करना।

(VIII) फार्म पर मूल्यांकन एवं प्रदर्शन कार्यों के लिए एक प्रभाग की स्थापना।

(IX) उत्पाद सुधार विभाग की स्थापना।

(ग) आर०आर०आई०आई० की पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल है :—

(I) रबड़ के उच्च फसल देने वाले अनेक क्लोम विकसित करना तथा उन्हें बाजार में लाना।

(II) विकसित किए गए टिशूकल्चर पौधों के उत्पादन तथा इस प्रकार तैयार किए गए जिन पौधों को क्षेत्र में लगा दिया गया है उनके लिए उपचार।

(III) पौध रोपण सामग्री की सिफारिश के लिए नीति को सुव्यवस्थित बनाना।

(IV) रबड़ की सभी बीमारियों एवं कीट नियंत्रण के लिए तैयार की गई सिफारिशें।

(V) क्षेत्रवार पैकेज विधियां जिसमें जारी किया गया उर्वरक कार्यक्रम भी शामिल है।

(VI) क्लोन वार एवं क्षेत्र-वार जारी की गई उपयोग प्रणालियों सम्बन्धी सिफारिशें जो कि लम्बे समय के तजुर्बों पर आधारित है।

(VII) क्षेत्रीय तथा चलि-प्रयोगशालाओं की सहायता से विभेदमूलक उर्वरक सिफारिश प्रणाली को लोकप्रिय बनाना।

(VIII) उत्पादन क्षमता सम्बन्धी आधार मूल अध्ययनों पर समुचित बल दिया गया है और अनेक उपयोगी जानकारी प्राप्त की गई है।

(IX) मूल्यांकन तथा सूची बनाने के लिए तथा प्रजनन कार्यक्रम में शामिल करने के लिए ब्राजीलियाई जार्मप्लास्म आरम्भ किया गया है।

(X) अन्त: कृषि तथा वर्षा सुरक्षा अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया गया है।

(XI) गैर परम्परागत क्षेत्रों में सफलता पूर्वक रबड उगाए जाने के लिए ऐसी कृषि प्रौद्योगिकी विकसित की गई जिसमें वातावरण सम्बन्धी कठिनाइयों के लिए विभिन्न अवरोध प्रस्तुत किये गये हैं।

(XII) रबड लैटेक्स के लिए सस्ते स्कंदक आरम्भ किए गए हैं।

(XIII) एफोक्सडाइज्ड प्राकृतिक रबड के लिए उत्पादन पद्धतियों का मानकीकरण किया गया है।

(XIV) एन०आर० एवं ई०वी०ए० के ब्लैंड विकसित किए गए हैं।

भारत-स्विटजरलैंड समझौते के अधीन संयुक्त उद्यम

1432. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आगामी वर्षों में भारत-स्विटजरलैंड समझौते के अधीन सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले विभिन्न संयुक्त उद्यम कौन-कौन से हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने के बारे में स्विटजरलैंड के साथ अलग से कोई करार नहीं हुआ है।

दिल्ली में मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित न्यायाधिकरण

1433. श्री जीवन शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मोटर दुर्घटना के दावों से संबंधित कुछ न्यायाधिकरणों में न्यायाधीश नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अधिकरणों में अधिकरण-वार कितने मामले विचाराधीन हैं;

(घ) ये मामले कब से विचाराधीन हैं और इनका शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) वर्ष 1991 के दौरान अब तक कितने मामले निपटाये गये ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली में स्थित छह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में से तीन न्यायाधिकरणों में जून, 1991 के प्रथम सप्ताह से न्यायाधीश नहीं है क्योंकि तीनों न्यायाधीश उक्त सप्ताह में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत होने पर पदमुक्त हो गये थे। दिल्ली प्रशासन ने इन रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ उठाया है। इस बीच, अन्य तीन न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों को रिक्त न्यायाधिकरणों का कार्य देखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है।

(ग) 31.7.1991 को इन न्यायाधिकरणों में 13,285 मामले लंबित थे। न्यायाधिकरण वार स्थिति इस प्रकार है :

1.	शाहदरा	1332
2.	तीस हजारी-I	1924
3.	तीस हजारी-II	2513
4.	तीस हजारी-III	2520
5.	पटियाला हाउस-I	3207
6.	पटियाला हाउस-II	1789
		13285

(घ) आधे से अधिक मामले 2 वर्ष से कम समय से लम्बित हैं। 2500 से कुछ ज्यादा मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं। इन मामलों को नियमित न्यायालयों के अतिरिक्त लोक अदालतों तथा समझौता प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 1991 में 31 जुलाई, तक 1242 मामले निपटाए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में सड़कों और पुलों का निर्माण

1434. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेकर राजस्थान में सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन वित्तीय संस्थाओं ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि, हां, तो इन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और इनके द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) इस सहायता से जिन सड़कों और पुलों का निर्माण किया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुबंध

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित सड़क परियोजनाएं

संविधानिक रूप से यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से निर्मित की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। राज्य सड़कों के सम्बन्ध में ऐसे प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विचारार्थ समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता के लिए आज तक स्वीकृत की गई राजस्थान की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम	सहायता राशि	सुधार के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1.	अलवर-करौली से जुड़ी हुई अलवर-भिवाड़ी	विश्व बैंक	क्रम सं० 1-6 तक के लिए कुल 58 मि० अमरीकी डालर	सड़कें और पुलों को 2 लेन का बनाना तथा सुदृढ़ करना।
2.	उदयपुर-चित्तौड़गढ़	विश्व बैंक		—वही—
3.	रैला-चित्तौड़ से जुड़ी हुई अजमेर-चित्तौड़गढ़	विश्व बैंक		—वही—
4.	सीकर-हरियाणा सीमा	विश्व बैंक		—वही—
5.	फतेहपुर-चुरू-हरियाणा सीमा	विश्व बैंक		—वही—
6.	सिरोही-माउंट आबू	विश्व बैंक		—वही—

1	2	3	4	5
7.	रा०रा० 8 का कोटपुतली अचरोल खंड (68 कि०मी०)	एशियाई विकास बैंक	30.35 मि० अमरीकी डालर	सड़कों और पुलों को चार लेने का बनाना तथा सुदृढ़ करना ।

[अनुवाद]

सेंट्रल कमान के अन्तर्गत छावनी क्षेत्रों में राजस्व की हानि

1435. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कमान के अन्तर्गत विभिन्न छावनी क्षेत्रों के नागरिक हल्कों में इमारतें बनाने के लिए भूमि के पट्टे के नवीनीकरण से पूर्व किराये की वसूली से सम्बन्धित स्टैंडर्ड तालिका के अनुसार किराये वसूल करने में सेंट्रल कमान के अधीनस्थ छावनी बोर्डों की असफलता के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई है;

(ख) क्या अधिकांश छावनी बोर्ड छावनी संहिता (पट्टे तथा पुरानी अनुदान), छावनी (भूमि प्रशासन) नियम, 1937 तथा छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) क्या सेंट्रल कमान को इस संबंध में कई अभ्यावेदन तथा नोटिस मिले हैं;

(घ) क्या सेंट्रल कमान के अधीनस्थ प्रत्येक छावनी (बोर्ड) की राजस्व हानि का आकलन कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) इस सम्बन्ध में छावनी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) राजस्व की इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) इसमें सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि पट्टे की शर्तों के अनुसार उसके नवीनीकरण के समय ही पट्टे के किरायों को संशोधित किया जाता है, न कि किराए की मानक तालिका के आधार पर।

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिसमें यह कहा गया हो कि छावनी बोर्ड विधि नियमों के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।

(ग) रक्षा सम्पदा निदेशक, मध्य कमान को सम्बोधित कानपुर के एडवोकेट श्री राम बाबू मिश्रा का 20.11.91 का पत्र रक्षा सम्पदा महानिदेशक को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा प्रश्न में उल्लिखित मामलों के बारे में आरोप लगाया है।

(घ) से (छ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में कताई मिलों का आधुनिकीकरण

1436. श्री धर्मभिक्षम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आजमजही मिल सहित कुछ कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कताई मिलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश का कोई भी प्रस्ताव संघ सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 25-11-1991 की स्थिति अनुसार 3 मिलों अर्थात् श्री मारूती टैक्सटाइल लि०, चित्तूर, फेनो फाइबर लि०, निजामाबाद और आजमजाही मिल को छोड़कर श्री कुमारास्वामी स्पिनिंग मिल्स लि०, नेल्लोर के आधुनिकीकरण सहायता के बारे में आवेदन लम्बित हैं।

(ख) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने सितम्बर, 1986 में आई०डी०बी०आई० के अन्तर्गत वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया था जिसमें 5 वर्षों की अवधि के लिए 750 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी जिससे कि वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निधि का एक भाग कमजोर लेकिन अर्थक्षम एककों के लिए उनके प्रवर्तकों के अंशदान के एक प्रमुख भाग (80 प्रतिशत तक) के रूप में निर्धारित किया गया है ताकि वे आधुनिकीकरण सहायता से लाभान्वित हो सकें। विशेष ऋणों पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है। 12 वर्ष की अवधि में लौटाना होता है जिसमें 6 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल है।

बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी

1437. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व बैंक से सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी का सदस्य बनने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी का सदस्य बनने से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत सरकार का बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी का सदस्य बनने का मामला विचाराधीन है।

(ख) बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना सदस्य देशों में गैर व्यापारिक जोखिमों में निवेशकों को निवेश गारंटी देने और विकासशील देशों में उत्पादनात्मक उद्देश्यों के लिए निवेश स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने और सलाह सेवा प्रदान करने के लिए की गई।

सहार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनियमितताएं

1438. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1991 के "ब्लिट्ज" मुम्बई साप्ताहिक में "सहार गगेंपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहाँ तक सीमा शुल्क विभाग का सम्बन्ध है, जैसा कि इस समाचार में आरोप लगाया गया है, किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी को इस तरह के किसी गैर-कानूनी कार्य में शामिल नहीं पाया गया है। वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच-पड़ताल करने के अलावा, सीमा शुल्क गृह की केन्द्रीय आसूचना इकाई भी कदाचारों की जांच के लिए हवाई-अड्डे का लगातार दौरा करती रहती है। हवाई-अड्डे से सम्बन्धित प्रचालनों से न जुड़े व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण रखा जाता है।

जहां तक पुलिस और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सम्बन्ध है, गृह मन्त्रालय और अन्य सम्बन्धित संगठनों से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तस्करी को रोकने हेतु कदम

1439. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तस्करी को रोकने तथा तस्करों को पकड़ने के लिए कोई नए कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को जलपोतों, वाहनों, आग्नेय अस्त्रों और दूर-संचार केन्द्रों की सुविधाओं से लैस किया गया है। एक्स-रे असबाब मशीनों, रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों तथा धातु-खोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत-पाकिस्तान की सुगम्य सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिए अभी हाल ही में ऊपर समाहर्ताओं के प्रभार के अन्तर्गत उप समाहर्तालियों का सृजन किया गया है जिनके मुख्यालय जोधपुर और अमृतसर में हैं। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सीमाशुल्क, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस जैसी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ-ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए भारतीय राष्ट्रिकों के दावे

1440. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए कितने दावे सरकार के पास पेश किए गए हैं;

(ख) स्वीकार किए गए दावों का मूल्य कितना है;

(ग) मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा;

(घ) 1 अप्रैल 1991 को शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास शत्रु सम्पत्ति के कितने मामले राज्यवार लम्बित पड़े थे; और

(ङ) क्या सरकार ने कथित शत्रु सम्पत्ति से सम्बन्धित सम्पत्तियों को हाथ में लेने के लिए एक निश्चित तारीख निर्धारित की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कुल मिलाकर 57,493 अनुग्रह सम्बन्धी दावों के आवेदन पत्र शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास आवेदन पत्र पंजीकृत किए गए थे। अधिकांश पंजीकृत दावों के मामले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से सम्बन्धित लगते हैं।

(ख) सितम्बर, 1991 तक स्वीकृत और भुगतान किए गए अनुग्रह दावों की राशि का मूल्य 68.41 करोड़ रु० है। जांच के अधीन अनिर्णीत दावों के मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन है।

(ग) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक से अगले वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक अनिर्णीत अनुग्रह दावों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय में दर्ज किए गए भूमि और भवनों की अचल सम्पत्ति के 538 मामले हैं। राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों में अचल शत्रु सम्पत्ति

राज्य का नाम	आय प्राप्त करने वाले सम्पत्ति मामलों की सं०
1	2
आन्ध्र प्रदेश	—
असम	2
अन्डमान	1
बिहार	3
कलकत्ता	95
दिल्ली	9
गुजरात	6
गोआ	3
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	1
राजस्थान	—
तमिलनाडु	6

1	2
महाराष्ट्र	13
उ० प्र०	329
हरियाणा	—
केरला	—
पश्चिम बंगाल	69
	538

अनिवासी भारतीयों द्वारा धनराशि जमा किया जाना

1441. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान अब तक, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रति तिमाही कितनी धन-राशि जमा कराई गई तथा इस जमा-राशि में से कितनी निकाली गई;

(ख) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान, मूल देश द्वारा जमा कराई गई कुल धन-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) धन के निवेश को बढ़ावा देने तथा निकासी की गति को धीमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसी सूचना संकलित नहीं है।

(ग) सरकार ने अनिवासी भारतीयों से अन्तर्प्रवाह के संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा दर समायोजन था। अनिवासी भारतीयों के विश्वास को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार और औद्योगिक नीति में संरचनात्मक सुधार शामिल हैं।

विवरण

अनिवासी भारतीय से प्रेषणाओं का तिमाही अन्तर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिलियन अमेरिकी डालर में हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी विनिमय दरों पर आधारित हैं)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा	अनिवासी (वाह्य) लेखा	जोड़
1	2	3	4
1989-90	1159	−41	1118
अप्रैल-जून	(720)	(−25)	(695)

1	2	3	4
जुलाई-सितम्बर	229	—23	206
	(138)	(—14)	(124)
अक्तूबर-दिसम्बर	591	—70	521
	(349)	(—41)	(308)
जनवरी-मार्च	186	130	316
	(109)	(76)	(185)
1990-91	385	—8	377
अप्रैल-जून	(222)	(—5)	(217)
जुलाई-सितम्बर	615	27	642
	(350)	(15)	(365)
अक्तूबर-दिसम्बर	—318	34	—284
	(—176)	(19)	(—157)
जनवरी-मार्च	—426	102	—324
	(—227)	(54)	(—173)
1991-92	—1880	—42	—1922
अप्रैल-जून	(—916)	(—20)	(—936)
*जुलाई-सितम्बर	—892	—88	—980
	(—348)	(—34)	(—382)
*अक्तूबर	—376	— 60	—430
	(—146)	(—23)	(—169)
*1 नवम्बर, 22 नवम्बर	—68		
	(—26)		

*अनन्तिम

कॉटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

1442. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कॉटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1986 के निर्यात सौदे मे बरती गयी विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में दो वर्षों से भी पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या इस रिपोर्ट की जांच में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या विलम्ब के कारण कुछ दोषी अधिकारी अपनी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सी०बी०आई० की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

1443. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, वर्षवार और राज्यवार, भरण-पोषण और/अथवा रसद के लिए कितनी मुस्लिम तलाकशुदा स्त्रियों ने आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ख) कितने मामलों में भूतपूर्व पति के विरुद्ध, रक्त नातेदारों के विरुद्ध, अथवा राज्य वक्फ बोर्ड के विरुद्ध, अलग-अलग, भरण-पोषणारसद के लिए धन के भुगतान का आदेश दिया गया;

(ग) क्या इस अधिनियम की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां तो प्रस्तावित संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित किया जाएगा और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई हैं और ये सांविधानिक न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम स्त्रीय विधि बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। चूंकि यह मामला निर्णयाधीन है, इसलिए सुझावों पर कोई कारंवाई नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मोहनगढ़ के निकट मिग-23 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1444. श्री राजवीर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना का मिग-23 विमान अभ्यास करते समय मोहनगढ़ के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है;

(ग) क्या विमान को अभ्यास पर भेजने से पहले इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी;

(घ) क्या इससे पहले भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। 21 अक्तूबर, 1991 को मोहनगढ़ के पास अभ्यास के दौरान एक मिग-23 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अभ्यास से पूर्व, वायुयान की पूरी तरह जांच की गई थी तथा उसे उड़ान-योग्य प्रमाणित किया गया था।

(घ) और (ङ) मार्च, 1983 में इसी तरह के एक अभ्यास में एक मिग-23 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वह दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी।

[अनुवाद]

एन०सी०सी० को ग्लाइडिंग प्रशिक्षण देने हेतु हवाई पट्टियां देना

1445. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मध्य प्रदेश में एन०सी०सी० (एअर विंग) कैडेटों के ग्लाइडिंग प्रशिक्षण देने के लिए हवाई पट्टियां उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्लाइडिंग प्रशिक्षण न दिये जाने पर कैडेटों को "सी" प्रमाण-पत्र करने तथा भारतीय वायु सेना में भर्ती होने में मुश्किल आती है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) फिलहाल ग्लाइडिंग प्रशिक्षण सुविधाएं मध्य प्रदेश में भोपाल और रायपुर में मौजूद हैं। यद्यपि रायपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन भोपाल में प्रशिक्षण देने का काम तब तक के लिए स्थगित किया गया है जब तक कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर किए गए दावों का निपटारा नहीं हो जाता। इन्दौर में एक नई ग्लाइडिंग पट्टी के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दे दी गई है, जिसका ग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व निर्माण किया जाना है।

(ग) वायु स्क्वॉड्रनों में ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक भाग है लेकिन "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त करने या भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त कर्मचारी

1446. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों में अतिरिक्त कर्मचारियों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों में ऐसे विशेष स्कन्धों का पता लगाया है जहां पर काम काफी कम हो जाने के कारण वे अनावश्यक हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन स्कन्धों को कब तक बन्द कर दिया जायेगा तथा अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य आवश्यक कार्य में लगा दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : यह सुनिश्चित करना सरकार की दृढ़ नीति रही है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कर्मचारी संख्या को सख्तीपूर्वक मानकों तथा उसकी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अन्तर्गत रखा जाए। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को मानकों के अनुसार आवश्यक जनशक्ति का मूल्यांकन करने तथा यदि कोई हो तो फालतू स्टाफ का पता लगाने के लिए आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों के जरिए कर्मचारी-संख्या का अध्ययन कराना अपेक्षित होता है। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक भी यह निर्धारित करने के लिए कि कर्मचारी-संख्या कार्यभार के अनुरूप रहे, अपनी ओर से अथवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध पर अध्ययन करता है। जनशक्ति की आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययनों में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के कार्य-कलापों को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि ऐसे कार्य-क्षेत्रों के बारे में भी सिफारिश की जा सके जो अनावश्यक हो गये हों तथा जिनके लिए जनशक्ति की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता हो। इसलिए, फालतू स्टाफ का पता लगाने का कार्य एक चालू एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है। फालतू पाए गये स्टाफ को मौजूदा रिक्तियों के प्रति खपा लिया जाता है अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सर्पलस सेल (अतिरिक्त कर्मचारी सेल) के जरिए पुनः काम में लगा दिया जाता है।

संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व का अधिकार

1447. **श्री गुरुदास कामत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं को संपत्ति में सह-स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं के अधिकारों संबंधी कानूनों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) इस विषय में विधान बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

व्यापार और निवेश पर मंत्रिमंडल समिति

1448, **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू निर्यात अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापार और निवेश पर मंत्रिमंडल समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने निर्यात के लिए कोई नीति बनाई है तथा निर्यात को प्रभावित किये बिना आयात समावेश उपायों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निवेश पैनल द्वारा अब तक की गई सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) समिति की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री तथा वाणिज्य राज्य मंत्री शामिल है। यह सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के विदेशी व्यापार तथा निवेश से सम्बन्धित प्रस्तावों की समीक्षा करती है।

(ग) समिति की समीक्षाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

अमरीका को साफ्टवेयर का निर्यात

1449. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल** :
श्री अवध कुमार पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मुद्रास्फीति-दर

1450. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1991 के अन्त तक, पिछले छः महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर क्या रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : अक्तूबर, 1991 के अन्त तक पिछले छह महीनों के लिए बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें नीचे दी गई हैं :—

थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

(आधार : 1981-82=100)

महीना	मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत) (अंतिम सप्ताह)
अप्रैल, 1991	11.4
मई, 1991	12.1
जून, 1991	12.3
जुलाई, 1991	14.5
अगस्त, 1991	16.4
सितम्बर, 1991	15.1
अक्तूबर, 1991	13.3

अमरीका के साथ संयुक्त उपक्रम

1451. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल** : क्या [illegible] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सितम्बर, 1991 [illegible] यात्रा के दौरान भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या [illegible] और

(ग) ये संयुक्त उपक्रम कब तक स्थापित किये जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने और माफ करने में की गई अनियमितताएं

1452. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री काशीराम राणा :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले, गुजरात के सूरत और बड़ोदरा जिलों तथा बिहार के पटना रोहतास और भोजपुर जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने और माफ करने के मामलों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ङ) कितने अधिकारी दोषी पाए गए; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जौनपुर (उत्तर प्रदेश), सूरत तथा बड़ोदरा (गुजरात), पटना, रोहतास और भोजपुर (बिहार) सहित देश के विभिन्न भागों से ऋणों की मंजूरी, संवितरण और ऋणों की माफी से संबंधित प्राप्त शिकायतों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कथित रूप से बरती जाने वाली अनियमितताओं को सरकारी क्षेत्र के संबंधित बैंक के साथ उपचारी कार्रवाई करने के लिए उठाया जाता है। जहां तक अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने और हानियों तथा समझौता प्रस्तावों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए अपने विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए कहा है। बैंक अपनी शाखाओं का आवधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का सांविधिक निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणों के दौरान ऋण मूल्यांकन तथा अन्य मामलों से संबंधित कई कमियों का पता चलता है। बैंकों द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों समेत कर्मचारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1553. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री राम बदन :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या तथा इनकी लम्बाई कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके विकास पर खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ग्यारह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरते हैं और उनकी लम्बाई 2613 कि०मी० है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके विकास पर 159.46 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	विकास कार्यों पर खर्च (करोड़ रु०)
1988-89	38.70
1989-90	55.60
1990-91	65.16
कुल :	159.46 करोड़ रु०

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूती धागा मिलें

1454, श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सूती धागा मिलों की, राज्य वार संख्या क्या है;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा तथा बिजली करघा उद्योगों की मांगें पूरी कर सकते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले तथा बिहार के पटना, रोहताश और भोजपुर जिलों में नयी धागा/सूती धागा मिलों को स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी मिलों की स्थापना किये जाने का विचार है; और

(ङ) इन मिलों को कब तक स्थापित किया जा रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) संलग्न सूची के अनुसार 115 मिलें हैं।

(ख) सहकारी क्षेत्र में मिलों के अतिरिक्त हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग की मांग को अन्य क्षेत्रों जैसे निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों आदि द्वारा भी पूरा किया जाता है।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति अनुसार सहकारी क्षेत्र में यार्न का उत्पादन करने वाली सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या निम्नांकित प्रकार है :—

राज्य	सहकारी मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
असम	1
बिहार	3
गुजरात	5
हरियाणा	1
कर्नाटक	8

1	2
केरल	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	6
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	19
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी	1
	115

किसानों को बैंक ऋण

1455. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री काशी राम राणा :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश में किसानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितनी धनराशि के ऋण दिये; और

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि के ऋणों की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में जून, 1987, जून, 1988 और जून 1989 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राशि निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

राज्य	को समाप्त वर्ष (जून)	राशि
1	2	3
उत्तर प्रदेश	1987	235
	1988	259
	1989	310

1	2	3
गुजरात	1987	162
	1988	186
	1989	181
मध्य प्रदेश	1987	194
	1988	194
	1989	200

(ख) तदनुरूप अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपये)

राज्य	समाप्त वर्ष (जून)	मांग	वसूली
उत्तर प्रदेश	1987	436	253
	1988	458	263
	1989	560	324
गुजरात	1987	251	129
	1988	241	128
	1989	349	204
मध्य प्रदेश	1987	221	102
	1988	247	129
	1989	327	188

नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उपर्युक्त सूचना जिलावार प्राप्त नहीं होती है।

महाराष्ट्र में 250 टी०सी०डी० के आधारभूत नवीन चीनी संयंत्रों को लगाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु लम्बित अभ्यावेदन

1. शिवशक्ति आदिवासी एस०एस०के० लि०, बुलढाना जिला।
2. अकोला एस०एस०के० लि०, बर्शिताली, जिला अकोला।
3. संत मुक्ताबाई एस०एस०के० लि०, इदिलाबाद, जिला जलगांव।
4. राम गणेश गडकारी एस०एस०के० लि०, सोनेर, जिला नागपुर।
5. शेतकारी एस०एस०के० लि०, हिंगनघाट, जिला वर्धा।
6. अम्बा एस०एस०के० लि०, अंजनगांव, जिला अमरावती।

7. श्री कोंडेश्वर एस०एस०के० लि०, गांव नन्दगांव खाण्डेश्वर, जिला अमरावती।
8. जारांदेश्वर एस०एस०के० लि०, तालुका कोरेगांव, जिला सतारा।
9. संगोला तालुका एस०एस०के० लि०, वाकी, जिला सोलापुर।
10. केदारेश्वर एस०एस०के० लि०, बोधेगांव, जिला अहमदनगर।
11. विदर्भ एस०एस०के० लि०, जिला नागपुर।
12. श्री बागेश्वरी एस०एस०के० लि०, वरपाल, जिला जालना।
13. इंदिरा एस०एस०के० लि०, अक्कलकोट, जिला सोलापुर।
14. इंदिरा एस०एस०के० लि०, पुसेगांव, जिला परभनी।
15. जय अम्बिका एस०एस०के० लि०, कांधुर, जिला नांदेड़।
16. श्री संत तुकाराम एस०एस०के० लि०, हिंजनवाड़ी, जिला पुणे।
17. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर एस०एस०के० लि०, जजनूर, जिला लातूर।
18. घोडगंगा एस०एस०के० लि०, शिरासगोंकाटा, जिला पुणे।
19. बालाघाट शेतकरी, एस०एस०के० लि०, उजाना, जिला लातुर।
20. अजरा एस०एस०के० लि०, गावसे, जिला कोलहापुर।
21. पुष्पदांतेश्वर, एस०एस०के० लि०, समशेरपुर, जिला धुले।
22. पदमश्री डॉ० विट्ठलराव विखे पाटिल, एस०एस०के० लि०, कैज तालुका, जिला बीड।
23. नरसिंहमा एस०एस०के० लि०, लोहगांव, अहमदपुर तालुका, जिला परभनी।
24. भाऊराव चह्वान, एस०एस०के० लि०, जिला बाबुल गांव।
25. जात तालुका एस०एस०के० लि०, जिला सांगली।
26. पुष्पावती एस०एस०के० लि०, जिला याबतमाल।
27. जयवंतराव पाटिल, एस०एस०के० लि०, जिला नांदड।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा

1456. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इन बैंकों के कार्यकलापों को उदार बनाने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत में विदेशी बैंकों के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त की स्थिति के संदर्भ में समीक्षा करता है।

(ख) और (ग) विदेशी बैंकों के कार्यकरण में उदारीकरण के मामले में नरसिंहम समिति का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसने 20-11-91 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। समिति की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श कर कार्रवाई की जाएगी।

सिकन्दराबाद छावनी

1457. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दराबाद छावनी में सैनिकों की संख्या राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस छावनी में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वहाँ कितनी नई डिवीजनें अथवा यूनिटें स्थापित की जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री श्री शरद पवार : (क) से (घ) किसी भी छावनी की स्थान-स्थिति और उसकी नफरी का सम्बन्धित राज्य की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। संक्रियात्मक आवश्यकताओं, पर्याप्त भूमि और आधार-भूत सुविधाओं की उपलब्धता और रेल व सड़क से उस स्थान तक पहुंचने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं।

फिलहाल, सिकन्दराबाद में अतिरिक्त सैनिक फॉरमेशन/यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोवियत संघ को ऋण की अदायगी

1458. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को पहले के भारी ऋण की कितनी धनराशि की अदायगी की जानी है;

(ख) क्या सरकार को आश्वासन दिया गया है कि ऋण की अदायगी रुपयों में होगी;

(ग) यदि हां, तो सोवियत संघ के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण इस संबंध में उसके विचार हैं; और

(घ) भविष्य में सोवियत संघ के साथ विदेशी मुद्रा के मामले में क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, उस समय की मौजूदा विनिमय दर एक रूबल=23.4019 रु० पर सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को वापसी अदायगी की जाने वाली ऋण राशि 2204.34 करोड़ रुपए होती है।

(ख) से (घ) प्रवृत्त करारों के अनुसार, सोवियत ऋण रूबल में प्रदान किए जाते हैं और मूल राशि एवं ब्याज का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाता है, जिसका उपयोग

सोवियत प्राधिकारियों द्वारा सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं की खरीद में किया जाता है। इस प्रकार, ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत की जाने वाली ऋण परिशोधन की अदायगी में कोई मुक्त विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

1459. **श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने हेतु अनेक प्रस्ताव भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नई सहकारी चीनी मिलों को शीघ्र वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र से सहकारी क्षेत्र में 2500 टी०सी०डी० के निम्नतर स्तर (ग्रास रूट) की नई चीनी परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए आज की स्थिति के अनुसार संस्थाओं के पास 27 अभ्यावेदन विचारार्थ लंबित है।

(ख) इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। महाराष्ट्र से आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सहायता मांगे जाने के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में ग्रास रूट चीनी परियोजनाओं के लिए संस्थाओं को आवेदन मिले हैं। एन०सी० डी०सी० ने, जिससे नयी सहकारी समितियों की इक्विटी में 50% अंशदान करने की अपेक्षा की जाती है, संसाधनों की कमी के कारण अखिल भारतीय स्तर पर कुछ एककों को छोड़कर बाकी एककों को सहायता प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाल ही में चीनी उद्योग के बारे में किए गए अध्ययन से पता चला है कि हाल के वर्षों में ग्रास रूट संयंत्रों की स्थापना लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण, चीनी की कीमतों में तदनुरूप वृद्धि किए बगैर गन्ने के मूल्य में वृद्धि और सरकार की प्रोत्साहन योजना को उदार बनाए बगैर, नये संयंत्रों की सक्षमता संदिग्ध हो गयी है। इनकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि प्रोत्साहनों में, जो आजकल की 35 करोड़ रुपए की लागत के मुकाबले में 21 करोड़ रुपए की लागत पर आंके गए थे, वृद्धि की जाए।

(ग) 7 सितम्बर, 1990 से आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति तक दिए गए/दिए जाने वाले लाइसेंसों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाओं की तैयारी सरकार के विचाराधीन है।

छावनी-क्षेत्रों का पालिका समितियों को अन्तरण

1460. **श्री मुकुल वासनिक** :

डा० वसन्त एन० पवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार छावनी-क्षेत्रों को पालिका समितियों को अन्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार ने असैनिक छावनी क्षेत्रों को पालिका समितियों को हस्तान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है ।

[हिन्दी]

चुराए हुए आर०ई०पी० लाइसेंसों की सहायता से वस्तुओं का आयात

1461. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 से 31 अगस्त 1991 तक चोरी हुए आर० ई० पी० लाइसेंसों के मूल्य का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन आयातकों की जिनके लाइसेंस चोरी हुए हैं; लाइसेंसों की कितनी प्रमाणित प्रतियां जारी की गई;

(ग) यदि उन्हें प्रमाणित प्रतियां नहीं दी गई हैं तो इनके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में आयातकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान चुराए हुए लाइसेंसों के माध्यम से अनुमानित कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(छ) सरकार ने इन चुराए लाइसेंसों द्वारा आयात करने वालों के विरुद्ध क्या कारंवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग), (च) और (छ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) लाइसेंस प्रदान करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक्सिम स्क्रिप/अतिरिक्त एक्सिम स्क्रिप/विशेष अतिरिक्त एक्सिम स्क्रिप प्रारंभ में जारी करते समय किसी भी हालत में निर्यातकों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उसे प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को स्वयं व्यवस्था करनी होगी । वे व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंटों/बैंकरों के माध्यम से उचित रसीद पर और इसके लिए प्रमाण/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करके ही इसे विधिवत लाइसेंसिंग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

निजी गैर सरकारी संस्थाएं

1462. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अब तक देश के अनेक भागों में कुछ ऐसी गैर-सरकारी नान-बैंकिंग संस्थाओं/कम्पनियों को मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है जो स्वतंत्र रूप से बैंकों के रूप में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर बैंककारी संस्थानों/कम्पनियों द्वारा पूर्ण रूपेण बैंकों के रूप में काम करने सम्बन्धी कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो, आगरा में चोरी की घटनाएं

1463. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, आगरा में चोरी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार अनुमानित कितनी लागत के उपकरणों की चोरी हुई;

(ग) क्या चोरी की इन घटनाओं की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार ने इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(च) क्या चोरी की इन घटनाओं में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ भी पाया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, आगरा में भविष्य में उपकरणों की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पंवार) : (क) से (ज) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. वर्ष 1989 में केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा में चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है लेकिन वर्ष 1990 में एक बार और वर्ष 1991 में दो बार चोरी के प्रयास किए जाने की रिपोर्ट हैं। वर्ष 1990 में एक महिला मजदूर के पास से दो प्रिसमैटिक कम्पास बरामद हुए। आरम्भिक जांच-पड़ताल के बाद उस महिला मजदूर, उसके दो पुरुष साथियों और सम्बन्धित "शेट" के स्टोर कीपर को निलंबित कर दिया गया। स्टाफ जांच अदालत अभी मामले की जांच कर रही है।

2. वर्ष 1991 में हुई चोरी की पहली घटना में दिनांक 3 जनवरी, 1991 को "शेट" की दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई थी। यद्यपि कोई भी वस्तु गुम नहीं हुई थी फिर भी, पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।

3. वर्ष 1991 में हुई चोरी की दूसरी घटना, जो 17/18 सितम्बर, 1991 की रात को हुई थी उसमें 88 प्रिसमैटिक कम्पास की चोरी किए जाने का प्रयास किया गया था। संदिग्ध कर्मचारियों को पकड़ लिया गया और पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विस्तृत रूप से भंडार की पूरी जांच करने पर पता चला कि 1908 अदद सेवायोग्य दिक्सूचक (कम्पास) और 859 मरम्मत-योग्य दिक्सूचक (कम्पास) भंडार में कम पाए गए/गुम हुए कम्पासों का मूल्य लगभग 37,40,634/-रु० हैं। इस सम्बन्ध में स्टाफ जांच अदालत मामले की जांच कर रही है।

4. अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इनमें किसी विदेशी ऐजेन्सी का हाथ है।

5. डिपो की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. डिपो के भीतर/बाहर गश्त की अन्तराल अवधि कम कर दी गई है।

2. हाल ही में पहरा चौकियों पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

3. हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले डिटैक्टरों/डोर मेटल फ्रेम जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है।

4. गेट में प्रवेश करते समय या गेट से बाहर जाते समय कर्मचारियों की पूरी तलाशी ली जानी शुरू कर दी है।

5. तुरन्त कार्रवाई करने के लिए अलग से एक सशस्त्र दल भी तैनात किया गया है जो नियमित अन्तराल में सुरक्षा सम्बन्धी जांच-पड़ताल करता रहता है।

मिश्रित धागे का निर्यात

1464. **श्री राजवीर सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिश्रित धागे का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या लक्ष्य रखे गये हैं; और

(ग) इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पहले से ही ब्लेंडिड यार्न का निर्यात कर रहा है और वर्ष 1990-91 के दौरान इसके निर्यात 14.50 करोड़ रु० मूल्य के हुए।

(ख) और (ग) सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1991-92 के दौरान ब्लेंडिड यार्न के लिए 75 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल-सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान निर्यात पहले ही 40.35 करोड़ रु० तक पहुंच गए हैं।

[अनुवाद]

25 प्रमुख कर दाता

1465. श्री मोरेश्वर सावे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सबसे अधिक आयकर देने वाले प्रथम पच्चीस आयकर दाता कौन-कौन हैं और उनके व्यवसायों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक ने गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार कितना कर अदा किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : देश में 20 शीर्षस्थ आयकर दाताओं के बारे में कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए उनकी विवरणीगत आय (वार्षिक) के क्रमानुसार सूचना; वर्ष 1988-89 से 1990-91 के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में उनके द्वारा अदा किया गया आयकर; तथा उनके व्यवसाय के बारे में सूचना इसके साथ विवरण संलग्न है। 20 शीर्षस्थ आयकरदाताओं के बारे में इस तरह की सूचना को, जो प्रत्येक वर्ष संकलित की जाती है, समेकित करने में सामान्यतया काफी समय लगता है। लेकिन 25 शीर्षस्थ आयकरदाताओं के बारे में सूचना एकत्र करने तथा उसे समेकित करने में और भी अधिक समय लगने के साथ-साथ परिश्रम भी लगेगा जोकि प्राप्तव्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा।

विवरण

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	व्यवसाय	निम्नलिखित कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कर प्रदा किया गया (लाख रु० में)		
			1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम, बम्बई।	बीमा-कारोबार	12560	12521	16446
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून।	तेल खोज	54046	50607	429
3.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, बम्बई।	पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	15906	15153	17630
4.	महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली।	टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना	2480	7057	7706
5.	ऑयल इंडिया लि०, कलकत्ता।	तेल खोज	2461	5666	4490
6.	विदेश संचार निगम, बम्बई।	समुद्रपारीय दूर-संचार	5872	4891	4964
7.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, नई दिल्ली।	विद्युत तथा इंजीनियरिंग माल का विनिर्माण तथा परियोजनाएं स्थापित करना।	7088	9692	6994

1	2	3	4	5	6
8.	इण्टरनैशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली।	राष्ट्रीय हवाई अड्डों की साज-सज्जा/उन्हें स्थापित करना, उनका रख-रखाव करना तथा परियोजनाएं स्थापित करना।	3680	3752	4482
9.	बैंक आफ इंडिया, बम्बई।	बैंकिंग कम्पनी	6698	7298	7022
10.	मै० मिनरल्स एण्ड मीटल्स ट्रेडिंग कं० लि०, नई दिल्ली।	खनिज तथा धातु व्यापार	2035	3196	3915
11.	ब्रुक बांड्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।	डिब्बाबंद चाय, काफी तथा मसालों का व्यापार	1221	2765	2000
12.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बम्बई।	पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण।	1964	3271	2802
13,	कॉलगेट पामोलिव लि०, बम्बई।	श्रृंगार प्रसाधन आदि का विनिर्माण।	1593	2799	2664
14.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई।	मौलिक रसायन, उर्वरक, उपभोक्ता उत्पाद, साबुन तथा डिटर्जेंट।	4751	4644	4460
15.	सामान्य बीमा निगम, बम्बई।	बीमा-कारोबार	3036	4383	4414

16. स्टेट बैंक आफ पटियाला, पटियाला ।	बैंकिंग कम्पनी	1576	2775	2800
17. मै० आई०टी०सी० लि०, कलकत्ता ।	होटल, तम्बाकू तथा कागज विनिर्माण का कारोबार	222	3700	3786
18. मै० ग्रिन्डलेज बैंक, कलकत्ता ।	बैंकिंग कम्पनी	2237	2978	2828
19. भारत पेट्रोलियम लि०, बम्बई ।	पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	1465	2005	5070
20. इंडियन एयरलाइंस, नई दिल्ली ।	हवाई परिवहन	4500	2356	शून्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण

1466. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बी ज्ञोभनाद्रीश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय अनुसंधान विभाग के निदेशक के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को ऋण देने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कितना तथा किन शर्तों के अधीन देने के लिए सहमत हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट के निदेशक ने अपना भारत यात्रा के दौरान 21.10.1991 को वित्त मंत्री से मुलाकात की थी।

(ख) उनके बीच हुई बातचीत, वित्तीय समेकन के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयायों पर केन्द्रित थी।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड द्वारा एक अस्थायी व्यवस्था के तहत 31.10.91 को 165.6 करोड़ एस०डी०आर० की राशि अनुमोदित की गई थी। इनमें से 850 लाख एस०डी०आर० की निकासी 15.11.91 को की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधन प्राप्त करने से संबंधित शर्तों पर समझौता हो गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपाय वही हों जो देश के सर्वोत्त आर्थिक हित में ठीक समझे जाते हैं।

विदेशी निवेश में अड़चनें

1467. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने अपने हाल के नई दिल्ली के दौरे के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के नीतिगत पहलुओं को अनुत्क्रमणीय बताया है और सरकार से विदेशी निवेश के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक द्वारा दर्शायी गई अड़चनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उक्त अड़चनों को दूर करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना पर अध्ययन दल की रिपोर्ट

1468. श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु नीति का सुझाव देने के लिए गठित किए गए अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) उपरोक्त (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु नीति सुझाने के लिए गठित अध्ययन दल की प्रमुख सिफारिशें।

(i) नए स्टाक एक्सचेंचों की अवस्थिति और अतिरिक्त व्यापारिक स्थानों से सम्बद्ध स्वीकृति बृहत आर्थिक और सूक्ष्म आर्थिक दोनों मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए।

(ii) उच्चस्तर की व्यापारिक, निपटान, निकासी और निक्षेप सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायक एजेंसियों के साथ एक राष्ट्रीय स्टाक बाजार व्यवस्था की स्थापना की जाए।

(iii) न्यू बम्बई, नागपुर, ग्वालियर, चण्डीगढ़ और शिमला में पांच स्टाक एक्सचेंजों के संवर्धन हेतु सरकार स्वीकृति दे सकती है।

(iv) न्यू बम्बई में प्रस्तावित स्टाक एक्सचेन्ज को राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के रूप में कार्य करना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नया विपणन प्रपत्र जारी करना

1469. श्री चेतन पी०एस० चौहान :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का नया विपणन प्रपत्र जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रपत्रों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कितनी धन-राशि संग्रहीत करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अगले कुछ महीनों में गैर जमानती सार्वजनिक बॉण्ड जारी करने का प्रस्ताव है।

निवेशकर्ताओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए इन बाण्डों को तीन प्रकार से जारी करने का प्रस्ताव है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(i) **अपरिवर्तनीय बाण्ड संचयी योजना (क्रम-I)**

अंकित मूल्य	5000 रुपए
ब्याज दर	15% वार्षिक छमाही तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज
शोधन	अलाटमेंट की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर
शोधन प्रीमियम	अंकित मूल्य का 5% अर्थात् 250 रुपए
ब्याज स्ट्रिप	5000 रुपए के अंकित मूल्य के साथ 16,500 रुपए के अंकित मूल्य की एक अलग स्ट्रिप लगी होगी जो 10 वर्ष के लिए देय ब्याज और शोधन प्रीमियम को कवर करेगी।

(ii) **अपरिवर्तनीय बाण्ड असंचयी योजना (क्रम-I)**

अंकित मूल्य	5000 रुपए
ब्याज दर	15% वार्षिक छमाही तौर पर देय।
शोधन	अलाटमेंट की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर।
शोधन प्रीमियम	अंकित मूल्य का 5% अर्थात् 250 रुपए।
शोधन मूल्य	5,250 रुपए।

(iii) **डीप डिस्काउंट बाण्ड (क्रम-II)**

अंकित मूल्य	1,00,000 रुपए
जारी मूल्य	2,700 रुपए (इसे जारी करते समय अन्तिम रूप दिया जाएगा)
शोधन:	अलाटमेंट की तारीख से 25 वर्ष की समाप्ति पर।

इन तीनों लिखितों को देश के प्रमुख स्टाक एक्सचेंज पर सूचीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ग) ब्याज, जो अनन्तिम रूप से 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि किया जाएगा, उसे जारी करते समय अन्तिम रूप दिया जाएगा और इसे अपरिवर्तनीय बाण्डों की संचयी और असंचयी दोनों स्कीमों पर लागू किया जाएगा।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का 300 करोड़ रुपए प्राप्त करने का विचार है और उसे अतिरिक्त अंशदान को रखने का विकल्प भी हासिल होगा।

क्षेप कर लगाना

1470. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :**

श्रीमती [illegible] सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेप कर लगाने के प्रस्ताव पर काफी समय से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श तथा परामर्श किए गए हैं जिस पर सामान्यतः सभी सहमत हों।

[हिन्दी]

पौड़ी और चमोली जिलों में सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का रख-रखाव

1471. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में सीमा सड़क संगठन द्वारा जिन सड़कों का रख-रखाव किया जाता है उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या श्रीनगर-पौड़ी-लैंसडाउन-कोटद्वार मोटर-मार्ग को सीमा सड़क संगठन को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी तथा चमोली जिलों में निम्नलिखित सड़कों का रख-रखाव सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है :

1. ऋषिकेश—श्रीनगर—जोशीमठ
   (सड़क का कुछ भाग टिहरी जिले में पड़ता है)
2. जोशीमठ—बद्रीनाथ—माणा
3. जोशीमठ-मलारी
4. मलारी—गिरथी डोबाला
   (निर्माणाधीन)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी०टी०सी० बसों का अनुरक्षण और रख-रखाव

1472. **श्री जीवन शर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "दोज डर्टी

बंच्ड डी०टी०सी० बसेज विद डेच्ड स्लोगन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो डी०टी०सी० की बसों की उपयुक्त अनुरक्षण और रख-रखाव तथा दिल्ली के बस यात्रियों को कुशल बस-सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या डी०टी०सी० के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों की दशा भी बेहतर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सड़कों पर ठीक से न चलने लायक प्राइवेट बसों का प्रचालन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दि०प०नि० को उनकी बसों का उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दि०प०नि० ने अपनी बस सेवाओं में सुधार के प्रयोजन से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) वाहन निर्माताओं की सिफारिशों के अनुसार दि०प०नि० के वाहनों का रख-रखाव किया जाता है और नियमित रूप से इस पर निगरानी रखी जा रही है।

(ii) दि०प०नि० द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करने के रूप में कुछ धुंआ मीटर और लगाए गए हैं।

(iii) तकनीकी स्टाफ को वाहनों के डिजाईन और रख-रखाव सम्बन्धी प्रौद्योगिकीय सुधारों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के कई मामले दि०प०नि० के ध्यान में आए हैं और इन सभी मामलों में दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

पटसन पैकेजिंग सामग्री के निर्यात की सम्भावनायें

1473. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग में पटसन पैकेजिंग सामग्री का कितना प्रतिशत उपयोग हो रहा है;

(ख) क्या सरकार अन्य उद्योगों में भी हाई डेन्सिटी पोली ईथलीन (एच०डी०पी०ई०) बोरों के स्थान पर पटसन पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का विचार कर रही है ताकि पॉलिमर का आयात कम किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री के निर्यात के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के क्षेत्र का विस्तार करने और इसे सुदृढ़ करने का है जिससे घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए पटसन पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत जारी आदेशों के अन्तर्गत यूरिया के समस्त उत्पादन को अनिवार्य रूप से पटसन के सामान में पैक करना अपेक्षित है। अन्य प्रकार के उर्वरकों को किसी भी अन्य सामग्री में पैक किए जाने की स्वतन्त्रता है।

विशिष्ट सामग्रियों जैसे खाद्यान्न, चीनी, यूरिया, सीमेंट और जूट के आरक्षण के आर्डरों की समय-समय पर जूट की खपत को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाती है और जूट उद्योग में कच्चे जूट के उत्पादन में लगे लोगों को ध्यान में रखा जाता है। इस समय पटसन सामग्री में अन्य क्षेत्रों की पैकेजिंग के आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी अन्य उद्योग बिना किसी बाध्यता के स्वतन्त्र रूप से पटसन पैकेजिंग सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

सरकार का यह विचार है कि पटसन पैकेजिंग क्षेत्र तथा सिंथेटिक प्लास्टिक एककों के हित सामंजस्यपूर्ण बने रहें तथा दोनों ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वैध भागीदार रहें। पैकेजिंग सामग्री के रूप में पटसन का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है और ऐसे निर्यातों के बढ़ने की संभावना है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1474. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी धनराशि के ओवरड्राफ्ट लिये थे;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरड्राफ्टों पर कोई सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित सीमा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्टों पर कितनी ब्याज दर लगाई जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) 1.4.1990 और 1.4.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के खातों में उनके प्रारम्भिक समायोजित ओवरड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। संघ राज्य क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन नहीं करते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के खातों में उनके द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्ट की राशि की कोई सीमा नहीं है। तथापि, ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम में ओवरड्राफ्ट की सात क्रमिक कार्य-दिवसों की सीमा निर्धारित की गई है जिसके बाद उनके खातों से भुगतान करना बंद कर देना होता है।

(घ) ओवरड्राफ्टों पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित दर पर ब्याज लेता है :

(i) 7 दिन तक　　: बैंक दर

(ii) 7 दिन से अधिक　　: बैंक दर से 3% से अधिक

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के खातों में उनके प्रारम्भिक समायोजित ओवरड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण पत्र।

राज्य		1.4.1990	1.4.1991
		को राज्यों के प्रारम्भिक समायोजित ओवरड्राफ्ट (करोड़ रुपए में)	
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.43	28.00
3.	असम	166.96	105.36
4.	बिहार	41.62	266.91
5.	गोवा	—	—
6.	गुजरात	—	—
7.	हरियाणा	25.19	—
8.	हिमाचल प्रदेश	129.32	90.15
9.	जम्मू और कश्मीर*		
10.	कर्नाटक	—	—
11.	केरल	29.43	59.24
12.	मध्य प्रदेश	—	38.02
13.	महाराष्ट्र	—	—
14.	मणिपुर	35.63	20.95
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	12.75	27.14
17.	नागालैण्ड	29.79	74.41
18.	उड़ीसा	93.05	35.93
19.	पंजाब	—	—
20.	राजस्थान	8.54	94.73
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	68.52	126.26

* भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन नहीं करते हैं।

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	25.41	11.45
24.	उत्तर प्रदेश	35.21	160.16
25.	पश्चिम बंगाल	—	—
	जोड़	714.85	1138.71

पुणे छावनी बोर्ड द्वारा प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायता-अनुदान बन्द करना

1475. **श्री राम कापसे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे छावनी बोर्ड ने अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत उन स्कूलों, जो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं, को दिये जाने वाले सहायता-अनुदान में अपना हिस्सा देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। पुणे छावनी बोर्ड, छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे स्कूलों को दी जाने वाली अनुदान सहायता में अपना हिस्सा देता आ रहा है।

नायलान फिलामेंट यार्न, पालिएस्टर फिलामेंट यार्न तथा पालिएस्टर स्टैपल फाइबर का मूल्य

1477. **श्री छीतुभाई गामित** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलान फिलामेंट यार्न, पालिएस्टर फिलामेंट यार्न और पालिएस्टर स्टैपल फाइबर के मूल्यों में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा परिकलित उचित-दर बिक्री मूल्यों की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) क्या उक्त मदों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल (आयातित और स्वदेशी दोनों) के मूल्यों में कोई परिवर्तन हुआ है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जबकि पौलिस्टर स्टैपल फाइबर और पालिस्टर फिलामेंट यार्न की बिक्री कीमतें बी०आई०सी०पी० की नामोटिव कीमरों से मामूली अधिक हैं। फिर भी नायलोन फिलामेंट यार्न की बिक्री कीमतें इस समय बी० आई० सी० पी० नामेंटिव कीमतों से कम हैं।

(ख) मूल अन्तर-निविष्टियों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार इन फाइबरो/यार्न की कीमतों की नियमित रूप से समीक्षा और मानिट्री

*भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन-देन नहीं करते हैं।

करती रही है और समय-समय पर कताई कर्त्ताओं और बुनकरों के बीच बैठकें भी आयोजित करती रही है ताकि इन फाइबर/यार्नों की यथोचित कीमतें सुनिश्चित की जा सकें।

सोवियत संघ को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात

1477. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सोवियत संघ को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात नगण्य रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए सोवियत संघ के किसी दल ने भारत का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) : जी, नहीं। बल्कि सोवियत संघ को भेषजीय उत्पादों के निर्यात वर्ष 1988 में 81.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 1989 में 170.6 करोड़ रुपए और वर्ष 1990 में 358.5 करोड़ रुपए के हो गए।

(ख) और (ग) व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों के लिए सोवियत संघ से प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर भारत का दौरा करते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों में बदले गये राज्य राजमार्गों की लम्बाई

1478. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्य राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में कोई राज्य-राजमार्ग नहीं जोड़ा गया।

जब्त किए गए माल का निपटान

1479. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास जब्त किए गए माल की स्टॉक कितना था;

(ख) इस माल के निपटान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) जब्त किए गए उक्त माल का कब तक निपटान किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : 30 सितम्बर, 1991 को सीमाशुल्क विभाग के स्टॉक में लगभग 166.74 करोड़ रुपए के मूल्य का जब्तशुदा माल पड़ा था। पहली नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार कुल स्टॉक के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा सोने और चांदी को भारत सरकार के टकसालों में जमा करा दिया जाता है। व्यापारिक-माल को सार्वजनिक निलामियों में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता माल को थोक में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और अन्य सहकारी समितियों को बेच दिया जाता है।

ऐसे माल को सेना/पुलिस/अर्द्धसैनिक कैंटीनों को भी बिक्री के लिए दे दिया जाता है। जब्तशुदा उपभोक्ता माल का एक थोड़ा सा भाग "पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमा शुल्क की खुदरा दुकानों के जरिए खुदरा आधार पर भी बेचा जाता है। समय बीतने के साथ माल को खराब होने से बचाने के लिए माल की बिक्री करके जल्दी आय प्राप्त करने और भण्डारण स्थान का इष्टतम उपयोग करने आदि के लिए थोक बिक्रियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त जब्तशुदा माल के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तरह का निपटान बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें सभी प्रकार की विभागीय/अदालती कार्यवाहियों को पूरा करना शामिल है।

सशस्त्र सेनाओं में चिकित्सा अधिकारियों का समयपूर्व सेवानिवृत्त होना

1480. **श्री० सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं मे समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले चिकित्सा अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कितने चिकित्सा अधिकारी सेवानिवृत्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सेनाओं में चिकित्सा अधिकारियों के लिए न्यूनतम दस वर्ष की अवधि की सेवा पूरी करना अनिवार्य करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले तथा सेवानिवृत्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले अधिकारियों की संख्या	समयपूर्व सेवानिवृत्त किए गए अधिकारियों की संख्या
1988	57	44
1989	84	38
1990	72	29

(ग) अधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख करना होता है। इन अधिकारियों ने सामान्यतः यह कारण दिया है कि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को उनसे पहले पदोन्नत किया गया है अथवा उनकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं।

(घ) जी, नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में संकट

1481. श्री राम बदन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ पूर्वी जिले में हथकरघा उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो समाप्त हो रहे हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ आधार प्रदान करने और हथकरघा उत्पादों, विशेषरूप से बनारसी साड़ियों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) बनारसी साड़ियों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनका कितना निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार को ऐसे किसी संकट की जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में हथकरघा बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है। गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों के लाभ के लिए चालू वर्ष के दौरान निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी देने की एक योजना भी आरंभ की गई है। आठवीं योजना के दौरान प्रशिक्षण देने, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, करघों के आधुनिकीकरण, विपणन सहयोग के प्रावधान आदि पर विशेष बल दिया जाऐगा ताकि बुनकर मूल्यवान उत्पाद और निर्यात बाजारों के लिए उपयुक्त उत्पादों का उत्पादन कर सकें।

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 और वर्ष 1990-91 के दौरान क्रमश: 319.65 करोड़ रुपये और 383.51 करोड़ रुपये और 307,59 करोड़ रुपये मूल्य की रेशम हथकरघा मदों का निर्यात किया गया। उत्पादन वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं। बनारसी साड़ियों का निर्यात सामान्यत: कनाडा, यू० के०, मॉरिसस और सिंगापुर जैसे देशों में किया जाता है।

[अनुवाद]

एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर प्रतिबंध

1482. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा और विधान सभा चुनावों के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से भरते हैं;

(ख) क्या इससे चुनाव प्रक्रिया में बड़ी समस्यायें पैदा होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो केवल एक ही स्थान से चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कुछ अभ्यर्थी, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामनिर्देशन फाइल करते हैं।

(ख) यदि कोई व्यक्ति लोक सभा या राज्य सभा विधान सभा के लिए या लोक सभा और राज्य विधान सभा दोनों के लिए एक से अधिक स्थानों से निर्वाचित होता है तो उसे एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से त्यागपत्र देना होगा। ऐसे सभी मामलों में उप निर्वाचन कराना पड़ता है जिसके कारण राजकोष, अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को भारी खर्च करना पड़ता है और बार-बार मत डालने में मतदाताओं को भी असुविधा होती है। यदि निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करना होता है।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 में, जो राज्य सभा में विचाराधीन है, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

सीमाशुल्क की वसूली पर आयात में कटौती का प्रभाव

1483. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात में कटौती का सीमाशुल्क की वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो बजट आकलनों और चालू वर्ष के दौरान आज तक सीमाशुल्क की वास्तविक वसूली के बीच कितना अन्तर है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमाशुल्क राजस्व में कमी को रोकने के लिए सरकार, कर प्रशासन को सुदृढ़ करने, माल की शीघ्रता से निकासी करने और माल के आयात और उसकी अंतिम तौर पर निकासी करने के बीच लगने वाले समय को कम करने आदि, जैसे सभी संभव कदम उठा रही है। बकाया पड़ी राशियों में कमी लाने के लिए भी कार्यवाई की गई है और उसके द्वारा आयकर, कंपनीकर तथा उत्पाद शुल्कों की वसूलियों में वृद्धि होगी ताकि कुल कर राजस्व वसूलियों में होने वाली कमी को न्यूनतम किया जा सके। चूंकि ये उपाय अभी हाल ही में किए गये हैं, अतः संभावित कुल वसूलियों और उसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों तथा संभावित वास्तविक प्राप्तियों के बीच के अन्तर के बारे में इतनी जल्दी कोई अनुमान लगाना समय पूर्व होगा।

[हिन्दी]

सिंगापुर के साथ व्यापार

1484. श्रीमति सुमित्रा महाजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और सिंगापुर के बीच इस समय कितना व्यापार होता है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान आयात और निर्यात की गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ग) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, अप्रैल-अगस्त, 1991 की अवधि के दौरान सिंगापुर को भारत ने 351.84 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात किया और वहां से 545.05 करोड़ रुपये मूल्य का आयात किया।

सिंगापुर को होने वाले निर्यात की प्रमुख मदों में ये शामिल हैं—तेल खाद्य, रत्न एवं आभूषण, अलौह धातुएं, सूती यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स, औषधियां, भेषज एवं परिष्कृत रसायन, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादन, मानव निर्मित यार्न फैब्रिक, मेड-अप्स, समुद्री उत्पाद और इलैक्ट्रानिक उत्पाद। सिंगापुर से आयात होने वाली मदें ये हैं मशीनरी एवं मशीनों औजार, विद्युत मशीनरी, परिवहन उपस्कर, अयस्क एवं धातु स्क्रैप, परियोजना माल, कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री, व्यावसायिक संयंत्र, आप्टीकल माल, लोहा तथा इस्पात, कार्बनिक रसायन, आदि।

[अनुवाद]

रेशम का उत्पादन और निर्यात

1485. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेशम का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन देशों को रेशम का निर्यात किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितना विदेशी धन अर्जित किया गया?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1991-92 के लिये कच्चे रेशम का उत्पादन लक्ष्य 14060 मीट्रिक टन निश्चित किया है। वर्ष 1991-92 के लिये निर्यात लक्ष्य 550 करोड़ रु० है।

(ग) मुख्य देश जिनको भारतीय रेशम निर्यात किया जाता है वे हैं; यू०एस०ए०, संयुक्त जर्मनी, यू०के०, इटली, कनाडा, स्पेन, यू०ए०ई०, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, हांगकांग, नीदरलैंड, आस्ट्रिया, जापान तथा बेल्जियम।

विगत तीन वर्षों के दौरान रेशम वस्तुओं का निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	रेशम वस्तुओं का निर्यात
1988-89	331 करोड़ रु०
1989-90	401 करोड़ रु०
1990-91	4[illegible] रु०

मूल्य वृद्धि

1486. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वित्त मंत्री यह [illegible]

(क) क्या उन्होंने कीमतें घटाने के लिए [illegible] बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ बैठकें हुई हैं जिनमें कीमतों को, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को, उचित सीमा तक कम करने के लिए सार्थक सहयोग मांगा गया है। वित्त मंत्री ने 25 सितम्बर, 1991 को व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनके लिए वित्त मंत्री ने 1991-92 के बजट में उत्पाद सम्बन्धी रियायतों और कीमतों में कटौती के रूप में अनुदान सहायता की घोषणा की थी, उनके मूल्य विनियमन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। उद्योग और व्यापार, दोनों से ही कहा गया है कि वे कीमतों को नियंत्रित करने के उत्तरदायित्व में शामिल हों। वित्त मंत्री ने 7 अक्तूबर, 1991 को सीमेंट उद्योग के साथ सीमेंट की कीमतों में कटौती करने के सम्बन्ध में एक बैठक की। सीमेंट उद्योग द्वारा सीमेंट इकाइयों को कोयले की पर्याप्त पूर्ति कराने और कोयला तथा सीमेंट की ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों की कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया तथा इन अड़चनों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नमक विनिर्माता अगले एक वर्ष के लिए नमक का फैक्टरी मूल्य स्थिर रखने पर सहमत हो गए हैं। अखबारी कागज विनिर्माता भी जब तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि का गहन अध्ययन पूरा नहीं कर लिया जाता, लागतों में वृद्धि न करने पर सहमत हो गए हैं।

अर्थ-व्यवस्था का वित्तीय पुनर्गठन

1487. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक सुधारों को अनुवर्ती प्रोत्साहन देने के लिए अर्थव्यवस्था का वित्तीय पुनर्गठन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा किए गए प्रमुख राजकोषीय समायोजन सम्बन्धी उपायों में (I) सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत बिन्दुओं 1990-91 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत से 1991-92 में 6.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में आयोजित कमी करना, (II) चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 20 प्रतिशत तक सरकारी इक्विटी का विनिवेश करना; (III) निर्यातों और चीनी पर आर्थिक सहायता के लिए नकद प्रतिपूर्ति समर्थन को समाप्त करना; (IV) उर्वरकों पर आर्थिक सहायता में भारी कमी करना; (V) आयोजना-भिन्न खर्चों की वृद्धि को नियंत्रित करना; (VI) यह सुनिश्चित करना कि आयोजनागत संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेशित हो और (VII) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमा शुल्क की चोरी

1488. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने राज्य व्यापार निगम को चमकदार

अखबारी कागज के कार्गों की, जो इस वर्ष जून में कनाडा से आया था और उसका कम सीमा शुल्क दिया गया था, तथाकथित गलत सूचना देने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) मुम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने मैसर्स राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा से जून, 1991 में आयात किए गए 2342.554 मीट्रिक टन अखबारी कागज के संबंध में उसे 12-9-91 को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि भारत में किए गए परीक्षणों के परिणाम कनाडा के सम्भरक द्वारा प्रस्तुत की गई परीक्षण-रिपोर्ट से भिन्न हैं।

ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि इस मामले में राज्य व्यापार निगम के किसी अधिकारी का हाथ है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें

1489. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें डी०टी०सी० के पास धारकों और अवकाश यात्रा टिकटधारकों को अपनी बसों में निःशुल्क यात्रा करने देने के अतिरिक्त एक निश्चित राशि रायल्टी के रूप में प्रतिमाह दिल्ली परिवहन निगम को देती थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को जारी रखने तथा डी० टी० सी० द्वारा स्वयं प्राइवेट ऑपरेटरों को इसके पासधारकों को यात्रा करने की मान्यता देने के बदले में कुछ राशि देने के क्या कारण हैं;

(ग) डी०टी०सी० प्राइवेट ऑपरेटरों को प्रति माह कुल कितनी राशि दे रही है;

(घ) क्या इस प्रणाली का अध्ययन करने और दिल्ली में प्राइवेट और दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाने के लिए कोई व्यावहारिक योजना बनाने हेतु 1989 में एक समिति का गठन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम को बन्द कर दिया गया था क्योंकि इसमें अनेक कमियां थीं जिनमें मुख्य हैं दि० प० नि० की बसों के साथ निजी प्रचालित बसों का समानान्तर प्रचालन, यात्रियों को तंग करना तथा निजी प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले अनाचार को रोकने की समस्याएं। इस प्रणाली

के बदले किलोमीटर स्कीम शुरू की गई जिसके अन्तर्गत दि० प० नि० किलोमीटर प्रभारों का भुगतान करती थी और निजी बसों को कंडक्टर उपलब्ध कराती थी। तथापि मार्च, 1988 में दि०प०नि० के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह प्रणाली असफल हो गई क्योंकि इसका जारी रखना दि० प० नि० द्वारा कंडक्टरों के प्रावधान पर निर्भर करता था। तत्पश्चात् निजी बसों का प्रचालन "कमाओ और रखो" स्कीम के अन्तर्गत लाया गया जिसके तहत निजी बसों का प्रचालन उनके स्वयं के कू सदस्यों द्वारा करने तथा अपनी आय स्वयं रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) दि०प०नि० निजी प्रचालकों को प्रतिमाह औसतन लगभग 12 लाख रु० का भुगतान करती है।

(घ) से (छ) दि०प०नि० ने जुलाई, 1989 में "कमाओं और रखो" जैसे मौजूदा विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने के लिए और दि०प०नि० के अध्ययन और प्रबन्ध निदेशक को वैकल्पिक सुझाव देने के प्रयोजन से एक दल का गठन किया था क्योंकि इस स्कीम की कुछ तथाकथित सीमाएं थी। अनेक कारणों से इस दल की बैठक नहीं हुई और इसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। यह दल अब मौजूद भी नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

1490. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी धनराशि का घाटा हुआ और परिचालन संबंधी घाटा कितना हुआ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी धनराशि का घाटा हुआ और केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को कितनी धनराशि के ऋण दिये तथा कितनी धनराशि के ऋण माफ कर दिए गए हैं;

(ग) निजी बसों सहित दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में पांच वर्ष पूर्व कितनी बसें थीं और बेड़े में इस समय कितनी बसें हैं; और

(घ) सरकार ने दिल्ली में बस सेवा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ कुल प्रचालन घाटा नीचे दिया गया है :—

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ कुल प्रचालन घाटा नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रचालन घाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास छोड़ कर)	(लाख रुपए) कुल घाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास सहित)
1990-91	11322.63	19748.35

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को हुए वर्षवार घाटे और निवल घाटे के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपए)

वर्ष	प्रचालन घाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास छोड़कर)	कुल घाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास सहित)
1986-87	3862.66	6225.73
1987-88	4595.76	7888.49
1988-89	5220.06	9899.32
1989-90	5686.63	11984.56
1990-91	11322.63	19748.35
	30687.74	55746.46

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपए)

वर्ष	पूंजीगत ऋण	अर्थोपाय ऋण
1986-87	1608.00	3325.00
1987-88	1600.00	4800.00
1988-89	1931.00	5000.00
1989-90	1292.00	5750.00
1990-91	4300.00	12000.00
	10731.00	30875.00

सरकार द्वारा 31.3.1986 की स्थिति के अनुसार माफ किए गए ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) 277.27 करोड़ रु० के बकाया अर्थोपाय ऋणों को सब्सिडी में बदल दिया गया था।

(2) अर्थोपाय ऋणों और पूंजीगत ऋणों दोनों पर ब्याज की 334.19 करोड़ रु० की बकाया राशि को माफ कर दिया गया था।

(3) 156.57 करोड़ रु० के बकाया पूंजीगत ऋणों को गैर-अदायगी योग्य ऋणों में बदल दिया गया जिसकी रियायती ब्याज दर 6.25 प्रतिशत वार्षिक है।

(4) 1.4.86 को और उसके बाद जारी किए गए पूंजीगत ऋणों का 50% गैर-अदायगी योग्य ऋण के रूप में समझा जाना है जिसकी रियायती ब्याज दर 6.25 प्रतिशत वार्षिक है और शेष 50% को सामान्य ब्याज दर के साथ अदायगी योग्य ऋण के रूप में समझा जाना है।

(ग) दिसम्बर, 1986 के दौरान 1272 प्राइवेट बसों सहित दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 5373 बसें थीं।

31.10.91 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 4994 बसें थीं जिनमें 620 प्राइवेट प्रचालित बसें शामिल हैं।

(घ) (1) उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रति यूनिट लागत कम करने, आर्थिक उपायों को लागू करने, राजस्व संग्रह में वृद्धि करने की दृष्टि से लीकेज को रोकने, कार्य घाटा कम करने और रूटों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सतत् आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।

(2) इस समय वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में वृद्धि करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) कर्मीदल के व्यवहार और सेवा की गुणवत्ता में सुधार।

(4) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में वृद्धि करने के लिए प्राइवेट प्रचालित बसें लगाना।

(5) स्टाफ, यात्रियों, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों और सप्लायरों आदि के लिए शीघ्र शिकायत निवारण।

(6) राजधानी में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने दिल्ली प्रशासन से विशेष स्टेज कैरिज परमिटों की एक विशेष स्कीम की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम के किराए से अधिक किराया ढांचे पर ये परमिट प्राइवेट प्रचालकों को दिए जाने हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का संग्रह

1491. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1991 तक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के रूप में कितनी धनराशि का संग्रह किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष कितनी धनराशि संग्रहित की गई थी; और

(ग) यदि चालू वर्ष के दौरान संग्रहित की गई धनराशि कम है, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 तथा

1991-92 में अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व वसूली का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1990-91	1991.92
सीमाशुल्क	10,673.71	10,831.16
उत्पाद शुल्क	12,872.71	14,805 26

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चल सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर, 1991 तक हुई वसूलियां पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुई वसूलियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

रुपए के अवमूल्यन का प्रतिरक्षा उपकरणों के आयात पर प्रभाव

1492. **श्री मोहन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रतिरक्षा उपकरणों के आयात हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप रक्षा उपकरणों के मामले में राजकोष पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा; और

(ग) इस अतिरिक्त खर्च को वहन करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) यह सूचना प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाने के परिणामस्वरूप आयातित रक्षा उपस्करों के लिए देय राशि की लगभग 25% अतिरिक्त देनदारी बढ़ी है।

(ग) सरकार ने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए खर्च को सीमित रखने के लिए बचत करने, साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने और कार्यक्रमों/कार्यकलापो को पुनः युक्तिसंगत बनाने और फिर से नई प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।

जनता धोतियों तथा साड़ियों पर राज्य सहायता

1493. **श्री मोहन सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनकरों ने धागे के मूल्यों में वृद्धि और इसकी कमी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मूल्य वृद्धि को रोकने और साथ ही धागे की कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या लोगों द्वारा जनता धोती और साड़ी की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इनके बुनकरों/निर्माताओं को दी जाने वाली राजसहायता की राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि कब तक प्रभावी कर दी जाएगी।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार को सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं लेकिन सूत की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) तथापि हथकरघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन के लिए हैंक यार्न की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। यार्न की कीमतों में हाल ही में उछाल आने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने देश में कताई उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि निकायों के साथ एक बैठक आयोजित की थी जिसमें उनसे उदारता बरतने तथा यार्न की कीमतों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों के यार्न उत्पादन की मानीटरी करें तथा हैंक यार्न की सप्लाई, कीमतों और वितरण के बारे में वस्त्र के प्रभारी सचिव के स्तर पर नियमित रूप से राज्य स्तरीय समीक्षा करें। मुख्य मंत्रियों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे जिलाधीशों को जिलों में यार्न के व्यापारियों के स्टाक तथा यार्न की बिक्री कीमतों की नियमित रूप से जांच करने का आग्रह करें ताकि यार्न की जमाखोरी को रोका जा सके। केन्द्रीय सरकार ने स्वयं भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि वह 40 और उससे कम के कॉऊंटों के यार्न का उत्पादन बढ़ाए जिनकी कीमतों में वृद्धि होने से हथकरघा बुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने सूती यार्न के निर्यात की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है हालांकि भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को निर्देश दिया गया है कि वह राज्यों में हथकरघा बुनकरों और एजेंसियों के लिए अपने यार्न सप्लाई के प्रचालन बढ़ाएं। वस्त्र आयुक्त को भी जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के उद्देश्य से यार्न व्यापारियों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच गंगा नदी में अन्तर्देशीय जल परिवहन

1494. **श्री मोहन सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच गंगा नदी में अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो नदी के इस भाग में स्टीमर सेवा कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद और हुगली खंड को पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर दिया है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम ने संवर्धनात्मक उपाय के रूप में हाल ही में कलकत्ता और पटना के बीच एक यांत्रिक मासिक कार्गो सेवा शुरू की है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार संवर्धन

1495. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक सदर्शी योजना पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापार विकास प्राधिकरण (टी०डी०ए०) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की थी। इस योजना में क्षेत्र के संभावित उत्पाद, निर्यात उत्पादन एवं निर्यात बाजार के लिए संस्थागत बुनियादी संरचना का पता लगाया गया तथा उत्तर पूर्वी राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिए विशिष्ट उत्पाद, समयबद्ध निर्यात नीति का सुझाव दिया।

(घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए अभिज्ञात उत्पाद/नोडीय संगठन

1. **उत्पाद**

   (क) सूती हथकरघा—[illegible]

   (ख) रेशमी वस्त्र—पोशाक [illegible], सजावटी वस्त्र, मफलर और दुपट्टे, साड़ी, टाई, लेडीज गाउन और नाइटी।

   (ग) हस्तशिल्प (बेंत एवं बांस)—[illegible], टोकरियां, फर्नीचर, टेबलवेयर, सजावटी-सह-उपयोगी मदें।

   (घ) प्रसाधित फल—अनन्नास उत्पाद।

2. **संगठन**

   1. **नोडीय संगठन**

      (क) नार्थ-ईस्टर्न हैन्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एन०ई०एच०एच०डी०सी०)

      (ख) नार्थ-ईस्टर्न एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पोरेशन (एन०ई०आर०ए०एन०ए०सी)

2. अन्य संगठन

(क) राज्य विकास निगम

(ख) अन्य प्रमुख विनिर्माता संगठन

अभ्रक और अभ्रक छीजन का निर्यात

1496. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड दो मुख्य सहयोगी एजेंसियां हैं, जो अभ्रक तथा अभ्रक की छीजन का निर्यात करती हैं;

(ख) यदि, हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने अभ्रक तथा अभ्रक की छीजन के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या भूमिका अदा की है; और

(ग) भारत से अभ्रक और अभ्रक की छीजन का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस समय अभ्रक अपशिष्ट (फैक्टरी कतरनों सहित) तथा छीजन का निर्यात तो भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि० (मिटको)/भारतीय धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि० (एम०एम०टी०सी०) के जरिए सरणीबद्ध किया जाता है परन्तु अन्य सभी रूपों में अभ्रक का निर्यात करने के लिए निर्यात को गैर-सरणीबद्ध किया गया है।

(ख) मिटको ने प्रमुख क्रेताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने और अभ्रक, अभ्रक छीजन तथा अभ्रक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के अलावा धारक कंपनी एम०एम०टी०सी० के वित्तीय सहयोग से मूल्यवर्धित अभ्रक उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए कई अनुकूल परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ग) भारत से अभ्रक और अभ्रक छीजन का आयात करने वाले देश हैं : आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, चेकोस्लावाकिया, डी०पी०आर० के०, मिस्र, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, ग्रीक, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैन्ड, सीरिया, ताइवान, थाइलैन्ड, तुर्की, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी और युगोस्लावाकिया।

चावल का निर्यात

1497. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ अन्य देशों को चावल के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चावलों के निर्यात के लिए वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जिन प्रमुख देशों को भारतीय चावल का निर्यात किया जाता है, तो वे हैं :

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, कुवैत, बहरीन, सोवियत संघ, जार्डन।

(ख) और (ग) विश्व की प्रमुख मुद्राओं के साथ भारतीय रुपए के विनिमय दर में हाल में किए गए समायोजनों और एक्जिम स्क्रिप्स योजना शुरू करने के बाद भारतीय गैर-बासमती चावल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी प्रतियोगी हो गया है। अत: चालू वर्ष के दौरान यह कई नए बाजारों में बेचा गया है, इनमें ब्राजील और मैक्सिको के लैटिन अमरीकी देश जैसे टोगो, सैरा लिओन, हैती, अंगोला, मध्यपूर्व में जार्डन तथा सुदूर पूर्व में मलेशिया शामिल है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात के लिए अधिकतम 7 लाख मी० टन गैर-बासमती चावल रिलीज किया गया था। इसके अलावा आबंटन निर्यात के लिए देशी चावल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि बासमती चावल के निर्यात के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

निर्यात बाध्यताओं पर निगरानी रखना तथा रिपोर्ट तैयार करना

1498. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों से सहयोग को निर्यात बाध्यताओं के साथ मंजूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात बाध्यताओं की रिपोर्ट तैयार करने एवं निगरानी रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, किन-किन कम्पनियों ने निर्यात का वचन दिया था, कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया और निर्यात-लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया; और

(घ) किन-किन कम्पनियों ने अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां। विदेशी कंपनियों से सहयोग को निर्यात दायित्वों की शर्त के साथ ही मंजूरी दी जाती है।

(ख) विदेशी कम्पनियों से सहयोग को स्वीकृत करते समय सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निर्यात दायित्व लगाए जाते हैं। सम्बन्धित कंपनी को निर्यात दायित्वों को पूरा न करने पर सुरक्षा उपाय के रूप में सरकार के साथ कानूनी करार/बांड को करना पड़ता है। निर्यात निष्पादन की मॉनीटरिंग मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर की जाती है। कम्पनी के लिए सी०सी०आई० एण्ड ई० को आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स 1990-93 के परिशिष्ट-III-जी में दिए गए फार्म में उनके निर्यात निष्पादन को दर्शाया गया हो और वह पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, बैंक रिएलाइजेशन के मूल प्रमाण पत्र, निर्यात संवर्धन विवरण पत्र तथा कानूनी करार/बांड के रूप में अन्य अपेक्षित दस्तावेज आदि ऐसा नहीं करने पर बांड को जब्त किया जा सकता है और दंडात्मक कारवाई शुरू की जा सकती है।

(ग) और (घ) सूचना काफी बड़ी है उसे क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पचास शीर्षस्थ शहरों में बैंक जमा

1499. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988, 1989, 1990 और 30 जून, 1991 को स्थिति के अनुसार 50 शीर्षस्थ शहरों में बैंकों में जमा राशि कितनी है;

(ख) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कुल बैंक जमा का कितना प्रतिशत है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में इन शहरों में कितना अग्रिम ऋण वितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिसम्बर 1988, 1989, 1990 और जून 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 50 शीर्षस्थ शहरों की जमाराशियां (अन्तर बैंक जमा राशि को छोड़कर) नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	
दिसम्बर 1988	75,368
दिसम्बर 1989	86,599
दिसम्बर 1990	97,846
जून 1991	105,605

(ख) दिसम्बर 1988,1989, 1990 तथा जून 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 50 शीर्षस्थ शहरों की कुल जमाराशियों की तुलना में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में जमाराशियों का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

(आंकड़े प्रतिशत में है)

	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
दिसम्बर, 1988	18.52	24.63	11.79	5.06
दिसम्बर, 1989	18.03	26.28	11.45	5.09
दिसम्बर, 1990	16.49	27.55	11.33	5.33
जून, 1991	16.12	28.99	10.85	5.54

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली बैंक द्वारा संवितरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, दिसम्बर 1988, 1989, 1990 तथा जून 1991 के

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 50 शीर्षस्थ शहरों की बकाया ऋण (बैंक के अग्रिमों को छोड़कर) नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	
दिसम्बर, 1988	51.225
दिसम्बर, 1989	62.381
दिसम्बर, 1990	75,670
जून, 1991	80,038

आयकर की वसूली

1500. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान देश में आयकरदाता श्रेणी में आने वाले और 50,000 रुपये, 50,000 रुपये से 1,20,000 रुपये; 1,20,000 से 5 लाख तक; 5 लाख से 10 लाख तक और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय विवरणी वाले आयकर-दाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन विभिन्न श्रेणियों के आयकरदाताओं से वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कर की कितनी वसूली हुई; और

(ग) इन लोगों की ओर कितनी राशि के कर बकाया हैं और उपरोक्त वर्षों के दौरान हुई कुल आयकर वसूली में इन श्रेणियों के करदाताओं का प्रतिशततावार अंशदान कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) देश में 50,000/- रु०, 50,000/- से 1,20,000/- रु० तक तथा 1,20,000/- से 5 लाख रु० तक के आय-वर्गों में आयकर निर्धारितियों की संख्या के बारे में सूचना विभाग में नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के लिए 1 लाख रु० तक, 1 लाख रु० से 5 लाख रु० तक, 5 लाख रु० से 10 लाख रु० तथा उससे अधिक के आय वर्गों में कर-निर्धारितियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना संकलित की गई है। ब्यौरा निम्नानुसार है :

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक आय कर-निर्धारितियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

विवरणीगत आय	1987-88	1988-89	1989-90
1. कराधेय सीमा 1 लाख रु० तक	5090	5433	5657
2. 1 लाख रु० 5 लाख रु०	163	232	361
3. 5 लाख रु० 10 लाख रु०	16*	11.52	15.89
4. 10 लाख रु० तथा उससे अधिक		7.27	8.69
योग :	5269	5683.79	6042.38

* इसका सम्बन्ध 5 लाख रु० तथा उससे अधिक से है।

(ख) आयकर की वसूली सम्बन्धी आंकड़ों को कर-निर्धारितियों द्वारा विवरणीगत वार्षिक आय के आधार पर नहीं रखा जाता है। तथापि, वर्ष 1987-88 से वर्ष 1990-91 तक के लिए आयकर की कुल वसूली विषयक आंकड़े निम्नानुसार है :

आयकर की सकल वसूली

(निगम कर सहित)

(रु० करोड़ में)

वर्ष	
1987-88	6628
1988-89	8648
1989-90	9722
1990-91	10691

(ग) बकाया मांग सम्बन्धी आंकड़ों को कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई विवरणीगत वार्षिक आय के आधार पर नहीं रखा जाता है। तथापि, आयकर की कुल वसूली को देखते हुए विभिन्न आय-रेंजों में कर-निर्धारितियों के प्रतिशतता-वार अंशदान के बारे में सूचना भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्ष 1987-88 से वर्ष 1990-91 तक के लिए मांग की रकम के आधार पर कुल बकाया मांग निम्नानुसार है :

मांग की रकम के आधार पर कुल बकाया मांग

(रु० करोड़ में)

बकाया आयकर मांग	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
(i) ऐसे मामले जिनमें एक लाख रु० तक की मांग है।	884.82	1187.06	1360.36	1563.95
(ii) ऐसे मामले जिनमें मांग 1 लाख रु० से अधिक है परन्तु 5 लाख रु० से अधिक नहीं है।	341.15	379.00	465.25	501.61
(iii) ऐसे मामले जिनमें मांग 5 लाख रु० से अधिक है परन्तु 10 लाख रु० से अधिक नहीं है।	232.38	271.54	323.93	364.97

1	2	3	4	5
(iv) ऐसे मामले जिनमें मांग 10 लाख रु० से अधिक है परन्तु 25 लाख रु० से अधिक नहीं है।	377.98	441.68	486.68	572.32
(v) ऐसे मामले जिनमें मांग 25 लाख रु० से अधिक है।	2,155.85	3,012.24	4,02.25	3,691.69
योग :	3,992.18	5,291.66	6,638.47	6,694.54

पटसन नीति

1501. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पटसन उद्योग क्षेत्र की सहायता और इस समय इस प्राकृतिक रेशे के प्रति विश्व बाजार में आए अनुकूल रुख का लाभ उठाने के लिए कोई दीर्घकालिक पटसन नीति तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार का यह प्रस्ताव है कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत विशिष्ट वस्तुओं को पटसन की पैकिंग के लिए बराबर आरक्षित रखा जाए ताकि पैकिंग क्षेत्र में पटसन के परम्परागत बाजार को संरक्षित रखा जा सके। सरकार पटसन आधुनिकीकरण निधि के प्रयोग द्वारा पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना बराबर जारी रखेगी। सरकार पटसन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष पटसन विकास निधि का भी बराबर उपयोग करती रहेगी। इसके साथ ही सरकार पटसन के सामान के नए बाजारों का विकास करने तथा निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से मूल्य वर्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की अर्थ-अक्षम तथा रुग्ण मिलें

1503. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बिल्कुल अर्थ-अक्षम मिलों को बन्द करने तथा अन्य रुग्ण मिलों को संश्लिष्ट इकाइयों के रूप में समामेलित करने का है जिससे उनकी अर्थ-क्षमता सुधर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कितनी मिलें रुग्णता की सूची में हैं और कब से; और

(घ) सरकार उन रुग्ण कपड़ा मिलों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सभी राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से समामेलन आदि सहित अनेक विकल्पों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। तथापि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें मूलत: रुग्ण मिलें थीं जोकि अधिग्रहीत की गई थीं तथा बाद में समय-समय पर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए एक योजना बनाई है जिसको आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान इन मिलों की पुनः संरचना / आधुनिकीकरण/समामेलन इत्यादि के जरिये संख्या घटा कर अर्थक्षम एककों के रूप में परिवर्तित करके क्रियान्वित किया जाएगा।

छावनी क्षेत्रों में आरक्षित भूमि

1504. **श्री अन्ना जोशी : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छावनी क्षेत्रों में आरक्षित भूमि सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) रक्षा छावनियों में कोई भी भूमि, "आरक्षित भूमि" के नाम से नहीं होती है। यदि इसका आशय बंगलों वाले क्षेत्रों की उस भूमि से है, जो सामान्यत: सिविलियनों को दिए जाने के लिए भावी सैनिक उपयोग के लिए पहले से निर्धारित की हुई होती है, तो इस बारे में नीति का पुनरीक्षण किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्रांसफार्मर उद्योग पर नई व्यापार नीति का प्रभाव

1505. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई व्यापार नीति से ट्रांसफार्मर उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह उद्योग अपनी आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ट्रांसफार्मरों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यक कच्चे माल के आयात की अनुमति नीति के अनुसार दी गई है। सीमित स्वीकार्य मदों के लिए लघु क्षेत्र में वास्तविक प्रयोक्ताओं को विशेष लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और प्रतिबंधित मदों के लिए ये लाइसेंस सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्रदान किए जाते हैं।

उजबेकिस्तान के साथ व्यापार समझौता

1506. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजबेकिस्तान के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों सहित इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत किन-किन मदों का निर्यात और आयात करने का प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) इस करार पर 24 अक्तूबर 1991 को ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अन्य बातों के साथ साथ भारत तथा उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच भारतीय रुपयों में संतुलित आधार पर व्यापार की व्यवस्था है। तथापि, वस्तुओं का कीमत निर्धारण परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जाएगा।

(ग) उजवेकिस्तान को निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित मदों में से शामिल है; कृषि-उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, रासायनिक पदार्थ तथा संबंध उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित, माल, वस्त्र, इंजीनियरी माल आदि। उजवेकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रस्तावित मदों में ये शामिल है, कृषि उत्पादन, ताम्बा, जस्ता जैसे खनिज, यूरिया तथा अमोनिया जैसे उर्वरक, धात्विक उत्पाद, रासायनिक पदार्थ तथा संबद्ध उत्पाद एवं मशीनरी तथा विद्युत उपस्कर, वस्त्र, निर्माण तथा रासायनिक क्षेत्र।

रघुवंशी टेक्सटाइल्स मिल मुम्बई को पुनः चालू करना

1507. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित रघुवंशी टेक्सटाइल्स मिल पुनः चालू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः चालू करने की अनुमति किन-किन शर्तों पर दी गई है; और

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों को पुनः रोजगार दिया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) नोडीय अभिकरण द्वारा रघुवंशी मिल, मुम्बई को अर्थक्षम पाया गया है। कामगार सहकारी समिति के जरिए इस एकक के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किया गया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात् बी० आई०एफ०आर० प्रत्यक्षतः बाइंडिंग-अप नोटिस जारी करेगा।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में हथकरघा कपड़े का उत्पादन

1508. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय हथकरघा कपड़े का प्रतिबर्ष कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में कुछ और हथकरघा उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 485.67 मिलियन मीटर हथकरघा कपड़े का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई स्थाई प्रकार की योजनायें कार्यान्वित करती हैं। आठवीं योजना के दौरान इन योजनाओं को आवश्यकता के मुताबिक फिर से तैयार किया जाएगा और हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों को अधिक रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। 1991-92 के दौरान निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जन मनी नामक नई योजना आरम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) हथकरघा बुनाई अधिकांश रूप से एक विकेंद्रित कार्यकलाप है। भारत सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत बुनकरों को सहकारी समिति बनाने अथवा राज्य हथकरघा निगमों का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

सौराष्ट्र में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ

1509. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में आम मांग की गई है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सौराष्ट्र क्षेत्र में खंडपीठ के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओ० जी० एल० के अन्तर्गत कास्ट आयरन के स्क्रैप का आयात

1510. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओ० जी० एल० के अंतर्गत कास्ट आयरन स्क्रैप के आयात की अनुमति देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे आयात करने की अनुमति देने संबंधी आदेश कब जारी किए जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने ओ० जी० एल० के अधीन ढलुवा लोह छीलन के आयात की अनुमति दिए जाने के संबंध में विभिन्न मंचों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया है। किन्तु, भुगतान सन्तुलन और देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की स्थिति को देखते हुए यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1511. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) कुल कितनी परियोजनायें मंजूर की गयीं, प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया तथा उनके संबंधित क्षेत्रों के क्या नाम हैं;

(ग) शेष परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूर न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों (1-4-1988 से 31-3-1991) के दौरान उड़ीसा सरकार से सड़क/पुल कार्यों के लिए प्राप्त 220 प्रस्तावों में से 58.84 करोड़ रु० के 142 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन स्वीकृत कार्यों के लिए तीन वर्ष की अवधि में 14.06 करोड़ रु० आवंटित किए गए। उड़ीसा में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वीकृत कार्यों का खण्ड-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शेष प्रस्तावों पर कई कारणों तथा प्रस्तुत की गई परियोजना के तकनीकी ब्यौरे संबंधी खामियों, कुछेक मामलों में अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण न होने, कुछ कार्यों के बजट में शामिल न होने आदि के कारण उपर्युक्त अवधि में कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(घ) और (ङ) उड़ीसा में अधिकांश स्वीकृत कार्यों की प्रगति संतोषजनक है।

विवरण

क्र० सं०	रा० रा० सं०	खंड (क्षेत्र) का नाम/पुलों का विवरण	अनुमोदित कार्यों की संख्या (1988-89 से 1990-91)
	"क" सड़क कार्य		
1.	6	बिहार सीमा-बारकोट	14
2.	6	बारकोट से सम्बलपुर	13
3.	6	सम्बलपुर से मध्य प्रदेश सीमा	3
4.	5	आ० प्र० सीमा से भुवनेश्वर	14
5.	5	भुवनेश्वर से बिहार सीमा	29
6.	5क	चंडीकोल से पारादीप पत्तन	2
7.	23	बिहार सीमा-बारकोट	14
8.	23	बनारपाल से पल्लाहारा	5
9.	42	निरगंडी से सम्बलपुर	17
10.	43	कोरापुर जिला	10
	"ख" पुल कार्य		
1.	5	बड़ा पुल	2
2.	23	बड़ा पुल	1
3.	6	छोटा पुल	2
4.	23	छोटा पुल	13
5.	42	छोटा पुल	2
6.	43	छोटा पुल	1
		कुल	142

सामान ढोने वाले वाहनों के लिए भार संबंधी निदेश

1512. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समान ढोने वाले वाहनों की अधिकतम भार ढोने की सीमा में कमी करने के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ऐसे वाहनों का बिना लदाई के भार निदेशों को निर्धारित करने के समय से दुगना हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भार पर प्रतिबंध लगाने और विभिन्न राज्यों द्वारा ऊंचे प्रवेश शुल्क लगाने को ध्यान में रखते हुए छोटे ट्रांसपोर्टरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने माल वाहनों की अधिकतम भार ढुलाई सीमाओं में कोई नमी नहीं की है और इस प्रकार की सीमाएं मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत विद्यमान थीं। विभिन्न संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों में भार ढुलाई क्षमता में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया था लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि यह पता लगा है कि यह सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों को होने वाली क्षति के मुख्य कारणों में से एक है।

एक रुपए के करेंसी नोट

1513. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एक रुपए के कितने करेंसी नोट छापे गए और उन पर कितना खर्च हुआ;

(ख) ऐसे नोटों का औसत जीवन कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक रुपए के करेंसी नोटों के मुद्रण को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना नीचे दी गई है।

वर्ष	अदद मुद्रित (लाख)	व्यय (लाख रुपए)
1988-89	4068.00	488.16
1989-90	3550.00	479.29
1990-91	4408.00	462.84

(ख) एक रुपये मूल्य वर्ग के नोट का अनुमानित औसत जीवन लगभग 6 महीने है।

(ग) सरकार का एक रुपये मूल्य वर्ग के नोट के मुद्रण को चरणबद्ध तरीके से बन्द करने का प्रस्ताव है।

(घ) परिमाण-वार एक रुपये मूल्यवर्ग के नोट लगभग 21 प्रतिशत होते हैं, लेकिन मूल्य-वार यह प्रचालन में आए कुल नोटों के केवल 1.1 प्रतिशत के द्योतक है। एक रुपये मूल्यवर्ग के नोटों के मुद्रण तथा परिवहन पर होने वाला व्यय न तो इसकी क्रय शक्ति के न ही ऐसे नोटों की जीवन अवधि के अनुरूप है। एक रुपए के नोट के स्थान पर एक रुपए का सिक्का लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नसीराबाद-महो सड़क मार्ग के टुकड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1514. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-दिल्ली वाया जयपुर, अजमेर और इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नसीराबाद-महो सड़क मार्ग के टुकड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग निरन्तर की जाती रही है;

(ख) क्या यह मार्ग दिल्ली-आगरा-मुम्बई मार्ग से छोटा है और इस मार्ग पर काफी यातायात चलता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क के टुकड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार समय-समय पर कुछेक राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव करती रही है, जिसमें अजमेर-नसीराबाद-चित्तौड़-नीमच-मंदसौर-रतलाम-महू-खंडवा-जलगांव सड़क शामिल है जिस पर प्रश्नगत रूट आता है। राजस्थान सरकार ने इस रूट के अपने क्षेत्र वाले भाग के लिए भी इसी प्रकार का अनुरोध किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के बाद ही निधियों की उपलब्धता और इस प्रयोजन से निर्धारित कुछेक मापदंडों को ध्यान में रख कर ही नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण देने एवम् परीक्षायें आयोजित करने वाले विधि कालेज

1515. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी विधि कालेजों का ब्यौरा क्या है जो अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षण देते एवं परीक्षायें आयोजित करते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में स्वापक औषध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

1516. **श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषध नियंत्रण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने छापे मारे;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनसे जब्त की गई स्वापक औषधों का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वापक औषधों की जब्ती के बाद कितने अपराधी फरार हो गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राजस्थान में मारे गए छापों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	छापों की संख्या
1988	3
1889	3
1990	2

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा पकड़े गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा निम्न प्रकार है ।

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	पकड़े गए नशीले पदार्थों की संख्या (किलोग्राम में)	
1988	6	हेरोइन	2.9
1989	5	हेरोइन	15.9
		हशीश	252.7
1990	6	हेरोइन	88.375

निषेध नशीले पदार्थों, जो प्राय: अनिर्धारित रसायन मात्रा तथा मिश्रण के हैं तथा जो नष्ट किए जाने योग्य हैं, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है ।

(ग) दो व्यक्ति फरार हैं ।

रेशम उद्योग में संकट

1517. **श्री गोविन्द राम निकम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या रेशम उद्योग के श्रमिकों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का विचार रेशम उद्योग के श्रमिकों को कितनी सहायता देने का है; और

(घ) सरकार विदेशों में रेशम की भारी मांग को रोकते हुए रेशम उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सामान्यत: रेशम उद्योग के कामगारों की दशा दयनीय नहीं मानी जाती ।

(ग) रेशम उद्योग के कामगारों के लाभार्थ क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में शहतूती कलमों की सप्लाई, द्विफसलीय बीज कोसा उत्पादकों को सहायता प्रदान करना, चाकी पालन केन्द्रों

की स्थापना, किसानों को यूजीफलाई पर नियंत्रण पाने के लिये नायलोन के जालों को खरीदने के लिये आर्थिक सहायता देना, द्विफसलीय कौसा और कच्चे रेशम के उत्पादकों के लिये प्रोत्साहन देना, छोटे और मामूली किसानों को कीट पालन किट की सप्लाई करना, नये और परम्परागत क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिये रीलरों को सहायता देना, मल्टी एण्ड रीलिंग एककों की स्थापना के लिये उत्पादन, राज्यों में विपणन के लिये कौसा और कच्चे रेशम की विपणन एजेंसियों को मार्जिन धनराशि के ऋण प्रदान करना तथा कौसों और कच्चे रेशम की कीमतों को स्थिर करना आदि शामिल हैं।

(घ) सरकार विशेषकर निर्यात के प्रयोजन के लिये क्वालिटी के रेशमी वस्त्रों के उत्पाद विकास और उन्नयन पर अधिक बल दे रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से रेशम उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है। वर्ष 1989-90 में 401 करोड़ रु० की तुलना में वर्ष 1990-91 में 441 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए। वर्ष 1991-92 के लिये 550 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ

1518. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह पीठ कब तक स्थापित की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ हुबली-धारवाड़ में स्थापित की जाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस विषय में कर्नाटक सरकार से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई विनिश्चय नहीं कर सकती।

रूई का निर्यात

1519. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रुई निर्यात करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त निर्णय करने से पहले रूई सलाहकार बोर्ड से परामर्श किया गया था ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) से (ग) ऐसा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कपास वर्ष के शुरू होने पर निर्यात के लिए रुई की लगभग 5.00 लाख गाठें रिलीज की जाए बशर्ते कि फसल के व्यापक प्राक्कलन उपलब्ध होने के पश्चात् उसका समयोजन कर लिया जाए। इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थायी सप्लाईकर्ता के रूप में भारत की उपस्थिति को बनाए रखना है। इस निर्णय के अनुसरण में सरकार ने वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिए बंगाल देसी रुई की 1.00 लाख गाठें रिलीज की है। ऐसा भी निर्णय लिया

गया है कि वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के दौरान कपास की 4.00 लाख गांठों का निर्यात कोटा भारतीय कपास निगम को सौंप दिया जाए ताकि वे प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उसका उपयोग कर सकें। ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया है कि रिलीज किए गए कोटे की इस मात्रा के लिए रुई सलाहकार बोर्ड से परामर्श लिया जाए क्योंकि वह मौजूदा निर्णय पर आधारित है।

आंध्र प्रदेश में उत्पादन शुल्क में धोखाधड़ी

1520. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में अन्तपुर और रायलसीमा में पता लगाये गये उन उत्पाद शुल्क की धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस प्रकार के कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौराद, आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर और रायलसीमा में ऐसे 56 मामले बनाए गए थे जिनमें 80.23 लाख रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन शामिल था।

(ख) इन सभी 56 मामलों में जांच-पड़ताल का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 55 मामलों में शुल्क की वसूली/अर्थदंड लगाये जाने के बारे में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

(ग) अपवंचन रोधी तंत्र को सतर्क कर दिया गया है। सड़कों पर गश्त लगाने और अन्य निवारक जांच कार्यों को तेज कर दिया गया है।

"आर०बी०आई० टु प्रोब बी०सी०सी०आई० इश्यु" शीर्षक समाचार

1521. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1991 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "आर० बी० आई० टु प्रोब बी०सी०सी०आई०इश्यु" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बी० सी० सी० आई० के संबंध में सुरक्षा पहलू सहित सभी मामलों की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सुरक्षा एजेंसियों को बी०सी०सी०आई० संबंधी मामले की जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बी०सी०सी०आइ० की बम्बई शाखा के खातों की विशेष लेखा परीक्षा के आदेश दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच का काम चल रहा है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की योजना

1522. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी लम्बाई की सड़कों का विकास किया जाएगा और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यातायात की सघनता, राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा हालत, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को हाथ में लिया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1990-91 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए क्रमशः 54.96 करोड़ रु० और 18.78 करोड़ रु० के प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए थे। चालू वर्ष (1991-92) के लिए वार्षिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 199.90 करोड़ रु० की लागत की और स्कीमें हैं। सामान्यतः ये विभिन्न विकास स्कीमें केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों (लम्बाई लगभग 940 कि०मी०) के सम्पूर्ण नेटवर्क से सम्बन्धित हैं जो उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार उनके चरणबद्ध सुधार के लिए हैं।

दिल्ली में साझेदारी टैक्सी सेवा

1523. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में साझेदारी टैक्सी सेवा प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डी०टी०सी० की बसों में यात्रियों की भीड़ कम करने में यह सेवा किस हद तक सफल रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम ऐसे किसी भी प्रचालक के लिए है जिसके पास डी०एल०टी० टैक्सी परमिट है, अथवा उसका इरादा ऐसा परमिट प्राप्त करने का है। प्रचालक को स्वयं को किसी विशेष रूट के लिए पंजीकृत कराना तथा उस रूट का भाड़ा-चार्ट प्राप्त करना होगा। यह सेवा प्रातः 8 से 11 बजे और शायं 4 से 8 बजे तक प्रचालित होगी। बाकी समय में प्रचालक अपनी टैक्सी को मीटर युक्त टैक्सी के रूप में चलाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ग) यह स्कीम प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी और इसका मूल उद्देश्य निजी वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों की निजी वाहनों के उपयोग की आदत छुड़ाना था।

राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन के प्रयास

1524. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन और प्रत्येक राज्य में इस कार्य के लिए विद्यमान ढांचे के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर निर्यात सम्वर्धन के प्रयास में यदि कोई कमी है तो उसका पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों की भूमिका को और अधिक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए और उनकी कमियों को दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) राज्य सरकारें भूमि और शेड प्रदान करके, कच्चेमाल, विद्युत, जल जैसे निवेश उपलब्ध कराके तथा राज्य स्तर के करों में छूट देकर निर्यात संवर्धन में अपनी भूमिका निभाती है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने विभागों के माध्यम से वस्तु निर्यात संवर्धन भी करती हैं। उनमें से कुछ राज्यों में निर्यातकों की समस्यायें सुनने तथा उनको हल करने के लिए निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण-I के रूप में एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) विवरण-II के रूप में एक विवरणपत्र संलग्न है।

विवरण-I

व्यापार विकास प्राधिकरण ने "निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की भूमिका" पर एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें राज्य स्तर के निर्यात संवर्धन में निम्नलिखित कमियों को सूचीबद्ध किया है—

1. संस्थागत मैकेनिज्म का अभाव
2. निर्यात संवर्धन में प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव
3. निर्यात माल पर कराधान का उच्च स्तर
4. निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध
5. निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित पानी, विद्युत और भूमि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव।

विवरण-II

वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि :

(1) एक प्रथक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ या निदेशालय बनाया जाए, राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन हेतु नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभाग और उद्योग, व्यापार, ई० पी० सी० के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक एपेक्स स्तर की परिषद गठित की जाए।

(II) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कर न लगाया जाए।

(III) निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के अन्तर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंध न लगाया जाए।

(IV) विद्युत भूमि और जल जैसी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जाएं।

(V) निरन्तरता सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त अवधि के लिए उद्योग विभाग में सचिव के रूप में ऐसा उपयुक्त अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसे निर्यात संवर्धन के मामले सौंपे जा सकें।

(VI) राज्य सरकारें और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक व्यापार बोर्ड बनाया जाए।

(VII) गैर-सरकारी क्षेत्र के भागीदारें सहित संयुक्त उद्यम के रूप में निर्यात घराने स्थापित किये जाएं।

भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त उद्यम

1525. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-यूगोस्लाविया के कुछ संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत-यूगोस्लाविया व्यापार के विस्तार की संभावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शुरू की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) युगोस्लाविया में केवल एक भारतीय संयुक्त उद्यम है इसको मै० उषा मार्टिन ब्लैक लि० कलकत्ता से स्टील तार के विनिर्माण के लिए विकसित किया है। इस संयुक्त उद्यम ने सितम्बर, 1982 में कार्य करना आरम्भ कर दिया था और इसके करार की वैधता 25 अप्रैल, 1992 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) और (घ) युगोस्लाविया के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का विविधीकरण और विस्तार, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान शामिल है।

रेशम कीटपालन प्रशिक्षण संस्थान

1526. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है, और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या रेशम उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश का देश में दूसरा स्थान होने के बावजूद वहां ऐसा कोई संस्थान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने शहतूती और गैर शहतूती क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास और प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित मुख्य रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं।

क्र०सं०	अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
1	2	3
1.	मलबरी (ट्रापीकल) के लिए केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान	मैसूर (कर्नाटक)
2.	मलबरी (ट्रापीकल) के लिए केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान	बरहामपुर (प० बंगाल)
3.	मलबरी (टैंपीरेंट) के लिए केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान व प्रशिक्षण संस्थान	पैंपोर (जम्मू और कश्मीर)
4.	केन्द्रीय टूसर अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (टूसर)	रांची (बिहार)
5.	केन्द्रीय एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (एरी)	मंदीपठार (मेघालय)
6.	केन्द्रीय मूगा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (मूगा के लिये प्रस्तावित)	बोको (असम)
7.	अन्तर्राष्ट्रीय ट्रापीकल अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान	मैसूर (कर्नाटक)
8.	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान (कोसा पश्चात प्रौद्योगिकी)	बैंगलूर (कर्नाटक)

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने समस्त देश में 13 रेशम उत्पादन कृषक प्रशिक्षण विद्यालय (शहतूती), 6 रीलिंग कताई प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र (गैर-शहतूती) तथा 13 प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं।

(ख) हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में कोसा पश्चात् प्रौद्योगिकी के लिये एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में रेशम उत्पादन विकास संस्थान भी स्थापित कर रही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

नरसिंहम समिति रिपोर्ट

1527. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के सम्बन्ध में नरसिंहम समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया था। इसने दिनांक 20.11.1991 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से इसकी सभी सिफारिशों की विस्तृत जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

आयकर का बकाया

1528. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 तक आयकर की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1991 तक की स्थिति के अनुसार आयकर (निगम कर सहित) की बकाया राशि 6694,54 करोड़ रु० थी।

(ख) बकाया कर की वसूली करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमत्य कार्यवाही के अतिरिक्त बकाया कर में कमी लाने के लिए निरन्तर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :—

(I) आयकर विभाग की केन्द्रीय कार्य-योजना में बकाया तथा चालू मांगों की वसूली करने/उनमें कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक मुख्य आयुक्तीय प्रभार के कार्य-निष्पादन पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(II) अपेक्षाकृत उच्च मांगों वाले डोजियरों की आयकर आयुक्तों तथा उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(III) मुख्य आयकर आयुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने प्रभार में अपील आयुक्तों के पास अनिर्णीत पड़ी हुई उच्च कोटि की 100 प्रथम अपीलों के निपटान पर निगरानी रखे।

(IV) मुख्य आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सलाह दी गई है कि वे उच्च मांग वाले कर-निर्धारणों को दिसम्बर, 1991 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दें।

(V) उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से यह अनुरोध करें कि वे अपेक्षाकृत अधिक बड़ी मांग वाली अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्यवाही करें।

(VI) जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा बड़ी-बड़ी मांगों के बारे में स्थगन-आदेश दिया गया है, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में मुख्यआयुक्तों को यह सलाह दी गई है कि जहां-कहीं भी संभव हो, स्थगन आदेश को निरस्त करवाया जाए।

[अनुवाद]

हिमाचल में बैंकों में धोखाधड़ी

1529. **श्री डी० डी० खनोरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों में बैंक-वार धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आए/पकड़े गए;

(ख) इन मामलों में बैंक-वार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने बैंक कर्मचारी लिप्त पाए गए और बैंक-वार कितने कर्मचारियों को दोषी पाया गया और कितने कर्मचारियों को दण्डित किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन कर्मचारियों से कितनी धनराशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) वर्तमान आंकड़ा रख-रखाव प्रणाली से धोखाधड़ी की संख्या, इनमें लिप्त कर्मचारियों की संख्या और दोषी अधिकारियों से वसूल की गई राशि की राज्यवार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारत में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार 1.4.90 से 31.3.91 तक की अवधि के दौरान धोखाधड़ी की संख्या, अन्तर्ग्रस्त राशि और बैंकों द्वारा की गई वसूलियों को नीचे दर्शाया गया है :—

धोखाधड़ी की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	वसूल की गई राशि
1533	9996.08	908.64

इसी अवधि के दौरान अधिकारियों को उनके धोखाधड़ी की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण दी गई सजा का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	83
2. बड़ी/छोटी सजा प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	762
3. उपर्युक्त (2) में से बर्खास्त/सेवामुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	311

यूनिटों/फार्मेशनों द्वारा चलायी जा रही कैंटीनों द्वारा अर्जित लाभ का वितरण

1350. **श्री डी०डी० खनोरिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन यूनिटों/फार्मेशन द्वारा चलायी जा रही कैंटीनों द्वारा अर्जित लाभ को सेना के कल्याण हेतु वितरित किया जाता है;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जाने वाली सी०एस०डी० (आई) कैंटीनों द्वारा अर्जित लाभ सेवानिवृत्त सैनिकों में वितरित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कोई भी सी०एस०डी० (आई) कैंटीन केवल मात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिये नहीं चलाई जाती है । तथापि, सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए उपलब्ध कैंटीन सुविधायें भूतपूर्व सैनिकों को भी दी जाती हैं ।

(घ) कैंटीन भण्डार विभाग के द्वारा अर्जित लाभ का कुछ हिस्सा सेनाओं द्वारा केन्द्रीय रूप से अपने ऐसे कल्याण कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है—जैसे नये स्कूल खोलना, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना, युद्ध में हताहतों के बच्चों के लिए मुफ्त छात्रावास की व्यवस्था करना, जीवन रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक इलाज की व्यवस्था करना । इससे सेवारत सैनिकों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ मिलता है । यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को जो लाभ प्राप्त होता है उसका उपयोग सेवारत सैनिकों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है क्योंकि यूनिटें स्वयं ही दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में हताहत सैनिकों के बच्चों आदि की स्वयं देख-रेख करती हैं ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार

1531. श्री नवल किशोर राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 31 (अक्तूबर तक) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ हुए भारत के व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत को निरन्तर समर्थन देने का आश्वासन दिया है जैसा कि 14 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार पत्र में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक विवरण पत्र (अगस्त, 1991 तक) संलग्न कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में दिनांक 13 तथा 14 नवम्बर, 1991 को हुई 7वीं इंडो-ई०ई०सी० संयुक्त आयोग की बैठक में, ई०ई०सी० ने भारत को अपना सतत समर्थन देने की बात दुहराई ।

विवरण

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1988-89		1989-90		1990-91		1991 (अप्रैल-अगस्त)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1. बेल्जियम	855.36	2054.74	1208.77	2696.13	1254.43	2717.56	608.70	1107.99
2. डेनमार्क	69.92	51 43	111.99	98.66	152.08	134.09	66.42	32.08
3. फ्रांस	427.29	895 75	638.32	1611.75	765.44	1305.92	331.36	391.35
4. एफ०आर०जी०	1236.31	2457 72	1777.80	2749.69	2534.59	3477.42	1097.39	1377.29
5. ग्रीस	21.23	14.93	35.52	14.15	51.28	12.33	28.70	14.70
6. आयरलैंड	25.65	8.82	24.39	29.25	35.61	20.94	24.02	5.08
7. इटली	540.26	502.52	761.81	773.47	1001.93	1094.40	436.43	510.70
8. लक्जमबर्ग	0.66	7.68	0.98	1.46	0.55	13.78	0.81	0.35
9. नीदरलैंड	401.79	536.37	529.68	549.22	650.16	795.49	311.85	262.11
10. पुर्तगाल	37.31	27.23	38.09	30.03	80.59	36.99	36.70	4.61
11. स्पेन	126.81	139.77	177.12	216.05	281.30	192.22	153.07	66.78
12. ब्रिटेन	1153.21	2397.96	1601.63	2973.82	2122.80	2919.85	1006.35	1150.24
	4895.80	9004.92	6006.10	11733.67	8930.76	12720.09	4101.80	4923.28

स्रोत : वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-1991 के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 1991 (अप्रैल-अगस्त) आंकड़ों के लिए डी०जी०सी०आई०एस० बुलेटिन ।

डेयरी उत्पादों का निर्यात

1532. श्री नवल किशोर राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वेत क्रान्ति को देखते हुए गत तीन वर्षों से डेयरी उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का निर्यात किया गया तथा किन-किन देशों को किया गया; और

(ग) सरकार डेयरी उत्पादों के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मक्खन, शुद्ध दुग्ध घी और दुग्ध पाउडर की निर्यात-मात्रा और मूल्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

मात्रा मी टन
मूल्य लाख रु०

वर्ष	शुद्ध दूध घी/मक्खन		दूध पाउडर	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1988-89	313	139	शून्य	—
1989-90	174*	105	शून्य	—
1990-91	146*	94	319*	124

जहां संयुक्त अरब अमीरात हमारे शुद्ध दूध घी और मक्खन के लिए प्रमुख बाजार हैं जहां हमारे इन उत्पादों का 80% से भी अधिक भाग निर्यात होता है और उसके बाद बहरीन और कुवैत का स्थान है दुग्ध पाउडर का निर्यात मुख्यतया संयुक्त अरब अमीरात और बंगलादेश को किया जाता है ।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार मक्खन, शुद्ध दूध घी और दुग्ध पाउडर के निर्यात पर 30% ऐक्जिम स्क्रिप उपलब्ध है ।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाना

1533. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को वर्तमान जगह से अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्षा के दिनों में पानी के जमाव को रोकने के लिए रनवे को फिर से बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

*निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों पर आधारित अनन्तिम आंकड़े ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्तमान हवाई पट्टी को पुन: निर्मित करने/बेहतर बनाने से रनवे पर होने वाले पानी के जमाव की समस्या हल नहीं हो पाएगी, क्योंकि रनवे के भू-क्षेत्र की सतह नीची है तथा उसमें मानसून के दौरान पानी एकत्र हो जाता है। यही नहीं जब मेगाद्री नदी में बाढ़ आती है तो मेगाद्री वांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके निकासी द्वार खोलने से भी रनवे के क्षेत्र में पानी आ जाता है।

गोआ में जनरल इंश्योरेंस कम्पनियां

1534. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में कितनी जनरल इंश्योरेंस कम्पनियां हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त प्रीमियम की राशि और निपटाए गए दावों की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन कम्पनियों के हानि-लाभ का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय सामान्य बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियां डिविजनल तथा ब्रांच कार्यालयों के माध्यम से गोवा में कार्य कर रही हैं। गोवा में इन चार कम्पनियों के डिविजनल तथा ब्रांच कार्यालयों की संख्या क्रमश: 8 तथा 20 है।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रुपए में)

	1986	1987	1988-89 (1..188 से 31.3.89 तक 15 महीनों के लिए)	1989-90	1990-91
प्रीमियम	8.54	9.77	13.75	14.15	15.86
निपटाए गए दावे	5.24	7.50	9.58	8.22	9.01

(ग) हानि-लाभ खाते डिविजनल कार्यालय आधार पर तैयार नहीं किए जाते परन्तु प्रधान कार्यालय में केन्द्रीय रूप से सकल शुद्ध आधार पर तैयार किए जाते हैं। सभी सामान्य बीमा कम्पनियां कम्पनीवार लाभ अर्जित करती हैं।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गए ऋण

1535. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रतिशत ऋण की वसूली की गई है; और

(ग) बट्टे खाते में डाली गई धनराशि का प्रतिशत कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और) (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को दिये गए ऋण की रकम, वसूल की गयी राशि और मांग की तुलना में वापसी अदायगी का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	जारी ऋण	वसूल किया गया ऋण	मांग की तुलना में वापसी अदायगी का प्रतिशत
1988-89	467.55	449.70	46.09
1989-90	807.80	354.70	33.23

वर्ष 1990-91 के दौरान 283,94 करोड़ रुपये के ऋण जारी किये गए थे। आंकड़े अनन्तिम हैं और वर्ष 1990-91 के लिए ऋणों की वसूली से सम्बन्धित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में वर्णित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे के फार्मों के अनुसार जिसका सभी बैंकों से अनुपालन करने की आशा की जाती है और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की मात्रा को प्रकट न करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की संतुष्टि के अनुरूप प्रावधान किए हैं, सांविधिक संरक्षण प्राप्त है।

विवरण

अनुबंध

(लाख रुपए)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	किसानों को जारी ऋण	88-89 के दौरान किसानों से वसूली गई ऋण राशि	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत	किसानों को जारी ऋण	89-90 के दौरान किसानों से वसूली गई ऋण राशि	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत	किसानों को जारी ऋण	90-91 के दौरान *किसानों से वसूली गई ऋण राशि	*मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	1566.92	1528.33	52.34	1513.91	924.41	44.29	723.25		
हिमाचल प्रदेश	236.81	207.76	52,32	417.67	170.53	43.28	193.62		
जम्मू व कश्मीर	94.41	002.76	34.63	140.71	37.46	10.59	37.66		
पंजाब	586.99	582.74	84.59	1376.87	796.02	64.57	899.30		
राजस्थान	1277.42	1453.81	34.74	2124.32	710.22	11.92	2109.60		
उत्तरी क्षेत्र	3762.55	3970.28	44.92	5571.48	2638.64	26.32	396 .03		
अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	13.87	14.85	56,83	90.66	16.65	44.78	32.34		
असम	861.70	748.86	38.78	1129.05	771.90	27.99	184.27		
मणिपुर ग्रामीण बैंक	3.77	9.59	30.63	9.20	1.55	5.30	7.53		
खासी जैनतिया ग्रामीण बैंक	157.63	94.64	34.54	183.31	118.61	35.21	60.75		
मिजोरम ग्रामीण बैंक	22.76	28.80	33.40	52.83	31.97	32.99	37.48		
नागालैन्ड ग्रामीण बैंक	3.47	2.21	13.13	18.37	1.32	6.55			
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	336.98	517.75	28.57	228.59	136.62	9.32			
उत्तर पूर्व क्षेत्र	1399.98	1413.78	34.00	1712.01	1080.62	22.68	322.37		
बिहार	1873.11	2114.00	25.51	3714.41	1902.49	35.41	1413.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	1541.84	2610.03	48.29	1732.41	2718.12	66.25	991.95		
प० बंगाल	926.02	1544.40	37.45	2159.50	1570.05	8.90	783.59		
पूर्व क्षेत्र	4340.97	6268.43	35.18	7606.33	6190.66	35.11	3189.03		
मध्य प्रदेश	2878.42	1602.02	33.05	3318.68	1087.85	16.67	2699.52		
उत्तर प्रदेश	7258.56	6881.65	48.21	7704.86	5984.24	36.66	5460.73		
म० क्षेत्र	10138.98	8483.67	44.36	11023.52	7072.09	30.95	8160.25		
गुजरात	1243.24	999.41	67.21	844.96	865.21	41.83	651.33		
महाराष्ट्र	2186.33	1667.42	41.20	1772.89	1141.59	21.40	1090.40		
प० क्षेत्र	3429.57	2666.83	68.31	2617.85	2006.80	27.11	1741.73		
आंध्र प्रदेश	10700.99	10177.50	32.80	16674.65	6143.09	29.36	7788.80		
कर्नाटक	7636.14	6363.32	44.97	9491.89	5321.17	29.82	1391.71		
केरल	4588.64	4795.54	71.87	5375.76	4117.[illegible]	58.76	823.00		
तमिलनाडु	789.17	853.02	48.08	706.50	899.4[illegible]	55.92	1014.29		
द० क्षेत्र	2364.94	22189.38	52.67	32248.80	1640.90	34.78	1101.70		
अखिल भारत	46754.99	44970.37	46.09	60779.99	35469.71	32.23	28394.21		

* आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सायंकालीन शाखायें

1536. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सायंकालीन शाखाओं की, राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कम से कम एक सायंकालीन शाखा खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो ये शाखायें कब तक खोल दी जायेंगी;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों तथा महानगरों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की दिन-रात कार्य करने वाली एक-एक शाखा खोलने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो ये शाखायें कब तक खोल दी जायेंगी और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1983 में ही वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया था कि ग्राहक सेवा में सुधार लाने के विचार से कार्य के घंटों की बैंकों में वृद्धि करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे बढ़े हुए कार्य के घंटों के दौरान लेनदेन के लिए किये गये कार्य को शाखा के मुख्य खातों में आमेलित कर दिया जाए, जहां इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बैंको को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय कानूनों का अनुपालन किया जाए तथा जब कभी किसी शाखा के कार्य के घण्टों में वृद्धि की जाती है, तब सम्बन्धित समाशोधन ग्रहों को सूचित कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली, विभिन्न राज्यों में बैंक की शाम की शाखाओं की संख्या की सूचना प्रदान नहीं करती। प्रत्येक जिले में कम से बैंकों की एक शाखा अथवा राज्य की राजधानियों तथा महानगरों में 24 घंटे कार्य करने वाली बैंक की शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग के लिए कच्चे माल की कीमत

1537. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 और 1 सितम्बर, 1991 को सूत, सूती धागे, रासायनिक डाइयों और रंगों की तुलनात्मक कीमत क्या थी;

(ख) उक्त मदों की कीमत में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए इन मदों की कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कपास के उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आने, ईंधन की लागत, बैंक दर में वृद्धि आदि के कारण कच्ची कपास और सूती यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई।

(ग) सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं : कताई उद्योग को एम०एच०

डी०सी० /राज्य हथकरघा एजेंसियों को बजट-पूर्व कीमतों पर हैंक यार्न सप्लाई करने के लिए राजी करना ताकि उसे आगे बुनकरों को सप्लाई किया जा सके, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार स्तर पर कीमतों की मानीटरिंग करना, हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए 40 और उससे कम के काउंटों के यार्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निदेश देना।

जून, 1991 और सितम्बर, 1991 की तुलनात्मक कीमतें

किसम	कीमतें	
	जून, 1991	सितम्बर, 1991
कच्ची कपास	219.6	252.9
सूती यार्न	208.3	247.7
वैट रंजक (इंडिगो सोलूबिलाइज्ड और अन्य)	182.0	182.00
रीएक्टिव रंजक	149.9	149.9
आर्गेनिक पिगमेंट	216.2	225.5
आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	122.5	122.5

स्रोत : उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये भारत में थोक कीमतों के सूचकांक (आधार 1981-82-100)।

दक्षिण राज्यों में रेशम कीट-पालन को नुकसान

1538. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री जी० माडे गौड़ा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में "पेब्रिस" बीमारी के कारण रेशम कीट-पालन को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ग) इस बीमारी के तेजी से फैलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बीमारी से निपटने के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार उक्त बीमारी के कारण किसानों को होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में पैब्रिन रोग के कारण रेशम उत्पादन में कुछ क्षति होने की सूचना मिली है।

(ग) रोगों के फैलने के कुछ कारण निम्नोक्त अनुसार हैं :

1) सीड जोन/क्षेत्र में पैब्रिन का संक्रमण।

2) मुख्य तथा गौण संक्रमणों के जरिये रोग का फैलना।

3) बीज क्षेत्र भंडारों में अपर्याप्त कीट परीक्षण।

4) मूल बीज इन्फ्रास्ट्रक्चर की अपर्याप्तता।

5) अस्वास्थ्कर परिस्थितियों में रेशम कीट फसल उपजाना।

(घ) से (च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे फार्मेल्डीहाइड और ब्लीचिंग पाउडर जैसे आवश्यक रोगाणु-नाशी को खरीदने के लिये व्यापक रोगाणु-नाशी कार्यक्रम चला सकें। राज्यों को तकनीकी सहायता देकर केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के चुनिंदा सीड जोनों के सर्वेक्षण करने के लिये अध्ययन और निरीक्षण दल गठित किये थे। इन दलों ने किसानों और राज्य सरकार के अधिकारियों को पैब्रिन रोग पर नियन्त्रण पाने के लिये विभिन्न उपायों का प्रदर्शन भी किया गया था।

रियायती मूल्य पर जनता वस्त्र स्कीम

1532. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्गों को धोतियों और साड़ियों की रियायती मूल्य पर सप्लाई के उद्देश्य से आरम्भ की गई जनता कपड़ा योजना अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं के लिये कितना कपड़ा सप्लाई किया गया और इसका मूल्य क्या है; और

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राजसहायता दी जाती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए वितरण अभिकरणों को दिये गये जनता कपड़े की वास्तविक मात्रा (राज्यवार) और केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान इस कपड़े पर दी गई राजसहायता का विवरण संलग्न है। इस वितरित किये गये जनता कपड़े के मूल्य का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	डिलिवरी (मिलियन वर्ग मीटर में)	जारी की गई राज सहायता (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.777	17.670
2.	आसाम	40.169	9.220
3.	बिहार	9.053	4.093

4.	गुजरात	12.320	4.041
5.	हरियाणा	0.007	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	38.480	10.532
9.	केरल	0.197	0.006
10.	मध्य प्रदेश	15.390	4.893
11.	महाराष्ट्र	42.490	9.530
12.	मणिपुर	0.013	शून्य
13.	उड़ीसा	21.980	8.909
14.	पाण्डचेरी	0.041	0.003
15.	पंजाब	0.300	0.081
16.	राजस्थान	9.213	2.795
17.	तमिलनाडु	27.480	5.183
18.	त्रिपुरा	3.770	0.796
19.	उत्तर प्रदेश	107.130	38.121
20.	पश्चिम बंगाल	61.570	14.128
		456.520	130.003

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1540. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राधिकरण के विशाखापत्तनम स्थित कार्यालय में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए विविध स्कीमें क्रियान्वित करता है; यथा

(1) मछली पकड़ने की मशीनीकृत नौकाओं द्वारा विविधीकृत रूप में मछली पकड़ने के लिए सहायता।

(2) अंडज उत्पत्तिशालाओं तथा फार्मों की स्थापना और विकास।

(3) मछली के बीज तथा चारा पर आर्थिक सहायता स्कीम।

(4) समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण।

(5) गुणवत्ता उन्नयन स्कीम तथा

(6) बाजार संवर्धन योजनायें।

(ख) और (ग) जी हां। विशाखापत्तनम में एम्पीडा के कार्यालय को उन्नत बनाने का प्रस्ताव इस समय स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाक्साइट अयस्क का निर्यात

1541. **श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई व्यापार नीति के अन्तर्गत पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट क्षेत्रों से बाक्साइट अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड रखे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) निस्तप्त बाक्साइट, तथा पश्चिम तटीय मूलके 54% से कम $ए_{1_2}$ $ओं_3$ अल्यूमीना की मात्रा से युक्त निम्न किस्म के बाक्साइट को छोड़कर सभी किस्म के बाक्साइट एम०एम०टी०सी० के माध्यम से सरणीकृत किये जाते हैं। पश्चिमतटीय मूल के 54% से कम $ए_{1_2}$ $ओ_3$ अल्मूलीना की मात्रा वाले निम्न किस्म के बाक्साइट का सरणीयन 14 अगस्त, 1991 से समाप्त कर दिया गया है। ऐसा उदारीकृत नई व्यापार नीति से अन्तर्गत एक प्रारम्भिक कदम के रूप में किया गया है। सभी भागों से निस्तप्त बाक्साइट के निर्यात पर से भी दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 से कंट्रोल हटा लिया गया है।

पूर्वी तट क्षेत्र (इस्ट कोस्ट) में तटरक्षकों की संख्या बढ़ाना

1542. **श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जल क्षेत्र मे विदेशी मात्स्यिकी ट्रालरों द्वारा मछलियां पकड़ने के कोई समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) पूर्वी तट क्षेत्र (ईस्ट कोस्ट) में तटरक्षकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपने तटीय क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों की सुरक्षा करने हेतु तट रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) पोतों, वायुयानों आदि की नफरी संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है।

(ग) और (घ) जी, हां। तटरक्षक भावी योजना 1985-2000 तथा पांच वर्षीय तटरक्षक

विकास योजनाओं के अनुसार धन उपलब्ध होने पर तटरक्षक की आवश्यकतानुसार उसका उचित रूप से विस्तार करके तटरक्षक संगठन को सुदृढ़ करके आधुनिक बनाया जा रहा है।

पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम को सुदृढ़ बनाना

1543. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम का सुधार करने और सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूर्वी नौसेना कमान में नौसेना की आवश्यकताओं के मुताबिक ही सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। अधिक ब्यौरा प्रकट करना सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

इमारती लकड़ी तथा लुगदी का आयात

1544. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इमारती लकड़ी और लुगदी के आयात की अनुमति देती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान किये गये आयातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सभी तरह की इमारती लकड़ी के लट्ठों का आयात ओ०जी०एल० के अन्तर्गत करने की अनुमति सभी व्यक्तियों की है (यदि चिरे हुए, आयताकार या वर्गाकार लट्ठे का न्यूनतम आकार 10 सेमी० × 10 सेमी० × 2 मी० हो और यदि लट्ठा बेलनाकार है तो इसका न्यूनतम आकार 10 सेमी० व्यास × 2 मी० लम्बा होना चाहिए) और रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुगदी को छोड़कर सभी तरह की लकड़ी की लुगदी को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत आयात की अनुमति है। रेयन ग्रेड लकड़ी की लुगदी के आयात की अनुमति लघु क्षेत्र में ए०यू० (इंडस्टियल) को जारी विशेष लाइसेंसों पर और एक्सिम स्क्रिप्स के बदले है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान इमारती लकड़ी और लुगदी के आयात के आंकड़े अनुबंध-1 पर संलग्न विवरण-पत्र में दिए गये हैं।

विवरण-1

(मूल्य लाख रुपयों मे)

क्र० सं०	मदों का विवरण	मात्रा की इकाई	1986-87		1987-88		1988-89	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	गोलाकार या क्वार्टर में लुगदी वाली लकड़ी	विनिर्दिष्ट	——	——	——	——	——	——
2.	तख्तियां या छोटे-छोटे टुकड़ों में लुगदी वाली लकड़ी	टन्स	——	——	——	——	——	——
3.	लकड़ी का छीलन (बुरादा सहित)	टन्स	——	——	4969	42.57	——	——
4.	शंकुधारी प्रजाति की लकड़ी के चिरे हुए लट्ठे और परतवाली लकड़ी	टन्स	——	3089.68	60273	1444.98	10698	338.56
5.	गैर शंकुधारी प्रजाति की लकड़ी के चिरे हुए लट्ठे और परत वाली लकड़ी	टन्स	160065	3194.86	371799	5779.78	545390	13619.81
6.	लकड़ी के टेक, लट्ठे तथा बल्लियां और विषम आकार की अन्य लकड़ी एन०ई०एस०	टन्स	145290	3520.49	8221	157.23	——	65.44

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खण्ड 2।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग में संकट

1545. **श्री रविराय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के हथकरघा उद्योग के प्रमुख बुनकर बाजार में मंदी के कारण अपना उत्पादन कम करने पर मजबूर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुनकरों की कम होती आय के बारे में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निर्यात की जाने वाली लुंगियों और चारखाने वाली कमीज के कपड़े के उत्पादन में कार्यरत प्रकासम जिले के बुनकर इस समय अल्परोजगार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि वर्मा की बिगड़ी हुई राजनैतिक स्थिति और बंगला-देश में आई बाढ़ के कारण इन देशों के बाजारों में लुंगियों की मांग में गिरावट आई है।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से 1987-88 के दौरान राज्यस्तर पर हथकरघों की गणना का कार्य किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के समाजार्थिक पहलुओं को भी शामिल किया गया। इस गणना से यह पता लगा है कि कुल घरेलू बुनकरों के 7% बुनकर ही सभी साधनों से केवल 200/- रुपये प्रति माह कमा पाते हैं।

(घ) हथकरघा बुनकरों को अधिक आय सुनिश्चित करवाने और उनकी समाजार्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाये हैं :—

(1) करघों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता :

(2) सुधरी हुई प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए विकेन्द्रित प्रशिक्षण योजना;

(3) बुनकरों को सुधरी हुई प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए "बुनकर सेवक" को प्रशिक्षण देना;

(4) हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए कुछ मदों का आरक्षण :

(5) देश में विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिजाईन सहयोग और प्रौद्योगिकी निवेश का प्रावधान;

(6) पावरलूम की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में मूल्य ह्रास दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को विशेष वित्तीय रियायतें;

(7) थ्रिफ्ट फंड योजना जिसमें समूह बीमा योजना शामिल है;

(8) विपणन विकास सहायता योजना जिसमें हथकरघा उत्पादों को विपणन सहयोग देने के लिए विशेष छूट, शीर्ष समितियों और राज्य निगमों को अंशपूंजी सहायता; और

(9) जनता कपड़ा योजना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हथकरघा बुनकरों को उपयुक्त स्तर पर भत्ते दिये जायें।

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए "निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी" नामक नई योजना की घोषणा भी की है।

[हिन्दी]

स्वापक औषधियों की तस्करी

1546. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष से स्वापक औषधियों की तस्करी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में नीचे दिए गए पकड़े गए महत्वपूर्ण मादक द्रव्यों के दुर्व्यसन के आंकड़ों से यह पता चलता है कि जब्त किए गए दो अत्यधिक महत्वपूर्ण मादक द्रव्य अर्थात् हेरोइन और हशीश की मात्रा में पिछले दो वर्षों के दौरान कमी आई है। इसी अवधि में इन दोनों मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के मामलों की संख्या में पिछले दो वर्षों के दौरान वृद्धि दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट है कि इन मादक द्रव्यों के अवैद व्यापार में कमी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के भय से हुई है।

मामलों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। 1990 तथा 1991 वर्षों के दौरान गांजा तथा मैथाक्वालॉन की जब्ती के मामले अधिक प्रभावी हुए हैं जो प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाते हैं।

विवरण

(किलो ग्राम में)

मादक द्रव्यों का नाम	1987	1988	1989	1990	1991 अक्तूबर तक
अफीम	2929 (433)	3304 (512)	4855 (1658)	2114 (506)	1792 (509)
मार्फिन	115 (38)	23 (24)	92 (14)	6 (27)	5 (20)
हेरोइन	2747 (351)	3029 (489)	2714 (1248)	2193 (764)	534 (1050)
गांजा	53920 (592)	45994 (592)	54463 (3612)	39090 (1782)	42014 (3078)
हशीश	14796 (301)	17522 (419)	8179 (687)	6388 (753)	3224 (302)
मैथाक्वालॉन	1500 (59)	1640 (40)	887 (75)	2141 (60)	3951 (70)

विदेशों में ऊनी कपड़ों की मांग

1547. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में ऊनी कपड़ों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऊनी कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये है या उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या ऊनी मिलों ने अपने संयंत्रों के नवीकरण के लिए अनुमति ले ली है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ङ) कितने आवेदकों को अब तक अनुमति दी जा चुकी है; और

(च) अन्य आवेदकों को अनुमति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी हां। विदेशों में ऊनकी परिधानों की मांग है।

(ख) ऊन और ऊनी परिधानों के उत्पादन की मात्रा और क्वालिटी में सुधार लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिन्हें ऊन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

2) सरकार ने एपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय ऊनी वस्त्र मिल्स परिसंघ, ऊनी फैब्रिक निर्माताओं तथा परिधान विनिर्माताओं के साथ अनेक बैठकें आयोजित की हैं ताकि परिधानों सहित ऊनी वस्त्रों के निर्यात में सुधार लाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा सकें।

3) सरकार यह भी सुनिश्चत करने के प्रयास कर रही है कि उत्पादन के लिए जरूरी मशीनों का तेजी से आयात करने की अनुमति दी जाए। परिधान विनिर्माण मशीनों के सुगम आयात को सुन्दर बनाने के लिए अब ऊनी वस्त्रों सहित सभी प्रकार के परिधानों/होजरी मेड-अप्स के लिए मशीनों की 117 मदों को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत रखा गया है परिधान बनाने वाली ये मशीनें औसतकृत कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

(ग) आधुनिकीकरण के लिए इस प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

(घ) से (च) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जर्मनी से प्राप्त ऋणों का उपयोग

1548. श्री साईमन मरान्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री के जर्मनी दौरे के समय जर्मनी के चान्सलर ने यह कहा था कि भारत जर्मनी द्वारा दिए गए 2400 करोड़ रुपए के ऋणों का उपयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और इसमें से अभी तक कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) ऋणों का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण है;

(घ) संपूर्ण राशि का उपयोग कब तक कर लिया जाएगा;

(ङ) क्या यह मामला [illegible] बैंक के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उठा था; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जारी परियोजनाओं के लिए जर्मनी द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए ऋणों और अब तक उपयोग में लाई गई राशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उपयोग में न लाई गई शेष राशि साधारणतः परियोजनाओं की सामान्य परिपक्व अवधि के कारण है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

(आंकड़े दस लाख ड्यूश मार्क में)

परियोजना का नाम	ऋण राशि	सितम्बर, 1991 तक ऋण का उपयोग	शेष
1. एन०एल०सी०-II	517	500.154	16.846
2. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एस०टी०पी०पी०)	171.2	161.862	9.338
3. कोरबा एस०टी०पी०पी०	173.802	138.062	35.740
4. रामागुंडम एस०टी०पी०पी०	145.000	114.030	30.970
5. एन०एल०सी०-III	520.0	442.045	77.955
6. प्रजनक पशुओं की सप्लाई	6.0	3.294	2.706
7. मध्य प्रदेश ग्रामीण जलपूर्ति	45.0	0.000	45.000
8. एच०डी० ब्रेक डाउन क्रेन्स	31.0	25.622	5.378
9. मैसूर सीमेंट	26.0	17.008	8.992
10. फरक्का एस०टी०पी०पी०	70.0	15.474	54.526
11. [illegible] बाक्सेस	11.0	7.289	3.711
12. राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	12.3	1.214	11.086
13. रामागुंडम ओपन कास्ट माइन	172.388	0.274	172.114
14. रेलवे कायल स्प्रिंग सिथौली	22.5	20.219	1.381
15. रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	30.00	6.115	23.886
16. [illegible]-II	30.00	28.357	1.643
17. [illegible]	25.00	4.200	20.800
18. कादरी पावर प्रोजेक्ट	484.900	207.935	275.965
19. यूरान कम्बाईंड साईकल पावर प्लांट	198.0	43.943	154.057
20. पूंजी/वस्तु माल उधार	439.0	298.287	140.713
उधार शृंखला	3130.090	2036.083	1094.007

[अनुवाद]

एन०टी०पी०सी० और नेशनल जूट में मेन्युफेक्चरर्स कारपोरेशन का पुनर्गठन

1549. डा० सी० सिलवेरा :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, नेशनल जूट मेन्युफक्चरर्स कारपोरेशन तथा कपड़ा क्षेत्र के अन्य संगठनों का पुनर्गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संगठनों का पुनर्गठन करने का क्या उद्देश्य है;

(घ) क्या इस पुनर्गठन का इन संगठनों के श्रमिकों के हितों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम द्वारा उठाये जा रहे भारी घाटों को कम करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिये सरकार एक दीर्घकालिन समाधान के रूप में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) क्योंकि एन०टी०सी०, बी०आई०सी० और एन०जे०एम०सी० के पुनर्गठन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है इस लिए फिलहाल यह बता पाना असामयिक होगा कि क्या उससे कामगारों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा और किसी भी रूप में कामगारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

सिल्क बुनकरों को सहायता

1550. डा०सी० सिलवेरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिन्थेटिक फाइवर और विद्युत करघों की अत्याधिक कमी का सामना कर रहे रेशम बुनकरों और कताई करने वालों को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1991-92 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) सरकार रेशम हथकरघा बुनकरो सहित हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित करती है। इन योजनाओं में बाजार विक्रय सहायता, वर्क-शैड-सब आवास, प्रशिक्षण तथा आधुनिकीकरण, बचत निधि योजना इत्यादि शामिल हैं। रीलरों के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहायता के सतत कार्यक्रम में रीलरों को नये और परंपरागत क्षेत्रों में रीलिंग एकक स्थापित करने

के लिए सहायता, मल्टी एण्ड रीलिंग एककों की स्थापना के लिए उपदान, द्विफसलीय कोसा रीलरों के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ रीलिंग में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार रेशम उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सभी प्रयास कर रही है। वर्ष 1991-92 का लक्ष्य 550 करोड़ रु० का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात संवर्धन कार्यकलाप चला रही है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना शामिल है। परिषद नए बाजारों को हथियाने के लिए भी बिक्री-सह अध्ययन दौरों का आयोजन करती हैं। इसके अतिरिक्त परिषद ने अक्तूबर, 1991 में भारत में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय रेशम मेले (रेशम इण्डिया) का आयोजन भी किया जिसमें अनेक आयातकों ने भाग लिया।

राज्य व्यापार निगम द्वारा घटिया किस्म के रबड़ की खरीद

1551. **श्री प्रो०के०वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम के विरूद्ध घटित किस्म का रबड़ खरीदे जाने की कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या टायर निर्माता कम्पनियों ने ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा उन्हें घटिया किस्म के रबड़ की सप्लाई की गई है तथा इन कम्पनियों ने मुआवजे की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या अब राज्य व्यापार निगम द्वारा आर०एस०ए० I ग्रेड रबड़ की खरीद की जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) और (ख) आर०एम०ए०-5 ग्रेड की ऐसी प्राकृतिक रबड़ की खरीदारी के मामले के बारे में एक शिकायत मिली है जो निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुकुल नहीं है। और कठोर गुणवत्ता मापदण्डों के अधीन प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के बारे में निर्देश दिए गए है।

(ग) और (घ) जी हां,। एस०टी०सी० और रबड़ बोर्ड मामले को छाँट रहे हैं।

(ङ) जी हां। अब एस०टी०सी० को घरेलू बाजार से आर०एम०ए०-4 ग्रेड के प्राकृतिक रबड़ की खरीदारी कराने का निर्देश दिया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्याओं के संबंध में भारत-पाक वार्ता

1552. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में भारतीय सैनिक प्रतिनिधि मंडल ने हाल के पाकिस्तान के दौरे के दौरान वहां के सैनिक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के दौरान किन-किन सुनिश्चित विषयों पर बातचीत की गई तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सीतावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने 24 से 27 सितम्बर, 1991 तक पाकिस्तान का दौरा किया। बातचीत के दौरान, नियंत्रण रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और परस्पर विश्वास की भावना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार-विमर्श किया। निम्नलिखित बातों पर सिद्धान्ततः सहमति भी हुई :—

(1) संबंधित सैक्टर कमांडरों के उपयोग के लिए, जहां नहीं आवश्यक हो; बारामुला-मूरी और राजौरी-झेलम के बीच मौजूदा टेलीफोन संपर्क व्यवस्था को फिर से स्थापित किए जाएं।

(2) दोनों देशों की वायु सेनाओं और नौसेनाओं के बीच संचार संपर्क स्थापित किए जाए।

(3) दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया जाए जिसमें दोनों देशों के सामरिक अध्ययन संस्थानों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लेना, खिलाड़ी-टीमों का एक-दूसरे के देशों में जाना आदि शामिल है।

(ग) सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान के साथ हमेशा बातचीत का रास्ता बनाए रखने का प्रयास करती रही है। नियंत्रण रेखा के पास आर्टिलरी, मोर्टार और राकेट पायर के इस्तेताल पर रोक लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशालयों के बीच 16 अक्तूबर, 1991 से एक समझौता हुआ है।

[हिन्दी]

फाइलों की चोरी

1553. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 1991 के जनसत्ता में "रक्षा मंत्रालय से फाइलें गायब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) वर्ष 1982 में एक फाइल गुम हो गई थी और सभी प्रयास करने के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सका। यह बात लेखा-परीक्षा के ध्यान में लाई गई थी। अब सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं जिनमें इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि फाइलों को पूरी हिफाजत से रखा जाए और यदि कभी कोई फाइल गुम हो जाय या उसका पता न लगे तो अविलम्ब उसकी छानबीन की जाए और यह निश्चित किया जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

निर्यात संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को परामर्शदात्री सेवाएं

1554. श्री खेलन पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को, राज्य-वार निर्यात संवर्धन के लिए दी गई परामर्शदात्री सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह योजना कब शुरू की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) व्यापार विकास प्राधिकरण विभिन्न राज्यों के लिए कार्य-योजना तैयार करने में मदद करता है। इन योजनाओं में निर्यात-योग्य उत्पादों की पहचान की जाती है। विपणन कौशल, अवस्थापना संबंधी आवश्यकताएं और नीति समायोजन संबंधी सुझाव दिए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्यों के लिए कार्य-योजना/ सर्वेक्षण तैयार किए गए हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. उत्तर-पूर्व क्षेत्र
5. उड़ीसा
6. सिक्कम
7. तमिलनाडु
8. त्रिपुरा
9. उत्तर प्रदेश
10. पश्चिम बंगाल

(ख) व्यापार विकास प्राधिकरण यह सेवा वर्ष 1985 से प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

काली मिर्च का निर्यात

1555. **श्री के०एच० मुनियप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में काली मिर्च का निर्यात किया गया;

(ख) क्या काली मिर्च के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा काली मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए है या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के निर्यात का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (एम०टी०)
1988-89	36981
1989-90	34482
1990-91	31871

काली मिर्च के निर्यात में विभिन्न कारणों की वजह से कमी आई है जिसमें शामिल हैं खाड़ी युद्ध वर्ष 1990-91 में घरेलू उत्पादन में गिरावट और भारतीय काली मिर्च की स्वदेश में ऊंची कीमतें।

(घ) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए काली मिर्च पर आधारित कई उत्पाद विकसित किए गए थे जैसे काली मिर्च का तेल, तेल राल, शुष्क हरीकाली मिर्च और फ्रोजेन हरी काली मिर्च आदि और बाजार सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मसाला बोर्ड ने विस्तृत अध्ययन/सर्वेक्षण किए है। कालीमिर्च सहित, मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए मसाला बोर्ड ने जो अन्य निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप किए हैं, वे हैं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, चुनिंदा बाजारों में प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन दल भेजना और भारत में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना आदि।

कोचीन पत्तन

1556. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कोचीन पत्तन में हड़ताल के कारण कुल कितने श्रमदिवसों की हानि हुई;

(ख) कोचीन डॉक लेबर बोर्ड के नैमित्तक कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कोचीन पत्तन में कुल कितनी आय हुई तथा कितना व्यय हुआ ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन अथवा कोचीन डॉक लेबर बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने कोई हड़ताल नहीं की। इसलिए किसी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ।

(ख) यूनियनों के साथ परामर्श करके एक फार्मूला इजाद करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कोचीन पत्तन की कुल आय 63.65 करोड़ रु० और कुल व्यय 53.24 करोड़ रु० था।

भुगतान संतुलन की स्थिति पर अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों का असर

1557. **श्री रामश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान संतुलन की स्थिति पर अनिवासी भारतीयों के पूंजी निवेश/जमाराशियों का असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1989, 1990 तथा 31 अक्तूबर, 1991 को देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों का प्रतिशत कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अप्रवासी भारतीयों की जमाराशियों के साथ-साथ अप्रवासी जमाराशियों के निवल अन्तप्रर्वाह जिनसे पूंजी लेखा में अन्तप्रर्वाह आता है, भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार ये जमा-

राशियां चालू खाते में हुए घाटे के विश्लेषण में सहायता प्रदान करती हैं। अप्रवासी भारतीयों के निवेशों से भी पूंजी लेखा में अन्तप्रर्वाह आता है।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

दिनांक	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि	बकाया अप्रवासी भारतीय जमा राशि का शेष
31-12-1989	5277	17,213
31-12-1990	2152	19,863
31-10-1991	6032	20,319

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां कई कारकों पर निर्भर रहती हैं, तथा निर्यात से प्राप्त आय, आन्तरिक प्रेषणाएं, अप्रवासी जमाराशियां, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्रवाह, आयात व्यय, ऋण अदायगी आदि। ये सभी अस्थिर कारण हैं, इसलिए किसी एक कारक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिशतता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

1558. श्री पाला के० एम० मैथ्यू :
श्री कोडीक्कुनील सुरेश :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा इस वर्ष कितनी मात्रा में रबड़ की खरीद की गई और भण्डार में रखी गई;

(ख) राज्य व्यापार निगम के लिए और उसकी ओर से रबड़ विपणन संघ और अन्य एजेंसियों द्वारा रबड़ की कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ग) क्या इन एजेंसियों और निगम के बीच कोई विवाद है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसे सुलझा दिया गया है;

(ङ) निगम द्वारा पिछले दस महीनों के दौरान रबड़ की कितनी मात्रा जारी की गई; और

(च) क्या सरकार का राज्य व्यापार निगम को रबड़ के उत्पादों को लागत मूल्य देना सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक रबड़ खरीदने और भण्डारण करने हेतु निर्देश देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान एस०टी०सी० ने घरेलू बाजार से 8684 मी०टन दिनांक (22 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार) आर०एम०ए०-5 ग्रेड के प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। इसमें से 1043 मी०टन रबड़ बेच दिया गया है और शेष 7641 मी०टन आर०एम०ए०-5 ग्रेड रबड़ एस०टी०सी० के पास स्टॉक में रखा है।

(ख) दिनांक 22 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार, प्राकृतिक रबड़ के आर०एम० ए०-5 ग्रेड के 8684 मी०टन की खरीद निम्नलिखित एजेन्सियों द्वारा की गई है:—

(I) केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फैडरेशन (के०एस०सी०आर०एम०एफ०)	8298 मी०टन
(II) मैसर्स पाम्बा रबड़	255 मी०टन
(III) मैसर्स पेरियार रबड़	78 मी०टन
(IV) मैसर्स पाम्फासी रबड़	53 मी०टन
योग :	8684 मी०टन

(ग) और (घ) जी हाँ। उपभोक्ता उद्योग ने पाया है कि केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फैडरेशन (के०एस०सी०आर०एम०एफ०) द्वारा सप्लाई किया गया रबड़ घटिया क्वालिटी का है। एस०टी०सी० ने इस मामले में के०एस०सी०आर०एम०एफ० पर दावे किए हैं। अभी तक इस विवाद का निपटारा नहीं हुआ है।

(ङ) पिछले दस महीनों में एस०टी०सी० ने 7000 मी०टन प्राकृतिक रबड़ रिलीज किया है।

(च) सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को इस बात के निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि वे घरेलू बाजार से प्राकृतिक रबड़ के आर०एम०ए०-4 और आर०एम०ए०-5 ग्रेडों की खरीद करें। एस०टी०सी० अपना खरीद कार्य तब तक करता रहेगा जब तक कि इन ग्रेडों की 7 दिनों की प्रचलित औसत कीमतें वांछित स्तर तक नहीं पहुँच जाती हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

1559. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य व्यापार निगम को आर०एम०ए० पांच ग्रेड का रबड़ खरीदने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने कितनी रबड़ की खरीद करके बफर स्टॉक में रख दिया है;

(ग) क्या सरकार का राज्य व्यापार निगम को आर०एम०ए० पांच ग्रेड और अवर्गित (अनग्रेडिड) रबड़ और अधिक मात्रा में खरीदने हेतु निर्देश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अक्तूबर, 1991 के पहले सप्ताह में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को घरेलू बाजार से आर०एम०ए०-5 ग्रेड की प्राकृतिक रबड़ खरीदने का निर्देश दिया था। एस०टी०सी० ने अब तक घरेलू बाजार से लगभग 984 मी०टन आर०एम०ए० ग्रेड की प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है और अपने स्टॉक में रख लिया है।

(ग) और (घ) आर०एम०ए० ग्रेड-5 की रबड़ की खरीद के लिए पहले से ही दिए गए दिशा-निर्देश में खरीदी जानी वाली मात्रा के सम्बन्ध में किसी भी सीमा का संकेत नहीं मिलता है। गुणवत्ता विशिष्टताओं के साथ एस०टी०सी० घरेलू बाजार से तब तक आर०एम०ए० ग्रेड-5 की रबड़ खरीदना जारी रखेगा जब तक आर०एम०ए०-5 ग्रेड का औसत मूल्य 7 दिन तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अकोटीकृत रबड़ को खरीदने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

रबड़ का स्टॉक फार्मूला

1560. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ का विद्यमान स्टॉक फार्मूला क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह फार्मूला बदल दिया है अथवा इसे बदलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) सरकार ने स्टाक रखे जाने के सम्बन्ध में कोई विधायी निर्देश जारी नहीं किए हैं अथवा किसी सेक्टर के साथ कोई लिखित करार नहीं किया है। किन्तु, सम्बद्ध सेक्टरों के बीच औपचारिक परामर्शों और उनके बीच हुए समझौते के अनुसार अभी हाल ही तक आयात द्वारा घाटापूर्ति की गणना करते समय दो माह की खपत के बराबर संरक्षित स्टाक रखने की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। चालू वर्ष के दौरान किसी आयात की उम्मीद नहीं है।

[हिन्दी]

स्वापक औषधों की तस्करी

1561. **श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के स्वापक औषधों की तस्करी में लिप्त तस्करों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र स्वापक औषध विरोधी अभियान पर भी हस्ताक्षर किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) स्वापक औषध की तस्करी में लिप्त तस्करों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान का कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन आसूचना के आदान-प्रदान तथा अन्वेषण में सहयोग, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय आधार पर तथा "सार्क" के तत्वावधान में अन्य पड़ोसी देशों के साथ उपलब्ध हैं।

(ख) उपरोक्त विषय पर सभी संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का भारत एक पार्टी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का पुनर्गठन

1562. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1991 के "इकनामि टाइम्स" में "रिसोसेंज फार गोल्डन हेंड शेक एन०टी०सी० आरकड टूसेल लैंड, मशीनरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या परिसम्पतियों की बिक्री के अतिरिक्त श्रमिकों को मुआवजा देने का अन्य कोई उपाय नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आठवीं योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ गैर अर्थक्षम मिलों के समामेलन और बन्द करने का प्रावधान है। कामगारों को मुआवजा देने सहित विभिन्न अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये यह प्रस्ताव है कि आधुनिकीकरण, समामेलन आदि के जरिए एन०टी०सी० मिलों को अर्थक्षम बनाया जाए।

[हिन्दी]

सेंट किट्स बैंक खातों के बारे में जांच

1563. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री 13 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट किट्स बैंक खातों से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली जांच का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जांच के पूरा होने की समयावधि बता पाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1564. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने 20 अगस्त, 1991 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और इस समय ऋण वितरण का कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांगों के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग ने 20.8.91 को हड़ताल की थी। नाबार्ड को ऋण संवितरण कार्य के अवरुद्ध होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) हड़ताल के लिए मिले नोटिस के अनुसार अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन ने अन्य बातों के साथ भारतीय ग्रामीण बैंक के गठन, प्रायोजक बैंक के वेतनमान में वेतन निर्धारण करने में कथित विसंगतियों को दूर करने, शाखाओं के पुनर्वर्गीकरण, संदेशवाहकों को नियमित करने, बकाया का नकद भुगतान किए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रतिपूरक भत्ता दिए जाने आदि की मांग की है।

(ग) भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और अन्य लाभों का निर्धारण करने के लिए गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ने प्रायोजक बैंक वेतनमानों की सिफारिश की थी परन्तु पदों के समीकरण और फिटमेंट फार्मूले के कार्य को सरकार पर छोड़ दिया था। अत: सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पदों का प्रायोजक बैंक के पदों के साथ समीकरण करने के लिए एक समीकरण समिति का गठन किया था। अधिकरण के पंचाट और समीकरण समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया गया है। अधिकरण ने सिफारिश की है कि संदेश वाहकों को उसी दिन से नियमित वेतनमान दिया जाए जब से वे नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं। तदनुसार, यह काम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पर छोड़ दिया है कि वह प्रत्येक मामले में तथ्यों और विशिष्टियों के आधार पर निर्णय लें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पदोन्नति नीति और सेवा शर्तों को तैयार करने और अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य अवशिष्ट मामलों पर ध्यान देने के लिए नाबार्ड में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गयी है। बकाया के भुगतान का कुल वित्तीय भार 200 करोड़ रुपए आंका गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास अदायगी करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं है। नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बकाया की अदायगी का हल तलाश कर रहा है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

बलों की वित्तीय कठिनाइयां

1565. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1991 की पाक्षिक पत्रिका "इंडिया टुडे" में प्रकाशित शीर्षक "दी आर्म्ड फोर्सेज-चिंक्स इन दी आर्मर" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) बदली हुई आर्थिक स्थिति और सीमा क्षेत्रों में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण किफायत बरतना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना और सशस्त्र सेनाओं के कार्यक्रमों/कार्यकलापों को युक्तिसंगत बनाना और उनकी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना आवश्यक हो गया है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमा पार के किसी भी खतरे से निपटने के लिये निरन्तर तैयार रहती हैं। सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है और कारगर रक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपाय करती है।

कानपुर छावनी बोर्ड में अनियमितताएं

1566. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री 2 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारियों ने अन्य पार्टी से ऊंचे ऑफर को स्वीकार न करने में छावनी बोर्ड की नई वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया था;

(ख) क्या बोर्ड ने प्रश्नाधीन पार्क के क्षतिग्रस्त करने से पूर्व पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति ली थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी ने अन्य बातों के अलावा एक आपत्ति इस बात पर उठाई थी कि कानपुर छावनी में सर्वे संख्या 504 वाली जमीन पर बनी एक दुकान के आबंटन के लिये यद्यपि श्री राधे मोहन साहू ने 1200 रुपये प्रति माह देने की पेशकश की थी तो फिर उसे 1000 रुपये प्रति माह की बोली लगाने वाले श्री अजय पाण्डेय को देना क्यों स्वीकार किया गया। श्री राधे मोहन साहू ने 31.10.81 को हुई नीलामी में भाग नहीं लिया था लेकिन 2.11.81 को नीलामी के बाद उन्होंने इसके लिए 1200 रुपये प्रति माह दिये जाने की पेशकश लिखित रूप में दी थी। उन्हें छः महीने का किराया अग्रिम रूप से इकट्ठा करने और जमानत के रूप में 1400 रुपये की राशि जमा कराने के लिए कहा गया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। इस पर छावनी बोर्ड कानपुर ने नीलामी में श्री अजय पाण्डेय द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली को स्वीकार करने का फैसला किया। सरकार ने हाल ही में मालियों के लिए बने 7 क्वार्टरों को दुकानों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी है।

इसमें पर्यावरण विभाग की अनुमति अपेक्षित नहीं है क्योंकि उस जगह को दुकानों/रेस्टोरेंटों में परिवर्तित करने का काम उतनी जगह (अर्थात् 1194 वर्ग फुट) तक सीमित रखा गया है जितने पर मालियों के क्वार्टर बने हुए थे और इस प्रकार महात्मा गांधी पार्क की भूमि को जिसका क्षेत्रफल 5.814 एकड़ है, किसी भी तरह कम नहीं किया गया है।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती

1567. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि साक्षात्कार के अंक कम रखे जायें और चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाये;

(ख) यदि हां, तो बैंकिंग सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के चयन के बारे में न्यायिक टिप्पणी को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा 1991 में आयोजित की गई परीक्षाओं के परिणाम कब तक घोषित होने की संभावना है;

(घ) क्या बैंकिंग सेवा परीक्षाओं के आधार पर चयन की गई बैंकों की महिला कार्मिक का तैनाती स्थान उनकी शादी हो जाने पर बदल दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उच्चतम न्यायालय ने 1983 की सिविल अपील सं० 10161 पर 1985 में दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं के लिए साक्षात्कार का महत्व कुल चयन प्रक्रिया का 12.2% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, मद्रास के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री टी०जी०के० चारलू की अध्यक्षता में 1987 में गठित समिति ने बैंकिंग सेवाओं में अधिकारी और लिपिक संवर्ग में चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को कम महत्व देने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के आधार पर अब सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में साक्षात्कार के महत्व को 33⅓ प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए और बोर्डों को उनके केन्द्रीय सचिवालयों के माध्यम से कहा गया है कि वे एक अप्रैल, 1992 से भर्ती प्रक्रिया में सरकार के निर्णय का अनुपालन करें।

(ग) विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा वर्ष 1991 में ली गई परीक्षाओं के परिणाम संबंधित परीक्षाओं की तारीखों से छः महीनों के अन्दर अन्दर घोषित करने की आशा की जाती है।

(घ) से (च) महिलाओं सहित चुने गए अभ्यर्थियों की तैनाती उन बैंकों द्वारा की जाती है जिन्हें ऐसे अभ्यर्थी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड अलाट करते हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, सामान्यतः, विवाह आदि जैसे मामले तैनाती के स्थान को प्रभावित नहीं करते हैं, रिक्त स्थानों की उपलब्धता को देखते हुए बैंक में

लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी को उसके अनुरोध पर उसकी मर्जी के स्थान में तैनात किया जा सकता है यदि वह स्थान उस राज्य के सीमा क्षेत्र के अन्दर हो, जहां के लिए उसने आवेदन दिया है। अधिकारी संवर्ग में नियुक्ति के मामले में, चूंकि स्थानान्तरण अखिल भारत स्तर पर होता है, अतः अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब उपयुक्त रिक्ति हो और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य हो।

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम

1568. **श्री राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख रखे जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विनिमय समग्रतः अनुमोदित हुए हैं अथवा संशोधनों के साथ;

(घ) यदि ये संशोधित हुए हैं, तो संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम 34 के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा छः के उपबन्धों की दृष्टि से बैंक के सभी पंजीकृत कर्मचारी संघों को नोटिस जारी करने से सम्बन्धित फार्म "ई" को पूरा कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) दिनांक 6 अप्रैल, 1991 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम की प्रतियां राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई हैं ताकि उन्हें क्रमशः 3 दिसम्बर और 6 दिसम्बर, 1991 को संबंधित सदनों के पटलों पर रखा जा सके। इन विनियमों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 (2) (ज) के अनुसार भारत सरकार द्वारा मामूली संशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया गया था।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 के तहत आरम्भ की गई पेंशन योजना विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार बैंक की सेवा में विद्यमान कर्मचारियों को यह व्यक्तिगत विकल्प दिया गया था कि वे या तो अंशदायी भविष्य निधि के नियंत्रणाधीन बने रहें या अंशदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन योजना में शामिल हो जाएं। उन्हें अपने विकल्पों का प्रयोग करने के लिए 1.11.1990 से 31.1.1991 तक तीन महीने का समय दिया गया था। तदनन्तर, कानूनी राय के आधार पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 क के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटिस देना आवश्यक नहीं समझा गया और भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ए०एल०सी० (सी), बम्बई के समक्ष एक अमान्य यूनियन द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में बैंक के इस मत का श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया है।

धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा लाभांश का भुगतान

1569. **श्री पी०एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) भारी लाभ अर्जित कर रही है और सरकार को लाभांश का भुगतान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में धातु और खनिज व्यापार निगम ने सरकार को कितने लाभांश का भुगतान किया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) धातु एवं खनिज व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) लाभ अर्जित कर रहा है और सरकार को लगातार लाभांश का भुगतान कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०एम०टी०सी० ने सरकार को लाभांश का निम्नानुसार भुगतान किया है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत इक्विटी
1988-89	7	20
1989-90	7	20
1990-91	10	20

गंभीरता से चुनाव न लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनावों में नामजदगी का पर्चा भरा जाना

1570. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री लालकृष्ण आडवाणी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री अन्ना जोशी :

श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० चोक्का राव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए चुनाव के दौरान गंभीरता से चुनाव न लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामजदगी का पर्चा भरने और चुनाव से पहले ऐसे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) विद्यमान उपबंधों के अनुसार किसी अभ्यर्थी की, जिसका नाम निर्देशन संवीक्षा की जाने पर विधिमान्य पाया गया है और जिसने अपना नाम वापस नहीं लिया है, मृत्यु हो जाने पर मतदान प्रत्यादिष्ट कर दिया जाता है। यदि मतदान आरम्भ होने से पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 में जो राज्य सभा में विचाराधीन है, गैर संजीदा निर्दलीय अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से निरुत्साहित करने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। इनमें से एक उपबन्ध, निर्दलीय अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति निक्षेप को बढ़ाकर 5000 रुपए और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में इसे बढ़ाकर 2500 रु० करना है। एक अन्य प्रस्ताव, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को, न कि निर्दलीय अभ्यर्थियों को राज्य की ओर से कुछ सीमा तक निधि उपलब्ध की जाने के लिए है। इस विधेयक में यह भी उपबंध है कि किसी निर्दलीय अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं होगा। साधारण निर्वाचन सुधारों के भाग के रूप में इस विषय में और गहन अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

चुनाव प्रत्याशियों की सुरक्षा

1571. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) भारत के निर्वाचन आयोग ने अप्रैल, 1991 में संबद्ध राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए थे कि वे मई, जून, 1991 में लोक सभा और कुछ विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान, दलों से असंबद्ध निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की, जोखिम और उन्हें दी गई धमकियों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करें। संवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की जानी थी। आयोग ने ये अनुदेश 16 नवम्बर, 1991 को होने वाले उप निर्वाचनों और प्रत्यादिष्ट निर्वाचनों के लिए भी दोहराए थे। यह सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक और यदि आवश्यक हो तो तत्पश्चात् भी, निर्वाचनापरान्त होने वाले प्रतिशोध को रोकने के लिए, की जानी थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सेना मुख्यालयों की कैंटीनों के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार

1572. श्री राम सागर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय द्वारा संचालित नई दिल्ली की विभिन्न कैंटीनों के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सेना मुख्यालय में यूनिट द्वारा चलाई जा रही एक कैंटीन है जो उपभोक्ता वस्तुओं को कैंटीन स्टोर विभाग के माध्यम से प्राप्त कर उन्हें बेचता है। यह

कैंटीन एक रेजिमेंटल कटीन है जिसका संचालन एक प्रबन्ध समिति करती है। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अतः सरकार को इन कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तीनों सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में सोलह गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनें/टिफिन रूम हैं, केवल मात्र सेना मुख्यालय के लिए अलग से कोई कैंटीन नहीं है। ये कैंटीनें सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाई जाती हैं। इन कैंटीनों के कर्मचारियों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नियम लागू होते हैं।

[अनुवाद]

बोफोर्स तोपों के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई

1573. **श्री वी०एस० विजय राघवन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वीडिश सरकार द्वारा नोबल इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या इस अधिग्रहण से बोफोर्स तोप के अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार बोफोर्स तोपों के अतिरिक्त पुर्जों की अनवरत सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) नोबल इण्डस्ट्रीज तथा एफ०एफ०वी० स्वीडन की पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी ने 1.1.91 को स्वीडिश आर्डनेंस एफ०एफ०वी०/बोफोर्स ए०बी० के नाम से एक नई कम्पनी स्थापित की है। इस नयी कम्पनी में नोबल इण्डस्ट्रीज और एफ०एफ०वी० में से प्रत्येक की 50 प्रतिशत की साझेदारी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने बोफोर्स तोपों के अतिरिक्त पुर्जों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

बोफोर्स तोप का रख-रखाव

1574. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1991 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित "बोफोर्स भारत में अपना दफ्तर बन्द करेगा" समाचार शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अपने इंजीनियरों के लिये बोफोर्स तोप के रख-रखाव का प्रशिक्षण दिलाया है जिससे कि विदेशी इंजीनियरों की अनुपस्थिति में इन तोपों की उचित देखभाल की जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। बोफोर्स तोपों के रख-रखाव तथा मरम्मत कार्य में इंजिनियरों को प्रशिक्षण देना भी संविदा का एक भाग था और जिसे बोफोर्स तोप सप्लाई करने वालों ने पूरा किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की लखनऊ शाखा में जमा-राशि में अनियमितताएं

1575. **श्री राम बदन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर की लखनऊ शाखा के अधिकारियों ने मार्च/अप्रैल, 1991 में लगभग एक करोड़ रुपये की झूठी प्रविष्टियां दिखाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि उन्हें अपने एक स्टाफ सदस्य से अपनी लखनऊ शाखा के विरुद्ध जमाराशियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने सहित विभिन्न आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई है। तथापि, 30.3.1991 को हरिजन आवास निर्बल वर्ग आवास निगम के खाते में गलती से 25 लाख रुपए जमा किए जाने की घटना को छोड़कर शेष सभी आरोप बेबुनियाद पाए गये। यह वह राशि थी जिसे उन्होंने चैक द्वारा अपने खाते में जमा करवाया था। परन्तु, वह चैक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था और नामे नहीं डाला गया था। चूक के लिए शाखा प्रबन्धक को बैंक ने चेतावनी दी है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान जमाराशियों में वृद्धि विभाग द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान के कारण थी जिसे खाते में जमा किया गया था।

[अनुवाद]

भारत-कनाडा संयुक्त उद्यम

1576. **श्री पी०एम० सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 में भारतीय व्यापारियों के शिष्ट मंडल ने दोनों देशों द्वारा संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कनाडा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या भारतीय व्यापारियों की यात्रा के बाद कनाडा का एक शिष्टमंडल भी भारत आने पर विचार कर रहा है; और

(घ) कनाडा की ओर से कौन से मुख्य उद्योग प्रतिनिधित्व करेंगे और वित्तीय समझौतों सहित संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत भावी योजना क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) भारतीय व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के औद्योगिक सहयोग प्रभाग के सहयोग से कनाडा-भारत व्यापार परिषद द्वारा प्रायोजित तीन वर्षीय कनाडा-भारत संयुक्त उद्यम

कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-13 जून, 1991 के दौरान कनाडा का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कनेडियन संयुक्त उद्यमों की संख्या तथा भारत के साथ तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना है। ऐसा बताया गया है कि यह कार्यक्रम काफी अच्छा रहा है इससे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कार्यक्रम के बाकी भाग में किया जाएगा जिससे और अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक कनेडियन प्रतिनिधि मंडल के भारत में दौरा करने की उम्मीद है। प्रमुख उद्योग, जो कनेडियन पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे उनमें शामिल हैं परामर्शी सेवाएं, तेल तथा गैस, पेट्रोरसायन, दूरसंचार, निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, कागज तथा लुगदी, विद्युत, पोलीमर्स, इस्पात, शुष्क कार्गो कन्टेनर आदि।

1577. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने रुग्ण कम्पनी की परिभाषा में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने सरकार से रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए लम्बे समय से लम्बित पड़े अपने सुझावों को शीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था, ताकि बोर्ड अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों की विस्तृत रूप-रेखा क्या है; और

(घ) सरकार ने बोर्ड के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली अधिनियम की विभिन्न खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में व्यापक संशोधन का मामला फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सहित कई एजेंसियों से संशोधन सम्बन्धी प्राप्त सुझावों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उन्हें व्यापक संशोधनों के दौरान शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

होप टेक्सटाइल्स मिल्स इन्दौर का अन्द होना

1578. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०आई०एफ०आर० ने इन्दौर स्थित, होप टेक्सटाइल्स मिल्स को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों के संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) होप टेक्सटाइल मिल्स, इन्दौर का मामला बी०आई०एफ०आर० के पास पंजीकृत है। बी०आई०एफ०आर० के अनुसार 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार कम्पनी को बन्द करने का नोटिस दिया हुआ है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के स्थगन-आदेश के कारण आदेश रोक कर रखा गया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों का विस्तार

1579. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्टेनरीकरण प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन कौन से स्थानों अथवा शहरों/कस्बों को चुना गया है;

(ग) क्या इन "कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों" की स्थापना चालू वित्त वर्ष के दौरान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स रेल इण्डिया टेकनिकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज ने अपनी "भारत में कन्टेनरीकरण के विकास की परिप्रेक्ष्य योजना" में 1989-90 से 1999-2000 तक के वर्षों में इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो (आई०सी०डी०) स्थापित करने के लिए तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी०एफ० एस०) की स्थापना के लिए संभावित जगहों की पहचान की गई है। इन जगहों की सूची क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) आई०सी०डी० और पी०एफ०एस० की स्थापना नौभार की संभावना के आधार पर उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययनों के बाद की जाती हैं। उन जगहों की सूची जहां कन्टेनर निपटान सुविधाएं मौजूद हैं, विवरण-III में संलग्न है।

विवरण-I

इण्डियन कन्टेनर डिपो (आई०सी०डी०)

1. दिल्ली।
2. गुवाटी।
3. अहमदाबाद।
4. पुने।
5. बंगलौर।
6. नरायनपुर आनन।
7. नासिक।
8. लुधियाना।
9. हैदराबाद।
10. क्विलोन।
11. कोयम्बटूर।

12. बदोदरा।
13. सूरत।
14. गिरद।
15. राची/जमशेदपुर।
16. मुरादाबाद।
17. तरूचीरापल्ली।
18. भोपाल।
19. विजयाबाद।
20. कानपुर।
21. बनारस।
22. जलपाईगुडी।
23. अनावरती।

विवरण-II

कन्टेनर फ्राइट स्टेशन (सी०एफ०एस०)

1. पानीपत।
2. अमृतसर।
3. मुरक्षीदाबाद।
4. जलगांव।
5. पटना।
6. वलसाद।
7. इन्दौर।
8. जयपुर।
9. रायपुर।
10. कालिकट।
11. मदुरइ।
12. नागपुर।
13. अनाद।
14. साहरनपुर।
15. फरीदाबाद।
16. गाजियाबाद।

17. मैसूर।
18. लखनऊ।
19. बलजाह रोड।
20. त्रिचुर।
21. अकोला।
22. अम्बाला।
23. रोहतक।
24. जालंधर।
25. कटक।
26. आगरा।
27. उदयपुर।
28. मोदीनगर।
29. अहमदाबाद।
30. दुर्गापुर।
31. बिजापुर।
32. पारबनी।
33. अहमदनगर।
34. मिराज।
35. राजमदरी।
36. त्रिवेन्द्रम।
37. सलेम।
38. मेरठ।
39. शोलापुर।
40. राजकोट।
41. बुलधाना।
42. चित्तौड़।
43. ग्वालियर।
44. हरिद्वार।
45. खामम।
46. माईदा।
47. कालीपाई।

48. मिर्जापुर।
49. पान्डीचेरी।
50. इरोद।
51. अंगोले।
52. कोट्टायम।
53. वारंगल।
54. त्रिरलेवली।
55. जबलपुर।
56. धुले।
57. कोलर।
58. गंटूर।
59. तुमकर।
60. हौसूर।
61. मादौर।
62. सातरा।
63. कोटा/गुना।
64. जमुना नगर।
65. अजमेर।
66. भिवानी।
67. अलीगढ़।
68. सुरेन्द्र नगर।
69. चण्डीगढ़।
70. सोनीपत।
71. परबानी।

विवरण-III

जगहें, जहां कन्टेनर हैण्डलिंग सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

1. लुधियाना।
2. नई दिल्ली (प्रगति मैदान)।
3. पतपरगंज, नई दिल्ली।
4. गुंटूर।

5. अनावर्ती।
6. गुहावटी (अमीगोन)।
7. बंगलौर।
8. कोयम्बटूर।
9. पानीपत।
10. मुरादाबाद।
11. अहमदाबाद।
12. हैदराबाद।
13. पुने।
14. वादी बन्दर, बम्बई पर बन्दरगाह के बगल में कंटेनर टरमिनल।
15. जे०एन०पी०टी० कोर्ट (आयात) बंबई।
16. कलामबोली (आय) निर्यात (नई बम्बई)।
17. मादुंप, बम्बई।
18. मुलन्द (बम्बई)।
19. वोदी बन्दर, मद्रास पर बन्दरगाह के बगल में कंटेनर टरमिनल।
20. रायपुरम, मद्रास।
21. वीरूगाम्बाकाम (मद्रास)।
22. जयपुर।
23. जालन्धर।
24. शालिमार (कलकत्ता)

नशीले पदार्थों का धन्धा करने वालों को रिहाई

1580. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले 2000 से अधिक अपराधियों को, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत विदेशी है तथा इस समय भारतीय जेलों में हैं, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और मुकदमों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की कमी के कारण रिहा किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन अपराधियों के नशीले पदार्थों के धंधे रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नशीले पदार्थों के धन्धे से सम्बन्धित बड़े और छोटे अपराधों में अन्तर स्थापित करने के लिए कानून में संशोधन करने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1989 में संशोधित किए गए कानून में गांजे (हरबल केनाबिस) से सम्बन्धित अपराधों के लिए कम सजा तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले जो स्वेच्छा से इलाज के लिए तैयार हो जाएं, के लिए अभियोजन से छूट का प्रावधान है।

भारतीय मत्स्य उद्योग में परिवर्तन करने के लिए शिपिंग क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के सुझाव

1581. **श्री के०वी० तंगकाबालू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने मत्स्यन उद्योग में आमूल परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

————

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि देश की आर्थिक स्थिति को सुलझाने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में मुझे निम्नलिखित सदस्यों से 13 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसके कारण श्रमिक वर्ग को सरकार की जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी आर्थिक और औद्योगिक नीति के विरुद्ध हड़ताल पर जाने को मजबूर कर दिया है।

सूचना देने वाले प्रथम सदस्य श्री बीरसिंह महतो हैं। उसके बाद अन्य सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री रामविलास पासवान
2. श्री लोकनाथ चौधरी
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री इन्द्रजीत गुप्त
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री सैफुद्दीन चौधरी
7. श्री बसुदेव आचार्य
8. डा० सुधीर राय
9. श्री हन्नान मोल्लाह

10. डा० (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य

11. श्री अमर राय प्रधान

12. श्री चित्त बसु

मैं पहले उस सदस्य का नाम लूंगा जो सूची में पहले स्थान पर है उसके बाद मैं उस सदस्य का नाम बोलूंगा जो सूची में उसके बाद होगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति देने से पूर्व मुझे सभा की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : यहां कोई उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कल्पनाथ जी को स्पष्ट करता हूं। ऊर्जा मंत्री जी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

मानव संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : उन्होंने अत्यधिक सफलतापूर्वक उस प्रस्तावित हड़ताल का निपटान किया जो कि विद्युत के क्षेत्र में होने वाली थी।

अध्यक्ष महोदय : इस कारण, उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान हेतु रखने से पूर्व एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हम देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति, विदेशी मामलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर रहे हैं। परन्तु अब इसे सभा में उठाया गया है, हमें निर्णय लेना होगा। मैंने यह कहा है कि मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता हूं। यदि कोई सदस्य इसके विपक्ष में है, तो मैं सदस्यों को कहूंगा कि वे उठे और कहें कि वे इसके 'पक्ष' में हैं या 'विपक्ष' में। यदि वे इसके विपक्ष में हैं तो वे इसका विरोध भी कर सकते हैं।

मैं इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करता हूं और इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव के बारे में 'विपक्ष में' कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस कारण मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और मैं इस मामले पर निर्णय लेने की बात सभा पर छोड़ता हूं। इस पर चर्चा करने का अवसर है। यदि इसमें कोई गलतफहमी हो, तो आपको उस पर चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त है। आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं और मेरे विचार आप पर बाध्य नहीं हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मुझे प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी है कि जब एक बार स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे दी जाती है और अध्यक्ष उस प्रस्ताव को रखने वाले का नाम बुलाता है और यदि वह अनुपस्थित होता है और सभी 50 माननीय सदस्य अथवा अपेक्षित संख्या में सदस्य खड़े नहीं होते तो स्थगन प्रस्ताव समाप्त समझा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे इस बारे में जानकारी प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मैं उस प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। यह मामला देश के श्रमिक

वर्ग से सम्बन्धित है और आप इससे सम्बद्ध है। परन्तु मैं आप पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा, मैं, यह बात आप पर छोड़ रहा हूं। मैं पूर्णतः नियम का पालन कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह : मैं सुस्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह सभा और हम सब लोग यह चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाए, श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की जाए, प्रत्येक विषय पर चर्चा की जाए परन्तु यह सब स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं की जाए। आपके समक्ष अन्य चर्चा भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके विचार सुन लिए हैं। मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

मैंने श्री बीरसिंह महतो को प्रस्ताव रखने की अनुमति देता हूं जिनका सूची में प्रथम स्थान है।

1. श्री बीर सिंह महतो
2. श्री इन्द्रजीत गुप्त
3. श्री लोकनाथ चौधरी
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री चित्त बसु
6. श्री राम विलास पासवान
7. श्री हन्नान मोल्लाह
8. डा० (श्रीमती) मालिनी भट्टाचार्य
9. श्रीमती गीता मुखर्जी
10. श्री सैफुद्दीन चौधरी
11. डा० सुधीर राय
12. श्री बसुदेव आचार्य
13. श्री अमर राय प्रधान

यहां इनमें से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है और अब इस प्रस्ताव पर सभा में चर्चा नहीं की जाएगी।

अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सर आज जीरो आवर का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़ दें, कल जीरो आवर ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : यदि पहले ही इसे स्थगित कर दिया जाता तो शायद प्रश्न काल चल रहा होता।

अध्यक्ष महोदय : इसे स्थगित किया गया होता अथवा नहीं परन्तु इस समय प्रश्न काल नहीं हो सकता था।

12.08 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1990-91 के लिए एरोनाटिकल डवलपमैन्ट एजेंसी, बंगलौर के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एरोनाटिकल डवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) एरोनाटिकल डवलपमेंट एजेन्सी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गऐ। देखिए संख्या एल०टी० 744/91]

चाय संशोधन नियम, 1991, आयात (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1991 और रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम 1991 जो 4 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 382 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 774/91]

(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आयात (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1991 जो 9 सितम्बर 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 581 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 776/91]

(3) (एक) रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 777/91]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 इत्यादि के अधीन अधिसूचना

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ;—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 398 (अ), जो 12 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) चौथा संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 314 (अ), जो 21 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 322 (अ), जो 28 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 326 (अ), जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (निवास का आवंटन) संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 506 (अ), जो 26 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा०का०नि० 510 (अ), जो 26 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 561 (अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डॉक परिसर को छोड़कर) (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) पांचवां संशोधन विनियम, 1991 तथा कलकत्ता पायलट सेवा (हल्दिया डॉक परिसर को छोड़कर) (प्रशिक्षण, श्रेणीकरण और वरिष्ठता) पहला संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 778/91]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1991 जो 28 अक्तूबर, 1991 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 652 (अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 779/91]

(3) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 780/91)

एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)** : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम, 1991 जो 30 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 283 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 781/91]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 के अन्तर्गत अधिसूचना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाक घर आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 12 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 579 (अ) प्रकाशित हुए थे।

(दो डाक घर सावधि जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 12 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 580 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक घर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 1991, जो 12 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 581 (अ) मे प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 782/91]

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

(2) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), निगम की आस्तियां और दायित्व तथा लाभ एवम् हानि लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त-निगम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 783/91]

(3) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपार के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 784/91]

(4) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधार (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 785/91]

(दो) देना बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 786/91]

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 787/91]

(चार) न्यू बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 788/91]

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 789/91]

(5) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 790/91]

वित्त अधिनियम, 1979 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 606 (अ), जो 27 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 3 से 5 अक्तूबर, 1991 तक भारत के दौरे पर आये कम्बोडिया के प्रधान मंत्री महामहिम श्री हुन सेन और शिष्टमंडल के ग्यारह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 617 (अ), जो 8 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 4 से 13 अक्तूबर, 1991 तक भारत के दौरे पर आये स्विटजरलैंड के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री महामहिम श्री रीने फेल्बर और शिष्टमंडल के छह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 650 (अ), जो 29 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1991 तक भारत के दौरे पर आये रोमानिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री एडरियन नसतासे और शिष्टमंडल के छह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 670 (अ), जो 8 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 14 से 16 नवम्बर, 1991 तक भारत के दौरे पर आये जिम्बावे गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोबर्ट जी० मुगाबे और शिष्टमंडल के दस सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 791/91]

(2) केन्द्रीय उत्पादन और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (दो) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम 1991 की एक प्रति जो 30 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 653 (अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 792/91]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 550 (अ), जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड को भारत-पाक सीमाक्षेत्र और भारत-बर्मा सीमाक्षेत्र के आस-पास विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के विशेष उपबंधों को लागू करने के प्रयोजनार्थ एक विनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 638 (अ), जो 22 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी०शु०/81 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 639 (अ) तथा सा०का०नि० 640 (अ), जो 22 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना से संलग्न विवरणी' में दिनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा आनुषंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 641 (अ) तथा सा०का०नि० 642 (अ) जो 22 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अधिसूचना से संलग्न विवरणी में विनिर्दिष्ट माल को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा आनुषंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) पोत परिवहन पत्र तथा निर्यात (प्रपत्र) पत्र विनियम, 1991 जो 29 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 552 (अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०793/91]

12.09 म०प०

प्राक्कलन समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी वक्तव्य

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाले वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय यहां पत्तनों में से गाद निकालने के बारे में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के अस्सीवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) —अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा के 79 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।

12.10 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा किए गए राहत उपाय

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, बंगाल की खाड़ी में तूफानी चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति और इससे प्रभावित आबादी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में वक्तव्य देने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं। चक्रवात चेतावनी की प्राप्ति के तत्काल पश्चात संबंधित राज्य सरकारों और पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र से सम्पर्क किया गया और जान व माल की हानि को कम करने के लिए सभी पूर्वोपाय करने का अनुरोध किया गया।

बंगाल की खाड़ी में 12 नवम्बर, 1991 को एक चक्रवाती तूफ़ान बनना शुरू हुआ और भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा इसकी प्रगति को सूक्ष्मता पूर्वक मानीटरिंग की गई और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश और पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र के सम्पूर्ण संबंधित तटीय क्षेत्रों में प्राधिकारियों को उचित चेतावनी भेजी गई। यह चक्रवती तूफान 15 नवम्बर, 1991 के शुरुआती समय में मध्य रात्रि के थोड़ी देर पश्चात नागापट्टिनम से लगभग 30-40 किलोमीटर उत्तर में कराईकल के समीप तमिलनाडु तट पर आया। इस चक्रवात से थोड़े-थोड़े अन्तराल पर 80 से 90 किलोमीटर प्रतिघंटे और लम्बे अन्तरालों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से तीव्र धरातल हवायें चलने लगीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा हुई। इसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और महाराष्ट्र राज्यों के भागों में व्यापक वर्षा हुई।

प्रधान मंत्री की इच्छा अनुसार मैंने 23, 24 और 25 नवम्बर, 1991 को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी और कर्नाटक का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों व पाण्डिचेरी के उप राज्यपाल के साथ इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। 25 नवम्बर, 1991 को बंगलौर में मुझे कर्नाटक के राजस्व और कृषि मंत्रियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला। आदरणीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में, जहां मैंने दौरा किया, मैंने देखा कि हाल के समुद्री तूफ़ान से इन राज्यों के विभिन्न भागों में हुई क्षति का जायजा लेने के लिए सरकारी मशीनरी अभी भी लगी हुई है। अतः जिन मंत्रियों और अधिकारियों से मैं मिला, मैंने उन्हें यही कहा कि वे कृषकों को कृषि आदानों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित राहत

[श्री बलराम जाखड़]

उपलब्ध कराकर प्राथमिकता के आधार पर राहत उपाय करें ताकि आने वाले रबी के मौसम में व्यापक रूप से हुई इस वर्षा का पूरा फायदा उठा सकें। मैंने 23 नवम्बर, 1991 को प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में दिए गए बयान की ओर मंत्रियों तथा अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया कि राज्यों को विपदा राहत कोष के तहत किए गए व्ययों पर उचित सावधानी बरतनी चाहिए जब कभी कोई विपदा पड़े, उनके पास राहत उपाय के लिए पर्याप्त राहत निधियां हों।

आंध्र प्रदेश में मुझे सूचित किया गया कि विभिन्न जिलों को 40 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिनमें 29 करोड़ रुपये सूखा राहत कार्यों के लिए तथा शेष बाढ़ राहत उपायों के लिए थे। विपदा राहत कोष के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार के पास अभी भी लगभग 30 करोड़ रुपये शेष हैं और वह यह उपाय कर रही है कि राहत उपाय तथा कृषि आदानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर यह धनराशि किसानों को उपलब्ध करायी जा सके। हैदराबाद में प्रधान मंत्री ने मंत्रियों एवं अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया और उन्होंने राहत उपाय का जायजा लिया जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। मद्रास में मुझे सूचित किया गया कि तुरन्त राहत उपाय के लिए तमिलनाडु सरकार को 9 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं और उसके पास विपदा राहत निधि में 30 करोड़ बकाया है। तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने बताया कि समुद्री तूफान तथा सूखा जैसी मौसमी विपदाओं के मुकाबले कृषि को दीर्घावधि पूर्वोपाय के रूप में कृषि के विविधिकरण की स्थिति में राज्य को चावल के आंबटन में अधिक वृद्धि करनी होगी। जब तमिल नाडु में समुद्री तूफान की चेतावनी दी गई तो कुछ अच्छे उपचारात्मक उपाय कर लिए गए थे जिससे जन-हानि को पर्याप्त रूप से कम किया जा सका। बंगलौर मंडल के प्रभावित जिलों का भी मुझे हवाई सर्वेक्षण करने के, प्रतिरिक्त मुझे वहां के कुछ गांव में जाने का भी अवसर मिला। वहां के प्रभावित गांवों में अधिकतर कच्चे मकान धराशायी हो गए थे और कर्नाटक सरकार उन लोगों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सहायता देने पर विचार कर रही है। मैंने कर्नाटक सरकार को सलाह दी कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको की आवास परियोजना प्रस्तुत करने का विचार करें।

माननीय सदस्य जानते ही हैं कि एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए 23 और 24 नवम्बर को तैनात किया गया था, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय संसाधनों से सहायता के रूप में सहायता के मूल्यांकन के लिए इन राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। निकट भविष्य में एक पृथक केन्द्रीय दल पांडिचेरी का दौरा करेगा जो कि वहां हुई क्षति का मूल्यांकन करेगा, क्योंकि नवें वित्त आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ किए जाने वाले राहत उपायों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। जबकि क्षति के मूल्यांकन का कार्य केन्द्र सरकार के पास है।

राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान योजना, जो 1-4-1990 से लागू हुई है, के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि का गठन किया गया है जिसके लिए राशि आबंटित की जाती है, जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा चार त्रैमासिक किस्तों में एक गैर-योजना अनुदान के रूप में और शेष 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारों द्वारा अपने ही संसाधनों में से दिया जाता है। 804 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन है जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान 603 करोड़ रुपये और 201 करोड़ रुपये राज्यों का अंशदान है। आपदा राहत कोष अंतर्गत

राज्य-वार वार्षिक आवंटन को सिफारिश करते समय नौवें वित्त आयोग ने गत 10 वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध के लिए स्वीकृत व्यय की औसत अधिकतम सीमा को ध्यान में रखा था। राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां सहायता के मानदण्डों सहित राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम हैं।

आपदा राहत कोष के गठन के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध पर होने वाले समूचे व्यय को पूरा करने की अब राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है। आपदा राहत कोष के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों को क्रमशः 86 करोड़ रुपये, 39.00 करोड़ रुपये और 27.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपना समूचा अंशदान निर्मुक्त कर दिया है।

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, इसमें मेरा एक निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भूकम्प से पीड़ित लोग हैं, अरबों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हो गया है, उसके लिए केन्द्र सकरकार क्या कर रही है ? **(व्यवधान)** अन्य स्टेट के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ बताया होता।

अध्यक्ष महोदय : उसका अलग स्टेटमेंट करने जा रहे हैं; मैंने बता दिया है। ये ड्राउट और फ्लड्स के ऊपर है।

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, मेरा कहना यह है कि वहां पर लोग मर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है उसके ऊपर भी स्टेटमेंट करना है और गवर्नमेंट करने जा रही है। ये ड्राउट और फ्लड के ऊपर स्टेटमेंट है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् मध्याह्न पश्चात कॉफी के न्यूनतम मूल्य के बारे में एक वक्तव्य देगें।

अब श्री रंगराजन कुमारमंगलम 2 दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य देंगे।

12.16 म०प०

सभा का कार्य

लोक सभा में सोमवार, 2 दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लिए आने वाले सरकारी कार्य पर वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, आपकी अनुमति से में यह सूचित करता हूं

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम्]

कि सोमवार 2 दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में इस सदन में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :—

1. मेघालय राज्य के संबंध में 11 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले अनुमोदन पर चर्चा।

2. आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

3. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

(ख) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1991

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय विचारार्थ सम्मिलित करने की कृपा करें :—

1. उत्तर प्रसेश शासन को केन्द्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय सड़क फंड से प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश को मिलने वाला अनुदान नहीं दिया है। अत: अविलम्ब सड़क अनुदान दिया जाये।

2. उत्तर प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कम राशि आबंटित किये जाने के कारण गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं ही पा रहा। अतः विद्युतीकरण की राशि बढ़ाई जाए।

कृपा इस पर विचार किया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माम्यवर, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये :—

1. भारत सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिये प्रतिव्यक्ति/परिवार के हिसाब से सहायता चालू करें।

2. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा साढ़े 15 करोड़ की योजना को केन्द्र अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

कु० विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलत करें।

1. मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शहपुर के पास आयल रिफायनरी लगाई जाए।

2. बरगी बांध जबलपुर की बांई तट नहर को तथा उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल को दो वर्षों के अन्दर पूरा कर तथा दाईं तट नहर को छोटी बनाकर और लिफ्ट से जबलपुर जिले की सिंचाई का पानी देने का कार्य दो वर्षों में पूरा किया जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. जयपुर-आगरा फोर्ट के बीच चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी को अजमेर तक किया जाए।
2. जोधपुर-लखनऊ के बीच चलने वाली "मरूधर एक्सप्रेस" में जयपुर से अजमेर हेतु एक डिब्बा लगाया जाए और आरक्षण कोटे में वृद्धि की जाए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

1. वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय के लिए एक समन्वित नीति तैयार करने की आवश्यकता।
2. क्षेत्रीय वन संरक्षक अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं, टेलीफोन और इलैक्ट्रिकल लाइनें बिछाने, पत्थर की खानों आदि को मंजूरी देने के लिए और अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

1. इलैक्टोरल सुधारों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता।
2. क्षेत्र में कोयला उत्पादक राज्यों में रहने वाले बहुत से लोगों के सुधार के लिए चर्चा की आवश्यकता।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

व्यापक वक्फ अधिनियम, जो कि संसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक 1984 की अहरन में है, को शामिल किये जाने की आवश्यकता।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : परसों लगभग सभी राजनैतिक दलों, कम से कम सभी विपक्षी दलों, ने सरकार से दिल्ली में जल्दी चुनाव कराने के लिए आग्रह किया था। अब अगले सप्ताह में दिसम्बर की 5 तारीख आती है। और 5 दिसम्बर को दिल्ली महानगर परिषद् और निगम दोनों निकायों की अवधि समाप्त हो जाएगी। आमतौर पर चुनाव 5 दिसम्बर से पहले हो जाने चाहिये थे। लेकिन चुनाव नहीं हुए। और मैं जानता हूँ कि चुनावों का 5 दिसम्बर से पहले कराया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि इस संसद को 5 दिसम्बर से पहले इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये ताकि हम दिल्ली की जनता को निगम और महानगर परिषद जैसे प्रतिनिधिक निकाय प्रदान कराने के सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन ले सकें। अतः मैं समझता हूं कि यह भूल गम्भीर प्रकृति की है जिसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता। इसलिये अगले सप्ताह दिल्ली पर चर्चा अपेक्षित है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेघालय पर यह मद संख्या एक, सप्ताह में चर्चा के लिये पहले अंकित की गई थी। मैं नहीं जानता कि अचानक ही यह गायब क्यों हो गई और यह अगले सप्ताह के लिए कर दी गई जबकि दूसरी सभा में यह जारी है। हमारे लिये यह चौंकाने वाली बात है कि जिन्होंने इसके लिए तैयारी कर रखी थी, उन्होंने पाया कि यह गायब है। यह कैसे हुआ मैं नहीं जानता।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि जब नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी तब मैंने आपकी उपस्थिति में संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध किया था विधेयकों को सभा में लाने से पूर्व संयुक्त संसदीय समिति संस्थान की पुनर्स्थापना की आवश्यकता के बारे मेंसरकार गम्भीरता से विचार करे। मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऐसा किया जाएगा। हम नहीं जानते कि अब तक इस पर सरकार की क्या राय बनी है क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध उस कार्य से सम्बन्धित है जो कि शेष सत्र में लिया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि कोई गल्ती हुई है। हम ठीक कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा भी, जिसका जिक्र आडवाणी जी ने किया, हाउस की विल थी कि इसको डिसकस किया जाए। यहां मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया था कि इसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के अन्दर लेकर हम करेंगे। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में भी, जहां तक मुझे याद है, हमारे मैम्बर्स ने यह कहा। मेरा कहना है कि जहां तक हाउस की इच्छा है, इसको डिसकस किया जाये, तो डिसकस क्यों नहीं किया जा रहा है। सभी दिल्ली में चुनाव की मांग कर रहे थे, सभी की इच्छा थी। हाउस का कसेंसस भी बन गया था कि इसको डिसकस किया जाये। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के अन्दर अगले हफ्ते के लिए इसको क्यों नहीं डाला गया ? सरकार क्या इसको टालना चाहती है ? जैसे आडवाणी जी ने कहा कि पांच तारीख से पहले-पहले आप इसको डिसकस कीजिये। मैं चाहता हूं, मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुये हैं, वे एश्योर करें कि पांच तारीख से पहले-पहले इस पर डिसकशन होगी।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे उठाये गये हैं। उन्होंने जो भी मुद्दे उठाये हैं, हम उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे। लेकिन, विशेषकर मैं विपक्ष के नेता द्वारा उठाये गए मुद्दे का जवाब देना चाहूंगा। संयुक्त प्रवर समिति प्रणाली के सम्बन्ध में हमने सकारात्मक उत्तर दिया है। हम निश्चित रूप से इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और अगले सप्ताह में हम संभवतः उन विधेयकों को लाएंगे जिन्हें हम समझते हैं कि तत्काल लाया जा सकता है जिससे कि उस प्रक्रिया की जांच की जा सके और तब हम देखेंगे कि यह कैसे चलता है।

दिल्ली पर चर्चा के सम्बन्ध में मेरे विचार से इसके बारे में वस्तुतः कार्य मंत्रणा समिति को निर्णय लेना होगा। यह निश्चित रूप से सरकार का कार्य नहीं है जब तक कि हम संकल्प नहीं लाते हैं। मेरे विचार से इस समय यहीं उचित होगा कि कार्य मंत्रणा समिति चर्चा के लिये 193 के मामले की जांच करे। परन्तु इस बात को विचारते हुए कि ऐसे विस्तृत क्षेत्र वाले बहुत से मामले हैं, मैं नहीं जानता…(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कहना चाहूंगा कि यह क्यों आवश्यक है।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम् : मैं विपक्ष के नेता के नजरिये, तात्कालिकता और आवश्यकता का पूर्ण रूप से सराहना करता हूं। तारीख निश्चित करना पूर्णतः समुचित है ···(व्यवधान)। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मंत्री महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा, यदि आप एक मिनट का समय दें। महोदय, मैं एक सिफारिश करना चाहूंगा कि आप नैमित्तिक रूप से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार थे, कि आप तकरीबन प्रतिदिन ध्यानाकर्षण पर विचार करने और दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार रहेंगे। क्या मैं पहले दिल्ली का एक आवश्यक मुद्दा·········

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे। लेकिन, तब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सभा में चर्चा नहीं करेंगे। हम पहले नियम लागू करेंगे और तब फैसला करेंगे। हम देखेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : महोदय, सरकार की ओर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तब यह कार्य मंत्रणा समिति पर निर्भर करेगा कि वह कैसे समय का सदुपयोग करती है।

अध्यक्ष महोदय : एक मुद्दा बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था और आपके लिये निर्णय लेने के द्वार भी खोले गये थे। आपने इसे कार्य मंत्रणा समिति को भेज दिया है। अब हम कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लेंगे।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : यदि माननीय अध्यक्ष याद करें, पिछली कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में इस मामले पर गृह मंन्त्री और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के मध्य विचार किया जाना चाहिये था। लेकिन वे इस पर सभा में चर्चा करने पर जोर दे रहे हैं। यदि इस पर इस सभा में ही चर्चा की जानी है तो इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति को निर्णय लेना होगा। परन्तु हमारे गृह मंत्री संसद सदस्यों से मिलने को बहुत तत्पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री उन्हें आमन्त्रित करें।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : हमने उनको आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको सभा में कुछ कहना है, तो आप कह सकते हैं। अन्यथा आप कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लें।

12.29 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति
आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा दिनांक 27 नवम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 27 नवम्बर, 1991, को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धुमाल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज हम यह कार्य नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि हम इसे अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। हम अन्य मद लेते हैं। कृपया आप इसे छोड़ दें। कृपया इस तरह दबाव न डालें। यदि इसे सोमवार को लिया जाये तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

प्रो० प्रेम धुमाल : महोदय, यह बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से दबाव न डालें। हमने अन्य मद आरम्भ कर दिया हैं; इसे अगले दिन लिया जायेगा, इस तरह से दबाव देना अच्छा नहीं है।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। इससे तमिलनाडु के लोग प्रभावित होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से भी इस पर ध्यान करने के लिये कहूंगा। अपनी सुविधा के लिये सभा की प्रक्रिया में तोड़-मरोड़ न करें। अब चूंकि हमने अन्य मद शुरू कर दिया है, अतः इसे सोमवार को लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, कि हम इसे सोमवार को लेंगे। कृपया बैठ जायें।

———

[अनुवाद]

12.31 म०प०

चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन अंतरण) संशोधन विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम 28 नवम्बर को प्रस्तावित चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिये आगे चर्चा करेंगे। श्री पीयूष तीरकी यहां नही है। अतः श्री पाला के०एम० मैथ्यू बोलेंगे।

श्री पाला के०एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक का लक्ष्य बहुत सीमित है अतः मैं सिर्फ एक या दो मुद्दों पर ही बोलूंगा।

चार कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान करने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है। कुछ दावे बाद में भी प्राप्त हुए

थे तथा उन पर भी विचार किया जाना है। विधेयक का सारांश यही है। पर आपके माध्यम से मैं मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि चाय-बागानों में काम करने वाले लोग काफी बदहाल हैं। मेरे अपने राज्य केरल में ही बहुत सारे चाय-बागान हैं तथा इन सभी बागानों में कामगारों और कर्मचारियों को काफी कम पारिश्रमिक तथा वेतन मिलता है। इनमें से बहुत सारे कामगार विपन्नता और गरीबी में जी रहे हैं। बागानों में बिजली, पेयजल तथा अन्य कार्यों के लिए पानी तथा सड़क जैसी मौलिक सुविधाओं का अभाव है तथा वे बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उनके समक्ष आवास की बहुत ही गंभीर समस्या है। इनमें से अधिकांश लोग छोटे-छोटे सकरे पंक्तियों में बने मकानों में रहते हैं तथा इनमें रहना बहुत ही कठिन और पीड़ादायक है। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन चाय बागानों के कामगारों और कर्मचारियों की दुखद स्थिति और उनके वेतन की ओर ध्यान देने की कृपा करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

12.32 म०प०

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाय उद्योग के श्रमिकों के कम्पनसेशन तय करने के बारे में कमिश्नर बनाए गए। उनके जितने केसेज पेंडिंग थे कमिश्नर उनको तय करेंगे। मेरा यह कहना है कि चाय उद्योग पूर्णरूपेण से महिला श्रमिकों पर निर्भर है। महिलाओं के बिना इस उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो महिलायें चाय उद्योग में काम कर रही हैं उनकी दशा अच्छी नहीं रही है। एक बात तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 98 प्रतिशत चाय का उद्योग असम में, पश्चिमी बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में है। विशेषकर यह उद्योग असम में और पश्चिमी बंगाल में है। 19वीं सदी के मध्य में केवल महिलायें ही नहीं उनके परिवार वालों को भी काम में शामिल किया गया। उनके परिवार वालों को भी शामिल किया गया, पर इन परिवारों में जो बच्चे और पुरुष थे उनकी जगह प्राथमिकता महिलाओं को दी गई। उसका कारण यह है कि महिलाओं की अंगुलियां कोमल होने के कारण चाय की पत्ती तोड़ने में आसानी होती है, जबकि पुरुष वर्ग के हाथ से चाय की पत्ती का नाश हो जाता है। इसलिए यह उद्योग महिलाओं पर निर्भर रहा। महिला श्रमिकों का प्रतिशत 46 प्रतिशत ही रहा है। महिलाओं की दशा बंधुआ मजदूरों जैसी है। उनसे समझौता किया जाता है कि पांच साल के लिए रखा जायेगा, पांच साल के बाद उनको हटा दिया जायेगा। समझौते के आधार पर उनको नौकरी दी जाती है जिस खेत में वह काम करती हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं है। परिणाम यह हो गया है कि ये महिलायें खेत में मजदूरों के रूप में काम करने लग गई हैं। अब उनका जो रहने का स्थान था वह छोटी-छोटी कुटियां हैं, जिनको लेबर लाइन कहा जाता है, वे क्यों ऐसे जीवन व्यतीत कर रही हैं जैसे जानवरों का जीवन हो, जैसे यहां जानवर रहते हों। केन्द्रीय सरकार का बगान श्रमिक अधिनियमन 1951 में बना। पर राज्य सरकार उस कानून पर तवज्जोह नहीं देती रही। राज्य सरकार ने तीन वर्ष पश्चात 1954 में कानून बनाया। उसके जो नियम बनाने थे इस कानून को लागू करने के लिए वे सितम्बर 1955 में बने। आपने कानून पास किया 1951 में और यह कार्यरूप में आया

अप्रैल 1959 में। यानि केन्द्रीय सरकार ने 1951 में कानून पास किया और राज्य सरकारों ने आठ वर्ष पश्चात नियम बनाकर उसको लागू किया। यह तो आपके कानून की मिट्टी पलीद हुई, यह मैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं।

उसके बाद 1981 में आपने एक संशोधन विधेयक और प्रस्तुत किया संसद में, जिसको 26 जनवरी, 1991 से लागू किया। दिन भी आपने बहुत अच्छा चुना। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने चाय बगानों का सर्वेक्षण किया 1979 में, लेकिन जो 1991 तक पंजीकृत थे उन्हीं का ही सर्वेक्षण किया गया, बाकी का नहीं। इस सर्वेक्षण से उन श्रमिकों पर गरीब मार पड़ी और जिसका परिणाम है कि महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे घट रही है। जबकि चाहिये था कि महिला श्रमिक और काम करें उनकी संख्या बढ़े। महिलाओं को समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। पुरुषों को उनसे 10 से 18 पैसे अधिक वेतन मिलता है, जबकि महिलायें अधिक काम करती हैं, लेकिन उनको पैसा कम मिलता है और पुरुष कम काम करते हैं उनको पैसा ज्यादा मिलता है। इसलिए महिलाओं की संख्या घट गई। इसी प्रकार से महिलायें को जो काम करने जाती हैं चाय बगानों में, वे अपने बच्चों को शिशु सदन में रखकर जाती थीं, वहां पर भी ठीक प्रकार से उनको सुविधायें नहीं दी गयीं। यह भी एक रिपोर्ट के द्वारा आपके सामने आया है। और यही नही, चाय बागानों में जो महिलायें काम करती हैं, उनको चिकित्सा सुविधा भी नाम मात्र की है और जो मिलतीं हैं वहां निम्न प्रकार की है। स्कूली शिक्षा के लिए उनको किसी प्रकार सुविधा नहीं है। यहां तक कि श्रमिकों के घरों में, जहां वे रहते हैं, उनके लिए कोई शौचालय नहीं हैं, स्नानगृह नहीं हैं और महिलाओं के लिए कोई शौचालय/स्नानगृह की व्यवस्था नहीं है। ये सारे ऐसे हालात हैं जिन पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाय पत्ती तोड़ने का जो काम महिलायें करती हैं, उनको वजन ढोने के लिए कहा जाता है। इसमें 30-30, 40-40 किलो वजन उठाकर टोकरी में ले जाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार इन महिलाओं को मजदूरों का काम भी करना पड़ रहा है जिससे वे थक जाती हैं। ट्रेड यूनियन्स जो काम कर रही हैं, चाय बागानों में केवलमात्र यूनियन का चन्दा लेने का काम कर रही हैं। उन लोगों को या तो निगम काम देते हैं या ठेकेदार लोग काम देते हैं। इस प्रकार एक जंगल का कानून है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो महिलाओं को चाय बागामों में सुविधायें मिलनी चाहियें, वे नाम मात्र की हैं। इसमें हिन्दुस्तान मजदूर सभा काम कर रही है जो उनको डराने और चन्दा वसूलने का काम करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप श्रमिकों की हालत ठीक करें। इनकी संख्या 57 लाख है। यदि उनकी हालत ठीक न की गयी तो गरीबी के कारण वे धर्म परिवर्तन पर मजबूर हो जायेंगे और ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि स्थिति बहुत ही गम्भीर है। उन गरीबों के पास अपना कुछ नहीं होता है। फटे-कपड़े पहनते हैं, धोती ऊंची होगी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हैं, रहन-सहन की व्यवस्था नहीं है, मजदूरी कम मिलेगी गरीबी रहेगी तो उसका लाभ ईसाई मिशनरी उठा रहे हैं। वे इन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि सब प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं, तुम ईसाई बन जाओ, धर्म परिवर्तन करो। इसलिए न केवल हिन्दू बल्कि मुसलमान जो चाय बागानों में काम कर रहे हैं, इस गरीबी के कारण ईसाई बन रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। जहां विश्व हिन्दू परिषद् को हिन्दू से मुसलमान बने व्यक्ति को हिन्दू बनाना पड़ेगा, वहां ईसाई को फिर हिन्दू बनाने का काम करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन गरीब चाय बागानों में काम करने वाले लोगों का चित्रण किया है। मुझे उम्मीद है कि चाय बागानों में काम करने वाले इन श्रमिकों की हालत को ठीक करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मैंने जो रचनात्मक सुझाव दिए हैं उनको निश्चित रूप से अपने भाषण के दौरान उत्तर के लिए रखेंगे और इनको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।

12.44 म०प०

[अनुवाद]

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (तंजावुर) : महोदय, चाय एक आम-पेय है जिसका उपयोग इस देश का हर नागरिक करता है। इन बागानों में काम करने वाली औरतों का जीवन एक सहानुभूति जनक कविता जैसा है क्योंकि न इनके ठीक से रहने का ठिकाना है, न ही इनके बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध है। अतः इन लोगों की रहने की तथा उनके सुरक्षा की उचित तथा अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए।

सर्वोत्तम किस्म की चाय का निर्यात कर दिया जाता है तथा सबसे घटिया किस्म की चाय हमारे देश के लोगों के उपयोग में आती है। इसलिए स्वस्थ एवं सेहतमंद तरीके से ज्यादा पुष्टि-कारक चाय तैयार करनी चाहिए।

दक्षिण में खास करके नीलगिरि में लोगों की हालत बहुत चिंताजनक है। जो भी कामगार इस पर आश्रित है उनकी स्थिति काफी अस्वास्थ्यकर तथा दयनीय है। पहनने के लिए उनके पास उपयुक्त कपड़े और जूते नहीं हैं। उनके बच्चे अशिक्षित हैं। इन मेहनतकशों के जीवन की स्थिति सुधारने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाय से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है अतः इसके उत्पादन को सहज और उपयोगी बनाया जाना चाहिए तथा उपज को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने तथा अपने देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के बारे में सुनिश्चित रखें।

12.47 म०प०

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभा के सामने प्रस्तुत विधेयक, भारतीय चाय कंपनी अधिनियम 1985 में एक संशोधन है। इस विधेयक को किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाया गया है अपितु उसका प्रयोजन वर्तमान अधिनियम में छोटा सा संशोधन करना है। मैं नहीं कह सकता कि इस अधिनियम में परिवर्तन की जरूरत के बारे में मंत्री महोदय ने गहराई से विचार किया है या नहीं; क्योंकि 1985 में कुछ चाय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा यह विनियमन पहले उठाये गए कदम के ही ठोस रूप देने के संबंध में है।

महोदय, जैसा कि हमने देखा है आज सुबह में ही हमारे वामपंथी मित्र निजीकरण तथा इसी तरह की अन्य चीजों के बारे में आधारहीन आरोपों के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे। काश ! वे अभी सभा में उपस्थित होते। 1985 में भारत सरकार ने चार रुग्ण चाय कंपनियों का अधिग्रहित तथा उनका राष्ट्रीयकरण किया था। और अब कामगारों के हित में सरकार चाय कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए इस सभा में प्रस्तुत है। पुनरावलोकन के तौर

पर हम यह सोचने को विवश हैं कि ऐसा ट्रेड यूनियनों के गैर-जिम्मेदार हड़तालों की वजह से भी यह रुग्णता उत्पन्न हुई होगी। ऐसी एक हड़ताल अभी भी चल रही है। चाय कंपनियों की रुग्णता और भी कई कारण हैं। इसमें इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना हड़तालों का भी योगदान हो सकता है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले का थोड़ा और विश्लेषण करें।

भारतीय चाय व्यापार निगम वह केन्द्रीय एजेंसी है जिसे रुग्ण चाय यूनिटों के अधिग्रहण के समय यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वस्तुत: भारतीय चाय व्यापार निगम को उन सांविधिक देयों का भुगतान कर देना चाहिए था जो उस समय कामगारों को देय था और विधेयक में ही एक विशेष तारीख का उल्लेख भी किया गया था। किन्तु भारतीय चाय व्यापार निगम 1.28 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर सका जो उस समय कामगारों को देय था। इसीलिए हमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या भारतीय चाय व्यापार निगम अथवा इन अधिगृहीत यूनिटों के संचालन के लिए जिम्मेदार किसी एजेंसी की गलती है। यदि कोई प्राइवेट कम्पनी ऐसी सांविधिक देनदारी का भुगतान नहीं करती है, जो कर्मचारियों को देय है, तो कोई भी इस सभा में विधेयक लेकर आने वाला नहीं है। उन्हें दण्डित किया जायेगा और उन पर मुकदमा चलाया जायेगा। हम कर्मचारियों के हितों के लिए हैं। हम इस संशोधन विधेयक का हार्दिक समर्थन करते हैं, क्योंकि हम वामपंथी मोर्चे के श्रमिक संघों के नेताओं के विपरीत कर्मचारियों के उद्देश्यों में रुचि रखते हैं। आज इस देश के इतिहास का दु:खद दिन है क्योंकि लाखों कामगारों को यह न जानते हुये कि उन्हें हड़ताल करने के लिए क्यों कहा गया, यह न जानते हुए कि इस अनधिकृत, गैरकानूनी हड़ताल का क्या कारण है, रोजगार से हटा दिया गया। इन नेताओं ने कामगारों को बेरोजगार बना दिया है। उन्होंने आज इस सम्मानित सभा के सभी मानदण्डों, सभी परंपराओं को ताक पर रख कर इस सभा को अपने प्रचार के लिए मंच बना दिया है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

मैं केवल इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वे कामगारों के उद्देश्य का समर्थन नहीं करते। वे कामगारों को हर प्रकार से उत्पीड़ित कर रहे हैं। महोदय, एक दिन की हड़ताल का अर्थ है इस देश को 300 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि। वरिष्ठ वामपंथी मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता, जो इस सभा के सदस्य भी हैं, आज इस बात पर खुश हो सकते हैं कि उन्होंने इस गरीब देश को 300 करोड़ रुपये की चोट पहुंचा दी है। उनकी आज की यही उपलब्धि हो सकती थी। इस देश में ऐसी बातें हो रही हैं।

इस सरकार ने 1985 में रुग्ण चाय कम्पनियों के अधिग्रहण के लिए एक कानून बनाया था। आज कामगारों के उद्देश्य के लिए, और तो और एक छोटी सी बात के लिए, सांविधिक भुगतान करने के लिए भी हम संशोधन करने के लिए सभा के समक्ष आ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार कामगारों के हितों के प्रति कितनी ईमानदार और प्रतिबद्ध है। मैं अपने युवा सक्रिय मंत्री महोदय से, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, अनुरोध करता हूं कि वह इसका ब्यौरेवार अध्ययन करें। यदि चाय व्यापार निगम के किसी अधिकारी ने चूक की है, तो उन्हें निरापद नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें कर्मचारियों के हितों की भी देखभाल करनी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केवल अन्य सांविधिक देनदारियों का ही भुगतान किया जाना है। तो क्या इसके लिए मेरे माननीय मित्र श्री सलमान खुर्शीद को इस सभा में दूसरा संशोधन लेकर आना होगा? हमारी विवादी प्रक्रिया में यह एक और कमी है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया

अपना दिमाग लगाइए। मान लीजिये कि कामगारों को देय 1.28 करोड़ रुपये का अब भी, भले ही देर से भुगतान कर दिया जाता है, तो भी हमने सारा मामला ठीक कर दिया है। यदि कोई और और सांविधिक भुगतान कर्मचारियों को देय है, तो पुन: अन्य संशोधन के लिए इस सम्मानित सभा का बहुमूल्य समय नष्ट किया जायेगा। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने एक बार इस सभा में अपने उत्तर में बताया था कि चाय का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। सभी कम्पनियां बहुत अच्छी चल रही हैं। जब मैंने अपनी आशंका जाहिर की, तो उन्होंने मुझे संतुष्ट करने की कोशिश की किंतु चाय के मूल्यों में हमेशा उतार-चढ़ाव आता रहता है। हो सकता है कि अब यह अच्छा हो। किंतु चाय कम्पनियों की रुग्णता के बारे में क्या स्थिति है ? क्या हम इस रुग्णता के उन्मूलन के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर भी रहे हैं। यही मुख्य प्रश्न है।

मैं केवल एक टिप्पणी कर दूं। इस देश में प्रति एकड़ चाय उत्पादकता विश्व में सबसे कम है। मेरे कुछ मित्रों ने इस सभा में आंकड़े उद्धृत किये हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा। जब तक हम स्पर्धायोग्य उत्पादकता प्राप्त नहीं कर लेते, हम अपने अस्तित्व को ही कायम नहीं रख सकते। हो सकता है कि चाय में उतार-चढ़ाव के कारण वर्तमान स्थिति काफी अच्छी हो। किन्तु केवल उससे ही हमें इस समस्या को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। फिर से रुग्णता लौट आयेगी, रुग्णता बढ़ती जायेगी और हमें और अधिक चाय बागानों का अधिग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्मचारियों की चिंता है। हम उन्हें मजदूर संघों के वामपंथी नेताओं की भांति उनसे केवल जुबानी हमदर्दी नहीं जता रहे हैं। हम कामगारों के प्रति ईमानदार हैं। इस प्रकार, हालांकि हमारे पास संसाधन नहीं है, किन्तु फिर भी हमें और अधिक चाय बागानों को अधिगृहीत करना पड़ेगा। अत: हमें चाय बागानों की रुग्णता के उन्मूलन के लिये कदम उठाने हैं। मैंने एक सुझाव दिया है। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि सरकार इसके प्रति कितनी गम्भीर है। मेरा दोनों मंत्रियों से अनुरोध है कि सरकार भारतीय चाय के लिये पुन: पौध लगाने का एक बहुत व्यापक कार्यक्रम तैयार करे। भारतीय चाय के लिये पुन: पौध लगाने की योजना को निष्पादित करने के लिये संसाधन जुटाने हेतु एक अलग निधि की व्यवस्था की जाये। अब उत्पादकता 1600 टन अथवा 1700 टन प्रति एकड़ है। कल यहां यही बात उद्धृत की गई थी, जबकि विश्व औसत 3,000 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर है। यदि इतनी उत्पादकता है, तो हमारा चाय-उत्पादन विश्व के चाय उत्पादन का केवल 50 प्रतिशत ही होगा। तो उसके लिये हमें अधिक उपज देने वाली किस्मों को लगाना होगा। हमारी पुरानी पौध अब आगे नहीं चल सकती। इसलिये हमें बहुत वैज्ञानिक और व्यापक पैमाने पर पुन: पौध लगाने की योजना शुरू करनी होगी। मंत्रालय द्वारा रबड़ के लिये एक अच्छी आदर्श योजना कार्यान्वित की जा रही है। पुन: पौध लगाने की योजना शुरू करनी होगी और रुग्ण यूनिटों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करानी होगी। अधिग्रहण हमेशा समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि सरकार के पास संसाधन न हों। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार परित्यक्त चाय बागानों का अधिग्रहण और वित्तपोषण की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। किन्तु कभी-कभार ही ऐसे परित्यक्त बागानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन दिया जाता है। इसलिये सरकार को यह अनुदेश देने चाहिये कि इन चाय बागानों के पुनरुत्थान के लिये वित्तीय संस्थाओं को इन परित्यक्त चाय कम्पनियों को सहायता देने के लिये उदार रुख अपनाना चाहिये। मैं चाय कम्पनी अधिनियम, 1985 में संशोधन हेतु लाये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरा मंत्री महोदय से भी यह अनुरोध है कि चाय व्यापार की जिन कमियों का मैंने उल्लेख किया है, वे उनके बारे में की गई कार्यवाही से हमें अवगत करायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तपूजा) : महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार कतिपय ऐसी खामियों को सुधारने के लिये यह विधेयक लाई है जो विगत में पैदा हुई और जो मुख्यत: कर्मचारियों को देय भुगतानों के बारे में हैं। यहां जिस विषय पर चर्चा की गई है, उसका आज बहुत महत्व है क्योंकि बहुत से मजदूर संघों द्वारा कामगारों को गुमराह किया जा रहा है और हम यहां लोकसभा में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं की गोहार सुन रहे हैं। वस्तुत: वे चाहते क्या हैं, यह अब भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सरकार ने बहुत सुस्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि वह सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध नहीं है और सरकार ने भी इस विधेयक द्वारा यह दिखा दिया है कि जब कभी सरकारी उपक्रम अथवा सरकारी निगम असफल हुये हैं, सरकार का सदैव, विशेषकर ऐसे अवसरों पर जबकि कामगारों पर असर पड़ रहा हो, उनका बचाव करने का इरादा रहा है।

यहां मैं सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे विचार से इस बारे में बताना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार की राय के विरुद्ध सभी प्रकार की आलोचनायें सुनते रहते हैं जबकि सरकार ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का ही रहा है कि सरकारी उपक्रमों के कार्यकरन को बेहतर रूप से आगे बढ़ाया जाये। विपक्ष यह आरोप लगाता है कि सरकार सरकारी उपक्रमों को बंद करने वाली है और रुग्ण एककों को समाप्त कर देना चाहती है। सरकार का ऐसा रुख नहीं है। सरकार का रुख तो ऐसा है कि वह सरकारी उपक्रमों को बेहतर रूप से काम करते देखना चाहती है। हम जानते हैं कि उत्पादन, उद्योग, कृषि और राजनीति, सभी क्षेत्रों में हमरों कार्यकुशलता की कमी है। सरकार ने सभी क्षेत्रों, विशेषकर उद्योग, निर्यात, विदेशी मुद्रा अर्जन आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये बहुत कठोर रुख अपनाया है।

मैं श्री पी० चिदम्बरम के प्रभाराधीन मंत्रालय को बधाई देता हूं जिसका यह उपमंत्री द्वारा भलीभांति समर्थन किया गया है। वह निर्यात के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत थोड़े समय में, लगभग एक तिमाही में ही हमारे निर्यात में वृद्धि हो गई है। हमारी आयात निर्यात नीति कुछ ऐसी है कि उसके आधार पर हमने यह पाया है कि हमारे उत्पादों के निर्यात में बहुत वृद्धि की जा सकती है। विगत में निर्यात में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अब यह पिछले करीब चार महीनों के लगभग 84 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 93 प्रतिशत हो गया है। इस थोड़े से समय में हम यह स्थिति प्राप्त कर सके हैं। हमारी ऐसी उपलब्धि हो सकती थी, यदि हम निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, यदि हम इस नीति पर काफी जोर दें और इस नीति का समर्थन करें, तो मेरे विचार से हमारी उपलब्धियां और अधिक हो सकती हैं। जहां तक नीति का सम्बन्ध है कुछ विपक्षी दलों द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाया गया है। मेरे विचार से यही वह समय है जबकि हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये इस बारे में सरकार की नीति को सुदृढ़ बनाना है।

जहाँ तक चाय का सम्बन्ध है, चाय की निर्यात में गतिरुद्धता आ गई है। जहाँ तक विगत तीन वर्षों में हुये निर्यात का सम्बन्ध है, यह स्थिति है। 1988-89 में यह 1937 लाख कि०ग्रा० था। वर्ष 1989-90 में हम इसमें केवल 2093 लाख कि०ग्रा० तक की वृद्धि कर पाये। वर्ष 1990-91 में इसमें कमी हुई। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यह घटकर 2019 लाख कि० ग्राम ही रह गया है। इसलिये वर्तमान में हमारा लगभग 2850 लाख कि०ग्राम निर्यात करने का लक्ष्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें अपना चाय उत्पादन बढ़ाना होगा। मैं समझता हूं कि चाय का उत्पादन भी इस दृष्टि से गतिरुद्ध पड़ा है। वर्ष 1989 में यह लगभग 6840 लाख कि०ग्रा० था जबकि 1988 में यह 7770 लाख कि०ग्रा० था। वर्ष 1990-91 में यह बढ़कर 7186·7 लाख कि०ग्रा० तक हो गया। परन्तु यह एक सुखद स्थिति नहीं है। यह कोई प्रमुख कदम नहीं है जो कि हम उठा सकते। घरेलु उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि सहित अन्य अनेक कारणों से हमारे निर्यात के विकास में अवरुद्धता आई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० थामस, आप मध्यान्ह भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के लिए सभा 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.10 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० थामस अपना भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी०सी० थामस : मैं लगभग अपना भाषण समाप्त कर चुका हूं। मैं यह बता रहा था कि हमें अवश्य ही अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए और इसके लिए सरकार को सभी उपाय करने चाहिए तथा इसके लिए सभी श्रमिकों और अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों का सहयोग आवश्यक है।

मैं अनुसन्धान संगठनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल देना चाहता हूं। हमारे यहां दो अनुसन्धान संगठन है—एक उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में। हमें इन संगठनों को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए तथा बेहतर भावी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छी प्रकार की चाय का उत्पादन करना होगा। मैं यह कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि हमें यह विचार करना है कि क्या चाय सम्पदा अथवा इसी प्रकार के किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंपा जा सकता है। हमने देखा

है कि टी०टी०सी०आई० वास्तव में इस सम्बन्ध में असफल रही है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यह कुप्रबन्ध के कारण हो सकता है; यह अन्य अनेक कारणों से भी हो सकता है परन्तु हम देखते हैं कि सरकार अथवा सरकारी निगम बहुत घटिया किस्म के कृषक हैं। मैं नहीं समझता कि कृषि का कार्य कभी भी इस प्रकार के उपक्रमों को सौंपा जाना चाहिए। हमें यह देखना है कि यदि यह सुनिश्चित करने के लिए यह जरा भी आवश्यक हो कि इस सम्बन्ध में कुछ और उपाय किए जा सकते हैं कि चाय और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं; मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० चिदम्बरम एक वक्तव्य देंगे।

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कॉफी का न्यूनतम निर्गम मूल्य

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : कॉफी का विपणन वर्ष पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक होता है। काफी की न्यूनतम निर्गम कीमत कॉफी विपणन वर्ष शुरू होने के पहले ही घोषित होनी चाहिए थी। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा पांच वर्ष में एक बार अपना संबंधित अध्ययन करती है और उसने अपना अध्ययन 1989-90 में पूरा किया। इसलिए 1990 की न्यूनतम निर्गम कीमत मार्च, 1990 में ही घोषित की जा सकी। आने वाले वर्षों के लिए न्यूनतम जारी कीमत को कुछ छोटे और कुछ बड़े कॉफी बागानों के अनियत सैम्पल सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों और सूचना के आधार पर अद्यतन कर लिया जाता है। पिछली बार अद्यतन करने का यह काम मार्च, 1991 में किया गया था और वर्ष 1991 की न्यूनतम निर्गम कीमत मार्च, 1991 में ही घोषित की जा सकी थी।

पिछली बार जब दो सप्ताह पहले मैं बंगलौर में था तो मैंने वचन दिया था कि 1992 की न्यूनतम निर्गम कीमत 30 नवम्बर, 1991 के पहले घोषित कर दी जाएगी और न्यूनतम निर्गम कीमत तय करने की प्रणाली को भी सरल बनाया जाएगा। मुझे आज न्यूनतम निर्गम कीमत की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कॉफी बोर्ड ने अनियत आधार पर चुने गए 600 कॉफी बागानों से आंकड़े और सूचना मांगी थी। इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर कृषि कार्य की लागत अरेबिका के मामले में रु० 14.51 प्रति किलोग्राम और रोबस्टा के मामले में रु० 10.95 प्रति किलोग्राम निकाली गई है। इस आधार पर फसल के खर्चों, विकास खर्चों पूंजी पर लाभ और अन्य खर्चों को, हिसाब में लेकर उत्पादन की लागत अरेबिका के लिए रु० 23.93 प्रति किलोग्राम और रोबस्टा के लिए रु० 19.21 प्रति किलो ग्राम निकाली गई है। पिछले वर्ष यही न्यूनतम निर्गम कीमतें अरेबिका के लिए रु० 21.30 प्रति किलोग्राम और रोबस्टा के लिए रु० 17.32 प्रति किलोग्राम थी। माननीय सदस्य देखेंगे कि न्यूनतम निर्गम कीमत में वृद्धि अरेबिका में मामले में 11.93% और रोबस्टा के मामले में 10.91% बनती है।

न्यूनतम निर्गम कीमत ही कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी की नीलामी के लिए आंतरिक पूल बिक्री की फ्लोर कीमत तय करने का आधार बनाती है।

कॉफी बोर्ड को हर सीजन के लिए कीमत अंतरण स्केल तय करने का अधिकारी है। यह काम पिछले दो वर्षों में कॉफी के विभिन्न ग्रेडों के औसत बाजार निष्पादन के आधार पर ही किया जाता है। इस सम्बन्ध में सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कॉफी बोर्ड ने, कल ही, काफी उत्पादकों को 1991-92 सीजन के लिए किए जाने वाले सकल प्रारम्भिक भुगतान को रुपया 11 प्रति प्वाइंट तय किया है। पिछले वर्ष यह प्रारम्भिक भुगतान रुपया 9 प्वाइंट था। माननीय सदस्य देखेंगे कि 1991-92 सीजन के लिए तय प्रारम्भिक भुगतान में पिछले वर्ष के तय प्रारम्भिक भुगतान की तुलना में काफी वृद्धि की गई है। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि रु० 11 प्रति प्वाइंट के प्रारम्भिक भुगतान को खरीद कर की कटौती किए बिना ही किया जाएगा। सम्बन्धित राज्यों के खरीददारों को करों की कटौती भुगतान की दूसरी किस्त में से की जाएगी।

प्रारम्भिक भुगतान न्यूनतम निर्गम कीमत से बहुत सख्ती से नहीं जुड़ा होता है लेकिन कॉफी उत्पादक हमेशा यह जानना चाहते हैं कि न्यूनतम निर्गम कीमत का कितना भाग प्रारम्भिक भुगतान के रूप में दिया जा रहा है।

मैं इस बारे में 4 बेंच-मार्क ग्रेड लेता हूं—अरेबिका पार्चमेंट, अरेबिका चेरी, रोबस्टा पार्चमेंट और रोबस्टा चेरी। इन चारों बेंचमार्क ग्रेड के लिए औसत प्वाइंट क्रमश: 90, 65, 67 और 60 होंगे। इन औसत प्वाइंटों के आधार पर, इन चार बेंचमार्क ग्रेडों के लिए रु० 11 प्रति प्वाइंट की दर से जो प्रारम्भिक प्रति किलोग्राम भुगतान होगा और जो न्यूनतम निर्गम कीमत का एक भाग होगा वह आगे सारणी में दिया गया है।

ग्रेड	औसत प्वाइंट	प्रारम्भिक भुगतान	न्यूनतम निर्गम कीमत का भाग
		रुपए	
अरेबिका पार्चमेंट	90	19.80	82.74%
अरेबिका चेरी	65	14.30	99.75%
रोबस्टा पार्चमेंट	67	14.74	76.73%
रोबस्टा चेरी	60	13.20	68.71%

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि उपर्युक्त प्रतिशत पिछले पूरे किए गए वर्ष में न्यूनतम निर्गम कीमत के भाग के रूप में किये गये प्रारम्भिक भुगतान के प्रतिशत से कहीं अधिक हैं क्योंकि पिछले साल अर्थात् वर्ष 1990 प्रतिशत केवल 58% ही था।

मुझे विश्वास है कि इस बार कॉफी उत्पादक न्यूनतम निर्गम कीमत के बारे में जो निर्णय लिए गए हैं उनका और 1991-92 सीजन के लिए प्रारम्भिक भुगतान के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसका भी स्वागत करेंगे।

[अनुवाद]

चाय कम्पनियां (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण और अन्तरण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम पुन: इस विधेयक पर आगे चर्चा प्रारम्भ करते हैं। श्री रासा सिंह रावत जी अपना भाषण देंगे ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक 1991 का स्वागत तो करता हूं परन्तु इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह चाय बागान या हमारे जो चाय उद्योग हैं—चाहे वह निगम के अंतर्गत हों अथवा ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत हों, वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों की जो समस्या है वह अत्यन्त शोचनीय और दयनीय है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने वहां पर कार्य करने वाले महिला श्रमिकों के बारे में बताया, वहां छोटे-छोटे बालक भी काम करते हैं और उन बालकों को, जोकि कानून के विपरीत है, लेकिन चूंकि बालकों में जो छोटी-छोटी अंगुलियां होती हैं वह पत्तियां चुनने के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। तो उन बालकों को जो इस प्रकार से वहां काम दिया जाता है, उनको पैसे कम और काम ज्यादा दिया जाता है और इसके साथ-साथ उनका शोषण भी किया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनसे काम तो ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है परन्तु उनको समय पर वेतन पूरा नहीं मिलता है और इसके साथ ही साथ जिन कालोनियों के अन्दर वह रहते हैं उन कालोनियों के अन्दर उनके लिए उपयुक्त आवास की सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक कि जो बेसिक, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे—शौचालय, स्नानघर या दूसरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति नहीं की जाती। शिक्षा और चिकित्सालय की बात तो दूर रही अथवा डाक्टर्स वगैरह या और कोई बात तो दूर रही, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति नहीं की जाती। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन मजदूरों के अन्दर कार्य करने वाले जो श्रमिक संगठन हैं वह श्रमिक संगठन उनसे चन्दा तो जरूर वसूल करते हैं लेकिन वह अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते, चाहे वह इंटक के लोग हों या चाहे वह हिन्द मजदूर सभा के लोग हों, वह हमेशा वहां चन्दा इकट्ठा करने मात्र से मजदूरों का एक प्रकार से एक्स-प्लायटेसन करते हैं या मालिकों के साथ में मिल करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर सकते हैं।

इसलिए मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उन चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक और खतरा हमारे सामने पैदा हो गया है और वह खतरा यह है कि जहां चाय हमारा राष्ट्रीय पेय है, जहां चाय भारत के विदेश व्यापार का अभिन्न अंग है, चाय हम सबके लिए लाभकारी उद्योग है, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा लाने वाला है, चाय बागबानी है, खेती है और उद्योग व्यापार है, नकद फसल है, इन सब चीजों के बावजूद जो एक खतरा पैदा हो गया है कि देश के अन्दर चाय की खपत इतनी बढ़ गई

है कि जो हम निर्यात करते थे और हिन्दुस्तान का स्थान दुनिया के अन्दर पहला था, वह पहला स्थान आज श्रीलंका का हो गया है और दूसरे नम्बर पर भारत आ गया है। अब तो केन्या, चीन और दूसरे देश भी चाय पैदा करने लगे हैं और अग्रणी हो रहे हैं और हमारे चाय व्यापार को कहीं आगे जाकर धक्का न लगे और जो अग्रता हमारी बनी हुई है, वह बनी रहे, इसके लिए हमको काम करना होगा। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, वैसे महाराष्ट्र में चाय की खपत सबसे अधिक होती है, दूसरे नंबर पर बंगाल और तमिलनाडु वगैरह आते हैं, इसके बाद केरल, राजस्थान और पंजाब का नम्बर आता है। "एवरी टाइम इज टी टाइम" हर समय चाय का समय है और लोग दिन भर चाय पीते रहते हैं, इस ओर हमको ध्यान देना होगा। चाय शारीरिक रूप से तो नुकसान पहुंचाती है, यह बात स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन विदेशी मुद्रा कमाने, चाय व्यापार को बढ़ावा देने और चाय बागानों के श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए हमको चाय की देश के अन्दर की खपत पर भी ध्यान देना होगा। विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े स्रोत को बनाए रखने के लिए हमको अपनी आदतों पर नियन्त्रण स्थापित करना होगा। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि हर समय चाय पीने का जो समय रहता है, चाय की मांग बढ़ती जा रही है, इसको कम किया किया जा सकता है। यदि सारी चाय हम अपने देश में ही खत्म कर गए तो जिस तरह से उर्दू के शायर ने एक सुन्दर शेर कहा है, वही स्थिति हो जाएगी—

गफलत की दुनिया में अगर यह हालत रही,
आएंगे कमस्तल काबुल से और कफन जापान से।

यह स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए चाय जो हमारा बड़ा उद्योग है, उसका ध्यान रखना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आसाम के अन्दर उल्फा की गतिविधियों के कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उनका प्रभाव भी इस उद्योग पर पड़ा है। कलकत्ता में चाय कम्पनियों के आफिस हैं और चाय बागान आसाम और दार्जिलिंग के पहाड़ों में हैं। होना यह चाहिए कि जहां चाय बागान हैं, वहीं पर या आसपास के नगरों में चाय कंपनियों के आफिस हों, ठेकेदारों और निगम के कार्यालय हों, ताकि निगम और चाय बागानों के अधिकारी जाकर वहां कार्य कर रहे मजदूरों की परिस्थितियों का अवलोकन कर सकें, उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल कर सकें। वहां के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस बारे में भली-भांति विचार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमको चाय उद्योग को बेहतर बनाने के उपाय ढूंढने चाहिएं ताकि हमने जो निर्यात का लक्ष्य 210 किलोग्राम का रखा है, उसको पूरा कर सकें, इसके लिए हमको चाय उत्पादन में बढ़ोतरी करनी होगी। आज हर्ष का विषय है कि पहले आसाम, बंगाल, तमिलनाडु और एक दो राज्यों में ही चाय पैदा होती थी, पहली बार सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि यह पौधा केवल प्राणवायु देने का ही काम नहीं करता बल्कि अर्थ-व्यवस्था सुधारने की भी शक्ति रखता है। इस बात को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में चाय की खेती को बढ़ावा देने की सरकार ने योजना बनाई है। इस दीर्घकालीन योजना में 9 अरब 9 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है और इसको मंजूर किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो 25 जिले हैं, जहां 50000 हैक्टर भूमि को चुना गया है, 8 पर्वतीय जिले जहाँ पर भूकंप आने से लोगों की आर्थिक स्थिति जरजर हो गई है, उस स्थिति को वापिस खुशहाल बनाने के लिए

[श्री राम सिंह रावत]

चाय बागानों को वहां पर बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और उसके साथ साथ चाय निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाएगी और हमारे उद्देश्य की भली प्रकार पूर्ति हो सकेगी तथा पहाड़ों की आर्थिक स्थिति भली प्रकार सुदृढ़ हो सकेगी।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, चाहे कम्पनियां हों या कम्पनियों के एजेंट हों या व्यापारी हों, उनको सारा लाभ मिल रहा है। लेकिन जो लोग सारा लाभ कमाते हैं उस लाभ का बहुत कम हिस्सा उन मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि चाय बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण की ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।

1951 के अन्दर भारत सरकार ने जो बागान श्रमिक अधिनियम बनाया था उससे हमने यह कल्पना की थी कि चाय बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस कानून के बनने के बाद चार साल तक किसी भी राज्य सरकार ने अपने यहां के चाय बागानों के लिए, श्रमिकों के लिए कोई कानून बनाया। उसके बाद भी समय लग गया। लगभग सात-आठ साल के बाद कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाया। जब सरकार का, संसद का ध्यान इस ओर गया तो 1982 में कानून में संशोधन किया गया और उसके बाद थोड़ा ध्यान इस तरफ गया है। परन्तु जितना ध्यान जाना चाहिए, उतना नहीं गया। कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून की अनुपालना नहीं हो पाती है। चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत जो दावे वगैरह संसाधित किए गए हैं, उन दावों का निपटारा निश्चित अवधि में नहीं हो पाया। उनकों करने के लिए लाया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह देखना चाहिए कि चाहे निजीकरण का क्षेत्र हो चाय बागानों का, चाहे राष्ट्रीयकृत चाय बागान हों, वे लाभ के अन्दर चलने चाहिएं। वहां पर मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। चाय की पत्तियों के उत्पादन को किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाया जाए इस बारे में भी हमें देखना चाहिए, तभी हमारी चाय उत्तम क्वालिटी की होगी। सारी दुनिया के बाजारों में हम होड़ कर सकेंगे और इस उद्योग का अस्तित्व जिन्दा रहेगा। जैसे पहले हमारी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी हम विदेशों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति किया करते थे और उनको चाय भेजा करते थे। वह विदेशी मुद्रा का स्रोत सूख न जाए, इस बारे में भी सरकार पूरा-पूरा ध्यान रखे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बालिन कुली (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं।

महोदय, यह विधेयक अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि मैं एक चाय उत्पादक राज्य अर्थात् असम से सम्बन्धित हूं, अतः मैं इस विधेयक तथा चाय उद्योग से पूर्णरूप से सम्बन्धित हूं।

महोदय, देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली दस मदों में चाय एक है। इससे हमारे देश में करोड़ों रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा आती है। दूसरे, चाय उद्योग से देश में विशेष रूप से हमारे राज्य असम में रोजगार की अत्यधिक सम्भावना उत्पन्न हो रही है। हमारे राज्य के लगभग

40 लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर है। उनका जीवन और संस्कृति को असम के चाय उद्योग से अलग नहीं किया जा सकता। केवल असम में ही 758 चाय बागान हैं। निर्यात की जाने वाली 50% से अधिक चाय इन बागानों में पैदा की जाती है। परन्तु महोदय, असम अथवा देश के अन्य भागों में चाय बागानों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया। चाय बागानों में अभी भी चाय उगाने की बहुत पुरानी पद्धति प्रचलित है। फैक्टरियों का भी आधुनिकीकरण नहीं किया गया। उनमें पुरानी मशीनें चलती हैं जिस कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और अनेक श्रमिकों की जान चली जाती है।

महोदय, मैं सरकार द्वारा रुग्ण चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने का पुरजोर समर्थन करता हूं। परन्तु महोदय, सरकार द्वारा रुग्ण चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने से ही इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार को अवश्य ही इन चाय बागानों को होने वाले घाटे के कारणों का पता लगाना चाहिए। असम में बहुत से रुग्ण चाय बागान हैं जिनका सरकार ने अधिग्रहण किया है। लेकिन उनकी समस्याएं वही हैं। अधिग्रहण के बाद, सरकार को रुग्ण चाय बागानों की पुरानी मशीनरी के बदले कार्यकुशल और अच्छी मशीनरी लगानी चाहिए।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों, आदि के इस्तेमाल जैसे आधुनिक तरीके भी अपनाए जाने चाहिए।

महोदय, चर्चा समाप्त करने से पहले मैं सभा का ध्यान चाय बागानों के श्रमिकों की दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनके लिए पर्याप्त संख्या में घर उपलब्ध नहीं हैं। चाय बागानों में श्रमिकों को आधुनिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। वहां पर पेय जल की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर बिजली नहीं है और न ही किसी प्रकार के मनोरंजन की कोई उम्मीद है। उनको अच्छी शिक्षा संस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मजदूर संघों और सरकारों के साथ समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। आवास, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं उन्हें अभी तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

मैं एक बार फिर अपने देश के चाय उद्योग में सुधार करने के बारे में सरकार से गंभीरता-पूर्वक विचार करने की अपील करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निजी कम्पनियों द्वारा चाय बागानों को बेचने पर रोक लगाये। आसाम के चाय उगाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आसाम में छोटे चाय बागान मालिक और उत्पादक हैं। उनको नकद और वस्तुओं के रूप में सुविधायें देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस सम्मानित सभा के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि सरकार आसाम की चाय कम्पनियों को लाभ के कुछ हिस्से को आसाम राज्य के विकास के लिए लगाने को बाध्य करना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि चाय कम्पनियां अपने मुख्यालयों को अन्य राज्यों से हटाकर आसाम में ले आयें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करते हुए चर्चा समाप्त करता हूं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभा के दोनों पक्षों के बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि यह आवश्यक तौर पर एक बहुत साधारण विधेयक है। यह विधेयक हमारे देश के श्रमिक वर्ग के लिए भी लाभकारी है और यह इस देश के श्रमजीवी

[श्री सलमान खुर्शीद]

वर्ग की वैध मांगों और दावों की ओर इस सरकार की चिन्ता और भावुकता को उजागर करता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस विधेयक को ऐसी परिस्थितियों में पारित कर रहे हैं जबकि सभा में सभी उपस्थित नहीं हैं। श्रमजीवी वर्ग के बारे में सभी लाभकारी उपबन्धों पर हमारे देश में और इस सभा में सहमति होनी चाहिए।

संक्षेप में, यह विधेयक उन चार कम्पनियों, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, के श्रमिकों के दावे स्वीकार करने, प्राप्त करने और निर्णय लेने की सीमा का विस्तार करने के मामले से सम्बन्धित है। सभा के इस ओर से कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि इन दावों के भुगतान के मामले में विलम्ब करने में टी०टी०सी०आई० या किसी अधिकारी की ओर से जानबूझकर क्या कोई लापरवाही बरती गई है या नजरअंदाज किया गया या गलत कार्य किया गया है। मैं प्रारम्भ में ही यह कहना और यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह लापरवाही का मामला नहीं है और यह वह मामला नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति ने किसी श्रमिक के दावे को जान-बूझकर नजर-अंदाज किया हो। यह केवल श्रमिकों द्वारा एक निर्धारित अवधि के भीतर और एक महीने की अतिरिक्त छूट की अवधि में अपने दावे दावा कमिश्नर को प्रस्तुत करने के लिए स्वयं को संगठित न कर पाने का मामला है। हमें यह बताया गया कि यह पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में अशान्ति वाली स्थिति के कारण है, ऐसी अशान्त स्थिति, जहां पर बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति रही। श्रमिक उपलब्ध नहीं थे और वे अपने दावों को करने के लिए एकत्रित नहीं हो सके। चूंकि इसमें बहुत से श्रमिक अंतर्ग्रस्त हैं और चूंकि एक करोड़ से भी अधिक के दावे अंतर्ग्रस्त हैं इसलिए आवश्यक समझा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायें जिससे उनके दावे पर्याप्त रूप से निपटाये जायें और श्रमजीवी वर्ग के साथ न्याय किया जाए।

इस विधेयक पर बादविवाद के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। मैं सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को चाय उद्योग की स्थिति एवं चाय उद्योग के श्रमिक दोनों के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर मैं माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव के उन शब्दों का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने उन युवा लड़कियों की जिनको बिना उचित मुआवजे और वेतन के कार्य करना पड़ता है, कोमल उंगलियों के बारे में कहा है। उन्होंने अपनी इच्छा और आशा व्यक्त की कि जब मैं अपना मीठा-मीठा भाषण देने वापस आऊंगा तो मैं उठाए गए मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दे सकूंगा।

महोदय, जब चाय तोड़ने या चाय बनाने की बात होती है, मेरे विचार से हम निःसंकोच कह सकते हैं कि महिलाओं का हाथ सर्वोत्तम होता है। जब महिलाएं खड़ी होकर घर में चाय के कप में चम्मच हिलाती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं ....

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : श्रम कानून के अन्तर्गत 18 साल की आयु के बाद के लोगों की भर्ती हो सकती है और उनको श्रम हित में जो कानून द्वारा सुविधायें दी गई हैं वे प्राप्त होनी चाहिए। मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो चाय के बागानों में महिलायें या 18 साल की आयु से कम उम्र की लड़कियां काम करती हैं, जिनकी उम्र 11-15 साल के बीच है आज असम के अन्दर और अन्य चाय बागानों में ज्यादा संख्या में ऐसी बच्चियां काम करती हैं उनको श्रम के नियमों के अन्तर्गत सुविधायें प्राप्त नहीं हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है।

इस प्रकार के जो केसेस हैं या जो उनको लाभ मिलना चाहिए आयु के द्वारा और जो कोर्ट के माध्यम से निर्णय कराया है वे सारे नियम ऐसे काम करने वाले मजदूरों पर लागू नहीं होते ।

क्या इस सम्बन्ध में आपने कोई विचार किया है ?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : यदि माननीय सदस्य अनुमति दें तो मैं इस मुद्दे पर विशेष रूप से फिर से कुछ कहूंगा ।

[हिन्दी]

आपकी आज्ञा हो तो इस सवाल पर मैं बाद में स्पष्टीकरण दूंगा । क्योंकि जहां तक श्रम के बारे में कानूनों का सवाल है उन पर हम लोग किस तरह से ध्यान दे रहे हैं और विचार कर रहे हैं उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा ।

[अनुवाद]

महोदय अधिकांश सदस्यों ने मुख्य रूप से चाय उद्योग की रुग्णता, कम उत्पादकता के कारणों, निर्यात लक्ष्यों में कमी तथा चाय उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए लाभकारी प्रावधानों की अपर्याप्तता के मुद्दे उठाये हैं । मैं इन सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में अपने पास उपलब्ध जानकारी सभा को बताना चाहूंगा ।

प्रथमतः, महोदय वर्तमान मामले में ये दावे 3285 कामगारों से सम्बन्धित है । इन चार चाय बागानों से सम्बन्धित ये सभी दावे समय सीमा के समाप्त होने के बाद किये गये थे । भारतीय चाय व्यापार निगम को कुल 1.68 करोड़ रु० की धनराशि दी गई है । यदि यह विधेयक पारित हो जाये तो हमारे जो दावे हैं उन्हें निपटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने एक आशंका व्यक्त की है और यह पूछा है कि क्या कामगारों के कुछ अन्य सांविधिक दावे अथवा जायज दावे हैं जिन्हें पूरा किया जाना है ।

मैं इस सभा को पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी जानकारी में ऐसी कोई भी योजना लंबित नहीं है तथा यदि ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में आती है तो चाय-उद्योग के कामगारों को पूरा न्याय दिलाने के लिए हम अविलम्ब कार्रवाई करेंगे ।

जहां तक उत्पादन तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चाय उद्योग को नवीन रूप देने और उसमें सुधार करने का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहूंगा कि इस वर्ष सितम्बर तक की अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले 25 मिलियन किलोग्राम चाय का ज्यादा उत्पादन हुआ है । फिर भी चाय उद्योग में हर वर्ष उत्पादन में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आता रहता है क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में चाय का उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जिनमें मौसम के खराब होने की सम्भावना ज्यादा होती है--जैसे कर्नाटक राज्य, जहां मौसम खराब होने से चाय और कॉफी के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है । इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य तथा दार्जीलिंग जिले और असम राज्य की अशांत स्थिति उत्पादक के लिए उत्पादन में समस्या बन गई है ।

वर्ष 1991-92 के लिए 1200 करोड़ रु० मूल्य की 2100 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जबकि वर्ष 1990-91 के लिए 10.44 करोड़ रुपये मूल्य

[श्री सलमान खुर्शीद]

की 190 लाख किलोग्राम चाय निर्यात करने का लक्ष्य था। और मैं आप लोगों को तथा सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष अभी तक हमने इस लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया है। सच तो यह है कि उत्पादकता लगातार बढ़ रही है तथा हम अच्छी किस्म की अधिक उपज वाली किस्मों की खोज करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने में समुचित योगदान कर रहे हैं।

चाय अनुसंधान एसोसिएशन को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाया गया है जिसका वित्त पोषण पहले आंशिक भारतीय कृषि अनुसंधान और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसने पहले ही उच्च गुणवत्ता तथा ज्यादा उत्पादन वाले चाय के पौधों का पता लगा लिया है तथा इन्हें बागानों में जल्दी ही लगाया जायेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान करना तथा विकासात्मक नीति बनाना हमारी प्राथमिकता है तथा हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। वर्ष 2000 तक 10000 लाख किलोग्राम चाय पैदा करने के लिए एक दस-वर्षीय योजना को भी अन्तिम स्वरूप दिया जा रहा है। चूंकि हम अभी इसका चौथाई उत्पादन ही कर रहे हैं, अतः यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी लगता है। फिर भी हम यह विश्वास कर सकते हैं कि अनुसंधान और चाय उद्योग को जो अन्य सहायता दी जा रही है उससे अगले दस वर्षों में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

इस दस वर्षीय योजना के अन्तर्गत नये क्षेत्रों में सघन बागवानी करने वर्तमान बागानों का विस्तार करने तथा अभी लगाये गए पौधों का प्रत्यारोपण करने और पुराने पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने के कार्य शामिल हैं।

माननीय सदस्य श्री रावत जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चाय उद्योग शुरू करने की संभावना का जिक्र किया था। सरकार इस सलाह का स्वागत करती है तथा हम इस बात को सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चाय बागवानी को हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाये।

शायद आप जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले चाय का आगमन उसी राज्य में हुआ था जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चाय के छह बागान अत्याधिक रुग्ण हैं जिनकी गुणवत्ता तो बहुत अच्छी है पर उत्पादकता कम है। उत्तर प्रदेश में चाय-बागानों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में मैं स्वयं लखनऊ जाने वाला हूं ताकि राज्य के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा सके।

[अनुवाद]

उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने जो अन्य योजनाएं चलाई हैं वे हैं चाय बागान वित्त योजना, पुनःरोपण के लिए चाय बोर्ड द्वारा ऋण, विस्तार बागान तथा प्रतिस्थापन बागान हैं। चाय बोर्ड मैदानी भूमि में बागान के सिर्फ 6900 रुपए प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी इलाकों के बागान के लिए 7900 रुपए प्रति हेक्टेयर ऋण देता है।

दूसरी बात चाय से सम्बन्धित मशीनों, सिंचाई उपकरणों के मादक क्रय की है। चाय बोर्ड 20 सिंचाई उपकरण और चाय मशीन के लिए 10 लाख रुपए ऋण देता है और चाय का बैग बनाने, पैकेट बनाने की मशीन के लिए किसी भी समय 15 लाख रुपए ऋण देता है।

तीसरी बात, पुराने चाय के पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाने के लिए राज सहायता दी है। मैदानी भूमि में बागान के लिए राज सहायता की दर 10400 रुपये प्रति हेक्टेयर है और पहाड़ियों में बागानों के लिए 12400 रुपये है तथा दार्जलिंग क्षेत्र के लिए 15000 रुपए प्रति हेक्टेयर है।

चौथी बात, चाय क्षेत्रों की पुनरुद्धार और समेकित योजना की है यह योजना काट-छांट और आवर्धन के पुनरुद्धार के लिए राज सहायता से सम्बन्धित है, बिना अन्तर रोपण पुनरुद्धार और आवर्धन के लिए प्रति हेक्टेयर 3000 रुपये राज सहायता दी जाती है।

पांचवीं बात, नये चाय एकक वित्त पोषण योजना है। इसके लिये गैर पारस्परिक क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए विशेष ऋण और राज सहायता दी जाती है इस योजना के तहत ऋण की दर 40000 रुपये प्रति हेक्टेयर और राज सहायता की दर 25000 प्रति हेक्टेयर है।

छठी बात, दार्जिलिंग के ऐसे बागानों के पुनरुद्धार के लिए दार्जिलिंग ब्याज राज सहायता योजना के अन्तर्गत विशेष योजना की है, जो अत्याधिक उत्पादन लागत के कारण निष्क्रय हो गयी थी। ऋण बैंकों द्वारा दिए जाते हैं तथा चाय बोर्ड इन ऋणों पर 5.1 प्रतिशत ब्याज राज सहायता देता है।

सातवीं बात, सिंचाई और जल-निकासी के लिए अन्तर राज सहायता से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत बोर्ड 4 प्रतिशत की दर पर वित्त पोषण करता है और अन्त में विस्तार बागवानी सम्बन्धी अन्तर राज सहायता की योजना है जिसकी दर 3 प्रतिशत है।

निर्यात के मामले में हमारी समस्या दोहरी है। पहली समस्या है उत्पादन में स्थिरता की है जिसका मुख्य कारण है विस्तार बागवानी के लिए नई जमीन का सुलभ न होना। लेकिन जहां भी जमीन उपलब्ध है और उत्पादन बढ़ता है आन्तरिक खपत को बढ़ाने की समस्या हमारे सामने आ जाती है। प्रतिवर्ष 5 से 9 करोड़ किलोग्राम चाय की अतिरिक्त खपत होती है। हम एक ओर तो देश में बढ़ते खपत को प्रोत्साहित नहीं कर सकते पर, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि खपत में वृद्धि उत्पादन से अधिक न हो ताकि, हमारा निर्यात लक्ष्य पूरा हो सके। जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है चाय निर्यात का एक बहुत बड़ा मद है।

निर्यात के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है। पैकेट बंद चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में पूरी रियायत दी जाती है। वैसे लघु स्तर पर चाय के पैकेट बनाने वाले जिनकी कुल बिक्री 1-5 करोड़ रुपये है को उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। छोटे उत्पादकों तथा विशेषकर नीलगीरी क्षेत्र के चाय उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बोर्ड के अन्तर्गत चाय के निर्यात की अनुमति दी गई है। ऋण प्रदान करने के स्तर में चाय बागवानी योजना के अन्तर्गत संघटक तथा नये चाय एककों के वित्त पोषण में बढ़ोतरी की गई है तथा केन्द्र, राज्यों तथा चाय व्यापार और उद्योग में बेहतर समन्वय स्थापित के लिए राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बागवानी विकास समन्वय समिति गठित की गई है।

कुछ सदस्यों ने दार्जिलिंग चाय या तथाकथित दार्जलिंग टी की गुणवत्ता के बारे में शक

[श्री सलमान खुर्शीद]

जाहिर किया है तथा दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा को कम करने पर गंभीर चिन्ता जाहिर की है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि चाय बोर्ड विशेष तौर पर दार्जिलिन टी प्रतीक चिन्ह उन्हीं पैकेटों को देता है जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत दार्जिलिंग चाय हो। बाहर से चाय आयात करने के इरादे पर भी कुछ चिन्ता जाहिर की गई थी और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जबकि हमारा देश एक बड़ा चाय उत्पादक देश है हमें चाय आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि चाय का आयात विशेषतौर पर मूल्य बढ़ाकर पुन: निर्यात करने के लिए किया जाता है घरेलू खपत के लिए नहीं।

माननीय सदस्य श्री मुमताज अंसारी ने ठीक ही कहा है कि रुग्ण चाय बागानों के बारे में बात करते समय चाय बागानों का अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण ही समाधान नहीं है। समाधान उन्हें स्वस्थ करने के लिए समुचित सहायता देने में है और उन्हें उचित प्रबन्धकों को वापस सौंपने में है। उन्होंने उन सभी चाय बागानों, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, के कर्मचारियों के बारे में भी चिन्ता जाहिर की है कि इन कर्मचारियों के बारे में सरकार का विचार क्या है ? मैंने कहा है कि चाय उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों तथा श्रमिक वर्ग के बारे में तथा देश के समग्र श्रमिक वर्ग के बारे में सरकार का इरादा काफी सम्मानजनक है। हम उनके प्रति संवेदनशील और चिन्तित हैं इसीलिए टी०टी०सी०आई०द्वारा अधिग्रहित चाय बागानों के सभी कर्मचारियों की नौकरी बरकरार रखी गयी है। और इसीलिए हम आज यहां यह सुनिश्चित करने आए हैं कि दावों का निपटारा समुचित रूप से न्याय संगत हो।

महोदय हमने रुग्णता का पता लगाने की कोशिश की है। ज्यादातर बागानों की रुग्णता का कारण खराब प्रबन्धन है तथा कभी-कभी अपर्याप्त निवेश है। चाय बोर्ड को ऐसे चाय बागानों की जिम्मेदारी लेने, पुनर्वास योजना तैयार करने और योजना के अनुरूप उनकी सहायता करने के लिए कहा गया है।

इन रुग्ण चाय बागानों के अधिग्रहण का एक उद्देश्य उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए सहायता करना है और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए सहायता करते समय हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उन चाय बागानों के मजदूरों पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े।

जहां तक अनधिक रुग्ण चाय बागानों का सम्बन्ध है, स्वस्थ चाय बागानों का सम्बन्ध है और वैसे क्षेत्रों का सम्बन्ध है जो चाय का उत्पादन ठीक कर रहे हैं एक प्रश्न उठता है कि उन चाय बागानों की आय का लाभ का एक बड़ा भाग वापस चाय- उद्योग में नहीं लगाया जा रहा है बल्कि वास्तव में उसे अन्य अधिक लाभकारी कार्य और अन्य उद्योगों में लगाया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री की मेहरबानी से हमें आयकर अधिनियम की धारा 33 (क) (ख) के अन्तर्गत लाभ को वापस चाय बागानों के निवेश करने से प्रोत्साहन मिलता है तथा उस धनराशि को कहीं और निवेश करने से प्रोत्साहन नहीं मिलता। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रोत्साहन की चाय उद्योग द्वारा काफी प्रशंसा की गई है।

महोदय वाजिब तौर पर कामगारों के लाभ के लिए किये जा रहे उपबंध के बारे में पूर्णत: चिन्ता व्यक्त की गई। और यहां मैं चाय बागानों में नियोजित किये जा रहे अल्पवय लोगों के बारे में उठाये गये एक विशेष प्रश्न का उल्लेख करना चाहूंगा। जहां तक मैं चाय उद्योग के कार्यकरण को समझता हूं, मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को नियोजित नहीं किया

जा रहा है, किन्तु देश के सम्पूर्ण कानून को लागू करना वाणिज्य मंत्रालय या चाय बोर्ड का कार्य नहीं हैं। राज्य सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों को विभिन्न क्षेत्रों में कानूनों को लागू करना पड़ता है। श्रमिक कानून चाय बागानों के कामगारों पर उसी प्रकार लागू होता है जैसा कि यह अन्यत्र कामगारों पर लागू होता है। जहां तक चाय बोर्ड अथवा वाणिज्य मंत्रालय के किसी कानून के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के होने का सम्बन्ध है, हम तत्परतापूर्वक और शीघ्र कार्यवाही करेंगे। किन्तु महोदय, चाय चुनने के तरीके को जानने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि यह अधिक सुविधाजनक होगा कि चाय ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनी जाए जो चाय की झाड़ियों की ऊंचाई से ऊपर देख सके और बहुत छोटे बच्चे के लिए, जो इतना लम्बा हो कि चाय की झाड़ियों की ऊंचाई के ऊपर देख सके, चाय चुनना उतना सुविधाजनक अथवा सम्भव नहीं होगा। किन्तु माननीय सदस्य जिस सीमा तक स्वयं को चिंतित महसूस कर रहे हैं, यदि उनके पास कोई सुस्पष्ट ब्यौरा हो या उन्हें बागानों के ऐसे विशेष मामलों की जानकारी हो जिनमें इस प्रकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का इस प्रकार का उल्लंघन हो, निश्चित रूप से जो भी सम्भव होगा कड़ा से कड़ा कदम उठायेंगे।

हमने चाय उद्योग का उपचार करने और चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिये तो कदम उठाये ही हैं, इसके अतिरिक्त हमने चाय बागानों में कामगारों के कल्याण की भी अनदेखी नहीं की है, जिसके बारे में सदस्यों द्वारा इस सभा में वाजिब तौर पर चिन्ता व्यक्त की गई है। कल्याण कार्यों को व्यापक रूप से दो प्रमुख शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है शैक्षिक वजीफा और सामान्य कल्याण।

शैक्षिक वजीफे के अन्तर्गत चाय बागानों के कामगारों के बच्चों को प्राथमिकता स्तर से ऊपर अध्ययन जारी रखने के लिए अनुदान दिया जाता है, इसमें शिक्षा शुल्क और होस्टल शुल्क शामिल है। 1989-90 के दौरान नेहरू पुरस्कार के रूप में वजीफे के तौर पर 4.07 लाख रुपये की धनराशि और पुस्तक अनुदान के रूप में 12,000 रुपये की धनराशि वितरित की गई थी।

सामान्य कल्याण योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, स्वास्थ्य क्लीनकों, भारतीय रेड क्रास संस्था सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन को सहायता की जाती है। इस योजना में शैक्षणिक संस्थाये, छात्रवास भवनों, स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल और शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण और चाय बागान के कामकारों और उनके परिवारों के लाभार्थ विशेषीकृत उपचार सुविधायें शामिल हैं। अशक्त बागान कामगारों और उनके आश्रितों की वित्तीय सहायता के लिये योजना भी चलाई गई है। वर्ष 1989-90 के दौरान सामान्य कल्याण योजना के अन्तर्गत 13.42 लाख रुपये वितरित किये गये थे।

इसके अतिरिक्त चाय बोर्ड गुर्दा प्रतिरोपण, जलपाई गुड़ी पोलीटैक्निक में तकनीकी प्रशिक्षण, प० बंगाल, केरल और तमिलनाडु में स्काउटिंग और गाइडिंग के लिये वित्तीय सहायता भी देता है। चाय बोर्ड से खेल संबंधी क्रियाकलापों के लिये भी वित्तीय सहायता दी गई।

संक्षेप में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जिससे हम यह महसूस करें कि चाय कामगारों के कल्याण की किसी भी प्रकार उपेक्षा अथवा अनदेखी की गई हो।

सभा के एक वर्ग की ओर से यह मांग उठाई गई थी कि चूंकि प० बंगाल चाय निगम पहले ही कुछ चाय बागानों की बहुत कुशलतापूर्वक देखभाल कर रहा है, इसलिये क्यों न ये चार चाय

[श्री सलमान खुर्शीद]

बागान प० बंगाल चाय निगम को सौंप दिये जायें। हमें पहले ही प० बंगाल के मुख्य मंत्री से इस आशय का एक औपचारिक पत्र मिल चुका है जिसमें इन चाय बागानों को प० बंगाल चाय विकास निगम को सौंपने के लिये अनुरोध किया गया है। यह मामला विचाराधीन है। सरकार ने इस बारे में स्पष्ट कहा है।

हम स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि चाय बागानों को चलाने का कार्य वाणिज्य मंत्रालय अथवा भारत सरकार का नहीं है। हमारा कार्य तथा हमारा कर्त्तव्य और दायित्व चाय का अधिक उत्पादन करने, निर्यात में वृद्धि करने तथा चाय की मात्रा और किस्म में सुधार के लिए चाय उद्योग को सहायता प्रदान करना है। चाय की किस्म में सुधार करते समय हम उन श्रमिकों के स्तर में सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, जो उस चाय का उत्पादन करते हैं। अतः पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के साथ इन चार चाय सम्पदाओं के भविष्य से सम्बन्धित वाणिज्य मंत्रालय को प्राप्त हुए अन्य प्रस्तावों पर भी गंभीरता-पूर्वक विचार किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने कहा है कि यह लघु संशोधन विधेयक है। हमने इस विधेयक पर चर्चा के लिए पहले ही बहुत समय ले लिया है। मैं इस विधेयक का कानून के एक लाभप्रद हिस्से के रूप में स्वागत करता हूं जो चाय उद्योग के अनेक श्रमिकों के लिए लाभप्रद होगा।

3.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव और प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 और 3 सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 3 रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि चाय कम्पनियों (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं अपने युवा मंत्री को इतनी सफलता-पूर्वक अपना प्रथम विधेयक पारित करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हार्दिक बधाई।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलडाना) : महोदय मैं चित बसु का भी स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने सरकारी कार्यवाही में भाग लिया है।

श्री चित्त बसु (बारासात) : महोदय, मैं बेरोजगारी सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूं मैं समझता हूं कि आप मुझे इस संकल्प पर बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे।

3.02 म०प०

बेरोजगारी के बारे में संकल्प—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तेज नारायण सिंह द्वारा बेरोजगारी सम्बन्धी संकल्प पर आगे चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर पहले ही 3 घन्टे और 49 मिनट तक चर्चा की जा चुकी है अतः इस पर चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। अब सभा को इस संकल्प पर और आगे चर्चा के लिए समय निर्धारित करना है। क्या सभा की इच्छा है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए एक घन्टे का समय बढ़ा दिया गया है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घन्टे की अवधि और बढ़ा दी गई है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, सभा को एकमत से उन हजारों तथा लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने आज सम्पूर्ण भारत में हुई सफल औद्योगिक हड़ताल में भाग लिया है। हमें एकमत से दिल्ली में मायापुरी में हड़ताली श्रमिकों पर पुलिस द्वारा निर्मम आक्रमण तथा तमिलनाडु और भोपाल तथा देश के कुछ अन्य भागों में अत्यधिक संख्या में की गई गिरफ्तारियों की भी निन्दा करनी चाहिए। हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। श्रमिकों ने सरकार की नीतियों की ओर उसका ध्यान दिलाया।

श्री एम०आर० कोदम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु में हड़ताल नहीं हुई। हड़ताल पूर्व रूप से असफल रही। वह सभा को भ्रम में डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय इस पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट रूप धारण कर चुकी है तथा हम सब जानते हैं कि यह दिन-प्रतिदिन और अधिक गम्भीर होती जा रही है। इस तथ्य के बावजूद भी बेरोजगारी अत्याधिक बढ़ रही है, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाकर न केवल अर्थव्यवस्था का विकास करना है। अपितु और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना भी है विशेषकर इस देश के ग्रामीण तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए। इस समय सम्पूर्ण देश में रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की सूची वास्तक में अत्यधिक चौका देने वाली है।

कुल संख्या लगभग 3.2 करोड़ मानी जाती है। सिर्फ केरल में ही रोजगार कार्यालयों में लगभग 30 लाख बेरोजगार युवक पंजीकृत हैं। केरल में एक विचित्र स्थिति यह है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का अधिक प्रशिक्षित ऐसे व्यक्तियों का है जिन्होंने मैट्रिक स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है। अतः शिक्षित बेरोजगारों की समस्या केरल की मुख्य समस्या है।

यदि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या से तुलना की जाए तो वस्तुतः बेरोजगारों को दिये गए रोजगार का प्रतिशत काफी कम है और इस संदर्भ में केरल की स्थिति विचित्र है। केरल में सबसे निचले ग्रेड के पद पर विमुक्ति भी लोकसेवा आयोग द्वारा दी जाती है। लगभग सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम और अर्ध सरकारी उपक्रम भी केरल लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में हैं। अतः जब कभी भी सबसे निचले ग्रेड में कोई पद रिक्त होता है तो स्वाभाविक तौर पर इसे लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है जो चयन करता है। तब केरल में रोजगार कार्यालय किस काम का है ? विचित्र बात यह है कि छः महीने के लिए 180 दिन के लिए भी नहीं, बल्कि 179 दिनों के लिए रोजगार कार्यालयों के उम्मीदवार को सरकारी नौकरी में रखा जाता है। अतः छः महीने पूरे होने पर यदि उस समय तक लोक सेवा आयोग नियमित रोजगार नहीं दे पाता है तो उन्हें हटा दिया जाता है और रोजगार कार्यालयों से फिर दूसरे लोगों को बुलाया जाता है। अतः केरल में स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी अनेक हजार महिलाएं हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकरण कराये हैं और पिछले 21-22 वर्षों से नौकरी पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र त्रिवेन्द्रम के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि रोजगार कार्यालय उन उम्मीदवारों की वर्तमान सूची की सिफारिश कर रहा है जिन्होंने 21 वर्ष पहले अपने नाम दर्ज कराए थे। अतः रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें 21 वर्षों तक इन्तजार करना पड़ा। पर किस काम के लिए ? सिर्फ अंशकालिक सफाई कर्मचारी का पद प्राप्त करने के लिए क्योंकि सिर्फ यही पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधि-

कार के बाहर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अन्य सभी रिक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाती है जिसमें काफी समय लगता है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति में काफी समस्या है।

अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि रोजगार कार्यालयों का होना भी हमारे देश के युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी उपयोग का नहीं है।

इस संदर्भ में यह सुझाव देना चाहूंगा कि हमें रोजगार योजना की तरह बड़े कार्यक्रम बनाने होंगे, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अधिक रोजगार सृजक परियोजना है जिसे हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने देश को दिया। पिछले दिनों इस सभा में मैंने कहा है कि यह पहली बार है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पंचायतों को एक साथ 5, 6 या 7 लाख रुपया मिला और यह निदेश है कि इस राशि का कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीणों के रोजगार सृजन के माध्यम से दिया जाना चाहिए और सामान 50 प्रतिशत से कम का होगा। उसी प्रकार हमें बड़ी योजनाएं बनानी होंगी विशेषकर जब कि हमारा एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि पर आधारित उद्योग बनाना होगा। सिर्फ यही हमारे देश के ग्रामीणों को बचा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में भी काम मौसमी होता है। जिन्हें कृषि क्षेत्र में काम मिलता है वे भी सिर्फ मौसमी कार्य होते हैं। और सभी महीनों में वे बेरोजगार हो जाते हैं। उन्हें कुछ अंश कालिक स्वनियोजन योजना की व्यवस्था करनी होगी। इस संदर्भ में भी मैं एक सुझाव दूंगा। फलों के प्रसंस्करण के लिए एक मंत्रालय है जिसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कहते हैं, मैं समझता हूं कि यदि मेरी याद्दाश्त ठीक है तो इसे 1988 में स्थापित किया गया था। इन तीन वर्षों में मुझे नहीं लगता कि मंत्रालय ने अधिक प्रगति की है। आंकड़े बताते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए० चार्ल्स : यह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है। मैं कुछ अधिक समय लूंगा। मुझे दो मिनट और दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक वक्ताओं को अभी बोलना है। समय एक घंटा बढ़ाया गया है। आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, आपको इस समय को थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि यह बेरोजगारी का प्रश्न है जो आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। (व्यवधान)

एक सदस्य : प्रत्येक व्यक्ति को बोलना है।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : यदि आप अध्ययन कराते हैं तो पता चलेगा कि पिछले पांच वर्षों में इस सम्मानित सभा का एक तिहाई समय विपक्ष के सदस्यों ने अनावश्यक रूप से तथा बेकार के काम के लिए लिया है (**) (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, यह व्यक्ति कौन है ** (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देता हूं।

** अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति को लेकर नहीं। आप भी मेरी तरह से राष्ट्रिय हैं। (व्यवधान)

महोदय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देना होगा। आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में उगाये गये 45 प्रतिशत फल देश में प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बर्बाद हो रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार 45 प्रतिशत फल की कीमत लगभग 5000 करोड़ रु० है। प्रति वर्ष 5000 करोड़ रु० का फल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि प्रसंस्करण की कोई सुविधा नहीं है। गरीब किसानों को लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पाता है।

यदि 100 रु० मूल्य के फलों का प्रसंस्करण किया जाता है तो हमें 200 रु० मिलेंगे। मेरा सुझाव यह है कि यदि 5000 करोड़ रुपये के फलों का प्रसंस्करण किया जाता है तो हमें प्रति प्रति वर्ष 10000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग को प्रोत्साहित किया जाये।

हमारे देश के गरीब तबकों में सबसे उपेक्षित तबका हमारे समुद्री-किनारे के क्षेत्र के पारंपरिक मछुआरे रहे हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 30 किलो मीटर का समुद्रीक्षेत्र है। पारंपरिक मछुआरों के कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक पूरे वर्ष में मछली पकड़ने का मौसम सिर्फ 3 या 4 महीने रहता है। दूसरे मौसमों में मानसून के कारण या प्राकृतिक विपदाओं के चलते वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तथा वे अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं। यहां तक कि उनकी झोपड़ियां भी ढह जाती हैं। उनकी पीड़ा का वर्णन करना कठिन है। ये पूर्णत: उपेक्षित हैं तथा उनकी मदद के लिए कुछ कारंवाई करनी चाहिए। बताया जाता है कि करोड़ों रुपयों की टुम्य मछलियां अपने आप मर जाती हैं क्योंकि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पर्याप्त सुविधा हमारे देश के लम्बे समुद्र तटीय क्षेत्र में नहीं हैं। यदि मछुआरों को कुछ सुविधायें दी जायें तो उन्हें रोजगार मिलेगा और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी। हम सभी जानते हैं कि जापान, ताईवान तथा अन्य छोटे देश हमारे समुद्रों में आते हैं तथा हमारीं मछलियों को पकड़ते हैं। उनके पास नवीनतम तकनीकी तथा बड़े बड़े जहाज हैं! हमें अपने मतस्य उद्योग को प्रोत्साहित करना पड़ेगा।

उसके बाद औद्योगिक रुग्णता के बारे में यदि मैं कुछ कहू तो विपक्ष में बैठे मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे।

आठवीं लोकसभा, में प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मुझे पश्चिम बंगाल के कुछ कपड़ा मिलों में जाने का अवसर मिला था और एक खास मिल में हमने देखा कि वहाँ एक कामगार दो करघों को चला रहा था। हमें पता नहीं कि वहां बाद में क्या हुआ क्योंकि केरल में मैंने देखा है कि एक कामगार चार करघों को चला रहा था। अत: हमने पूछा कि क्या करघों के चलाने संबंधी कोई मानदण्ड भीं हैं। अधिकारी इस पर चुप रह गये। जब हमने बार-बार पूछा तो सच्चाई सामने आयी। वहाँ श्रम-सम्बन्धी समस्या थी तथा कामगारों ने 2 से ज्यादा करघों पर काम करने से इनकार कर दिया था। फिर वहां की सरकार के श्रम मंत्री ने हस्तक्षेप किया और एक समझौता हुआ कि एक कामगार केवल दो करघों पर ही काम करेगा। नतीजतन जहाँ सिर्फ 500 कामगार होने चाहिए वहाँ 1000 कामगार हैं।

अकेले सातवीं योजना में ही कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, और मैं यह कह सकता हूं कि यह अधिकांश धनराशि बर्बाद की गई थी क्योंकि आधुनिकीकरण का कोई फल नहीं मिला तथा मिलें अभी भी रुग्ण हैं। मिलों की रुग्णता के अन्य कारण भी है जिनकी छानबीन नहीं की गयी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक रुग्णता को दूर करना चाहिए तथा जब भी आधुनिकीकरण हो तो हमें कामगारों के हितों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आधुनिकीकरण से अक्सर बेरोजगारी बढ़ती है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। अन्त में मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी एक अपील करूंगा। अनुदान की मांगों पर बहस करते समय नई औद्योगिक नीति पर भी पर्याप्त बहस हुई थी। हमें दुनिया-भर में हो रहे बदलाव का ख्याल रखना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों से हो रहे परिवर्तनों की ओर से हम रीप-वॉन विंकल की तरह बेखबर नहीं रह सकते हैं। जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति हम अपनी आंखें भी नहीं बन्द कर सकते हैं। सारे संसार में—यहां तक कि समाजवादी देशों में क्या हो रहा है ? इस देश में एक खास समय में हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था और हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा गिरवी रखे सोने को छुड़ा लिया है। पर दुर्भाग्य है कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों को सोवियत संघ के घटनाक्रमों का पता नहीं है। हाल ही के एक समाचार के अनुसार सोवियत संघ में कई करोड़ रुपये के सोने को बेच दिया गया है। यहां तक कि उसके राष्ट्रपति को भी पता नहीं चला कि सोना बेचा गया है। राष्ट्रपति को बताये बिना ही वहां करोड़ों रुपये के सोने को बेच दिया गया। हमें यह सुन कर दुख हुआ है क्योंकि सोवियत संघ इतने वर्षों तक हमारे काम आया है। हमें इन परिवर्तनों का पता रहना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री ने साफ कह दिया है कि यह सरकार परिवर्तनशील निरन्तरता चाहती है। अत: हम निरन्तरता चाहते हैं। हम योजना के पूर्व निर्धारित आधारों पर भी चल रहे हैं जो हमारी अर्थ व्यवस्था की नींव हैं।

3.18 म०प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

संसार में हो रहे परिवर्तनों को जानने के बाद भी यह कहने से कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटा रहे हैं; हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमारे वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सारी शर्तों को संसद के इस क्षेत्र में सभा के सामने रखेंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द नहीं करने का तथा किसी भी कामगार की छंटनी नहीं करने का और कामगारों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सारी शर्तों को इस माननीय सभा के समक्ष रखा जायेगा तथा हर बात का ध्यान रखा जायेगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या आज की हड़ताल देश के व्यापक हित में है ? इससे पूरे देश पर गलत प्रभाव पड़ता है तथा राष्ट्र को एक गलत सन्देश मिलता है कि इस हड़ताल के लिए उन्हें विवश किया गया है। आप इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि देश सच्चाई भी जानेगा। आज की हड़ताल का निर्णय किसने लिया ? क्या इसके नेता पांच सितारा होटलों में नहीं बैठे हैं ? यदि आप गुप मतदान करवायें तो आप पायेंगे कि अधिकतर कामगार हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं। अत: देश के व्यापक हित में आपको सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाये तथा हम सही रास्ते पर चल सकें। दुर्भाग्यवश आप फिर पुराना खेल खेल रहे हैं तथा देश को अस्थिर करने वाला

[श्री ए० चार्ल्स]

ताकतों का साथ देकर देश के भविष्य का नाश कर रहे हैं। जनता दल के लोग यहां कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हमें और अधिक तार्किक होना होगा, हमें उन बदलावों को ध्यान में रखना होगा जोकि सारे विश्व में हो रहे हैं तथा हमें उनसे सीखना होगा। हम सब एकमत होकर देश के अच्छे भविष्य के लिए प्रयास करें।

महोदय, हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या है। दुर्भाग्यवश हम पूरे देश में परिवार नियोजन के संदेश को ठीक प्रकार से प्रसारित करने में असमर्थ रहे हैं। चाहे हमने कोई भी वित्तीय विकास किया हो चाहे कोई भी औद्योगिक विकास किया हो, सब कुछ बढ़ती जनसंख्या के कारण निरर्थक हो गया है। हालांकि धन में प्रत्याशित वृद्धि हो रही है लेकिन जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट प्रयास यह करना होगा कि परिवार नियोजन के परिवार में अधिक से अधिक दो बच्चों का संदेश समूचे राष्ट्र में पहुंचाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, कोई भी दल सत्ता में आए और आप कोई भी निर्णय लें, सब बेकार साबित होगा। अत: मैं बिना किसी दलगत राजनीति के आग्रह करता हूं कि हमें एकमत होना होगा और अपने ग्रामीण लोगों के गरीब वर्ग को रोजगार अवसर प्रदान कराने की योजना बनानी होगी ताकि उनका इस देश में अच्छा भविष्य हो सके और वे इस देश से प्यार करें तथा एक अच्छा जीवन जी सकें।

श्री के०पी० सिंह देव (देकानल) : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी-अभी हमें कलकत्ता से एक उग्र समाचार मिला है कि पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कृषक श्रमिकों को औद्योगिक हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा गया है। **(व्यवधान)** वह आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और वह संविधान की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। वह लोगों को हड़ताल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सरकार उसके बारे में हमें कुछ बताए। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु (बारसाट) : **सभापति महोदय,** मैं इसी मुद्दे पर बोल रहा हूं जो उन्होंने अभी उठाया गया है। मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट की क्या प्रमाणिकता है। वह राज्य सरकार के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर दोषारोपण कर रहे हैं। उसका क्या आधार है? मैं नहीं जानता कि आप इन बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल होने देंगे।

सभापति महोदय : श्री के०पी० सिंह देव का कहना है कि टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, आप एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। वह एक सरकारी अधिकारी हैं और आप समाचार की प्रमाणिकता जाने बिना एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को संलिप्त कर रहे हैं। **(व्यवधान)** मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा विचार है इसे सभा की कार्यवाही में शामिल न किया जाये क्योंकि इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है। जब तक सभापति इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर देते, मेरे विचार से इसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री के०पी० सिंह देव का कहना है कि स्पष्ट रूप से टेलिफोन संदेश प्राप्त हुआ है। अतः मैं ठीक से नहीं कह सकता कि टेलिफोन संदेश विश्वसनीय है। इसके लिए कुछ न कुछ लिखित रूप में होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, यह एक बंगला अखबार में छपा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि यह अखबार में छपा है, आप कृपया अखबार प्रस्तुत करें और इसे अभी नहीं, कल सुबह अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें।

आप इसे अध्यक्ष के सामने रख सकते हैं, कोई भी अखबार की कटिंग या कोई प्रपत्र जिसके बारे में कुमारी ममता बनर्जी ने कहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैंने कहा है कि मैं उसका समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : आप उसे अध्यक्ष के सामने रखें। यदि वह उसे स्वीकार करते हैं तो इस पर कल चर्चा की जा सकती है। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : मंत्री विशेष राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को कलंकित करने में भाग ले रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री गए और अधिकारी को पीटा, जो कि गुण्डागिरी का एक भाग है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया, पीठासीन अधिकारी की ओर न चिल्लाएं कृपया बैठ जाइए। आपका व्यवहार बहुत निंदनीय है। क्या आप कृपया बैठेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मैं बोल रहा हूं, तब आपको बैठ जाना चाहिए। माननीय मंत्री को कुछ कहने का अधिकार है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और इस पक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अब मैं किसी बात को नहीं सुनना चाहता जिसमें वह राज्य सरकार किसी अधिकारी की निंदा कर रही थी।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभा में अनुशासन बनाए रखें। मैं किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। लेकिन कृपया पीठासीन अधिकारी पर न चिल्लायें। कृपया अनुशासनिक ढंग से व्यवहार करने की कोशिश करें।

मैं अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय दूंगा और मैं जब इस कुर्सी पर बैठा हूं तब मैं आपको अपनी निष्पक्षता का आश्वासन दे सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी ने बंगला समाचार पत्र में कुछ कहा है। वह उस समाचार-पत्र से उद्धृत कर रही थी। मैंने कहा कि यदि बंगला समाचार पत्र में कुछ छपा है तो वह उस समाचार पत्र की कटिंग अध्यक्ष के सामने रखें। वह उस विषय पर चर्चा या वाद-विवाद की इजाजत दें अथवा न दें उन पर निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था देंगे। लेकिन किसी अधिकारी के सम्मान या चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह

[सभापति महोदय]

यह है कि बंगला समाचार पत्र में है कि किसी अधिकारी ने हड़ताल को प्रोत्साहन दिया था। यदि समाचार पत्र में ऐसी बात है तो इसे अध्यक्ष महोदय के सामने रख सकती है। अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय देंगे।

अन्यथा, इस समय मैं इस विषय को लेने के लिए तैयार नहीं हूं। इस समय गैर सरकारी सदस्यों का कार्य चल रहा है जो जारी रहेगा।

श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। संकल्प अपने दृष्टि-कोण में बहुत सरल और बहुत मुखर है। संकल्प में कहा गया है कि यह सभा देश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करती है।

स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय संसद से आशा की जाती है कि वह हमारे देश में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करे। इस संकल्प में भी सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम अथवा कोई कार्यक्रम निर्धारित करे। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आपत्ति की जाये।

इसलिए मैं सर्वप्रथम सरकार से और सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह स्थिति की वास्तविकता का विवरण है और मेरी सरकार से यह अपील भी है कि वह बेरोजगारी की बढ़ती व्यापक समस्या से निपटने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करे। इसलिए इसमें आपत्तिजनक बात कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्य इस संकल्प को इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित करवाने में हमारा साथ देंगे।

बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा अथवा सभी आंकड़े नहीं बताऊंगा। किन्तु सामान्यतया यह माना जाता है कि फिलहाल शहरी बेरोजगारों, ग्रामीण बेरोज-गारों और अल्प रोजगारों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। इसलिये 80 करोड़ की कुल आबादी में प्रत्येक दस में से एक बेरोजगार है।

हम आज बहुत विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। सरकार इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं है। सरकार ने पहले ही कुछ उपाय किये हैं। मैं यह कहने को विवश हूं कि सरकार द्वारा किये गए कुछ उपायों से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं। मैं इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं क्योंकि यह आज बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र को नीचा दिखाने की चाल चली आ रही है। रोजगार के प्रश्न के सम्बन्ध में हम वास्तविक स्थिति को समझ लें। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, निजी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर नकारात्मक है। मै यह मानता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि जहां तक रोजगार की वृद्धि दर का सम्बन्ध है, वह निजी क्षेत्र में नकारात्मक है।

मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य याद है। उन्होंने जो इस सभा में कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं—"निजी क्षेत्र वास्तव में निजी ही हैं।" मेरे विचार से यह सही है। निजी क्षेत्र वास्तव में निजी है। निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह जानने का हमें कोई हक नहीं है। रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में मैंने यह पाया है कि निजी क्षेत्र में कई वर्षों से रोजगार की वृद्धि दर नकारात्मक रही है।

दूसरी ओर, वित्त मन्त्री महोदय आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि कई खामियों और कमियों के बावजूद सरकारी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि दर 2.5% रही है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : वे इस तरह हड़ताल करते रहेंगे।

श्री चित्त बसु : हड़ताल करने वालों से नाराज मत होइये। किन्तु आपको यह भी जानना चाहिये कि क्या हो रहा है।

श्री पियूष तिरकी (अलीपुर) : यह केवल शुरुआत है।

श्री चित्त बसु : यदि आप अपनी नीति पर अमल करें, तो निस्संदेह कोई हड़ताल नहीं होगी।

आजकल सरकारी क्षेत्र पर चिल्लाना और उसे नीचा दिखाना का फैशन हो गया है। मैं यह कहता हूं कि हमारे देश में इस सर्वाधिक विकट समस्या को हल करने के लिए भी सरकारी क्षेत्र की रचनात्मक भूमिका है और यह रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। हम उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, रोजगारी की सम्भावना सम्बन्धी यह विकट स्थिति भारत सरकार द्वारा लगभग चार दशकों से अपनाई जा रही औद्योगिक और आर्थिक नीति का संचयी परिणाम है। वित्त मंत्री महोदय यह आपका दोष नहीं है ना सही राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का दोष है। जरा उदार दृष्टिकोण अपनाइये। देश की वास्तविक स्थिति को समझिये। आज हमारे सामने जो यह बेरोजगारी की समस्या है, वह एक संचयी समस्या है। यह किसी एक सरकार की नीति अथवा किसी एक वित्त मंत्री की नीति अथवा किसी एक उद्योग मंत्री की नीति का परिणाम नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा पिछले चार दशकों से चलाई जा रही नीति का संचित परिणाम है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात से असहमत नहीं होंगे। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। कुछ अवसरों पर, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उन्होंने भी यह टिप्पणी की है कि यह समस्या सरकार द्वारा चलाई गई अनेक नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मैं केवल यह प्रश्न करता हूं : क्या आप इस प्रक्रियाओं, इन नीतियों को जारी रखेंगे जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है जिसे हमारे समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक समझा जाता है? अथवा क्या आप यह समझते हैं कि इन नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है? यदि कम से कम बेरोजगारी की समस्या को कम करने, और अधिक रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाने, और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए।

अब, आज के चर्चाधीन विषय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, आज सुबह आपने देखा होगा कि हमने उन नीतियों के विपरीत सरकार की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों को वापस लेने की मांग की थी। यह इस सभा के सदस्यों की व्यक्तिगत मांग नहीं है। इस मांग को देश के बहुत बड़े श्रमिक वर्ग का समर्थन प्राप्त है। इस हड़ताल में न केवल औद्योगिक श्रमिकों, न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों, न केवल गैर सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों ने ही भाग लिया अपितु मैं बहुत गर्व के साथ यह कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के कृषि श्रमिकों ने भी इस हड़ताल में भाग लिया। उन्होंने गृह सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध पर हड़ताल में भाग नहीं लिया अपितु अपनी सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता के फलस्वरूप हड़ताल में भाग लिया।

श्री मनोरंजन भक्त : और वहां की सरकार के अनुरोध पर।

श्री चित्त बसु : *मैं आपकी बात से सहमत* नहीं हूं। मैं वास्तव में आपसे असहमत हूं क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं पश्चिम बंगाल में राजनैतिक कार्यकर्त्ता हूं। मैं इस संसद में वहां के लोगों की राजनैतिक और आर्थिक जागरूकता के फलस्वरूप कई बार आया हूं। वहां कोई नान्दयाल क्षेत्र नहीं है। वहां नान्दयाल घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। वहां 5.80 लाख वोटों के मार्जिन का अन्तर नहीं है जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड इत्यादि में एक रिकार्ड हो (**व्यवधान**) पश्चिम बंगाल राज्य बिहार अथवा उत्तर प्रदेश अथवा नान्दयाल जैसा नहीं है। हम अपने राज्य में राजनैतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता और राज्य में अपने राजनैतिक कार्य-कलापों के फलस्वरूप चुने गए हैं। परन्तु यह सरकार जीवन के मूल्यों को कम कर रहे हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र और हर चीज—ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की निन्दा कर रहे हैं। वह एक अन्य दोषदर्शिता है जिसने इस देश को घेर लिया है और जो इस देश के लिए घोर विपदा है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने विचार रखने के लिए स्वतन्त्र है। आप जैसा चाहे, सरकार को चलाने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसके साथ ही, हम भी आपके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वतन्त्र हैं। हमें आपकी जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों को असफल बनाने के लिए लोगों को संघटित करने, लोगों को प्रेरित करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है।

सभापति महोदय : आपमें से कोई भी व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या पर नहीं बोल रहा है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान दें। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पिछली सरकारों द्वारा चलाई गई आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप यह संचित बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। अब मैं इन नीतियों में परिवर्तन चाहता हूं।

संकल्प की बात करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प का यह उद्देश्य है कि कुछ आधारभूत कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। परन्तु आधारभूत कार्यक्रम तब तक नहीं बनाये जा सकते जब तक कि औद्योगिक और आर्थिक नीतियां इस प्रकार की नहीं बनाई जातीं, जो इस कार्यक्रम के लिए सहायक हों। मैं समझता हूं कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को बदला जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है। परन्तु मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की निन्दा की जा रही है उसका उन्मूलन किया जा रहा है ·········मेरे पास कुछ प्रेसनोट हैं। मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास अभी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में कोई श्वेत-पत्र अथवा वक्तव्य नहीं है। अभी सभा के किसी भी सदस्य को सरकारी रूप से यह परिचालित नहीं किया गया है। परन्तु प्रेस विवरण से मैंने यह देखा कि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 54 रुग्ण एकक हैं। उनमें से 19 रुग्ण एकक जीव्यक्षम नहीं है, उन्हें दुबारा जीव्यक्षम नहीं बनाया जा सकता है। सरकार ने इन्हें बन्द करने का निर्णय

लिया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरे तथ्य सही हैं या नहीं। यह समाचार पत्रों की रिपोर्ट से प्राप्त हुए हैं। परन्तु मुझे प्रसन्नता होती यदि इस बारे में उपयुक्त विवरण दिया जाता।

मुझे बताया गया है कि इन 54 रुग्ण एककों में से 15 एकक पश्चिम बंगाल राज्य में हैं जिनसे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हम बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं यदि सरकार पश्चिम बंगाल के लगभग 15 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की कार्यवाही कर रही है ? मैं केवल एक राज्य का उल्लेख कर रहा था जिसने राज्य में लगभग एक लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। यदि सरकार की यह नीति है तो सरकार की यह रोजगार उत्पन्न करने की नीति नहीं है। सरकार की नीति बेरोजगारी उत्पन्न करने की, रोजगार समाप्त करने की है, रोजगार उत्पन्न करने की नहीं अपितु रोजगार को नष्ट करने की है। इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है।

अब सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी सप्तवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उस सप्तवर्षीय योजना की क्या मुख्य विशेषताएं हैं मुझे बताया गया है। कि राष्ट्रीय पुनः स्थापन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसका क्या औचित्य है ? 150 करोड़ अथवा 250 करोड़ रुपए क्यों नहीं रखे गए ? अनुमान क्या लगाया गया है ? इतनी मात्रा में धनराशि रखने का क्या औचित्य है ? यह किसी को भी पता नहीं है। इसलिए सरकार देश की इस अत्यन्त गंभीर समस्या के प्रति नैमित्तिक दृष्टिकोण अपना रही है। सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है कि सरकारी कम्पनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आएंगे जिसका यह अर्थ है कि रुग्ण सरकारी एकक भी बी०आई०एफ०आर० के अधिकार क्षेत्र में आएंगी (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : बी०आई०एफ०आर० का मतलब है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल फिनरल राइट्स (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मूल अधिनियम में सरकारी कम्पनियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है मूल अधिनियम में सरकार को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अब सरकार सरकारी कम्पनियों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन करना चाहती है। वह सही कह रहे थे। उन्होने बैंकाक में सही कहा था। मैं समझता हूं कि यदि उनकी यह धारणा होती, तो वह अवश्य कहते "हां इन कि अनीव्यक्षम एककों को बन्द करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है।"

श्री मनमोहन सिंह : और इनके स्थान पर और अधिक सक्षम यूनिट स्थापित कर दें।

श्री चित्त बसु : परन्तु आपका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को बन्द करने का है। और आप कहते हैं कि "नहीं हम ऐसा नहीं चाहते। हम इन्हे बी०आई०एफ०आर० को भेजते हैं।" मैं समझता हूँ कि यह बहुत बेतुका लगता है। बी०आई०एफ०आर० भी अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो यूनिट को बन्द करने का निर्णय देती है और आप कहते हैं कि आप एकक को बन्द करने नहीं अपितु पुनः जीवित करने जा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : इन्हें भी चालू किया जा सकता है।

श्री चित्त बसु : यदि बी०आई०एफ०आर० यह निर्णय देता है कि एकक को चालू नहीं किया जा सकता है और इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए तो क्या आप उस निर्णय का विरोध करेंगे ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु; कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : मैंने कभी भी अपने निर्धारित समय से अधिक समय नहीं लिया है। इसीलिए कि सरकार की नीति आपके माध्यम से मैं सरकार और संसद का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं और अधिक रोजगार उत्पन्न करने की नहीं है। सरकार की नीति रोजगार की सम्भावनाओं को समाप्त करने की है।

यह इस कारण से भी अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष चाहती है कि हमारी आर्थिक तथा औद्योगिक नीति में ऐसा आमूल-मूल परिवर्तन हो कि पूरे विश्व से जुड़ जाए। यह विश्वव्यापी एकीकरण क्या है ? श्री बुश एक नहीं विश्व व्यवस्था चाहते हैं। वह चाहते है कि पूंजीवाद सारे विश्व में राज करे। वह चाहते हैं कि उत्पादन की सभी समाजवादी पद्धति समाप्त हो जाये। हमारे वित्त मंत्री श्री बुश के भाषणों से प्रेरणा ले रहे हैं। वह चीन की सरकार की आलोचना करते हैं, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद टूट गया है और उनकी मृत्यु हो गई है और अन्ततोगत्वा सिर्फ पूंजीवाद ही मानव की प्रगति का साधन है। यह भारत जैसे देश के वित्त मंत्री का विचार है। मैं समझता हूं कि पूरी बात सरकार की विचारधारा पर आश्रित है। जिसकी परिकल्पना सरकार द्वारा की जाती है। मैं इस विचारधारा का विरोध करता हूं। इस विचारधारा से इस देश का पूंजीवाद मजबूत होगा। इस विचारधारा से बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को हमारे संसाधन को लूटने में मदद मिलेगी इस दर्शन से हमारा देश सतत और स्थायी तौर पर पश्चिमी देशों पर निर्भर बन जायेगा जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे हमारे देश का ऋण बढ़ेगा जिससे हमारा समाज दरिद्र हो जाएगा और जिससे समाज में तनाव बढ़ेगा।

में समझता हूं आज लोगों ने औद्योगिक हड़ताल का नोटिस दिया है। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के लाखों व्यक्तियों सहित सारा मजदूर वर्ग आपके खिलाफ विद्रोह करेगा और भारत के लोगों को मुक्ति का पद दिखायेगा जो समृद्धि और खुशहाली का युग होगा।

सभापति महोदय : (राव राम सिंह) सभा ने सिर्फ एक घन्टे का समय बढ़ाया है। माननीय सदस्य जिन्होंने गैर सरकारी संकल्प रखा है और जिन्हें चर्चा का उत्तर देना है यहां नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हस्तक्षेप करें।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : महोदय इस पक्ष के एक भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है हालांकि समय एक घन्टा बढ़ाया गया है, हम लोगों में से किसी को बोलने का अवसर नहीं मिला है।

सभापति महोदय : तब तो आपको समय एक घन्टे से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि श्री बसु ने आपके विचारों को भी रखा है।

मनोरंजन भक्त : महोदय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समय से बंधा हुआ हूं। यदि किसी को अभी यहां भाषण देने का अधिकार है तो वह भाजपा पक्ष के व्यक्ति को है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय मैं सिर्फ पांच मिन्ट का समय लूगां।

सभापति महोदय : नहीं मुझे खेद है। जब सभा की अवधि एक घन्टा बढ़ाई गई थी तो उस समय आपको इसे डेढ़ घन्टे बढ़ाने के लिए कहना चाहिए था अब मंत्री महोदय हस्तक्षेप करे।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) मैं माननीय सदस्य श्री तेज नारायण सिंह का आभारी हूं जो दुर्भाग्यवश आज अनुपस्थित हैं, कि उन्होंने यह संकल्प रखा और देश के समक्ष बेरोजगारी जैसी काफी महत्वपूर्ण और कठिन समस्या की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया।

बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है और इस सभा को इस पर चर्चा करने का मौका मिला है। चर्चा के दौरान हमें सदस्यों के काफी सुझाव मिले हैं। मेरे लिए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना संभव नहीं है। मैं इस विषय पर अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाहूंगां।

साप्रादिक परिकल्पना के अनुसार 1990 के प्रारम्भ में इस देश में 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इसके अतिरिक्त पूरी तरह से बेरोजगारी की संख्या 1.2 करोड़ थी। यदि इस संख्या को हम बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणी में जोड़ दें। 1990 के प्रारम्भ में देश में कुल बेरोजगारों की संख्या 2.8 करोड़ दी जाती है। 1994-95 के दौरान 3.7 करोड़ बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी जिसका अर्थ है कि 1995 तक इस देश में बेरोजगारी की संख्या 6.5 करोड़ हो जाएगी। 1995 से 2000 के दौरान 4.1 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी और 2000 ई०प० देश में बेरोजगारी की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। इस शताब्दी के अन्त तक यह संख्या काफी बड़ी होगी और सरकार के लिए इस समस्या को निपटाना आसाना नहीं होगा। अतः जब हम अपनी नीति बनाएं तो हमें इस विशेष पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक हैं। देश की जनसंख्या पहले ही 85.2 करोड़ है और जैसा कि हम दूरदर्शन पर बराबर याद दिलाते हैं प्रतिदिन हमारी जनसंख्या में 44.685 व्यक्तियों की वृद्धि होती है।अतः बेरोजगारी वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी समस्या है।

मेरे पास एक दृष्टिकोण पत्र है जिसे योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किया है। सभी राज्य सरकारों को यह पत्र भेजा गया है और अगले महीने के अन्त में इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जाना है। भारत सरकार का उद्देश्य इस सदर्भ में स्पष्ट हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह क्या करने जा रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार की उपलब्धी के लिए पर्याप्त रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः भारत सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान किया जाए।

हम इस बात के प्रति काफी सचेत है कि इस देश में जो कुछ भी विकास हुआ है, जो कुछ भी रोजगार हम सृजित कर पाये हैं वह तब तक किसी काम का नहीं होगा जब तक हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न कर सकें। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम दूसरी प्राथमिकता यह बना रहे है कि जनता के सक्रिय सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए।

अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार की पहली और दूसरी प्राथमिकता

[श्री पी०ए० संगमा]

क्रमश: रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण है। परंतु सिर्फ यही कहना पर्याप्त नहीं है कि यह हमारा उद्देश्य है। हमें इस देश को एक ठोस कार्यवाही योजना देनी होगी कि हम इस समस्या से कैसे निपटेगें। हाल में प्रधान मंत्री ने रोजगार बढ़ाने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की है और इस मंत्रिमंडल उप समिति के प्रमुख योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी हैं। श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री, श्रीमती शीला कौल, शहरी विकास मंत्री, श्री सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री; मैं स्वयं; श्रीमती मारग्रेट आल्वा और प्रो० पी० के० कुरियान इसके सदस्य हैं। मैं इस बात का उल्लेख सिर्फ इस मुद्दे पर बल देने के लिए कर रहा हूं कि सरकार में रहते हुए हमइस समस्या के बारे में काफी गंभीर है और हम इस बारे में सोच रहे हैं। इस उपसमिति, जिसका मैं भी सदस्य हूं, को एक ठोस प्रस्ताव बनाने का कार्य सौंपा गया है कि हम इस सदी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए प्रधान मंत्री ने हमें तीन महीने का समय दिया है। अत: हम काफी विस्तार से काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं इस माननीय सभा द्वारा व्यक्त भावनाओं का आदर करता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाये गये हैं तथा जो सलाह दी गयी हैं, मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। मैं पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब रोजगार पैदा करने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने हेतु मंत्रि-मंडलीय उपसमिति की बैठक होगी तो प्रत्येक माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सलाह पर विचार किया जायेगा। वास्तव में, मैं इस विषय पर हुए वाद-विवाद को मंत्रि मंडलीय उप समिति के सभी सदस्यों में परिचालित करवाना चाहता हूं। मंत्रि मंडलीय उपसमिति की ओर से मैं आश्वासन दे सकता हूं। कि माननीय सदस्यों द्वारा इस विशेष संकल्प पर सभा में उठाये गये हरेक मुद्दे का ध्यान रखा जायेगा। चूंकि सरकार खुद इस मामले से अवगत है अत: सरकार कदम उठा रही है और सच तो यह है कि आठवीं योजना में हमारी प्राथमिकता रोजगार उत्पन्न करना और जनसंख्या पर नियंत्रण करता है और चूंकि जिन माननीय सदस्य ने इस संकल्प जो प्रस्तुत किया है वह अनुपस्थित है; अत: मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस संकल्प को अस्वीकृत कर दें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करती है और सिफारिश करती है कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए अविलम्ब उपाय करें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

———

3.59 म०प०

जाति-संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा डा० के०बी०आर० चौधरी द्वारा प्रस्तुत "जाति संघर्षों को समाप्त करने" सम्बन्धी अगले संकल्प पर विचार करेगी।

इस संकल्प पर वाद-विवाद शुरू करने से पहले सभा को समय निर्धारित करना है। मेरा सुझाव है कि यदि माननीय सदस्यों को कुछ और न कहना हो तो दो घन्टे का समय निर्धारित किया जा सकता हैं क्या दो घन्टे का समय सही है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए दो घन्टे का समय निर्धारित किया जाता है। अब श्री के०वी०आर० चौधरी बोलेंगे।

श्री के०वी०आर० चौधरी (राजामुन्दरी)* : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"यह सभा देश के विभिन्न भागों में जारी जाति संघर्ष पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठायें।"

महोदय, मैं यह संकल्प इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि गांवों में जाति संघर्ष बढ़ रहा है।

महोदय, देशभर के गांवों में जाति-मतभेदों में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। आजादी के समय देश के हर आदमी को आशा थी कि हमारा समाज जाति और पंथ से मुक्त हो जायेगा। पर आजादी के 40 वर्ष बाद भी यह सपना एक सपना ही बना हुआ है। हम जाति तथा पंथ से मुक्त समाज तथा युग में प्रवेश करने में असफल रहें है। सच तो यह है कि जाति-संघर्ष बढ़ रहे है। जान एवं माल को हानि पहुंचाने वाले जाति संघर्षों की खबर समाचार पत्रों से हमें देश के हर कोने से हर दिन मिलती रहती है। जाति पर आधारित संघर्षों का मुख्य कारण क्या है ? एक ऐसा समय था जब हमारे गांवों का वातावरण प्रेमपूर्ण था। विभिन्न जातियों तथा समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग था सच तो यह है कि पूरा गांव एक अविभाज्य परिवार की तरह रहता था। विभिन्न व्यवसायों में जुड़े लोग जैसे बुनकर, कुम्हार, लोहार आदि कृषकों तथा कृषि कामगारों के साथ पूरा सहयोग करते थे। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच का वह प्रेमपूर्ण वातावरण तथा मैत्री भावना ही अब लापता हो गयी है। इस बदले हुए हालत के लिए राजनैतिक दल ही जिम्मेदार हैं। अपने लाभ के लिए ये राजनैतिक दल समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ उकसाते रहते है। वे एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़का देते है। एक को दूसरे के खिलाफ भिड़ा देने का राजनैतिक दलों का यह दुष्कर्म इस जाति संघर्ष की आग में घी का काम करता है। आजादी के पहले की स्थिति कुछ और थी। तब न चुनाव होते थे न ही मतदान होता था। उस समय कोई प्रजातंत्र भी नहीं था। परन्तु हमने अपनी आजादी का दुरुपयोग किया है। हम प्रजातंत्र के प्रति सच्चे नही रहे है कुछ समय पहले हरिजनों को मतदान करने से रोका जाता था। अब हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ गये है। महोदय, पिछले उप-चुनावों के दौरान हमने अखबारों में पाया कि ठीक उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जहां से प्रधान मंत्री ने चुनाव लड़ा था, वहां एक मतदान केन्द्र पर एक भी मतदान नहीं हुआ था फिर भी मत-पेटियां मतों से भरी हुई थी। आज यह हालत हो गयी है। मैं समझता हूं कि यदि जाति-प्रथा समाप्त हो जाये तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के अन्तर्गत कुछ सुविधायें दी गयी हैं। किसी के द्वारा जाति-सूचक नामों से पुकारे जाने पर उन्हें न्यायालय में अपील करने का भी

* मूलत तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री के०वी०आर० चौधरी]

अधिकार दिया गया था। पर हो क्या रहा है ? यदि ऊंची जाति के किसी व्यक्ति द्वारा हरिजन कहे जाने पर कोई व्यक्ति थाने में शिकायत करता है तो उसे तुरन्त ही चल-न्यायलय में अपील करने के लिए कहा जाता है। पर क्या वे किसी न्यायालय में जाने और मामला दायर करने की स्थिति में हैं उनकी दर्दनाक स्थिति को हमें समझना चाहिए। हमें गांवो की बसीसी और अवहेलना की उस वर्तमान स्थिति को समझना चाहिये जिनके अन्तर्गत गांव अब पिस रहे हैं। भूमि परिसीमन

4.00 म०प०

अधिनियम के अधीन अधिकतम भूमि का मालिक भी सरकारी सेवारत एक क्लर्क या टंकक से ज्यादा नहीं कमा पाता है। आंध्र प्रदेश में परिसीमन सीमा 12 एकड़ है। 12 एकड़ पर अधिकतम आमदनी सालाना 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक की होती है। अत: उनकी मासिक आय 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होती है। यदि भूमि परिसीमन अधिनियम के अधीन अधिकतम भूमि वाले किसान की यह स्थिति है तो नगण्य जोत वाले छोटे किसानों और कृषि-मजदूरों की हालत का अन्दाजा लगाया जा सकता है। मानों यह भी कम था; तो अब सरकार उन्हीं गरीबों पर हर तरह के कर भी लगा रही है। देहाती क्षेत्रों के गरीबों के बारे में सरकार को कोई फिक्र नहीं है। सरकार को गरीबी के मारे लोगों का कोई ख्याल ही नहीं है सरकार ने खाद का दाम बढ़ा कर उनके घाव पर नमक ही छिटका है। इन सारी तबाहियों के साथ कभी न खत्म होने वाला तथा हर दिन चलने वाला जाति-संघर्ष भी है। दलितों के खिलाफ झूठे मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। कुछ खास लोग एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों के खिलाफ ऐसे मुकदमें दायर करने के लिए उकसाते है। स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष से भी बदले की कार्रवाई होगी। इसी कारण हर जगह ज्यादा से ज्यादा जाति संघर्ष हो रहे है। नसुंदुर की घटना इसी का एक उदाहरण है। अनुसूचित जाति के लोगों पर हर जगह अत्याचार हो रहे है। अत: जाति-प्रथा को समाप्त करने का वक्त आ गया हैं। यदि जाति-प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस तरह के अत्याचार की कई घटनायें हो सकती हैं। अब हरिजनों को जातिसूचक नामों से गाली देने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया गया है दूसरी जातियों के लोग अब अन्य जातियों को उकसाते हैं कि वे अनुसूचित जाति के लोगों को गालियां दें। अत: लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले असली लोग तो कानून की पकड़ से बच ही जाते हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग ऐसी शिकायते दर्ज करवाते हैं उन्हें अक्सर न्यायालयों का चक्कर लगाया पड़ता है। उन्हें समय और धन की हानि सहने को मजबूर किया जाता है। उनसे उनकी जीविका ही छीन ली जाती है। अत: उन्हें चल न्यायालय में मामला दायर करवाने के लिए कहने के बदले उनके मामले को सीधा ही दर्ज कर लेना चाहिए। मात्र 300 रु० प्रति माह की आय वाले गरीब व्यक्ति की स्थिति को हमें समझना चाहिए। न्याय पाने के लिए ऐसा आदमी अदालत में जाने में असमर्थ होता है। अत: हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरह की परेशानियों से बचाया जायें। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नसुंदुर की तथा ऐसी अन्य घटनाये भड़काये जाने तथा बदला लेने का परिणाम हैं। अन्य घटनाओं के संदर्भ में न्याय के लिए अदालत जाना बिल्कुल ही जायज है, पर सामाजिक अन्याय के मामले में ऐसा नहीं हैं। यदि इस तरह का कोई प्राथमिक मामला हो तो मामले को तुरन्त दर्ज करके पुलिस उप-निरिक्षक द्वारा इसकी जाँच करवानी चाहिए। दोषी को

फौरन सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा, अनुसूचित जाति को दी गयी इस खास सुविधा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा तभी जातियों के बीच के संघर्ष कम होंगे।

अब समय आ गया है जब जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सोचा जाये। जाति व्यवस्था लोगों के व्यवसाय या व्यापार के आधार पर बनी थी। वह एक व्यवसाय आधारित जाति-प्रथा थी। अब समय बदल गया है। आज हम एक भिन्न समाज में रह रहे है। जाति और व्यवसाय के बीच का अन्तर्सम्बन्ध अब नहीं रहा। यह अन्तर्सम्बन्ध अब टूट चला है। पहले के ब्राह्मण धर्म और शिक्षण से सम्बन्धित थे, क्षत्रिय शासक थे और वैश्यों का काम व्यापार था। कुम्हार बर्तन बनाते थे और बुनकरों का काम सिर्फ कपड़ा बुनना था। अब यह स्थिति नहीं रही है। कोई भी व्यवसाय किसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। आज कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। उदाहरणार्थ, हर जाति के लोग बुनकर उद्योग में लगे हैं। यहाँ तक कि मजदूर भी अब हर जाति एवं वर्ग के लोग होते हैं। पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही जूते बनाते थे। अब ब्राह्मण भी जूते के व्यवसाय में लगे हैं। आज मेहनत में ही इज्जत है। आज हर व्यवसाय, हर व्यापार को समाज में इज्जत मिलती है। अतः जब जाति और व्यवसाय में कोई अन्तर्सम्बन्ध नहीं रहा तो अब जाति व्यवस्था बेकार हो चली है।

प्रत्येक को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी देश प्रगति कर सकता है। जाति और समुदाय के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे उपायों पर भी विचार करना चाहिए जिनसे हम जाति-प्रथा समाप्त कर सकें। दस वर्ष के पश्चात् जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हमें अवश्य ही अनुसूचित जातियां अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें अवश्य ही इन वर्गों के व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे अच्छी शिक्षा पा सकें और समाज में उचित स्थान पा सकें। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ जाति अथवा समुदाय के आधार पर किसी आरक्षण की आवश्यकता न हो। इस प्रकार के समाज में किसी पर भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति भूल जाएगा। व्यवसाय के आधार पर समाज में केवल काम को महत्व दिया जायेगा जाति को नहीं।

महोदय, मुझे जन-संख्या नियन्त्रण के बारे में एक शब्द कहना है। ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में लोग परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देते है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तरीका दोष-पूर्ण है। इस समय आपरेशन कराने वाले व्यक्ति को 120/- रु० दिए जा रहे हैं। यह प्रोत्साहन तीन दिन की मजदूरी के बराबर भी नहीं है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन आपरेशन करवाता है तो उसे लगभग 40 से 50 हजार रुपए का लाभ होता है। लेकिन यदि कोई गरीब गांव का व्यक्ति आपरेशन कराता है तो उसे केवल 120/- रुपये दिए जाते हैं। 30 से 40 रु० डाक्टरों और नर्स को चले जाते हैं। इसीलिए उसे केवल 80 रुपए का लाभ होता है। यह सोचना कितना हास्यास्पद है कि गाँव का व्यक्ति इस प्रोत्साहन से जो कि उसकी दो दिन की मजदूरी के भी बराबर नहीं है परिवार नियोजन के लिए जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति शहरों के बारे में सोचता है और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कोई नहीं सोचता। कर भी केवल ग्रामीण व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं। चूंकि राजस्व की दरें बढ़ाई जा रही हैं। उपकर और जल निकासी उपकर भी केवल

[श्री के०वी०आर० चौधरी]

ग्रामीण व्यक्तियों से एकत्र किए जा रहे हैं। इस प्रकार गांव के लोगों का ही खून निचोड़ा जा रहा है। गांव को ऐसी स्थिति में पंहुचाया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह गरीबी से ग्रस्त गांव जाति युद्ध का मैदान बनते जा रहे हैं। कम से कम अब हमें गांव के विकास पर उचित ध्यान देना चाहिए। हमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और मैत्री के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां धर्म अथवा जाति की आवश्यकता न हो। हमारे संविधान में समाज के समाजवादी रूप की बात कही गई है। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान सरकार इस प्रकार की नीति पर चल रही है जो कि इस लक्ष्य के विपरीत है।

आरक्षण प्रणाली कम से कम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जानी चाहिए। गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए उचित ध्यान देना चाहिए। गांवों की आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार होना चाहिए। खुशहाल और आर्थिक रूप से उन्नत गांव में जाति झगड़े नहीं होंगे। आरक्षण आदि जैसे लाभ सभी जातियों के लोगों के लिए लागू होने चाहिए। सरकार को उन लोगों को भी ऊपर लाने के लिए प्रयास करने चाहिए जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। चूंकि जाति और कार्य के बीच सम्बन्ध पहले ही समाप्त हो चुका है, सरकार को इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। चूंकि कभी अत्याचार जाति के नाम पर किए जा रहे हैं, हमारे प्रयास जाति पर आधारित समाज की समाप्ति के लिए होने चाहिए। गांवों में विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इस प्रकार लोगों की शक्ति विकास की ओर लगेगी। हमें जाति पर आधारित राजनीति से दूर रहना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी जाति अथवा समुदाय का हो, अपनी प्रगति के बराबर अवसर मिलने चाहिये। परिवार नियोजन कार्यक्रम और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन आकर्षित करने वाले होने चाहिये। सरकारी कर्मचारी को 10 से 40 हजार रुपये का प्रोत्साहन देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए परिवार नियोजन आपरेशन के लिये प्रोत्साहनों को ग्रामीण लोगों के लिये और अधिक आकर्षित बनाया जाना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोग आपरेशन कराते हैं तभी हम जनसंख्या वृद्धि को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने में सफल होंगे। इस कार्यक्रम के लिये अधिक राशि आवंटित करने के बाद ही अधिक लाभ होगा। हमें याद रखना चाहिए कि पहले हम मानव हैं। मानवता हमारी नीतियों का आधार होना चाहिए। हमें मानवता से परिपूर्ण नीतियों को ही अपनाना चाहिए। ऊंची जातियों में भी बहुत से लोग वास्तव में गरीब हैं। हमें उन्हें ऊपर लाने के लिए भी कार्य करने चाहिए। सहायता जरूरतमंद व्यक्तियों को मिलनी चाहिए चाहे वह किसी भी जाति का हो। हमें ऐसा समाज बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जहां किसी जाति अथवा समुदाय को न तो डर हो और न किसी के प्रति कोई पक्षपात हो।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं यह प्रस्ताव इस सभा में विचार करने और अनुमोदित करने के लिये रखता हूं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह संकल्प जो जाति संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभा के सम्मुख रखा गया है, महत्वपूर्ण संकल्पों में से एक है। चूंकि दसवीं लोक-सभा के आरम्भ से बजट सत्र में अत्याचार के मामले पर विस्तार से चर्चा हुई थी और कई शताब्दियों से हमारे देश में विद्यमान इस समस्या का सामना करने के लिए सरकार स्वयं आगे आई है।

अत्याचार की समस्या पर चर्चा करने के लिए 4 और 5 अक्तूबर को हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक इस सरकार द्वारा उठाए गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।

महोदय, आज जब हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं मैं महाराष्ट्र के परमानी जिले के पिम्परी देशमुख नामक एक छोटे से गांव में सितम्बर के पहले सप्ताह में हुई एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। इस गांव में, अम्बादास सावने, एक दलित पुलिस कांस्टेबल कई वर्षों से मारुति मन्दिर में गार्ड का कार्य कर रहा था। यह गार्ड का कार्य उसे अपने पूर्वजों से मिला था। एक रात, जब बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, तब अम्बादास सावने अपने को तेज वर्षा से बचाने के लिए मन्दिर में शरण लेने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह कई वर्षों से इस मारुति मन्दिर में गार्ड का कार्य कर रहा था। इस मन्दिर के भीतर जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि अम्बादास अछूत है और दलित है उसे मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मन्दिर में एकत्र इन सब लोगों ने अम्बादास पर पत्थर मारने शुरू कर दिए और वह इन पत्थरों की चोट के कारण मर गया।

इससे स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र, जो कि एक उन्नत राज्य है, वहां आज भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। प्रेस में प्राप्त रिपोर्टों और मराठवाड़ा के भागों में हुए हमारे दौरे से पता चलता है कि अभी भी वहां ऐसे स्थान हैं जहां दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग मन्दिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन, महोदय, आज का प्रश्न 'मन्दिरों में प्रवेश से संबंधित नहीं है अथवा मन्दिरों में प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करना नहीं है। प्रश्न समाज के दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी के अधिकार दिलाने, गरिमा के साथ उनके जीने से सम्बन्धित है। जिसका आज अभाव है।

अत्याचारों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कई निर्णय लिए गए। मैं माननीय कल्याण मंत्री को बधाई देता हूँ कि जबसे उन्होंने इस मंत्रालय का भार सम्भाला है, वह दलित और कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिए नीतियां, कार्यक्रमों और कार्य आयोजनाओं के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल्याण मंत्री कितने भी अधिक कार्य कर लें और कितने ही समर्पित क्यों न रहें, जो व्यक्ति राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के प्रयत्नों को बेकार करते रहे हैं, वे आज भी सरकार के प्रयासों को बेकार करने के प्रयास करेंगे। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियां के बकाया पद 31 मार्च, 1992 तक भर लिये जाएंगे? हमारे पास केवल 4 माह का समय है।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, सभा में गणपूर्ति पूरी नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाएं अब गणपूर्ति है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं कह रहा था कि हमारे पास केवल चार माह का समय है। बकाया पद बहुत अधिक हैं। केन्द्रीय सरकार की वर्ग क सेवाओं में अनुसूचित जातियों के बकाया पदों की संख्या 5331 और अनुसूचित जनजातियों के बकाया पदों की संख्या 1593 है। केन्द्रीय सरकार की वर्ग ख बकाया पदों में अनुसूचित जातियों की संख्या 10497 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 2222 है। केन्द्रीय सरकार की वर्ग ग की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए बकाया पद 3,36,8?0 हैं। अनुसूचित जनजातियों के 1,7133 पिछले बकाया पद हैं। वर्ग 'घ' में अनुसूचित जातियों के 3,21,795 और अनुसूचित जनजातियों के 7,23,53 पिछले बकाया पद हैं। हमारे पास इतने अधिक पिछले बकाया पद हैं।

[श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक]

सरकार ने सभी मुख्य मंत्रियों की मौजूदगी में इसे पूरा करने का वचन दिया है; केवल यही नहीं उसने सभी मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास में लेने का प्रयास किया है, और सभी मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय सरकार ने एक साथ मिलकर पिछले सभी बकाया पदों को 31 मार्च, 1992 तक भरने का निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : किस मामले में पिछला बकाया ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया पद। मैंने विभिन्न वर्षों के पिछले बकाया पदों के आंकड़े उद्धृत किये हैं।

पहले, कई मौकों पर, चाहे किसी भी दल की कोई भी सरकार रही हो, इस प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि गणतन्त्र के पहले 10 वर्षों में हम आरक्षण की सुविधाएं देंगे, इसे भलीभांति कार्यान्वित किया जायेगा और इससे समाज के कमजोर वर्गों और दलितों के उत्थान की कोशिश करेंगे। दस वर्ष बीत गये। हम न्याय दिलाने में असफल रहे, समानता दिलाने में असफल रहे, रोजगार नहीं दिला सके, शिक्षा नहीं दिला सके; और काम दिलाने में भी असफल रहे। इस अवधि को बढ़ाया जाना था; इसे चार बार बढ़ाया जा चुका है। अब मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि, केन्द्रीय सरकार हो, या राज्य सरकार, यदि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया सभी पदों को 31 मार्च, 1992 तक न भर सके, तो उसके बाद क्या होगा ?

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : आप मंत्री महोदय को रोक हटाने के लिए कहिये।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने अपने एक वक्तव्य में रोक के बारे में बताया है कि विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। यह मंत्री महोदय का उत्तर है। रिपोर्ट में वस्तुतः यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार/मंत्रालयों और विभागों में, भर्ती पर रोक है। चूंकि मंत्री महोदय यहां नहीं थे और वे अभी आये हैं। मैं इसे दोहराना चाहूंगा। यदि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया यह निर्णय कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया सभी पदों को 31 मार्च 1992 तक भर लिया जायेगा, पूरा नहीं हो सका, तो उसके बाद क्या होगा क्योंकि पिछले बकाया पदों की संख्या बहुत अधिक है और सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष अभियान चलाया है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त उस सम्मेलन में अत्याचारों के विषय में भी इस सम्मेलन में कई निर्णय लिये गए थे। अत्याचार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार की 6810 घटनायें और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की 3572 घटनायें हुई।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 में उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था है जो जानबूझ कर इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। आज तक इस धारा के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कारवाई नहीं की गई। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के कदम उठाये जायें।

ऐसी बहुत सी बातें होती रही हैं जो कमजोर वर्गों के हितों के विरुद्ध रही हैं। किन्तु कल ही मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निश्चित किये गई उपायों का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार और उनकी समस्याओं से निपटने के लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र में 38 अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। और मेरे विचार से यदि देश में सब जगह ऐसे उपाय किए जायें, तो इससे इस समस्या को यथाशीघ्र हल करने में सहायता मिलेगी। मैं अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं।

कई बातें हुई हैं किन्तु अन्य वक्ता भी विभिन्न मुद्दों पर बोलेंगे। एक मुद्दा, जिसके बारे में कई संगठन, संसद में और संसद से बाहर भी प्रदर्शन करते रहे हैं, और जिसे उठाते रहे हैं, वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी संघों को मान्यता देने के बारे में है। कमजोर वर्गों के वे कर्मचारी जो कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं भले ही जातिवाद की हों, भले ही ये पदोन्नति अथवा तैनाती की हों, वे चाहते हैं कि सरकार उनके संघ को मान्यता दे। जब तक सरकार इन संघों को मान्यता नहीं देगी, भले ही उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संसदीय समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों में उपस्थित होना हो तो प्रबन्धक उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दे? और इसलिए उन्हें ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। केवल यही नहीं उन्हें मान्यता न दिये जाने से अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं और इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे को ले और यह देखे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी संघों को यथाशीघ्र मान्यता प्रदान की जाए।

अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को उनके कर्मठ प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। सरकार की वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रकार की भी शक्ति की आवश्यकता होगी, हम अपनी ओर से योगदान देने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, सभापति जी, मैं डा०के०वी०आर० चौधरी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का स्वागत करता हूं। वास्तव में देश में जातीय संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है और संघर्ष का मूल कारण जातिवाद है। पिछले दिनों बिहार के अन्दर जो चुनाव हुए अथवा मण्डल आयोग के नाम पर सारे देश के अन्दर एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने का जो प्रयास किया गया अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार होते हैं अथवा अभी ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच में, कभी जाट और राजपूत के बीच में, कभी एक जाति का दूसरी जाति से जो संघर्ष होता है, वे सब वास्तव में जातिय संघर्ष कहलाते हैं।

आज हमारा चिन्तन केवल संकीर्ण दृष्टिकोण वाला नहीं होना चाहिए, जातीय संघर्ष में केवल एक ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेकलाग का नाम ही हम लेते रहे और ऊंची जातियों में भी जो आपस में एक-दूसरे की होड़ हो रही है और जो संघर्ष पैदा हो रहा है या एक जाति को दूसरी जाति से वोट के नाम पर लड़ाया जा रहा है अथवा एक जाति को दूसरी

[प्रो० रासा सिंह रावत]

जाति के नाम पर राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए जिस प्रकार का सामुदायिक और संकीर्णीकरण किया जा रहा है वह वास्तव में राष्ट्र के लिए घातक है।

मान्यवर, इससे पहले कि जातिवाद और जातीय संघर्ष की इन बुराइयों के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं, मैं आपके माध्यम के मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा और थोड़ा आप यह भी सोचें कि आखिर जातिवाद का जन्म हमारे देश के अन्दर क्यों हुआ ? मैं जातिवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूं, जातिवाद देश के ऊपर एक कलंक है, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए इस जातिवाद को समूल नष्ट करना चाहिए, तभी जातीय संघर्ष की समाप्ति होगी। क्योंकि हमारे जो मूल ग्रन्थ वेद हैं, उनके अन्दर कहा गया है "मनुर्भव" मनुष्य बनो और इसके साथ-साथ वेद में सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में ऋषियों ने थोड़ा चिन्तन किया और उस वर्णव्यवस्था के अन्दर जब यह कहा गया कि "ब्राह्मणोअस्य मुखमासीत, बाहु राजन्य कृत:", ये जो मंत्र पढ़ा जाता है, इस मंत्र का जो अर्थ किया जाता है वह बड़ा गलत है।

इस मंत्र का अर्थ यह है कि हमारा समाज एक शरीर है, एक इकाई है और उस इकाई के अन्दर चिंतन करने वाला वर्ग ब्राह्मण है। चिंतन करने का अधिकार जन्म से नहीं आता। जो उस समय समाज में चिंतन करने वाला वर्ग था वह ब्राह्मण कहलाया। उस समय कहा गया कि समाज रूपी शरीर का मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातिगत या जन्मगत नहीं होता।

"ब्राह्मणोजस्य मुखमासीत, बाहुराजन्य कृत:"

ब्राह्मण वह है जो ज्ञान में प्रवीण है, दक्ष है, जो समाज को ज्ञान की शिक्षा देता है, ज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान का चिंतन करता है, समाज का उद्धार करता है, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, लेकिन ब्राह्मण घर में पैदा होने से या ब्राह्मण की सन्तान होने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता था। महर्षि व्यास ज्ञान के आधार पर ही ब्राह्मण कोटि में पहुंच गए और वाल्मीकि निम्न वर्ग में होने बाद भी ब्राह्मण कोटि में पहुंचे। वेद में भी व्यवस्था है—

"अज्येष्ठास: अकनिष्ठास:"

न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा है—

"चातुर्वर्ण्यामयासृष्टं गुण कर्म विभागश:"

चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर की गई है और वेद कहते हैं— "अज्येष्ठास: अकनिष्ठास:" न कोई बड़ा है, और न कोई छोटा है।

"संगच्छध्वं संवदध्वं," "समानो मंत्र: समिति समानी"

समाज शब्द का निर्माण वेदों के आधार पर हुआ, समानता के आधार पर हुआ। व्यक्ति अपनी योजना के आधार पर ब्राह्मण कोटि में पहुंच सकता था। मनुष्य अपनी प्रतिभाहीनता के आधार पर शूद्रत्व को पहुंच सकता था। ब्राह्मण में ऊंच की और शूद्र में नीच होने की भावना उस समय नहीं थी। दोनों मनुष्य मात्र थे। जैसे आज पाश्चात्य देशों में भी डिवीजन आफ लेबर हो रहा है। एक मेकेनिक होता है, एक मिस्त्री होता है, एक फौज में जाता है, कोई बिजनेस में ट्रेड कामर्स में जाता है, हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने समाज

में वर्णों की व्यवस्था की थी, लेकिन उसमें ऊंच या नीच की भावना नहीं थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि मध्य काल में जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन गए और शिक्षा थोड़े से लोगों तक सीमित रह गई। उन लोगों ने अपने आपको ऊंचा रखने के लिए बाकी समाज को नीचे धकेल दिया।

सभापति महोदय, भारत के ऋषियों ने भी यही कहा कि हम सब एक ईश्वर की सन्तान हैं। ईश्वर ही हमारा माता-पिता है और हम सब उसकी सन्तान हैं। हम सब एक समान हैं। भारत-भूमि में पैदा होने वाले सारे व्यक्ति समान हैं। सभी जातियों में पैदा होने वाले व्यक्ति समान हैं। उनके अन्दर ऊंच-नीच की भावना नहीं थी। जितने भी हमारे संत-महात्मा हुए, सब ने यही कहा। गुरू नानक, कबीर, दादू, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय आदि तमाम समाज सुधारकों ने जाति-व्यवस्था का हमेशा विरोध किया है और आज भी जाति-व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। तभी समाज के अन्दर समरसता आ सकती है, परन्तु दुर्भाग्य से आजादी के बाद जाति व्यवस्था जो घटनी चाहिए थी, लेकिन वह बढ़ी है। पहले आर्यसमाज में नाम के आगे जाति नहीं लिखी जाती थी और पंजाब तथा हरियाणा के अन्दर आर्यसमाज ने जो आंदोलन चलाया, उसके तहत तथाकथित निम्न वर्ग के कहे जाने वाले लोग गुरुकुलों में पढ़कर महाशय और पंडित तथा बिद्वान बन गए। कोई उनको यह नहीं कह सकता था कि ये अमुक वर्ग के हैं, लेकिन बाद में लोग आर्यसमाज के मन्त्रियों और प्रधानों के पास गए कि हमें आरक्षण की सुविधा मिल रही है, इसलिए हमें जाति का सर्टीफिकेट दे दीजिए। जाति-व्यवस्था आरक्षण के नाम पर बढ़ी है। मैं इस सुविधा के विरोध में नहीं हूं, सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन आरक्षण के नाम पर समाज के अन्दर एक वर्ग से लड़ाना, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाना ठीक नहीं है। निम्न जातियों के अन्दर भी जाति व्यवस्था है और वे भी आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। जो लोग पढ़-लिख कर आगे आ गए हैं, अच्छे पदों पर आ गए हैं, संसद में आ गए हैं, वे लोग भी अपनी जाति के लोगों से बातचीत करने में हीनता अनुभव करते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी करनी-कथनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। जाति-व्यवस्था लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। चुनावों में भी योग्यता, लोकप्रियता और कामों के आधार पर, सेवा के आधार पर पार्टियां टिकट दें। यह नहीं कि कौन सी जाति वाले व्यक्ति वहां पर सबसे अधिक रहते हैं उस जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और जाति के लोग कहते हैं कि बस वोट तो अपनी जाति के आदमी को मिलना चाहिए। जाति की बेटी और जाति का वोट जाति वाले आदमी को मिलना चाहिए, यह जो बात कही जाती है यह वास्तव में लोलतंत्र के मार्ग में बाधा है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, सारे राजनीतिक दल इस बात के दोषी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब इस पवित्र सदन में, जो देश की आस्थाओं का केन्द्र है, सारा देश यहां से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है, अगर वास्तव में हम सच्चे अर्थों में जातीय भावनाओं को दिलों से निकाल दें, जाति सूचक नामों का प्रयोग अपने नामों के आगे लिखना हमेशा के लिए बन्द कर दें और विद्यालयों के अन्दर यह नियम बना लें कि विद्यालय के अन्दर जो बालक पढ़ने के लिए आएगा उसके नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात होगी। किसी को किसी की जाति का पता

[प्रो० रासा सिंह रावत]

नहीं रहेंगे और उच्चतर और हीनता की भावना जो कई बार पैदा हो जाती है वह भावना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। (···व्यवधान···) माननीय सदस्य, अच्छी बात का विरोध न कीजिए (···व्यवधान···)

श्री अयूब खां (झुंझनू) : यह आज बदला हुआ वातावरण कैसा है ?

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, यह वातावरण हम सब मिल कर बनायेंगे, यह देश की संसद बनाएगी। कानून सब बने हुए हैं कि छुआछूत अभिशाप है, दण्डनीय अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के अन्दर जो संकीर्ण विचार के लोग होते हैं, अथवा जिनको ज्ञान नहीं होता है या जिनको जाति का अहंकार होता है, वहां एक इन्सान दूसरे इन्सान के साथ बुरा व्यवहार करता है। जो सबके लिए कलंक की बात है। ऐसा हमारे धर्मग्रंथों में कहीं नहीं था। जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया और जकड़ने के बाद कुछ नादान लोगों के हाथ में धर्म की बागडोर आ गयी तो उन्होंने धर्म की अनुचित व्याख्या कर दी। नहीं तो मन्दिरों में सबको जाने का अधिकार था, मन्दिरों में सबको दर्शन करने का अधिकार था। भगवान सब का होता है, केवल मात्र किसी जाति विशेष का नहीं होता है। इसीलिए इस बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए।

मैं यहां पर यह बात माननीय सभापति जी, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग यहां पर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बाहर जा कर जातिवाद की आग लगा देते हैं। जातिवाद के नाम पर ही गांव के अन्दर दूसरी जाति का आदमी वोट डालने के लिए घुस नहीं सकता। वहां पर लट्ठ चलते हैं, लड़ाइयां होती हैं, संघर्ष होता है और कमजोर वर्ग के लोगों को तो वोट डालने ही नहीं दिया जाता। जो जातियां बराबर बल वाली होती हैं तो घमासान महाभारत छिड़ जाती है, जिसका कोई अन्त नहीं होता है। चुनाव हो गया, जीत कर आ गए, उस के बाद क्षेत्र के अन्दर लोगों में जातीय तनाव निरन्तर बना रहता है। यह जातीय तनाव, जातीय संघर्ष वास्तव में राष्ट्र के लिए और समाज के लिए घातक है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जातिवाद के जहर को मिटाने की कोशिश की जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आरक्षण अवश्य हो, बैकलॉग पूरा करने की बात अवश्य हो, लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि समाज को बांटो मत, समाज को तोड़ो मत। समाज को एक रखना आवश्यक है। अगर हमारे समाज को जातीयता के नाम पर तोड़ने की कोशिश की गयी या जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को उजागर कर के समाज को तोड़ने की कोशिश की गयी तो यह समाज विशृंखलित हो जाएगा। समाज विशृंखलित हो गया तो हमारा राष्ट्र विशृंखलित हो जाएगा, अगर राष्ट्र विशृंखलित हो गया तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर सच्चे अर्थों में हमें इस जातिवादी व्यवस्था, जातीय संघर्ष का विरोध करना चाहिए और कहीं पर भी इसको पनपने नहीं देना चाहिए।

हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता रही है, मान्यवर, वह सहिष्णुता है। "जियो और जीने दो" की बात हम हमेशा कहते रहे हैं। 'एकता में अनेकता" जो हमारी विशेषता कही जाती है उस दृष्टि से आज हमें सारे भेदों को भुला कर एकता का परिचय देना चाहिए। हम एक देश के

अन्दर रहने वाले हैं, एक भारत माता के पुत्र हैं, एक परमात्मा की सन्तान हैं और एक देश की मिट्टी पर रहने वाले, एक देश का अन्न खाने वाले हैं। तो हम सब एकता का परिचय देते हुए समाज में जो बुराइयां है, हम सब को मिल कर उसे दूर करना चाहिए। बुराइयों का जिक्र कर के समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा शिक्षा का प्रचार-प्रसार होगा, जितना ज्यादा समाज का कल्याण करने वाले कानूनों का प्रचार-प्रसार होगा, महिलाओं की स्थिति जितनी ऊपर उठेगी, कमजोर वर्गों को, वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गांव के अन्दर जो कमजोर तबके के आदमी हैं, जो गरीब था वह गरीब ही है, लेकिन एक बार जो मजिस्ट्रेट बन गया उसके लड़के, पोते सब मजिस्ट्रेट बनते चले जाते हैं। वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। आर्थिक आधार वाली बात पर चाहे समाज में किसी भी जाति का हो या गरीब वर्ग का हो, तो उसके लिए आरक्षण होना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में जो जातिवाद को प्रबल करते हुए पाया जाए तो उसके चुनाव को अवैध घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादव पुर) : महोदय जो भी हो, इस प्रस्ताव में जैसा कहा गया है, उसके बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती कि इस देश में पिछले 10-15 वर्षों में जातिय-संघर्ष में सचमुच बहुत प्रबलता आई है। वास्तव में जातीय संघर्ष अधिक दिखाई देने लगे हैं। जन-प्रचार माध्यमों में इसके बारे में अधिक बताया जा रहा है, यह जनता द्वारा किया जा रहा है। किन्तु इसके अलावा भी हम यह समझते हैं कि जातीय संघर्ष में भी सचमुच बहुत वृद्धि हुई है। जातीय संघर्ष में यह वृद्धि क्यों हुई है ?

सभापति महोदय : जाति अथवा वर्ग।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ऐसा नहीं है कि पहले जातीय उत्पीड़न नहीं होता था। हमारे कुछ वक्ताओं ने प्राचीन काल के बारे में कहा है। किन्तु जैसा कि हमें बताया गया है जातियाँ व्यावसायिक भिन्नता पर आधारित थी और तब भी एक व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से उच्च माना जाता था। उस समय भी समाज के सत्ता के ढांचे ने जातीय आधार और जातीय उत्पीड़न का उपयोग किया था। यदि ऐसा न होता, तो हमारे प्राचीन महाकाव्यों में शम्बूक के बारे में पौराणिक कथा न होती जिसका राम द्वारा स्वयं शिरोच्छेदन कर दिया गया था और एकलव्य की कथा न होती जिसका अंगूठा काट लिया गया था। हमारे यहां ऐसी पौराणिक कथा न होती। ये पौराणिक कथायें यह दर्शाती हैं कि शासक तन्त्र द्वारा समाज में सत्ता के ढांचे को कायम रखा जाता था और उस समय भी जाति इसका एक माध्यम थी। किन्तु अब हम इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहे है। जब हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, हम यह पाते हैं कि हमारे समाज की इन सब पुरानी बुराइयों को अधिक प्रबल रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है और हमारे सम्पूर्ण सामाजिक ताने-बाने में जातीय भेदभाव का जहर फैल रहा है। अब मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान में जाति भेद की ये बुराई न केवल कुल पुरानी सामाजिक बुराइयों का अवशेष ही है, अपितु इसके साथ ही एक नई व्यापक समस्या भी है। मैं तो यह कहूंगी कि 20वीं सदी में भी भारत के नये शासक वर्ग अपने सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए जातीय भेदभाव

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

को अभी भी उपयोगी पाते हैं और इसीलिए 21वीं सदी की ओर बढ़ते हुए भारत में जाति भेद जारी है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भले ही वह किसी भी जाति धर्म अथवा समुदाय का हो, समानता का अधिकार दिए जाने के बावजूद और 40 वर्ष बीत चुकने के बाद भी, जिसके दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रही है, तथाकथित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक छोटा सा भाग ही इन आरक्षण व्यवस्थाओं का लाभ ले सका है। आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय रचनाओं में शूद्रों तथा स्त्रियों को एक बराबर माना गया है। शूद्रों तथा स्त्रियों को दिये जाने वाले दण्ड एक से ही थे तथा आज भी उनको दिये गए सामाजिक दर्जे में लगभग समानता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री के होने से या एक या दो स्थानों पर महिलाओं को उच्चस्था मिलने से महिलाओं की आम स्थिति की झलक नहीं मिलती है। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समाज में ऊंचा स्थान मिलने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आम स्थिति की झलक नहीं मिलती है। मेरा अभिप्राय यह है कि भारत में जो पार्टी पिछले 40 वर्षों के सबसे लम्बे समय से सत्ता में रही है, इसके बारे में गम्भीरतापूर्वक चिन्तित होती, यदि उन्होंने यह देखा होता कि किस प्रकार असमानतायें जारी हैं तब उन्होंने निश्चित रूप से अन्य अनुपूरक उपाय किये होते जिनसे अब तक आरक्षण लागू हुआ होता। आज हमें बिल्कुल भी आरक्षण की जरूरत नहीं है मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमारे यहां संसदविद माननीय मुकुल वासनिक सरकार की असफलताओं के बहुत आलोचक हैं······ **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : सभी सरकारों की।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी हां, सभी सरकारों की। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक ही दल की सरकार सबसे लम्बी अवधि के लिए रही थी।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : एक छोटा सा प्रश्न है। आपका दल पश्चिम बंगाल में 20 वर्षों से सत्ता में है। आपके दल ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी, हां, मैं निश्चित रूप से इस पर चर्चा करूंगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इसी प्रकार वह बंगाल सरकार की भी आलोचना करेंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ठीक है, यदि बंगाल सरकार किसी प्रकार जाति भेद-भाव की स्थिति की उपेक्षा करती रही होगी तो मैं निश्चित ही पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करूंगी।

श्री इन्द्रजीत : मैं जानना चाहता हूं कि रचनात्मक रूप से क्या किया गया है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : निश्चित रूप से महोदय, मुझे अवसर दीजिये।

महोदय, केवल यही नहीं, अत्यधिक बेरोजगारी जो कि सत्ता में रहने वाली पार्टी की गलत नीतियों का परिणाम है उसने आज आरक्षण को एक गम्भीर मामला बना दिया है। आम आदमी को रोजगार प्रदान करने में असफलता के कारण जातियों के बीच कटुता में और वृद्धि हुई है। मण्डल विरोधी आन्दोलन के दौरान क्या हुआ ? छात्रों को कुछ स्वार्थी राजनीतिक तत्वों द्वारा

जानबूझकर भड़काया गया था तथा ऊंची जातियों के छात्रों को ऐसा लगा कि उनके रोजगार पाने के अवसर कम हो जायेंगे क्योंकि कुछ नये आरक्षण किए जा रहे हैं। अतः इन गुमराह युवाओं ने सोचा कि बेरोजगारी का कारण आरक्षण है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वास्तव में सरकार बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सफल होती तो हमें पता लगता कि जातिगत तनाव भी कम हुआ है।

पुनः मैं यह भी कहूंगी कि यदि भूमि सुधारों के विभिन्न तरीकों को—मेरा मतलब क्रान्तिकारी रूप से भूमि सुधार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार भूमि सुधारों को लागू किया जाता है जैसे भूमि परिसीमन भूमिहीनों को भूमि देना, उनको बरगदार देना, उन्हें भूमि जोतने का अधिकार देना—यदि यह सब सरकार द्वारा तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू किया होता तो मैं महसूस करती हूं कि जातिगत तनाव इस समय तक कम हो गया होता।

अब मैं पश्चिम बंगाल पर आती हूं। वास्तव में पश्चिम बंगाल में अनेकों किसानों के संघर्षों द्वारा—मैं यह केवल इसलिए नहीं कह रही हूं कि यह वाममोर्चे वाली सरकार के कारण है, परन्तु काफी समय से किसानों का संघर्ष चला है किसानों को जाति के बराबर नहीं बल्कि अन्य वर्गों के बराबर लाना संभव हुआ है उत्पीड़ित तथा शोषित किसानों, भूमिहीन किसानों तथा कृषि मजदूरों तथा छोटे तथा मझोले किसानों ने एक होकर संघर्ष किया है तथा उन्होंने बड़े जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अतः अनेकों किसानों के संघर्षों के द्वारा हम उत्पीड़ित किसानों को एक कर पाये हैं तथा अन्त में वाम मोर्चे वाली सरकारों के सत्ता में आने के बाद कुछ प्रारम्भिक तथा मूलभूत भूमि सुधार किए गए। यह वही सब है जो हम अन्तिम रूप से करना चाहते थे। हम यह सब इस संविधान के अनुसार नहीं कर सकते हैं परन्तु जो कुछ भी थोड़ा बहुत भूमि सुधार हमने किया है उससे हमें केवल गरीब किसानों को आत्मविश्वास दिलाने में सफलता मिली है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत तनाव भी कम हुआ है।

वस्तुतः जातिगत भेदभाव अब भी है। मैं यह नहीं कह सकती हूं कि पश्चिम बंगाल में लोग जातिवाद से ऊपर उठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल अलग नहीं है। जो कुछ भी शेष भारत में होता है उसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ता है। परन्तु भूमि सुधारों द्वारा हम इस जातिवाद के जहर से उबर पाये है तथा इस पर नियन्त्रित रख पाए हैं। इसके बढ़ने का दायरा कम हो गया है।

अब संकल्प में यह कहा गया है;

> "यह सभा देश के विभिन्न भागों में जारी जाति संघर्ष पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठाये।"

आप जाति संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब जाति उत्पीड़न होता है यह संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। समाप्त क्या करना है? जबकि मैं इस सकल्प से पूरी तरह सहमत हूं, मैं इसी के साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि यदि आप जाति संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं तो आप इसे केवल जाति उत्पीड़न को समाप्त करके ही समाप्त कर सकते हैं। आज बढ़ता हुआ जाति संघर्ष क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि उत्पीड़ित लोग संघर्ष कर रहे हैं। वे अब और आगे दबना

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

नहीं चाहते हैं। वे जातिवादी समाज के आदेशों का अन्धानुकरण नहीं करना चाहते हैं जिससे उनका उत्पीड़न और बढ़ गया है। वे और दबने के लिए तैयार नहीं हैं। संक्षेप में यह इस कारण है

4.54 म०प०

[श्री पी०एम० सईद पीठासीन हुए]

कि तथाकथित निम्न जाति के लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें तथाकथित इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं इन्हें निश्चित रूप से निम्न नहीं समझती हूं। उन्हें निम्न बना दिया गया है। अब वे और अधिक निम्न नहीं रहना चाहते हैं। इसी कारण संघर्ष बढ़ रहा है, यह इस कारण है कि उत्पीड़न करने वाले तथा उत्पीड़ित लोगों के बीच राजनीतिक संघर्ष और बढ़ रहा है जाति संघर्ष भी और अधिक बढ़ रहा है। कभी-कभी हमने ऐसा भी देखा है कि जो सवर्ण जमींदार तथा किसान के बीच का संघर्ष लगता है वह जातिगत रूप में होता है। वास्तव में यह जाति संघर्ष नहीं है। वास्तव में यह किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष है। वास्तव में यह भूमि के लिए संघर्ष है। वास्तव में यह कृषि मजदूरों द्वारा मजदूरी की मांग के लिए संघर्ष है। परन्तु यह जातिगत रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि यह शोषक के लिए लाभप्रद होता है। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जहां कहीं भी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष होता है तो कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा यह जानबूझकर प्रयास किया जाता है कि इसे जातिगत रूप दे दिया जाये तथा मैं समझती हूं कि हम सभी जो भारत के नागरिक होने का गर्व करते हैं यह हमारा कर्तव्य है कि शोषक तथा उत्पीड़ित के बीच के संघर्ष को जातिगत रूप न दिया जाये तथा साम्प्रदायिक रूप न दिया जाए तथा इस संघर्ष को उचित रूप में देखा जाए क्योंकि यह ऐसा संघर्ष है जोकि न्यायोचित संघर्ष है यह ऐसा संघर्ष है जिसे जारी रखना है अत: इसके जातिगत स्वरूप को हटाना होगा तथा संघर्ष का मुख्य उद्देश्य पूरा करना है।

महोदय, अन्त में, मैं कहूंगी कि आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने भी आरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वस्तुत: हमारे समाज में जातिगत आधार पर बहुत अधिक असमानता है केवल वर्ग के आधार पर ही नहीं बल्कि जाति के आधार पर भी। कुछ अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित जातियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ समाज के अधिकांश वर्ग सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में कुंए से पानी पीने के लिए किसी व्यक्ति को जिन्दा जला दिया जाता है? एक कुंआ उच्च जाति के लिए सुरक्षित होता है और यदि उस कुंए से वह व्यक्ति पानी पी ले जो तथाकथित उच्च जाति का नहीं है तो वह जिन्दा जला दिया जाता है। क्या हम यह सोच सकते हैं? क्या यह वही आधुनिक भारत है जिस पर हमें गर्व है? माननीय सदस्य श्री मुकुल जी ने मराठवाड़ा की घटना का जिक्र किया है। आज भारत में केवल एक ही मराटवाड़ा नहीं है, भारत में सैकड़ों हजारों मराटवाड़ा हैं तथा जब तक यह असमानता चलती है आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अब तक आरक्षण को सार्थक बनाने के लिए बहुत कम किया गया है तथा ऐसी स्थिति आएगी जब आरक्षण अर्थहीन हो जायेगा। मैं समझती हूं कि इसके लिए मैं पहले ही उपाय सुझा चुकी हूं। यह उपाय भूमि सुधार है, लोगों को रोजगार

का अवसर देना है सार्वभौम रोजगार सुलभ कराना है, क्योंकि रोजगार के बिना, रोजगार के अवसर बढ़ाए बिना सामाजिक तनाव बढ़ेंगे तथा यह जाति तथा सम्प्रदाय के नाम पर बढ़ेंगे। एक सम्प्रदाय का व्यक्ति कहेगा कि दूसरा सम्प्रदाय के व्यक्ति के कारण उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। एक सम्प्रदाय का व्यक्ति कहेगा कि दूसरे सम्प्रदाय के कारण उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। यह सामाजिक यथार्थता का बिगड़ा हुआ रूप है यह बिगड़ा हुआ रूप तब तक चलता रहेगा जब तक बेरोजगारी की समस्या, भूमि की समस्या हल नहीं होती है तथा भूमि देश में बहुत लोगों के कब्जे में रहती है।

[अनुवाद]

इसलिए, भूमि सुधार, भारत के नागरिकों को रोजगार की गारंटी, साक्षरता, सभी के लिए अनिवार्यता, साक्षरता न्यूनतम अनिवार्य साक्षरता के लिए निःशुल्क स्कूल शिक्षा दी जानी चाहिए।

5.00 म०प०

पश्चिम बंगाल में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है और आज हम देखते हैं कि जब स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है गरीब जनता में कुछ गरिमा और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। वे महसूस करते हैं कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे जो स्कूल में प्रवेश भी नहीं ले सकते थे अब स्कूल आ रहे हैं। इसलिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा नितांत आवश्यक है।

महोदय, मुझे एक किस्सा याद है जो मुझे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े शिल्पकार ने सुनाया था। वह अनुसूचित जाति से हैं और अब 70 वर्ष से अधिक के हैं। जब वह बहुत छोटे थे। उन्हें स्कूल भेजे गए। यद्यपि वह अनुसूचित जाति के थे और उनका परिवार बहुत गरीब था, उन्हें स्कूल भेजा गया। उनका परिवार अपनी जीविका डकैती से चलाता था लेकिन फिर भी उन्हें स्कूल भेजा गया। जब वह स्कूल गए तो उन्हें अन्य लड़कों के साथ बेंचों पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। एक दिन एक नए मुख्याध्यापक स्कूल आए। जब उन्होंने इस लड़के को चटाई पर बैठे देखा और अन्य लड़कों को बेंचों पर बैठे देखा तो वह उनकी तरफ गए और उनको हाथ से पकड़कर बेंच के पास ले आए और उन्हें वहां बैठाया। उस बूढ़े शिल्पकार ने अपनी आंखों में पानी लाते हुए कहा कि इस घटना ने इनके सारे जीवन को बदल डाला। उस दिन के बाद वह अपने आपको भारत के अन्य नागरिकों के साथ बराबर के अधिकार रखने वाला भारत का नागरिक समझने लगे। मैं समझता हूं कि इस किस्से से पता चलता है कि यह एक विशेष घटना है यदि ऐसा आम हो जाए तो जो समस्या आज है वह समस्या नहीं रहेगी। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : सभापति महोदय, हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की चेतना को आन्दोलित कर रहा है। दुर्भाग्यवश इस विषय के लिए राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहां तक कि अनुभवी सदस्य अथवा अधिक वरिष्ठ सदस्य इस विषय में अनासक्ति ही नहीं रखते हैं बल्कि इसे साम्प्रदायिक ढंग से देखते हैं। यही बात मुझे सबसे अधिक दुःख पहुंचाती है। मैं दलगत विचार से ऊपर उठकर माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस सभा का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक दल और वर्ग सरकार का समर्थन करने के लिए सहमत

[श्री पी०सी० चाक्को]

होगा और इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार को सभी प्रकार से समर्थन देगा। मैं इस विषय के इतिहास में जाना चाहूंगा।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र अधिकांशतः 'चतुवर्णानुजय' का समर्थन कर रहे थे। यह हमें लगभग पांच हजार वर्ष पीछे ले जाता है जब लोगों को जाति के आधार पर विभाजित किया जाता था। जब 'चतुर्वर्जानुजय' समाज में शुरू हुआ था, यह बुराई शुरू हुई थी और यह हमारे समाज में अभी भी है। एक आधुनिक 'चतुवर्जानुजय' समाज पर राजनैतिक नेताओं द्वारा लादा जा रही है। यह समाज के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस समय भी हम राजनैतिक उपलब्धियों के लिए इसका सहारा ले रहे हैं, अनेक राजनैतिक दल, जो राजनैतिक परिवर्तन के हिमायती हैं, अनेक कारणों से इस जातिवाद की उपयोग कर रहें हैं। दुर्भाग्यवश यह इसका सबसे दुखदायी भाग है। यह जातिवाद प्रथा समाज में रमी हुई है और समाज जमाये हुए है। इसे समाप्त करने के लिए लोगों के विचारों को बदलना होगा। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य कह रही थीं कि बंगाल में कृषकों के संघर्ष से स्थिति में परिवर्तन आया है। मैं नहीं जानता कि वह किस संसार में रह रही हैं। मैं उस राज्य से हूं जहां बहुत ही क्रान्तिकारी भूमि सुधार किए जा रहे हैं। ऐसा बंगाल में ही नहीं केरल में भी हुआ है। इसमें साम्यवाद का योगदान नहीं है। यह राष्ट्रीय आन्दोलन का परिणाम है जो कि साम्यवाद से बहुत पहले आरम्भ हुआ था। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि केवल भूमि सुधार से ही सहायता नहीं मिली हैं। यदि कोई सुझाव देना चाहता है तो वह सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। दुर्भाग्यवश कुछ मार्क्सवादी, कांग्रेस विरोधी अनाप-सनाप असहनीय हो गया है। श्रीमती भट्टाचार्य ने कहा कि सांवैधानिक ढांचे में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। अन्ततः समस्या कहां है? समस्या भारतीय संविधान के कारण है। अन्ततोगत्वा भारतीय संविधान को शिकार बनाया गया है। सोवियत संघ में 75 वर्ष मार्क्सवाद से बाद अन्ततः जैसा उन्होंने कहा स्थिति बदल रही है। हम सोवियत संघ की बदलती स्थिति के साक्षी हैं। ऐसा हो रहा है। संविधान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं स्वयम् को दोषी ठहराना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैंने संविधान को दोषी नहीं ठहराया है। मैंने अपने संविधान को बहुत ही उन्नत बताया है।

श्री पी०सी० चाक्को : आपने कहा कि यह हमारे संविधान में संभव नहीं है। मैं आपका भाषण बहुत सावधानीपूर्वक सुन रहा था। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं।

यह कहा गया है कि बेरोजगारी दूर करना संभव नहीं है, जाति व्यवस्था को समाप्त करना संभव नहीं है। आप अन्ततः संविधान को तथा व्यवस्था को दोष देकर अपने को तसल्ली दे देते हैं। आपने कहा कि संविधान से पिछले 40 सालों में क्या हासिल हुआ? महोदय, मेरा दल तथा आपका दल तथा सभा के सभी दल इसके लिये बराबर दोषी हैं। आज भी आप अपने बच्चे को स्कूल ले कर जाइयें। उसमें एक शीर्ष दिया होता है कि आपकी जाति क्या है। बेचारी बच्ची यह नहीं जानती है कि उसकी जाति क्या है और शाम को इस बारे में अपनी मां से पूछती है। यह सोच है; व्यवस्था में नहीं, संविधान में नहीं, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में नहीं, यह हमारे दिमाग में है क्या हम इसका उन्मूलन करने को तैयार है?

आरक्षण कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हम जानते हैं जो शताब्दियों से तथा पीढ़ियों से चल रही है जाति व्यवस्था और उसकी बुराईयों और इसे समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग समाज के लम्भों तथा प्रगति से वंचित हैं, उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण अपनाकर आगे लाना होगा। सबके लिये कांग्रेस सरकार ने आरक्षण शुरू किया था तथा इसमें अनेकों बार सुधार किया गया है। यदि इसमें कोई कमी है तो हमें मिलकर इसे ठीक करना होगा।

अब क्या हो रहा है ? भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में समाज जाति के आधार पर विभाजित है। इसको समर्थन देने वाले कौन हैं ? क्या इस सभा में वामपंथी दल अन्तरात्मा में कसक महसूस किये कि बिना इसका खण्डन कर सकते हैं ? आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो जातियत भावनाओं के आधार पर जिन्दा हैं और पनप रहे हैं और जातिगत भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे अपने वोटों के लिये जातिगत भावनाओं पर निर्भर कर रहे हैं। आप सब को डा० लोहिया जी का सुविख्यात सिद्धान्त याद होगा। उन्होंने कहा था "भारत में वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि जाति संघर्ष जारी रहेगा।" यह देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ? आज भी 20वीं शताब्दी के अन्तिम छोर में तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी दल क्या कर रहे हैं ? वे ऐसे दलों का समर्थन कर रहे हैं जो, साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार के विरुद्ध उनका यह एक सूत्रीय कार्यक्रम है। कांग्रेस विरोधी धारणा ऐसी स्थिति में आ गयी है कि कोई भी बात, उसके वास्तविक रूप में नहीं देखी जा सकती है यह नकारात्मकता आपके ऊंचे वायदों और घोषणाओं के बावजूद जाति व्यवस्था के समर्थन की ओर ले जा रही है यह हो रहा है।

मुझे बहुत कम सुझाव देने हैं।

मैं इस सकंल्प की भावना का समर्थन करता हूं।

यदि आप राजनीतिक रूप से आरोप को बांटते हैं कि फलाने राज्य में फलानी सरकार है, तब आप कहेंगे कि वह सरकार जिम्मेदार है। श्री राम विलास पासवान ने यहाँ पर कुछ मामले उठाये हैं और उन्होंने कुछ ऐसी घटनायें बतायी हैं, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हैं जो देश की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा सम्मानित संस्था है। वहां जो भी हुआ है, उसके लिये किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह किसी एक दल के लिये चिन्ता की बात नहीं है। हम सभी को इस पर शर्म आनी चाहिये सरकार को ऐसे लोगों से अपनी पूरी ताकत के साथ सख्ती से निपटना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही लोगों के दिमागों में जो यह जातिगत भावना है, उसे धीरे-धीरे और बढ़ने दिया जा रहा है। इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जा रहा है। इसे एक सम्मान दिया जा रहा है इसे समाज में स्थान दिया जा रहा है दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है। अतः प्रगतिशील दलों, वामपंथी दलों को अन्तिम रूप से एक बार यह तय करना होगा कि भले ही वे चुनाव हार जायें या सरकार न बना पायें, तो भी वे जातिवादी दल को वोटों की खातिर समर्थन नहीं देंगे। आप इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं दुर्भाग्यवश, यह देश की वर्तमान स्थिति है सभी राजनीतिक दलों को निर्णय लेना होगा आप कह सकते हैं कि अन्य बातों के अलावा चतुर्वर्ण इस समस्या के लिये जिम्मेदार है। इसके परिणामस्वरूप यह समस्या हुई है पर आज इस समस्या को बढ़ावा देने के लिये कौन जिम्मेदार है। सबको अपनी अन्तरात्मा से पूछना होगा।

हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी शिक्षण संस्थाओं में ऐसी सभी बातों को और प्रवेश हेतु बच्चे

[श्री पी०सी० चाक्को]

अथवा उसके माता-पिता द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र ऐसी भावना पैदा करने वाले, जाति दर्शाने वाले भाग को पूरी तरह हटा देना चाहिये इसी कारण बहुत सी घटनायें हो रही हैं, यदि ऐसी घटनायें और अधिक होती हैं, तो इनसे कुछ लोग खुश होते हैं। उन्हें इनमें प्रसन्नता मिलती है। यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। जो भी सरकार हो, जो भी दल हो, तथा जो भी राज्य हो उसे सख्त कदम उठाने चाहिये। इस बात पर हम सब एक हैं इस समस्या की ओर हमारा स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिये। कम-से-कम हम यहां से शुरूआत तो कर सकते है। इस समस्या को हल करने में और अनेक वर्ष लग सकते हैं। हम इस समस्या को भूमि सुधार संबंधी समस्या के समतुल्य नहीं समझ सकते हैं। भूमि सुधार पूरी तरह लागू किये जाते हैं। जाति व्यवस्था अभी भी सर्वोपरि रूप में है। अत: यह केवल सतही दृष्टिकोण है यह इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण हैं। यदि हम इस समस्या के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ दे तो हम इसे हल कर सकते हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें समस्या का निष्पक्ष तथा उचित रूप में विश्लेषण करना चाहिये। यदि हम सही मायनों में समस्या का पता लगाने में असमर्थ रहते हैं तो हम इस समस्या को कभी भी हल नहीं कर पायेंगे।

सभी राजनीतिक दलों द्वारा संयुक्त कार्यवाही तथा उनमें आपस में सर्वसम्मति से ही इस बहुत महत्वपूर्ण तथा मूलभूत समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इसका समाधान राष्ट्रीय एकता परिषद या अन्य किसी ऐसे मंच के माध्यम से करेगी। सरकार को एक आचार संहिता बनाने की कोशिश करनी चाहिये। एक समान कार्य योजना होनी चाहिये। केवल तभी इस बुराई को दूर किया जा सकता है,। कम से कम बढ़ने से रोका तो जा सकता है, या किसी हद तक नियन्त्रित किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के सबसे भारी रोग कासटीजम के विरोध में सरकार की कुछ चेष्टा हुई है किन्तु यह काफी नहीं है। कास्टीजम हमारे धर्म से भी लागू होता है।

[हिन्दी]

यदि कास्ट खत्म हो जाये तो हिन्दूजम खत्म होना सम्भव हो सकता है। आज ब्राह्मण के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उसके साथ बैठकर आज पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ बैठ कर पूजा करने से भगवान उनका दुश्मन बन जायेगा। आज कोई भी शंकराचार्य ट्राइबल नहीं हो सकता है। उनके लिये ब्राह्मण होना आवश्यक होता है। (**...... ......**)। कास्ट सिस्टम अभी भी चल रहा है...(व्यवधान)...

प्रो० रासा सिंह रावत : ऐसी बातें कह कर यह जाति संघर्ष को बढ़ावा दे रहे है।... (व्यवधान)...

** अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय श्री : पीयूष तीरकी यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : बहुत जल्दी कानून बना कर इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। इस सामाजिक बुराई को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना होगा। समाज के अन्दर स्वार्थी तत्व होते हैं, वे इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे अपने प्रभाव से जिससे चाहें अपने बच्चों की शादी करवा लेते हैं लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, वे अपनी कास्ट से बाहर अपने बच्चों की शादी नहीं करवा पाते हैं। इस कारण जब तक आप उन्हें ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक यह बुराई हमारे समाज में फैलती जायेगी।

सभापति महोदय, आपको तो मालूम ही है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। यहां पर विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं। किसी के ऊपर जोर जबर्दस्ती करके कोई भाषा बोलने के लिये उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। यहां लोगों के पहनावे में भी अन्तर है। तरह-तरह के कपड़े लोग पहनते हैं। यहां देहाती और शहरी इलाके में भी अन्तर है। अब रीजलिज्म की हवा चल पड़ी है। इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता है। लेकिन देखने में आया है कि इसमें सब का समान सहयोग नहीं मिल रहा है। दिल्ली में ही आप देखिये। वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिये बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल उपलब्ध हैं। एक तरफ आप अंग्रेजी हटाओं की बात करते हो और दूसरी तरफ अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो। स्टेट्स में आप जाकर देखें तो वहां स्कूलों की हालत दूसरी ही है। बंगाल में बंगला, बिहार में हिन्दी, मद्रास में तमिल और आन्ध्र प्रदेश में तेलगू पढ़ाई जाती है। यहां दिल्ली में तमिल भाषी और तेलगू भाषी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आप देहातों में भी अच्छे कान्वेंट स्कूल खोलिये। वहां पर बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। आप अगर आंकड़े उठा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। इसी कारण दिल्ली के लोग अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं और हर कोई दिल्ली आने की कोशिश में रहता है। जब तक विकास का असंतुलन रहेगा तब तक यह बीमारी बढ़ती चली जायेगी।

आज अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के लिये कभी कास्ट को आधार मानते हैं, कभी धर्म को और कभी भाषा को आधार मानकर चलते हैं। इसको भी रोकना होगा और सब को संगठित करना होगा। और यह जो हरिजन एट्रासिटीज चल रही हैं, यह सब जो चल रहा है, इसका कौन मालिक है, वह इस दल के आदमी हैं तो पहले उनको निकालना चाहिए, अगर उस दल के आदमी, जिनको उसने वोट दिया है, उसको नुमाइन्दा बनाया है, उसको वहां मारा जा रहा है तो उस दल के लिए कसम खानी चाहिए कि यह दल हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा, उसको छोड़ दें। आज पश्चिमी बंगाल में क्यों हरिजनों पर एट्रासिटीज नहीं होती हैं, उंगली उठाकर देखिये, कई बड़ी जातियां वहां हैं, क्यों नहीं होतीं ? इसलिए कि पोलिटिकल कांशसनेस वहां है। वह राजनीति करते हैं, राज को बदलने के लिए। अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इसी तरह से पिछलग्गू रहेंगे और राजनैतिक रूप से अपनी चिन्ता धारा को नहीं बदलेंगे तो इनको मारा ही जायेगा, कहीं इनकी बख्शा नहीं जायेगा। पश्चिम बंगाल में तो ऐसा नहीं होता है, वहां भी बहुत से शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, कोई ब्राह्मण, बड़ी ऊंची जाति वाला उन को

[श्री पीयूष तीरकी]

... तो सही, दूसरे दिन ही वह चौपट हो जायेगा, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को उसको मारने की जरूरत नहीं रहेगी, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को मारकर खत्म करेगा, यदि इस तरह से वहां कोई काम करवायेगा। इसीलिए राजनैतिक रूप से भी शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, छोटी कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं तो यहां एक मंत्री ने घिसा पिटा बोल दिया कि इतनी स्कीम्स आ रही हैं, 31 मार्च तक सब आपको मिल जायेगा, आपका रिजर्वेशन का सारा कोटा फुलफिल किया जायेगा, सारे देहातों में अच्छे स्कूल्स होगें, इस तरह के बहुत से आश्वासन लोग सुन चुके हैं।

जब फ्री इण्डिया है तो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं, उस पर भी सोचना पड़ेगा। उसके आगे इस सारे शासन में शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हत्या हुई, यहां उनको मारा, जनानियों को जलाया, कहीं तो जीते जी बच्चों को आग में फेंका, यह दिल्ली में भी रोज हो रहा है तो इसके मायने है कि इनको पोलिटिकल कांससनेस और ज्यादा तेजी से लानी होगी। मैं नहीं कहता कि रातों रात यह सब शिक्षित हो जायेगें और शिक्षित ही खाली होने से भी कुछ नहीं होगा जब तक इनके सोचने की चिन्ता धारा नहीं बदलेगी।

कौन सा धर्म पैदा हुआ था, मुसलमानों से बचने के लिए लोगों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था, कहीं पर हिन्दू लोगों के साथ होकर हिन्दू बने, ट्राइबल के साथ होकर कुछ लोग इधर-उधर भागे तो उस समय दूसरे धर्म का ग्रुप हुआ था और अभी अगर बचाव का कोई रास्ता है तो वह पोलिटिकल पार्टी है। यदि कांग्रेस इनको बचा नहीं सकती है तो ये लोग कांग्रेस में इतने दिन तक क्यों रहेगें और मार खाते रहेगें ? अब इज्जत के साथ उनको आगे आना होगा।

फास्टिज्म का तभी अन्त होगा जबकि शिक्षा-दीक्षा में और इकोनोमिकली हम समाज से डिस्पैरिटी को मिटा सकेगें तो कोई भी हमें हटा नहीं सकेगा। आज लैण्ड रिफार्म्स भी बहुत जरूरी चीज है। असल में जो खेतिहर हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है, 1/4 जमीन उनके पास है और जो कभी भी खेती नहीं करते, उनके हाथ में सारे हिन्दुस्तान की जमीन का 3/4 हिस्सा है। सरकार को यह हक है कि जो असल टिलर है, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का गरीब, लैण्डलैस आदमी है उसको दो तीन महीने के अन्दर, सारी जमीन को अपना कर उनके बीच आबंटित करे तभी मैं कहूंगा कि इनकी नीयत ठीक है और इस तरह से फास्टिज्म और दूसरी तरह से ये लोग लड़ने को तैयार हैं।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पाला के०एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय इस महत्वपूर्ण मुद्दे जिससे देश के लोग काफी चिन्तित हैं पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय इस संकल्प के दो भाग हैं। पहला देश में चल रहे जाति युद्ध का है कि जो हम सभी की चिन्ता का विषय है। इस बारे में कोई विवाद नहीं हैं। और दूसरी बात है देश में इस

जातियुद्ध को समाप्त करने की जरूरत। मेरे पहले के वक्ताओं ने अनेक सुझाव दिये हैं और मैं उन समस्याओं या सुझावों को दुहराना नहीं चाहता। जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया है।

हम जानते हैं कि देश में जातियुद्ध में क्या कुछ हो रहा है। जाति युद्ध, जाति संरचना और जाति युद्ध से सम्बन्धित अन्य समस्याओं की जानकारी हर व्यक्ति को है और इसे ज्यादा विस्तार से दुहराने की जरूरत नहीं है और मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। हमारे सामने यह चुनौती है कि इसे कैसे दूर किया जाए। इस बुराई को कैसे दूर किया जाए जो हमारे समाज में व्याप्त है ? इसके लिए मैं समझता हूं कि हमें देश में चल रहे इस जाति युद्ध का गहरा अध्ययन करना होगा। इस गहन समस्या के कुछ पहलुओं पर चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अतः मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि पुनः इन सभी की गहराई में जाया जाए।

जैसा कि कहा जा चुका है और यहां सभा में रखा गया है यह जाति प्रथा लगभग चार या पांच हजार वर्ष पहले शुरू हुई। हमारा समाज चतुर्वर्ण पर आधारित है जो कम से कम चार हजार वर्ष पुराना है। यह चतुर्वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र व्यावसायिक भिन्नताओं पर आधारित था और देश में एक प्रकार का ताल-मेल था। ताल-मेल इस मामले में था कि प्रत्येक वर्ण ने इस तथ्य को स्वीकारा था कि दूसरा वर्ण एक विशेष काम करके ही समाज में जी सकता है जो अनौपचारिक तौर पर उसे सामाजिक या ऐतिहासिक रूप से दिया गया था। इसलिए प्रत्येक जाति ने इस तथ्य को स्वीकारा कि दूसरे जाति को समाज में जीना है। मैं समझता हूं कि पूरे इतिहास में यही स्थिति रही। विशेषकर पिछले सौ या पचास वर्षों के दौरान समस्या यह थी कि यह सामाजिक ताल-मेल या चतुर्वर्ण पर आधारित ताल-मेल में कुछ बाधा आई है और कुछ सामाजिक सूत्र बन रहे हैं। समस्या का यही आधार है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि यही वर्तमान जाति युद्ध और समस्या और इससे जुड़ी कठिनाइयों का आधार है।

हम जानते हैं कि इस देश में लगभग चार या पांच हजार जातियां तथा उपजातियां हैं। हमारे देश में सारे विश्व के धर्म विद्यमान हैं। हमारे देश में हजारों पुरानी भाषायें हैं। यह कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के 30 लाख देवताओं की पूजा की जाती है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक गांव से औसतन 5 से 6 विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती है। इसका यह भी अर्थ है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें काफी अनेकता है और यदि इसमें बाधा पड़ी तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इन सभी भिन्न बल भिन्न जातियां सभी भिन्न सामाजिक सूत्रों में एक समुचित संतुलन बनाए रखना है ताकि समाज जिन्दा रहे। समस्या यह है कि हमें इस व्यापक असमानता में अनेकता में एकता को ढूंढना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

———

5.30 म०प०

आधा घन्टे की चर्चा

मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति में परिवर्तन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा आधा घण्टे की चर्चा प्रारम्भ करेगी। श्री शरद दिघे।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय मैं, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऋणनीति के संबंध में दिनांक 22 नवम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न सं० 24 के बारे में वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर से उद्भूत मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा शुरू करने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय इस विषय पर दिनांक 22-11-1991 के प्रश्न के भाग (क) का पाठ इस प्रकार है :

"क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रोकने के विचार से अक्तूबर 1991 में अपनी ऋण नीति में कतिपय परिवर्तन करने की घोषणा की थी।"

इसका उत्तर था : "जी हां"

प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार था :

"यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।"

इसका उत्तर था :

"भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणनीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, उनमें बैंक दर में प्रतिविन्दु एक प्रतिशत वृद्धि, उधार की दरों में 1.5 प्रतिशत प्रतिविन्दु वृद्धि और अल्पावधिक जमा की दरों में वृद्धि, निर्यात ऋण ब्याज दर में वृद्धि, निर्यात पुनर्वित्तीयन का उदारीकरण और नकद मार्जिन में कमी करना, कतिपय पुनर्वित्तीयन सुविधाओं को वापस लेना और भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों के रोकड़ शेष पर ब्याज की दर में कमी किया जाना शामिल है।"

प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार था :

"इनसे मुद्रास्फीति की वृद्धि में कितनी कमी की जा सकेगी और 1991-92 के दौरान इस सम्बन्ध में प्राप्त करने के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वह क्या है।"

इसका उत्तर था :

"चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 24-8-1991 को 16.7 प्रतिशत तक हो गई थी। 26 अक्तूबर 1991 के समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर घटकर 13.3 प्रतिशत हो गई। कोशिश यह है कि मुद्रास्फीति की दर में और कमी की जाय।"

इस देश के विकास पर ऋणनीति का सदैव दूरगामी प्रभाव रहा है। यद्यपि इस उत्तर में वह बताया गया है कि ऋण नीति में बैंक दर में एक प्रतिशत प्रतिबिन्दु वृद्धि शामिल है। निस्सन्देह यह सच है कि बैंक दर बढ़ाकर पहले जुलाई में 11 प्रतिशत और बाद में अक्तूबर में 12 प्रतिशत कर दी गई थी। किन्तु जहां तक उधार की दर का सम्बन्ध है, उत्तर में बताया गया था "उधार की दर में 1.5 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि।" जहां तक मुझे जानकारी है यह सर्वाधिक उग्र उपाय किया गया था और जहां तक वाणिज्यिक बैंकों की उधार की न्यूनतम दर का सम्बन्ध है, इस दर का अप्रैल में 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और जुलाई में 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

अन्ततः अक्तूबर में इसे 18.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। ये दर उन ऋण लेने वालों पर लागू होंगी जो 2 लाख रुपये से अधिक ऋण लेंगे और क्योंकि यह न्यूनतम दर है, बैंक निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक कोई भी दर प्रभारित करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए वस्तुतः मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक वाणिज्यिक बैंकों की उधार की दरों का सम्बन्ध है, औसत दर 24 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक अलग-अलग है मुझे यह कहना चाहिये कि जहां तक वाणिज्यिक बैंकों की दरों का सम्बन्ध है, पुराने साहूकार भी इतनी अधिक दरों की बात सुनकर लज्जित हो जायेंगे। यह नोट करना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या इससे मुद्रास्फीति में कोई कमी हुई है और क्या इससे थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई है।

चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति लगभग 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक थी। चालू वर्ष के दौरान निरन्तर बढ़ने के बाद सभी जिन्सों के थोक मूल्य सूचकांक में, जो पिछले सप्ताह सर्वाधिक 209.2 था, में गिरावट आई है और यह 21 सितम्बर, 1991 को 208.2 हो गया। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जो 14 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में 15.7 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, बिन्दु दर बिन्दु के आधार पर थोड़ी घटकर 15.1 प्रतिशत हो गई और 26 अक्तूबर को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति की दर और घटकर 13.5 प्रतिशत हो गई।

किन्तु इसके साथ ही, थोक मूल्य सूचकांक फिर से बढ़कर 205.2 हो गया है। अब नवम्बर के पांचवें सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक फिर से 210.1 हो गया है, और इस प्रकार तीन सप्ताह की थोड़ी सी अवधि में जो गिरावट का रुख बना था, वह उलटा हो गया है।

अतंव मेरा निवेदन यह है कि ऋण में कमी किए जाने से थोक मूल्य सूचकांक में कोई कमी नहीं हो रही है और इससे सम्पूर्ण देश में कीमतें बढ़ रही हैं। असामान्य रूप से अधिक उधार की दरें उत्पादकतारोधी हो सकती हैं क्योंकि उधार की अधिक लागत का भार सामान्यतया अन्तिम उपभोक्ता पर डाल दिया जायेगा और उससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए उपायों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह मौद्रिक दृष्टिकोण दिखाई देता है यह विशेष रूप से चालू स्थिति से निपटने के लिए अनुकूल नहीं जान पड़ता। जैसा कि विगत समय में भी हुआ है और इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाये तो धनराशि के रूप में विकास को बढ़ाने के लिए सब प्रकार से ऋणों में कमी किये जाने से उत्पादक क्षेत्र, विशेषकर छोटी और मंझली फर्मों को आघात लगेगा जबकि बड़े उद्योग की तो अन्य स्रोतों तक भी पहुंच है। जहां तक छोटे और मंझौले विनिर्माताओं का प्रश्न है, वे केवल वाणिज्यिक बैंकों के उधार पर निर्भर है और ऋणों में किसी भी प्रकार की

[श्री शरद दिघे]

इतनी कमी किए जाने का उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा और अन्ततः इसका रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा।

इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं है कि ऋण की दरें इतनी अधिक बढ़ाई जाए जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किया गया है। इससे केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसलिए, जितने जल्दी ऋण की दरों को एक उपयुक्त स्तरों तक कम किया जाएगा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उतना ही अच्छा होगा जो कि अच्छी बात है।

भरतीय रिजर्व बैंक सार्थक रूप से नियन्त्रण कर सकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते हुए ऋण की कुल धनराशि पर नियन्त्रण रख रहा है। जहां तक इन वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, यह आवश्यक नहीं है कि बैंक की ऋण दरों में असाधारण वृद्धि करके नियन्त्रण किया जाए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करें और जहां तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर पड़ने वाले दबाव का सम्बन्ध है, इस नीति की पुनरीक्षा की जाए।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, सरकार ने बैंक दरों में वृद्धि की है तथा इसके साथ ही साथ सरकार ने ऋण की दरों में भी वृद्धि की है। बैंक दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा ऋण की दर में 1.5 की बृद्धि की गई है। इससे लघु व्यापारियों के लिए समस्यायें उत्पन्न हुई होंगी बड़े व्यापारी तो इससे बच जायेंगे तथा छोटे व्यापारियों पर इससे भार पड़ेगा। इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

दूसरे, जहां तक अल्पावधि जमा का सम्बन्ध है उन पर प्रभाव पड़ा है और इससे लघु जमा राशियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यदि इन लघु जमा राशियों पर भी अधिक ब्याज दिया जाए तो इस लघु जमा राशियों को एकत्र किया जा सकेगा तथा इससे शायद सरकार को मुद्रा की आपूर्ति को कम करने में सहायता मिलेगी।

तीसरे, निर्यात ऋण के सम्बन्ध में ब्याज में वृद्धि की गई है। निश्चय ही ब्याज में इस वृद्धि से मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, इससे मुद्रा स्फीति कम नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि केवल बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी करने से ही मुद्रास्फीति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही साथ वस्तुओं की आपूर्ति भी बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा इन उपायों को नहीं अपनाया गया है। अतः मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार स्थिति की वास्तव में पुनरीक्षा करेगी और अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी ऋण नीति में परिवर्तन करेगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, इस बात की सबको जानकारी है कि जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अत्यन्त जर्जर थी तथा हमारी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः सही स्थिति में लाने के लिए इस सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। नई आर्थिक नीति में अनेक उपायों का वर्णन किया गया है। मैं उत्तर को पुनः पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि श्री शरद दिघे ने पहले ही उत्तर का उल्लेख किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति के सम्बन्ध में अक्तूबर में किए गए उपायों के बारे में

बताया गया है। सरकार ने बैंक दरों में, ऋण दरों में, अल्पावधि जमा राशि दरों में, निर्यात ऋण ब्याज दरों में, बिन्दुवार वृद्धि की थी तथा अन्य अनेक उपाय किए। परन्तु महोदय, यह एक चिन्ता-जनक और असन्तोषजनक बात है कि इतने उपाय करने के बाद भी अभी तक अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हुए। मुद्रास्फीति के आंकड़े दुगुने हो गए हैं। यह 16.7 तक पहुंच गए हैं और इनमें कोई असाधारण कमी नहीं आ रही और इससे स्वाभाविक रूप से सभी व्याकुल हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक की 8 अक्तूबर को घोषित की गई 'बिजी सेशन क्रेडिट पालिसी' की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 'बिजी सेशन क्रेडिट पालिसी' की घोषणा की थी और ऐसा करते समय गवर्नर ने कहा है, "हमने वह सब उपाय किए हैं जो हम मुद्रा आपूर्ति पर नियन्त्रण करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के उद्देश्य से कर सकते थे।" उन्होंने कहा कि अन्तिम प्रयास किए गए गये हैं। यह उनके द्वारा दिए वक्तव्य से स्पष्ट है। अत्यन्त कठोर उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनका 31 मार्च, 1992 के अन्त तक मुद्रास्फीति की दर को कम करके 9% तक लाने का कार्यक्रम है। अत: सरकार का मुद्रास्फीति की दर को कम करके 9% तक लाने के लिए और क्या उपाय करने का प्रस्ताव है? निश्चय ही, सरकार चिन्तित है, सरकार और अनेक उपाय करने के बारे में सोच रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने के बारे में भी सोच रही है जो 1980 के दशक के प्रारम्भ में किए गए थे। सरकार काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाने, सरकारी व्यय और व्यर्थ के खर्च को कम करने के लिए क्या कर रही है? पहले भी सभा में यह बताया गया था कि उन्होंने इस संबंध में अनुदेश जारी किये थे। परन्तु मैं समझता हूं कि काले धन पर रोक लगाने, सरकारी व्यय तथा अनुत्पादक व्यय को कम करने के बारे में ऐसे कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्य बहुत बड़ा है और इतने अधिक उपाय करने के बाद भी अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अत: मैं इस सम्बन्ध में सरकार के विचार जानना चाहता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सभापति महोदय, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मेरे सहयोगी श्री दलबीर सिंह द्वारा दिए गये थे जब यह माननीय सस्दय, जिन्होंने यह मामला उठाया था, सभा में उपस्थित नहीं थे और स्वाभाविक रूप से इस पर अब चर्चा की जायेगी, जैसा कि माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है, सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक प्रश्नों के उत्तरों का सम्बन्ध है वह पूर्ण, तथा सही है और उन्होंने प्रश्नों से सम्बन्धित मुद्दों के उत्तर दिए हैं। अब, मैं बाद में उठाए गये प्रश्नों पर आता हूं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि वरिष्ठ सदस्यों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा इन नीति सम्बन्धी निर्णयों के परिणाम, विशेष रूप से मुद्रास्फीति की ऊंची दर तथा ऋण की बढ़ी हुई दरों से सम्बन्धित अनेक मुद्दे उठाए हैं। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या नीति में कोई परिवर्तन किया गया है, इसका विवरण संक्षेप में दिया जा रहा है। मूल रूप से दो परिवर्तन किए गये हैं। पहला परिवर्तन जमा राशि दर में एक प्रतिशत की वृद्धि तथा ऋण की दरों में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना है।

तीसरा प्रश्न मुद्रास्फीति की दर के बारे में है। हमारे पास दो विशेष तिथियों के दो मूल आंकड़े उपलब्ध हैं, यह 24 अगस्त से अक्तूबर की किसी तारीख तक के हैं। 24 अगस्त को नीति बनाने से कुछ समय पूर्व दर 16.69 थी तथा 26 अक्तूबर 1991 को यह दर कम होकर 13.33 हो गई।

हम इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझते हैं कि जब आर्थिक उपायों में परिवर्तन किया गया तो माननीय सदस्य श्री शरद दिघे और अन्य सदस्यों को स्वाभाविक रूप से दो बातों की चिन्ता थी। एक तो ऋण की दरों में वृद्धि तथा दूसरा मुद्रास्फीति के बारे में।

ऋण दरों के संबंध में, इसमें केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जहां तक जमाकर्त्ताओं का सम्बन्ध है, सभी ने इसका स्वागत किया है। इसे 11 से 12% तक बढ़ाकर हम उन लोगों को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहते थे जो बचत करना चाहते हैं। उसके द्वारा हम मुद्रास्फीति की दर को नियन्त्रित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह वृद्धि की गई। हम सब को जानकारी है कि अन्य अनेक अस्थायी योजनायें भी थी तथा बैंक बीते हुए समय में घाटे में रहा था। इसलिये, यह आवश्यक समझा गया कि दरों में कुछ उपयुक्त वृद्धि की जानी चाहिए और इसलिए यह एक प्रतिशत की वृद्धि जमाकर्त्ताओं को बचत करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। इसके द्वारा बैंक में अधिक पूंजी जमा की जा सकती है बैंक की जमा पूंजी में वृद्धि होगी तथा इससे बैंक द्वारा यह जमा पूंजी को लघु उद्योग क्षेत्र, सीमान्त कृषकों तथा औद्योगिक क्षेत्र को ऋण के रूप में दी जा सकती है।

श्री शरद दिघे : मुझे बैंक दर के बारे में कोई शिकायत नही है। मुझे ऋण-दरों के बारे में चिन्ता है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं ऋण-दर की बात पर आता हूं। यह दोनों साथ-साथ चलते हैं। हमेशा ही जमा पूंजी दर तथा ऋण दर में अन्तर रहता है। यह एक सदृश्य कार्यवाही है तथा इस बात को अवश्य ही समझना चाहिए कि बैंक उद्योग में दोनों समान नहीं हो सकते हैं। यदि एक बार जमा पूंजी दर बढ़ाई जाती है तो ऋण दर को क्रमानुसार बढ़ाया जाता है। व्यय आदि के सारे प्रबन्ध करने के बाद, इस ऋण से ही हम बैंक को चलाने में समर्थ होंगे। यह सामान्य प्रक्रिया है।

श्री शरद दिघे : यह संगत वृद्धि नहीं है। उसमें केवल एक प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे। मैंने बताया है, कि कुछ कारणों की वजह से इसे उसके समतुल्य नहीं किया जा सकता। इसे हमेशा अधिक रखा जाता है। क्योंकि जब हम धनराशि उधार लेते हैं तो ऋण से सम्बन्धित व्यय, योजनाओं का मूल्यांकन, योजनाओं की देख-रेख, योजनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही आदि कार्य किए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमें हमेशा 100 प्रतिशत नहीं मिलता है। कई बार ऋण की वसूली नहीं होती। इसके लिए व्यय किया जाता है। इसलिए, हमें ऋण की दर में 1.5% की वृद्धि करनी पड़ी। यह अत्यन्त उपयुक्त बात है जो कि हम कर सकते थे। यह हमेशा ही इसी प्रकार किया जाता है। बैंकिंग नीति में ऐसा करना होता है।

श्री शरद दिघे : मैंने जो कुछ कहा है मंत्री जी ने वह नहीं सुना। मैंने कहा है कि ऋण की दर में 1.5 प्रतिशत की यह वृद्धि सही नहीं है। मैंने आंकड़े दिए हैं। यह 28 प्रतिशत के हैं।

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं यही कहने जा रहा हूं मैं विशेष रूप से यह कहूंगा कि वृद्धि की

दर केवल 1.5 प्रतिशत ही है। इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। (**व्यवधान**) कृपया पहले पूरी बात तो सुन लीजिए और इसके बाद आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते है। मैं यहीं हूँ।

मैं आपको अल्पविधि ऋणों की स्थिति बताना चाहूंगा। हमने यह कहा है कि 7500/- रुपए तक दर में 10 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। 7500/- रु० से 15,000 रुपए तक हमने दर में 11.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक हमने दर में 12 प्रतिशत से 13.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। 25,000 रु० से 50,000 रुपये तक हमने इसमें 14 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक हम इसमें 15 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। 2 लाख रु० से अधिक पर न्यूनतम वृद्धि 18.5 प्रतिशत की गई थी और अब इसे 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस प्रकार, हमने इस दर को समान रूप से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाया है।

सभापति महोदय (श्री पी०एम० सैयद) : माननीय मंत्री, इसके बावजूद, उनके अनुसार इसमें 8 प्रतिशत का अन्तराल है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उनसे ब्याज कर भी एकत्र किया जा सकता है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : वह एक अन्य प्रश्न है। करदाताओं से संबंधित मामला भिन्न है इसे मैं बाद में चर्चा करूंगा। श्री दिघे ने सही मुद्दा उठाया है। जिससे हमारा भी संबध है। लेकिन प्रश्न यह है कि पहले भी न्यूनतम दर 18.5 प्रतिशत थी। यह अपरिवर्तनीय दर नहीं थी ? हमारे द्वारा इस दर को बढ़ाने से पहले भी बैंक अग्रिम राशि के आधार पर 2 लाख रुपए के बाद ऊंची दर पर ऋण देने के लिए स्वतन्त्र थे। अभी भी न्यूनतम दर केवल 20 प्रतिशत होगी। लेकिन वह ऋण प्रतिभूति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले भी ऐसा होता था। आज भी ऐसा है। लेकिन हम समझते हैं कि पहले 18 प्रतिशत के बजाय यह 20 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक हुआ करती थी। अब यह बढ़ गई है। कुछ मामलों में यह 22 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक हो गई है। हमें इस संबंध में जानकारी है।

सभापति महोदय : तब भी पांच प्रतिशत का अन्तराल है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : स्पष्ट रूप से कुछ स्तरों के बाद उद्योगों में ऋण देने के सम्बन्ध में कुछ बैंकों को कुछ विवेकाधिकार दिए जाते हैं।

जहां तक छोटे ऋणों का सम्बन्ध है, हमने एक निश्चित दर निर्धारित की है। 2 लाख रु० के बाद, यदि ऋण अधिक होता है तो प्रत्येक पार्टीवार और प्रत्येक परियोजनावार कुछ विवेकाधिकार मौजूद है। कुछ अन्य पहलू भी है जैसे जांच, पार्टी का अस्तित्व, प्रतिभूति आदि।

इस प्रकार, यह नीति पहले भी अपनाई जाती थी अक्तूबर में इसे 1.5 प्रतिशत बढ़ाने का यह अर्थ नहीं है कि हम कोई नई नीति लाए हैं। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

यदि कोई विशेष मामला माननीय सदस्य हमारे ध्यान में लाते हैं तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री शरद दिघे : मेरे पास कोई विशेष मामला नहीं है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : साधारणतः, यह एक पुरानी नीति है जिसे हम पहले भी अपना रहे थे और आज भी उसे अपनाया जा रहा है।

लघु उद्योगों, कृषि, छोटे परिवहन (दो वाहनों तक) के लिए आवधि ऋणों के सम्बन्ध में 7500 रु० तक के लिए इसे 11 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, पहले यह 10 प्रतिशत थी। 7500 रु० से 10,000 रुपए तक के लिए इसे 11.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। 15,000

10.00 म० प०

रुपए से 25,000 रुपए तक के लिए पहले यह दर 12 प्रतिशत थी, अब यह 13.5 प्रतिशत है। 25,000 रुपए से 50,000 रु० तक यह 18 प्रतिशत थी अब यह 14 प्रतिशत है, इसमें कुछ कमी की गई है। अब 50,000 रु० से अधिक 2 लाख रु० तक, 14,000 रुपए के स्थान पर यह 15,000 रुपए हैं; 2 लाख रु० से अधिक यह 14,000 रु० से 15,000 रु० तक है। इसलिए ये न्यूनतम दरे हैं। 2 लाख रु० से अधिक पर ऊंची दर पर वृद्धि से छोटे उद्यमी, छोटे आदमी को नुकसान नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति जो जमा पर 1 प्रतिशत पा रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उद्योग से कोई परेशानी नहीं है। अधिकांशतः अच्छी दर प्राप्त हो रही है।

प्रश्न यह है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है ? प्रभाव के बारे में मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहूंगा कि अधिकांशतः बैंकों में जमाराशि में वृद्धि हुई है, यह बढ़ रही है। यद्यपि बैंकिंग उद्योग में कुछ अड़चनें हैं फिर भी इनमें वृद्धि हो रही है; उन पर हम बाद में अलग से विचार-विमर्श और वाद-विवाद करेंगे। हमें विशेष समिति नरसिंह समिति से विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर यथाशीघ्र अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन, इस समय, मैं कह सकता हूं कि जहां तक इन चीजों के प्रभाव का सम्बन्ध है, इस वृद्धि से मुद्रा स्फीति या अन्य नहीं बढ़े हैं। हमने पहले भी आंकड़े दिए हैं। अगस्त में, यह 69 प्रतिशत थी, तत्पश्चात् यह 13.33 प्रतिशत तक नीचे आई और अब उसके लगभग चल रही है। यद्यपि 16 को यह कुछ बढ़ी थी। (व्यवधान) मैं स्वयम् कह रहा हूं। मैं सभा का आभारी रहूंगा। 9 को यह 13.51 प्रतिशत थी, 16 नवम्बर को यह कुछ बढ़कर 13.67 प्रतिशत हो गई थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका अभिप्राय है कि मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जी, नहीं, जी, नहीं, प्रोफेसर, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं। यह स्पष्ट है कि यह 13.3 प्रतिशत से गिरकर 13.3 प्रतिशत हो गई। आंकड़े यह बता रहे हैं। इसपर किसी को विवाद नहीं है। हम इसका पता लगाएंगे। लेकिन सच यह है कि 3 प्रतिशत की कमी पर्याप्त है। यह स्वीकार किया गया है; किसी को इससे आपत्ति नहीं है। इसे अधिक होना चाहिए था। हमने स्वयम् इसे कहा है। रिजर्व बैंक ने स्वयं कहा है कि हमारी इच्छा इसे मार्च 1992 तक 1अंक तक लाने की है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कमी आई है। नई शुरुआत से इन कुछ महीनों में 3 प्रतिशत तक कमी आई है परन्तु अर्थव्यवस्था जो बनाई गई है और अर्थव्यवस्था जो हमें मिली है में पहले से ही कई तथ्य मौजूद हैं। मेरे मित्र ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत अच्छी प्रकार बताया है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी जिसे नई सरकार को झेलना पड़ा। हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, जमाराशि बहुत कम थी; अन्य परेशानियां थीं। विदेशी मुद्रा की

आन्तरिक और बाह्य परेशानियां थी। उर्वरकों के आयात, कच्चे तेल की समस्या थी। इनके अतिरिक्त बहुत ही कम समय में कोई भी देश अधिकतम 1900 करोड़ रु० जमाराशि का दावा नहीं कर सकता। पहले प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि वह 6000 करोड़ रु० हो गई है। दूसरे दिन, राज्य सभा में यह घोषणा की गई कि यह 6700 करोड़ रुपए हो गई है। आज सभा में यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह अब 6900 करोड़ रुपए हो गई है। यह प्रतिदिन बढ़ रही है। माननीय सदस्यों को सरकार की उपलब्धियां जो उन्होंने इस संबंध में देखी हैं, की प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं सभा को इसकी जानकारी देना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम 6000 करोड़ रुपए से 7000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि जमाराशि में वृद्धि हो रही है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यह 7000 करोड़ रुपए हो गई है। हमारा लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए का है और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की की गई पहल के अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पूर्ण स्थिरता लाने और सम्पूर्ण विकास में कुछ और समय लगेगा हम ऐसा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री शरद दिघे : एक प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। क्या यह सच है कि ऋणों के मूल्य सूचांक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मूल्य सूचांक अब बढ़ना शुरू हो गया है।

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : क्या मंत्री महोदय स्वीकार नहीं कर रहे हैं ? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा है। केवल तीन सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति है। अन्यथा, यह गलत प्रथा होगी।

श्री एन० चारलेस : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2500 रुपए और उससे अधिक राशि पर आय कर कम करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए थे और इसका जमाराशि पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और अल्प जमा राशि वालों के लिए कठिनाईयां पैदा हो गई है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनका अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने काले धन और सरकारी खर्चों को कम करने आदि के बारे में पूछा है। इन सब बातों के बारे में बोलते समय, क्या वह सकल घरेलू उत्पादों की बढ़ती दरों को मस्तिष्क में रखते हैं और क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? क्या इसकी कोई गारंटी है ? श्री दिघे और अन्य सदस्यों ने सकल घरेलू उत्पादों पर मुद्रास्फीति, काले धन और सरकारी खर्चों के प्रभाव का उल्लेख किया। क्या कोई स्वीकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं कहना चाहूंगा कि हमारी समझ में इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। काफी हद तक इन्होंने मुद्रास्फीति को रोका है। लेकिन जहां तक मुद्रास्फीति का संबंध है काफी कुछ अभी किया जाना है। सरकार मुद्रास्फीति के लिए चिंतित है और हम इसे शीघ्र से

शीघ्र कम करने और 1 अंक तक लाना चाहते हैं जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने पहले घोषणा की है।

जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है उसने आवश्यक उपाय किए हैं। यह निरन्तर प्रक्रिया है और जटिल और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रण करने वाला प्राधिकरक है। जहां तक धन आपूर्ति और धन नीतियों का सम्बन्ध है, कुछ कदम उठाने हैं। इसलिए जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की है जो आवश्यक समझा गया है, किया गया है। भविष्य में यदि और कदम उठाना आवश्यक होगा तो, वर्तमान तथ्यों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और निर्णय लिए जाएंगे।

समय-समय पर निर्णय लिये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। यह काम सभी सरकार में निरतर किया जाता है। भविष्य में भी यह किया जाएगा।

जहां तक इस काले धन का सवाल है, माननीय सदस्यों को पता होगा कि अभी पिछले दिनों ही मैंने विस्तारपूर्वक तीन योजनाओं के सृजन के बारे में बताया है, पहली योजना है, राष्ट्रीय आवास बैंक योजना, दूसरी योजना है विदेशी मुद्रा प्रेषण योजना और तीसरी है भारत विकास बांड। हमें इन पर सकारात्मक जवाब मिला है। परन्तु हमने मूलरूप से इसकी चार महीने की योजना बनाई थी। इन दो योजनाओं को शुरू किये अभी सिर्फ दो महीने ही हुए हैं और हमने समय को दो महीने और बढ़ाकर 31 जनवरी 1992 तक कर दिया है। समाचार और जानकारी पत्रों के प्रभार से विभिन्न देशों मे विशेषकर अनिवासी भारतीयों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है और हमें आशा है कि अगले दो महीनों में हमें और अच्छी प्रत्युत्तर मिलेगा।

जहां तक सरकारी खर्च का सवाल है, वित्त मंत्री महोदय ने इस सभा में घोषणा की थी कि सरकारी खर्च को कम करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। सरकारी खर्च के बारे में हमने अत्यधिक कमी करने तथा संयम बरतने की घोषणा की है, परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और कारगर उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि सरकारी खर्चे पर नियंत्रण हो सके। वित्त मंत्री के संयम और कमी बरतने का संदेश कारगर हुआ है। सभी स्तरों पर यह सुनिश्चत करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि जहां तक संभव और व्यवहार्य हो खर्चे में कटौती की जाये और सरकार पर नियंत्रण रखा जाए···यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है···(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : सदस्य ने आय कर में कटौती के बारे में पूछा है······ (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर : सदस्यगण इस बात की प्रशंसा करेंगे कि आयकर कटौती की योजना क्यों है। जो आयकर के दायरे में नहीं है उन्हें कोई कर देने की जरूरत नही है और उन्हें सिर्फ एक पत्र देना होता है कि उन्हें आयकर नही अदा करना है। कर दाताओं को अपनी निर्धारिती संख्या बतानी होती है, परन्तु क्या सदस्य यह महसूस करेंगे कि वे व्यक्ति जो कर नहीं दे रहे हैं···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : यह राशि सिर्फ 2500 रु० है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जी हां, 2500 रु० आय हैं। हमारे पास कुछ मामले हैं। बैंकिंग उद्योग ने यह ध्यान दिलाया है कि कुछ ऐसे कर दाता हैं जिन्होंने बैंक का खाता खोला है तथा जमा राशि है लेकिन वे कोई आयकर नहीं दे रहे हैं। आयकर कटौती का मतलब क्या होता है ? इसे क्या होना चाहिए। कोई ज्यादती नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने बताया जहां तक बैंकिंग उद्योग का सवाल है अब तक इस कटौती का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। इधर उधर कुछ राशि जमा हो सकती है विशेषकर ऐसी भी जमा राशि हो सकती है जिसमें लोगों ने संभवत: समानान्तर अर्थव्यवस्था का धन जमा किया होगा और संभवत: वे ही प्रभावित होंगे। और ऐसे खातों पर हम कोई छूट नहीं दे सकते। जहां तक सामान्य खातों का प्रश्न है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, वे आय विवरण दे सकते हैं या फिर वे अपनी निर्धारण संख्या दे सकते हैं। और यदि कोई कटौती दी जाती है तो कोई कठिनाई नहीं है तथा करदाताओं के आयकर निर्धारण में कटौती का लाभ मिलेगा। जो करदाता नहीं हैं उन्हें कुछ नहीं करना होगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० चाको : एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या इससे बैंकों की जमा राशि प्रभावित हुई है···**(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि इससे जमाराशि प्रभावित नहीं हुई है। यही जानकारी है। कुछ ऐसे लोग, जो अनुचित लाभ उठा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। आप ऐसे किसी नियमित जमाकर्त्ता का कोई भी मामला लाएं जो कहता हो कि उसने इतना पैसा इस कारण निकाला है। ऐसी बात नहीं है, यदि कोई ऐसा कदम, जो हमारे देश के राजस्व के लिए लाभकारी है, उठाया जाता है ताकि उन लोगों से कुछ पैसा लिया जाए जो उनकी ओर बकाया है तो क्या हमें ऐसे कदम की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ?···**(व्यवधान)** हम इस मामले को देख रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समस्या खड़ी करने का इरादा है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में बताया गया था, इन प्रगतिशील उपायों को लागू किया जा रहा है। इसके परिणाम आ रहे हैं। सारी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने में समय लगता है। परन्तु परिणाम प्रत्यक्ष है। हमने सोना वापस ले लिया जो उस समय एक समस्या बनी हुई थी। अपनी वचन-बद्धता को बचाने के लिए हमने 46 टन सोना बाहर भेजा और उसे पूर्णरूपेण वापस लिया गया है। अन्य 20 टन सोना के लिए आंशिक भुगतान कर दिया गया है और शेष भुगतान 4 दिसम्बर के नियत दिन को कर दिया जाएगा। अत: हमने यह सब किया और इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जनता तथा बौद्धिक वर्ग, व्यापारी समुदाय और विदेशी निवेशक इसकी सराहना कर रहे हैं। अत: थोड़े से परिवर्तन को कठिन नहीं मानना चाहिए। यह एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थ-व्यवस्था के ही हित में कुछ त्याग, कुछ रोक लगाना जरूरी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा को उठाया और हमें स्थिति को स्पष्ट करने का मौका दिया। परन्तु मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा— इस सभा में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सरकार की नीतियों की सफलता को देखकर कुछ लोग चीख पुकार कर रहे हैं। उन्होंने यह समाचार फैलाया है कि अवमूल्यन होने जा रहा है। अवमूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता। आज हमारी स्थिति मजबूत है। अब हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। प्रतिदिन हमारा कोष बढ़ रहा है। अवमूल्यन का प्रश्न कहां है ? अब लोग समस्या खड़ी करने

की कोशिश कर रहे हैं। आज मनचाही हड़ताल है। मुझे बताया गया कि वह असफल हो गयी है क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। अब हमें ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। एक घंटे की मेहनत भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सभा से मेरी यह अपील है कि अब समय आ गया है जब कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। हम सबों को एकजुट होना चाहिए और अर्थव्यवस्था को उसके अपने मूल स्वरूप में लाना होगा और इसमें और विकास करना होगा ताकि राष्ट्रों के सौजन्य में हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, वास्तव में हम अपने देश के लोगों की मदद कर सकेंगे और विश्व में अपना सर उठा सकेंगे।

सभापति महोदय : अब सभा कल दिनांक 2 दिसम्बर 1991 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.17 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 2 दिसम्बर 1991/11 अग्रहायण, 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रिंटवैल प्रिंटर्स, 126 पटपर गंज, दिल्ली-110092